पांचवीं पंचवर्षीय जिला योजना

1974-75 से 1978-79

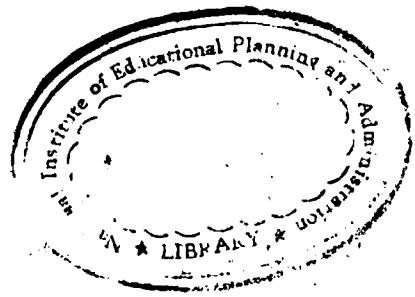

देहरादून

पांचवीं

पंचवर्षीय

जिला योजना

देहरादून

SA216
309.26
UTT-P.

दो शब्द

जिला नियोजन के महत्व पर पिछली दो पंच वर्षीय योजनाओं से विशेष बल दिया जा रहा है क्यों कि वह नीचे से नियोजन के सिद्धान्त को व्यवहारिक रूप देने में एक महत्वपूर्ण इकाई है । नियोजन के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है । जिला योजनायें अब राज्य तथा राष्ट्रीय योजनाओं का एक अभिन्न अंग बन गई है ।

२- जिला योजनायें बनाने के सम्बन्ध में योजना आयोग से निर्देश शिक्षा वर्ष १९७१ में प्राप्त हुई थी और जनपद की पांचवी योजना तथा वर्ष १९७४-७५ की वार्षिक योजना उसी के अनुसार बनाई गई थी । जिलों द्वारा बनाई गई योजनायें, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, द्वारा जांच पर बहुत महत्वकांक्षी पायी गई और उनमें अवस्थापनिक सुविधाओं की अधिक से अधिक मांग की गई थी । इन योजनाओं को राज्य योजना के सीमित परिव्यय में समावेश करना सम्भव नहीं था । इस कारण वर्ष १९७५-७६ की वार्षिक योजना के सम्बन्ध में नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, द्वारा यह आदेश प्रसारित किये गये थे कि जिन मदों के लक्ष्यों के निर्धारण के बारे में जिलों को स्वतंत्रता नहीं है, और विभागाध्यक्षों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को ही जिला योजना में सम्मिलित करना होगा , उनके बारे में विभागाध्यक्षों से प्राप्त लक्ष्य और सूचित परिव्यय को ही जिला योजना में सम्मिलित किया जाय । जहां तक उन मदों का प्रश्न है जिनके नियोजन के लिये जिला स्तर पर अधिकांशतया स्थानीय साधन (वित्तीय संस्थाओं के साधन सम्मिलित करते हुए) उपलब्ध हो सकते हैं और जो वास्तव में जिला योजना की परिधि में आते हैं उनके बारे में नियोजन जिला स्तर पर ही किया जाय । ऐसे दोनों तरह की मदों की सूची समस्त विभागाध्यक्षों एवं जिलाधिकारियों को नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,SriAurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No.....
Date.....

द्वारा उपलब्ध करा दी गई थी । यह भी निदेश प्राप्त हुए थे कि विभिन्न मदों के वित्त पोषण के स्त्रोतों को भी विभागाध्यक्षों । जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अवश्य इंगित किया जाय । जनपद की प्रस्तुत पांचवी पंच वर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना १९७५-७६ शासन के उपरोक्त आदेशों की पृष्टभूमि में तैयार की गई है ।

३- यह प्रकाशन विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों, निगमों के प्रबन्ध निदेशक, प्राधिकरणों के प्रशासक, परिषदों के सचिव तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के सराहनीय सहयोग के फलस्वरूप ही तैयार किया जा सका है । मैं विशेष रूप से इन सभी अधिकारियों के प्रति आभारी हूं जिन्होंने समय समय पर वांछित आंकड़े उपलब्ध कराने तथा अपना बहुमूल्य सुझाव देने का कष्ट किया है ।

४- श्री राय सिंह, अतिरिक्त जिलाधिकारी (निर्वाचन), देहरादून के निदेशन में इस पुस्तिका को बनाने में उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विशेष परिश्रम किया है जिनके कार्य की मैं सराहना करता हूं ।

(एन०एस० अन्सारी)
जिलाधिकारी
देहरादून ।

देहरादून
मार्च ६, १९७६

विषय सूची

अध्याय		पृष्ठ संख्या
१	स्थिति	१ - ४
२	जनसंख्या एवं व्यवसाय	५ - १६
३	प्राकृतिक संसाधन	१७ - २१
४-	पांचवी पंच वर्षीय योजना के उद्देश्य एवं नीति	२२ - २६
५	क्षेत्रीय कार्य क्रम	
५.१	कृषि उत्पादन, औद्यानिक विकास एवं फलोपयोग	२७ - ४३
५.२	सिंचाई	४४ - ५५
५.३	भूमि संरक्षण	५६ - ५९
५.४	क्षेत्रीय विकास कार्य क्रम	६०
५.५	पशुपालन एवं दुग्ध सम्पूर्ति	६१ - ६७
५.६	मत्स्य	६८ - ६९
५.७	वन	७० - ७३
५.८	कृषि ऋण	७४ - ७८
५.९	कृषि विपणन, संग्रहागार एवं भण्डारण	७९ - ८४
५.१०	सहकारिता	८५ - ९२
५.११	पंचायत राज	९३ - १०२
५.१२	लघु एवं सीमान्त कृषक तथा खेतिहर मजदूर विकास योजना	१०३

अध्याय		पृष्ठ संख्या
५.१३	भूमि सुधार-चकबन्दी	१०४
५.१४	बाढ़ नियंत्रण	१०५ - १०९
५.१५	विद्युत	११० - ११३
५.१६	उद्योग	११४ - १२४
५.१७	भूतत्व एवं खनिज विकास	१२५ - १२७
५.१८	सड़क तथा पुल	१२८ - १३४
५.१९	पर्यटन	१३५ - १३९
५.२०	सामान्य शिक्षा	१४० - १४६
५.२१	प्रावैधिक शिक्षा	१४७
५.२२	स्वास्थ्य	१४८ - १५६
५.२३	पौष्टिक आहार	१५७ - १६१
५.२४	जल सम्भूर्ति एवं स्वच्छता	१६२ - १६६
५.२५	आवास एवं नगरीय विकास	१६७ - १७३
५.२६	पिछड़ी जातियों का कल्याण एवं समाज कल्याण	१७४ - १९०
५.२७	शिल्पकार प्रशिक्षण एवं श्रम कल्याण	१९१ - १९३
६	वित्तीय दृष्टिकोण एवं वित्तीय संस्थाओं की भूमिका	१९४ - २००
७	सामग्री की आवश्यकता	२०१
८	सेवा योजन कार्यक्रम	२०२ - २०६
९	न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम	२०७ - २१३

अध्याय		पृष्ठ संख्या
१०	कमजोर वर्ग के समुदाय हेतु कार्य क्रम	२१४ - २१६
११	जनजाति क्षेत्र का विकास	२२० - २२७
१२	पर्वतीय समभाग का विकास	२२८ - २३२

तालिकायें

१	जिले के आधारभूत आंकड़े (विवरण पत्र -१)	२३३ - २४०
२	पांचवी योजना परिव्यय (रूप पत्र -१)	२४१ - २५२
३	पांचवी योजना का कार्यक्रम - भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां (रूप पत्र -२)	२५३ - २७३

अध्याय-१ -स्थिति

१.१- स्थिति:-

२९.५७° तथा ३१.२° उत्तरी अक्षांश तथा ७७.३५° एवं ७९.२०° पूर्वी देशान्तर के बीच उत्तर प्रदेश के पश्चिमी कोने में जनपद देहरादून स्थित है। जनपद के उत्तर तथा कुछ दूरी तक पूरब में जिला उत्तर काशी, पूरब में टिहरी गढ़वाल तथा पौड़ी गढ़वाल जनपद है। दक्षिण में सहारनपुर और दक्षिण सीमा के कोने में जनपद बिजनौर की सीमा इस जनपद से मिलती हैं। पश्चिम सीमा हिमांचल प्रदेश की टौन्स तथा यमुना नदियों की धाराओं से पृथक होती है।

१.२ भौतिक विभाजन:-

भौतिक एवं भौगोलिक दृष्टि से जनपद को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है।

प्रथम भाग दून सा है यह एक खुली घाटी है जो शिवालिक पहाड़ियों एवं हिमालय पर्वत की श्रृखलाओं के डालू क्षेत्रों से घिरा हुआ है। दूसरा भाग जौनसार बावर है जो लगातार पर्वतीय एवं संकुचित पहाड़ी भागों से बना है।

१.३ मिट्टी:-

मोटे अनुमान के अनुसार यहां पर चार प्रकार की मिट्टी पायी जाती है।

१- जनपद के पूर्वी भाग में कले स्वायल १० प्रतिशत क्षेत्रफल में मिलती है।

२- देहरादून खास के समीपवर्ती क्षेत्रों में अच्छी लोम ३० प्रतिशत क्षेत्र में पायी जाती है।

३- पश्चिम में हल्की लोम ३५ प्रतिशत क्षेत्र में पायी जाती है।

४- पर्वतीय क्षेत्र में पथरीली लोम या कले (संकरा) टाइप की मिट्टी २५ प्रतिशत क्षेत्र में पायी जाती है।

प्रथम भाग (उप सम्भाग एक) में पाई जाने वाली मिट्टी का तीन श्रेणियों में वर्गीकरण किया जा सकता है। देहरादून के समीपवर्ती क्षेत्रों में अच्छी लोम, उप पर्वतीय भाग में क्ले टाइप की मिट्टी तथा अपरिचित क्षेत्र में जो उप पर्वतीय और देहरादून के बीच स्थित है, में डाकर या हल्की लोम पायी जाती है।

द्वितीय भाग(उप सम्भाग -२) में अधिकांशतया चूना युक्त चट्टानें हैं तथा मिट्टी में ग्लास सैन्ड और स्लेट बहुतायत से पायी जाती है। इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति कम है।

१.४ जलवायु एवं वर्षा :-

किसी भी स्थान का तापमान उसकी ऊंचाई पर निर्भर होता है। चूंकि जिले में कहीं मैदान है, कहीं चट्टानें तो कहीं ऊंची-ऊंची पर्वत की चोटियां। इस लिये जनपद के भिन्न भिन्न भागों में जलवायु में भिन्नता पायी जाती है। दून घाटी में शरद ऋतु में जब वर्षा होती है तब चकराता, मंसूरी व अन्य पहाड़ियों पर हिमपात हो जाता है। देववन्द तथा समीपवर्ती भाग हिमाच्छादित रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में समय समय पर वर्षा होते रहने के कारण तापमान मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा कम रहता है, जिसके कारण यहां पर गर्म हवा नहीं चलती। एक ओर शिवालिक पहाड़ की श्रृंखला और दूसरी ओर हिमालय की पर्वत मालाओं से घिरा होने के कारण जनपद की जलवायु समशीतोष्ण तथा स्वास्थ्य प्रद है।

१.५ तापक्रम:-

जनपद के अन्तरिक्ष विज्ञान केन्द्र पर अंकित किया गया न्यूनतम ताप मान (सेन्टीग्रेड) में निम्न तालिका मे दर्शाया गया है:-

तालिका १.१

क्रमांक	वर्ष	देहरादून		मसूरी	
		अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम
१	२	३	४	५	६
१-	१९६७-६८	४०.६	२.३	२८.१	(-)३.८
२-	१९६८-६९	४१.१	१.३	२९.१	(-)२.७
३-	१९६९-७०	४२.०	१.०	३०.१	(-)०.७
४-	१९७०-७१	३५.८	०.८	२४.७	(-)१.२
५-	१९७१-७२	४२.१	२.४	३०.१	(-)०.८

स्त्रोत:- सांख्यिकी डायरी

उपरोक्तस तालिका से यह ज्ञात किया जा सकता है कि जनपद के मैदानी क्षेत्र में जनपद के पर्वतीय क्षेत्र की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु के तापमान में अधिक असमानता है । साथ ही शरद ऋतु के तापमान में भी पर्याप्त अन्तर है ।

१.६ वर्षा:-

जनपद के विभिन्न स्थानों की वार्षिक वर्षा निम्न तालिका के अनुसार है:-

तालिका १.२ मिलीमीटर में

क्रमांक	वर्ष	केन्द्र		राजपुर	जिला देहरादून
		चकराता	देहरादून		
१	२	३	४	५	६
१-	१९७१-७२	२५६५.१	२६०७.०	३६२६.५	३१३३.०
२-	१९७२-७३	१५४१.१	१६६२.३	२३६०.६	१६६१.२

स्त्रोत:- जिलाधीश कार्यालय

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्पूर्ण जिले में वर्षा पर्याप्त होती है किन्तु सभी क्षेत्रों में पड़ने वाली वर्षा में पर्याप्त अन्तर है ।

१.७ उपसम्भाग :-

जनपद के भौगोलिक एवं प्राकृतिक दृष्टि से दो भाग किये गये हैं । प्रथम भाग में देहरा तहसील का सम्पूर्ण क्षेत्र है जो खुली घाटी है । इसके अन्तर्गत विकास खण्ड डोईवाला और सहसपुर आते हैं । विकास की दृष्टि से इस भाग को उप सम्भाग-१ कहा गया है ।

जनपद का दूसरा भाग चकराता तहसील है जो सम्पूर्ण रूप से पर्वतीय है । इसके अन्तर्गत भी दो विकास खण्ड कालसी और चकराता आते हैं तथा इसको विकास की दृष्टि से उप सम्भाग-२ कहा गया है ।

अध्याय-२ जनसंख्या एवं व्यवसाय

२.१ जनसंख्या की प्रवृत्ति:- वर्ष १९७१ की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या ५,७७,३०६ है एवं सम्पूर्ण क्षेत्रफल ३,११,१०० हैक्टर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जनपद का क्षेत्रफल प्रदेश के क्षेत्रफल का १.५६ प्रतिशत है एवं जनपद ५१ वें स्थान पर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से जनपद की जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का ०.६५ प्रतिशत है एवं जनपद ४९ वें स्थान पर आता है। जनपद की जनसंख्या प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों की जनसंख्या का १५.१० प्रतिशत है। जनपद की सम्पूर्ण जनसंख्या का ४७.१ भाग नगरीय जनसंख्या का है, तथा ५२.९ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है।

तालिका २.१ :-

उत्तर प्रदेश एवं जनपद की जनसंख्या वृद्धि के तुलनात्मक आंकड़े

वर्ष	कुल जनसंख्या	दस वर्ष में बढ़ोतरी	बढ़ोतरी का प्रतिशत	
			जनपद	प्रदेश
१	२	३	४	५
१९२१	२,११,८७७	-	-	-
१९३१	२,२९,८५०	१७,९७३	८.४८	६.६
१९४१	२,६५,७८६	३५,९३६	१५.६३	१३.५
१९५१	३,६१,६८९	९५,९०३	३६.०८	११.९
१९६१	४,२९,०१४	६७,३२५	१८.६१	१६.६
१९७१	५,७७,३०६	१,४८,२९२	३४.५६	१९.८

स्त्रोत : जनगणना

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि पिछले दशक में जनपद की जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि हुई है। ५० वर्षों की जनसंख्या के अन्तिम वर्ष १९७१ में जनसंख्या १७२.५ प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है जब कि इसी अवधि में प्रदेश की जनसंख्या ८९ प्रतिशत से बढ़ी है।

२.२ जनसंख्या वृद्धि का मुख्य आधार :- तालिका २.१ से स्पष्ट होता है कि जनसंख्या में लगातार तीव्रगति से वृद्धि हुई है जिसका मुख्य कारण जन्म दर में वृद्धि न हो कर भारी संख्या में बाहर के लोगों का यहां आकर बस जाना है। साथ ही इसी अवधि में यहां पर केन्द्रीय,सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी कार्यालय विकसित हुए जिसमें से प्रमुख सर्वे आफ इण्डिया तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग,भारतीय तेल संस्थान,भारतीय सैनिक अकादमी, वन अनुसन्धान,चीफ इन्सपैक्टर आफ इन्स्ट्रूमेन्टस, नियंत्रिक सैनिक लेखा, इण्डियन रिसर्च डिफेन्स इस्टैब्लिसमेन्ट आदि हैं। ऋषीकेश में एन्टीबायोटिक्स तथा मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी भी विकसित हुए हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगों का विकास भी हुआ है।

२.३ जनसंख्या की बनावट:- जनपद की अधिकांश जनता(५२.९ प्रतिशत) ग्रामों में निवास करती है। वर्ष १९६१ की जनगणना के अनुसार जनपद की ४६.१% जनता नगरीय थी जो वर्ष १९७१ में बढ कर ४७.१ प्रतिशत हो गई। उप सम्भाग १ में नगरीय जनसंख्या लगभग उतनी ही रही जितनी १९६१ में थी परन्तु उप सम्भाग २ में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई। तालिका २.२ में उप सम्भागवार नगरीय जनता का अनुपात दिखाया गया है। इसी तालिका में यह भी दिखाया गया है कि १९६१-७१ के दशक में किस सीमा तक ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है।

तालिका २.२ :-

उप सम्भागवार कुल जनसंख्या में नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि

क्रमांक	उप सम्भाग	नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में		वर्ष १९७१ में वर्ष १९६१ के ऊपर प्रतिशत वृद्धि		कुल वृद्धि
		१९६१	१९७१	ग्रामीण	नगरीय	
१	२	३	४	५	६	७
१-	उप सम्भाग-१	५३.७	५३.३	३८.७	३६.५	३७.५
२-	उप सम्भाग-२	४.८	७.७	१५.०	६२.१	१८.७
	कुल	४६.१	४७.१	३२.२	३७.४	३४.६

स्त्रोत:- जनगणना पुस्तिका,१९७१

यह
उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होगा कि वर्ष १९६१ तक उपसम्भाग २ में नगरीय जनसंख्या केवल ४.८ प्रतिशत थी, जिसमें १९६१-७१ के दशक में ९१.१ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिसके फलस्वरूप उपसम्भाग-२ में नगरीय जनसंख्या का अनुपात बढ़ कर ७.७ प्रतिशत हो गया। जनपद की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत ४७.९ है जब कि प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत १४ है। प्रदेश में लखनऊ जनपद के बाद, जिसकी कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत ५०.९ है, नगरीय जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह जनपद दूसरे स्थान पर आता है। नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या में अधिकांशतया केन्द्रीय एवं प्रदेशीय सरकार के कार्यालयों में कार्यरत व्यक्ति, उनके परिवार के सदस्य एवं व्यापारीवर्ग सम्मिलित हैं। नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि का एक मुख्य कारण यह भी है कि यहां पर सेवा निवृत लोग काफी संख्या में आ कर बस गये हैं।

२.४ स्त्री-पुरुष अनुपात:- जनपद में जनगणना के अनुसार निम्न वर्षों में १००० पुरुषों पर स्त्रियों का निम्न अनुपात रहा है :-

तालिका २.३

१००० पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जनपद और प्रदेश में :-

वर्ष	जनपद	उत्तर प्रदेश
१९३१	९७३	९०४
१९४१	९४४	९०७
१९५१	७१५	९१०
१९६१	७९६	९०९
१९७१	७७०	८७९

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद के १०००पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या में वर्ष १९३१ से १९७१ तक लगातार वृद्धि हो रही है तथा प्रदेश में वर्ष १९५१ तक तो वृद्धि हुई है परन्तु बाद के वर्षों में वृद्धि निरंतर कम होती गई है।

तालिका २.४ :- जनपद की वर्षा १९६१ व १९७१ की जगणना में एक हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या:-

वर्षा	ग्रामीण	नगरीय	योग
१९६१	८१०	७१७	७६६
१९७१	८११	७२६	७७०

स्त्रोत:- जगणना पुस्तिका

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि एक हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा नगरीय क्षेत्र में अधिक वृद्धि हुई है। जनपद में वर्षा १९७१ की जनसंख्या ५,७७,३०६ थी, जिसमें से ३,२६,१०८ पुरुषा ३,२६,१०८ और स्त्रियां २,५१,१९८ हैं जिनका प्रतिशत कुल जनसंख्या में क्रमश: ५६ और ४४ है। स्त्री पुरुषों की संख्या में असमानता का प्रमुख कारण जनपद में मिलट्री छावनी का होना है जिसमें अधिकांशतया परिवार रहित पुरुषा रहते हैं। दूसरे विभिन्न परियाजानाओं में बाहर से आये श्रमिक तथा अन्य सेवाओं में किसी विभिन्न पदों पर अल्प वेतन में कार्य कर रहे पुरुषा हैं जो यहां अकेले ही निवास करते हैं।

२.५ जन संख्या का घनत्व:

तालिका २.५ :

उप सम्भागवार प्रतिवर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जनसंख्या का घनत्व

क्रमांक	मद	१९६१ वर्षा	१९७१ वर्षा
१-	उप सम्भाग -१	१६३	२२४
२-	उप सम्भाग -२	७५	८८
३-	जनपद	१३६	१८६
४-	पर्वतीय क्षेत्र (आठ जिले)	६१	७५
५-	उत्तर प्रदेश	२५१	३००

स्त्रोत:- जगणना पुस्तिका

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद की जनसंख्या का घनत्व पर्वतीय क्षेत्र के जिलों की अपेक्षा ढाई गुना अधिक है, परन्तु प्रदेश की जनसंख्या के घनत्व से काफी कम है ।

२.६ श्रम शक्ति:- साधारणतया श्रम शक्ति १५-५६ वर्ष के आयु वर्ग में सम्मिलित व्यक्तियों की होती है । आयु वर्गों को मोटे तौर पर हम तीन आयु वर्गों में विभक्त कर सकते हैं यथा ०-१४ वर्ष, १५-५६ वर्ष तथा ६० वर्ष से ऊपर । निम्न तालिका में आयु वर्ग के अनुसार पिछले दो जनगणनाओं में जनसंख्या का प्रतिशत वितरण दिखाया गया है :-

तालिका २.६ :- जनपद में मोटे आयु वर्ग के अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत वितरण

जनगणना वर्ष	आयु वर्ग		
	०-१४	१५-५६	६० और अधिक
१	२	३	४
१९६१	३८.०	५६.७	५.३
१९७१	३९.५	५४.९	५.६

स्त्रोत:- जनगणना पुस्तिका-सीरीज-२१ वर्ष १९७१

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि कार्यशील आयु वर्ग (१५-५६) में जनसंख्या का अनुपात कम हुआ है । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अकार्यशील व्यक्तियों का अनुपात बढ़ रहा है ।

२.७ कार्य कर्ताओं का तार्किक वर्गीकरण:- वर्ष १९६१ व १९७१ में जिले की कुल जनसंख्या, कार्य करने वाले स्त्री पुरुषों की संख्या तथा कार्य न करने वालों की संख्या का विवरण नीचे दिया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि १९६१ की जनगणना के पश्चात् १९७१ तक कार्य करने वाले स्त्री पुरुषों की संख्या में वृद्धि हुई है, अवनति हुई है अथवा समानता रही है ।

तालिका २.७ १९६१ की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या

क्रमांक	मद	पुरुष	स्त्री	योग
१-	ग्रामीण क्षेत्र	१,२७,७४७	१,०३,४३२	२,३१,१७९
२-	नगरीय क्षेत्र	१,१५,२४०	८२,५९५	१,९७,८३५
	योग	२,४२,९८७	१,८६,०२७	४,२९,०१४
कार्य करने वालों की संख्या				
१-	ग्रामीण क्षेत्र	८१,००७	२५,३६४	१,०६,३७१
२-	नगरीय क्षेत्र	६२,०५७	३,८७८	६५,९३५
	योग	१,४३,०६४	२९,२४२	१,७२,३०६
कार्य न करने वालों की संख्या हैं-				
१-	ग्रामीण क्षेत्र	४६,७४०	७८,०६८	१,२४,८०८
२-	नगरीय क्षेत्र	५३,१८३	७८,७१७	१,३१,९००
	योग	९९,९२३	१,५६,७८५	२,५६,७०८

स्त्रोत- जनगणना पुस्तिका

तालिका २.९

१९७१ की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या

क्रमांक	मद	पुरुष	स्त्री	योग
१-	उप सम्भाग-१			
	कुल	२,७८,८७५	२,१९,३०३	४,९८,१७८
	ग्रामीण	१,२६,७९४	१,०५,७१२	२,३२,५०६
	नगरीय	१,५२,०८१	१,१३,५९१	२,६५,६७२
२-	उप सम्भाग-२			
	कुल	४७,२३३	३१,८९५	७९,१२८
	ग्रामीण	४१,८९५	३१,१२८	७३,०२३
	नगरीय	५,३३८	६७६	६,१०५

क्रमांक	मद	पुरुष	स्त्री	योग
३-	जिले का योग			
	कुल	३,२६,१०८	२,५१,१६८	५,७७,३०६
	ग्रामीण	१,६८,६८६	१,३६,८४०	३,०५,५२६
	नगरीय	१,५७,४२६	१,१४,३५८	२,७१,७७७
कार्य करने वालों की संख्या				
१-	उप सम्भाग-१			
	कुल	१,४४,३४७	११,८१७	१,५६,१६४
	ग्रामीण	६७,१६३	७,१३३	७४,२६६
	नगरीय	७७,१८४	४,६८४	८१,८६८
२-	उप सम्भाग-२			
	कुल	३५,२६७	६,५८६	४४,८८६
	ग्रामीण	३८,८३२	६,४६६	४०,३२८
	नगरीय	४,४६५	६३	४,५५८
३-	जिले का योग			
	कुल	१,७६,६४४	२१,४०६	२,०१,०५०
	ग्रामीण	६७,६६५	१६,६२६	१,१४,६२४
	नगरीय	८१,६४६	४,७७७	८६,४२६
कार्य न करने वालों की संख्या				
१-	उप सम्भाग-१			
	कुल	१,३४,५२८	२,०७,४८६	३,४२,०१४
	ग्रामीण	५६,६३१	६८,५७६	१,५८,२१०
	नगरीय	७४,८६७	१,०८,६७७	१,८३,८०४

क्रमांक	मद	पुरुष	स्त्री	योग
२-	उप सम्भाग-२			
	कुल	११,६३६	२२,३०६	३४,२४२
	ग्रामीण	११,०६३	२१,६३२	३२,६६५
	नगरीय	८७३	६७४	१,५४७
३-	जिले का योग			
	कुल	१,४६,४६४	२,२६,७६२	३,७६,२५६
	ग्रामीण	७०,६६४	१,२०,२११	१,६०,६०५
	नगरीय	७५,७७०	१,०६,५८१	१,८५,३५१

स्त्रोत:- जनगणना पुस्तिका सिरीज २१,वर्ष १६७१ एवं जनगणना निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार ।

तालिका २.७ व २.८ के अनुसार वर्ष १६६१ की कुल जनसंख्या ४,२६,०१४ थी, जिसमें से कार्य करने वाले स्त्री पुरुषों की संख्या १,७२,३०६ थी जो कुल जनसंख्या का ४०.०१ प्रतिशत है । १६७१ की जनगणना के अनुसार जनसंख्या बढ कर ५,७७,३०६ हो गई और काम करने वाले स्त्री पुरुषों की संख्या बढ कर २,०१,०५० हो गई जो कुल जनसंख्या का ३४.८ प्रतिशत है । वर्ष १६७१ की जनगणना के अनुसार विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों का उप सम्भागवार विवरण तालिका २.६ में तथा विभिन्न व्यवसायों में उनका प्रतिशत वितरण तालिका २.१० में नीचे दिया जा रहा है :-

तालिका २.६ विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों का उपसम्भागवार विवरण वर्ष १६७१ की जनगणना के अनुसार :

क्रमांक	विवरण	उप सम्भाग-१	उप सम्भाग-२	जिले का योग
१-	कार्य करने वालों की कुल संख्या	१,५६,१६४	४४,८८६	२,०१,०५०
	अ- ग्रामीण	७४,२६६	४०,३२८	१,१४,६२४
	ब- नगरीय	८१,८६८	४,५५८	८६,४२६

क्रमांक	विवरण	उप सम्भाग-१	उप सम्भाग-२	जिले का योग
व्यवसायवार विवरण				
१-	कृषक	२८,०१६	२६,०५०	५७,०६६
	अ- ग्रामीण	२७,१८६	२६,०५०	५६,२३६
	ब- नगरीय	८३०	-	८३०
२-	कृषक श्रमिक	१४,८८५	१,५७५	१६,४६०
	अ- ग्रामीण	१३,६०४	१,५७५	१५,४७६
	ब- नगरीय	६८१	-	६८१
३-	पशुपालन, वनीकरण मत्स्य पालन आदि	२,५१५	२,१७३	४,६८८
	अ- ग्रामीण	१,६५१	२,१६६	३,८१७
	ब- नगरीय	८६४	७	८७१
४-	खान खदान तथा केवरी	३६६	-	३६६
	अ- ग्रामीण	२३०	-	२३०
	ब- नगरीय	१३६	-	१३६
५-	घरेलू उद्योग	४,२४०	७२८	४,६६८
	अ- ग्रामीण	२,७०१	६६०	३,३६१
	ब- नगरीय	१,५३६	३८	१,५७७
६-	घरेलू उद्योगों के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय	१३,४१६	२५१	१३,६६७
	अ- ग्रामीण	३,७७६	२११	३,६६०
	ब- नगरीय	६,६३७	४०	६,६७७
७-	निर्माण	२,७६७	७६	२,८४६
	अ- ग्रामीण	५०६	६५	५७१
	ब- नगरीय	२,२६१	१४	२,२७५
८-	व्यापार एवं व्यवसाय	१५,२४२	७१२	१५,६५४
	अ- ग्रामीण	१,६०६	५१४	२,१२३
	ब- नगरीय	१३,६३३	१६८	१३,८३१

क्रमांक	विवरण	उप सम्भाग-१	उप सम्भाग-२	जिले का भाग
९-	परिवहन एवं संग्रहण	७,५८०	१३६	७,७१६
	ब- ग्रामीण	५५५	७४	६२९
	ब- नगरीय	७,०२५	६२	७,०८७
१०-	अन्य सेवायें	६७,१३४	१०,१८२	७७,३१६
	ब- ग्रामीण	२२,१७५	५,९८३	२८,१५८
	ब- नगरीय	४४,९५९	४,१९९	४९,१५८

स्त्रोत:- जनगणना निदेशालय

तालिका २.१० कार्य करने वाले व्यक्तियों का व्यवसायवार प्रतिशत विवरण

क्रमांक	पद	कुल कार्य करने वालों की संख्या	कार्य करने वालों का प्रतिशत
१-	कृषक	५७,०६६	२८.४
२-	कृषि श्रमिक	१६,४६०	८.२
३-	पशुपालन	४,६८८	२.३
४-	खान खदान	३६९	०.१
५-	घरेलू उद्योग	४,९६८	२.५
६-	घरेलू उद्योग के अतिरिक्त अन्य उद्योग	१३,६६७	६.८
७-	व्यापार एवं व्यवसाय	१५,९५४	७.९
८-	निर्माण	२,८४६	१.४
९-	परिवहन एवं संग्रहण	७,७१६	३.८
१०-	अन्य सेवायें	७७,३१६	३८.६

स्त्रोत:- जनगणना निदेशालय

उपरोक्त तालिका २.१० से विदित होता कि यह जनपद अन्य जनपदों की भांति एक कृषि प्रधान जनपद नहीं है तथा वर्ष १९७१ में २,०१,०५० कुल कार्य करने वाले व्यक्तियों में से ३८.६ अन्य सेवाओं में कार्य रत थे तथा २८.४ प्रतिशत कृषि में कृषक के रूप में तथा ८.२

प्रतिशत कृषिक श्रमिक के रूप में कार्यरत थे ।

२.८ समाज का कमजोर वर्ग:-

पंचम पंच वर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग का आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से सर्वांगीण विकास करना है । इस लिये यह जानना आवश्यक है कि हमारे जनपद की सम्पूर्ण जनसंख्या में यह वर्ग कितने अनुपात में विद्यमान है । अनुसूचित एवं अनुसूचित जन जाति एवं भूमिहीन श्रमिक एवं छोटे कृषक इस वर्ग के मुख्य अंश हैं । १९७१ की जनगणना के अनुसार जनपद में अनुसूचित जाति । जन जाति की कुल जनसंख्या ~~१,२८,६५१~~ १,२८,६५१ है जो जनपद की कुल जनसंख्या का ~~२२.३~~ २२.३ प्रतिशत है । प्रदेश के लिये यह प्रतिशत २१.२ है ।

क्रमांक	मद	अनुसूचित जाति। जन जाति की कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति । जन जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में ।
(क)	ग्रामीण		
१-	डोईवाला	१६,५३६	१४.४
२-	सहसपुर	२२,७३६	२०.५
३-	फारेस्ट चार्ज	८६२	१३.१
४-	कालसी	३१,०५७	८०.३
४-	चकराता	३०,७६८	६३.७
	फारेस्ट चार्ज	२३५	१५.४
	ग्रामीण योग	१,०२,२२४(७६.३%	३३.५
(ख)	नगरीय		
१-	देहरादून सीटी	१५,४९७	६.३
२-	एफ०आर०आई०	३६३	१०.५
३-	देहरादून कैंट	३,५६७	१०.७
३-	ऋषीकेश एम०बी०	१,२४२	७.०

क्रमांक	पद	अनुसूचित जाति। जनजाति की कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति। जन जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में
४-	मसूरी	२,२३४	१२.४
५-	विकास नगर एम०बी०	१,०२८	१४.५
६-	क्लेमन्टाउन कैन्ट	१,११२	६.३
७-	लंढौर कैन्ट	३६७	१६.६
८-	रायपुर	७६८	१५.३
९-	चकरोता कैंट	५०६	८.३
	नगरीय योग	२६,७२७(२०.७)	६.८
	जिला योग	१,२८,६५१(१००.००)	२२.३

नोट:- कोष्ठक में दिये गये आंकड़े जनपद की कुल जनसंख्या का प्रतिशत वितरण दिखाते हैं।

उपरोक्त तालिका से यह विदित होगा कि अनुसूचित जाति। जन जाति की जनसंख्या मुख्यत: जनपद के ग्रामीण अंचलों में केन्द्रित है। चकरोता और कालसी विकास खण्ड में इस वर्ग की जनसंख्या ६३.७ तथा ८०.३ प्रतिशत है। चकरोता केन्ट में इस वर्ग की जनसंख्या ८.३ प्रतिशत है। इस प्रकार उप सम्भाग-२ जिसमें विकास खण्ड चकरोता और कालसी सम्मिलित तथा चकरोता कैन्ट पड़ता है विशेष रूप से जनपद का सबसे पिछड़ा हुआ भाग है।

२.६ जनसंख्या प्रक्षेपण:-: राज्य नियोजन संस्थान द्वारा बनाये गये अनुमानों के अनुसार आगामी वर्षों में जनपद में जनसंख्या की स्थिति का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है:-

तालिका संख्या २.१२ — प्रक्षिप्त जनसंख्या (१ मार्च की स्थिति) (हजार में)

वर्ष	ग्रामीण	नगरीय	कुल
१९७१	३०५	२७१	५७६
१९७२	३१३	२८०	५९३
१९७३	३२२	२८९	६११
१९७४	३३१	२९७	६२८
१९७५	३४१	३०८	६४९
१९७६	३५०	३१९	६६९
१९७७	३५९	३२९	६८८
१९७८	३६९	३४०	७०९
१९७९	३८०	३५२	७३२
१९८०	४३६	४१६	८५२
१९८१	४८९	४८०	९६९

स्त्रोत:- उत्तर प्रदेश राज्य नियोजन संस्थान, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ०प्र०

अध्याय - ३

प्राकृतिक संसाधन

३.१:- इस जनपद में जो भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं वह भूमि,वन सम्पदा, खनिज पदार्थ पशु आदि हैं,जिनका वर्णन नीचे किया जा रहा है।

३.२ :- भूमि एवं उसका उपयोग:- जनपद में मुख्य प्राकृतिक संसाधनों में भूमि और मिट्टी है। यह विदित है कि जितनी भूमि प्रकृति ने हमें दी है हम उसे बढ़ा नहीं सकते , परन्तु इसके उपयोग करने की प्रणाली में परिवर्तन अवश्य ला सकते हैं। जनसंख्या के दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण इस पर विशेष बल देना अति आवश्यक हो गया है।

तालिका ३.१ :- जनपद में भूमि उपयोगिता के वर्गीकरण के आंकड़े

क्रमांक	मद	क्षेत्रफल	वर्ष :-	
			१९७०-७१	१९७२-७३
१	२	३	४	५
१-	भूमि उपयोगिता के लिये प्रतिवेदित क्षेत्रफल	हैक्टर	२,६५,७२५	२,६५,७७२
२-	वन	हैक्टर	१,६७,३७८	१,६६,६००
		प्रतिशत	६२.६	६३.८
३-	ऊसर और खेती अयोग्य भूमि	हैक्टर	१,४६०	१,५०६
		प्रतिशत	०.६	०.६
४-	खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि	हैक्टर	१५,८५४	१५,८८६
		प्रतिशत	६.०	६.०
५-	कृषि बेकार भूमि	हैक्टर	११,६८०	१२,०६०
		प्रतिशत	४.५	४.५
६-	स्थायी चरागाह तथा अन्य चराई की भूमि	हैक्टर	३६	३६
		प्रतिशत	-	-

१	२	३	४	५
७-	अन्य वृक्षों अथवा झाड़ियों बागों आदि का क्षेत्र जो वास्तविक बोये गये क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है	हैक्टर	८,६७०	६,३६६
		प्रतिशत	३.४	२.४
८-	वर्तमान परती	हैक्टर	२,८०१	३,७६६
		प्रतिशत	१.०	१.४
९-	अन्य परती	हैक्टर	१,५६६	१,६३७
		प्रतिशत	०.५	०.७
१०-	बोया गया वास्तविक क्षेत्र	हैक्टर	५५,६४७	५४,६५२
		प्रतिशत	२१.१	२०.६
११-	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल	हैक्टर	२६,३३२	२४,५५८
		प्रतिशत	४७.३२	४४.६४

नोट:- क्रमांक ११ पर दिये गये प्रतिशत वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल पर निकाले गये हैं ।

स्त्रोत:- संयुक्त निदेशक(सांख्यिकी),कृषि निदेशालय,उ०प्र०

सम्पूर्ण भूमि उपयोगिता के अन्तर्गत उक्त तालिका के आंकड़ों से यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि भूमि उपयोगिता के अन्तर्गत वर्णित सभी मदों में परस्परागत घटती बढ़ती हुई है ।

३.३ ÷ जल:-

उप सम्भाग-१ : यहां पर जल की सतह ५० फिट से लेकर ३५० फिट तक है । जो क्षेत्र गंगा और यमुना नदी के समीप है वहां ५० से ७० फिट की ऊंचाई पर पानी मिल जाता है तथा जो क्षेत्र इनसे दूर होते जाते हैं वहां पानी की सतह नीची होती जाती है । भूमि के नीचे उपलब्ध जल पीने और सिंचाई के लिये लगातार उपयोग में लाया जा रहा है ।

उप सम्भाग-२:- यह उप सम्भाग पूर्णतः पर्वती है इस कारण यहां भूमि के नीचे उपलब्ध जल का उपयोग किसी भी साधन द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है। नदियों और प्राकृतिक स्त्रोत में उपलब्ध जल का प्रयोग लिफ्ट इरिगेशन और हाइड्रम द्वारा किया जाता है। स्प्रिंकलर योजनायें बहुत प्रभावशाली हैं। वर्तमान समय में पक्की गूलें बना कर पानी का उपयोग सिंचाई और पीने के रूप में किया जाता है या हौज तथा टैंक में पानी इकट्ठा कर उसका उपयोग किया जाता है।

३.४ पशु: पशुपालन ग्रामीण क्षेत्र में कृषि व्यवसाय के पश्चात् आर्थिक कार्य कलाप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जनपद में वर्ष १९६६ व १९७२ में पशुगणना के अनुसार निम्न स्थिति थी:-

तालिका ३.२ :-

क्रमांक	मद	१९६६	१९७२
१-	दुधारू पशु	७४,१६०	७९,७२३
२-	अदुधारू पशु	१,२९,८८७	१,२६,३६६
३-	बकरियां एवं भेड़	१,१५,९००	१,१३,४६९
४-	अन्य	५,९९२	६,६७६
	योग	३,१५,९३८	३,२६,२३४

वर्ष १९७२ की पशु गणना के अनुसार जनपद के गोजातीय एवं महिष जातीय पशुओं की उप सम्भाग वार स्थिति निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	मद	उप सम्भाग-१	उप सम्भाग-२	जिले का योग
१- गोजातीय पशु:-				
१-	तीन वर्ष से कम आयु के नर	१६२३१	९१५	२५३५६
२-	तीन वर्ष से अधिक आयु के नर	३८७४९	२१५५५	६०३०४
३-	तीन वर्ष से कम आयु के मादा	१७४०७	९१३५	२६५४२
४-	तीन वर्ष से अधिक आयु के मादा	३३१८४	२१२२२	५४४०६
	योग	१०५५७१	६१०३७	१६६६०८

क्रमांक	मद	उप सम्भाग-१	उप सम्भाग-२	जिले का योग
२- महिष जातीय पशु:				
१-	३ वर्ष के कम आयु के नर	३४३८	११५	३५५३
२-	३ वर्ष से अधिक आयु के नर	८७६	२०३	१०७९
३-	३ वर्ष से कम आयु के मादा	७३५७	१४५२	८८०९
४-	३ वर्ष से अधिक आयु के मादा	२००४७	५९९३	२६०४०
	योग	३१७१८	७७६३	३९४८१

जनपद के उप सम्भाग १ में दुधारू पशुओं के अलावा घोड़ा, खच्चर तथा खच्चर आदि पाले जाते हैं, जिनका प्रयोग बोझा ढोने के लिये किया जाता है। इसके अलावा बैल और भैंसा सांड भी बोझा तथा सवारी ढोने के रूप में प्रयोग किये जाते हैं।

उप सम्भाग-२ के पहाड़ी क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि की कमी के कारण पशुपालन जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। उप सम्भाग-२ की तुलना में यहां गाय और भैंसों की संख्या कम है। इस भाग में भेड़ व बकरी पालन दुग्ध प्राप्ति के लिये कम, ऊन और मांस के लिये अधिक किया जाता है।

वन ३.५: जनपद में वन के अन्तर्गत वर्ष १९७२-७३ में ९,६६,६०० हैक्टर क्षेत्रफल है जो सम्पूर्ण क्षेत्र प्रतिवेदित क्षेत्रफल का ६३.८ प्रतिशत है। इन वनों में साल शीशम, तुन, नीड़, बांस तथा आम आदि मुख्य पेड़ हैं। वनों में जड़ी बूटियां भी बहुत बड़ी मात्रा में पायी जाती हैं। इस प्रकार जनपद में वन सम्पदा का अतुल भण्डार है।

३.६ खनिज पदार्थ:- खनिज पदार्थ की उपलब्धि के सम्बन्ध में जनपद देहरादून प्रदेश के अन्य जनपदों की तुलना में काफी धनी है। जनपद में जो खनिज पदार्थ पाये जाते हैं उनका विवरण नीचे दिया जा रहा है।

१- चूना पत्थर:- इस जिले में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर शेल सिरीज की चट्टानों में मसूरी के आस पास, धारीगढ़, सहस्त्र धारा, सौंग वैली,

लखोट आदि स्थानों पर मिलता है । लालसी क्षेत्र में मुंथाली पर्वत श्रेणी में अच्छे किस्म का चूना पत्थर मिलता है । तहसील देहरादून एवं चकराता में सीमेन्टग्रेड चूना पत्थर ---------- लगभग ४० मिलियन टन उपलब्ध है ।

२- संगमरमर:- मसूरी के निकट भट्टा,लम्बीधारा तथा हाथी पांव क्षेत्र में अच्छे किस्म का संगमरमर पत्थर मिलता है जिसका उपयोग मार्बल चिप्स तथा कैमिकल इण्डस्ट्रीज में किया जाता है । लगभग ३० लाख टन अच्छी श्रेणी के संगमरमर के भण्डार की सम्भावना है ।

३- जिप्सम:- सहस्त्रधारा तथा क्यारकुली के निकट जिप्सम के भण्डार पाये जाते हैं । जिप्सम प्लास्टर आफ पेरिस इण्डस्ट्रीज में काम आता है ।

४- राकफासफोराइट:- इसका सर्वे तथा विस्तृत अन्वेषण भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया गया है । मसूरी से पूर्व में और लालदेवता तक इस जिले में राक फासफोराइट के अच्छे भण्डार पाये गये हैं,।

५- डोलोमाइट: जनपद में इसके बड़े भण्डार की सम्भावना पाई जाती है ।

६- तांबा:- जियोलाजिकल विभाग के अनुसार उप सम्भाग-२ में तांबा के मिलने की सम्भावना है ।

जनपद में उक्त प्राकृतिक खनिज पदार्थों के अतिरिक्त अन्य खनिज पदार्थों के भण्डार पाये जाने की सम्भावना व्यक्त की गई है, जिनका उपयोग भविष्य में किया जायेगा ।

अध्याय-४

पांचवी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य एवं नीति

राष्ट्रीय उद्देश्य:- राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

१- निर्धनता हटाना, विशेष रूप से ग्रामीण निर्धनता ।

२- मूल्यों में स्थिरता लाना ।

३- सामाजिक विषमताओं को हटाना ।

४- उत्पादन एवं बचत को बढ़ाना ।

५- आत्म निर्भरता प्राप्त करना ।

६- जनसंख्या की वृद्धि रोकना ।

४.२ :- चौथी योजना में जहां नियोजन की नीति का आधार स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास मुख्य उद्देश्य रहा है वहां पांचवी योजना में सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास मुख्य उद्देश्य रखा गया है । योजना आयोग के पेपर में इसकी निम्न प्रकार व्याख्या की गई है:-

(१) विकास दर में ५.५ प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि प्राप्त करना ;

(२) विकास दर में आवश्यक वृद्धि न केवल वस्तुओं और सेवाओं में प्राप्त करना है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि उत्पादन तथा आय को बढ़ाने में अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों तथा निर्बल वर्ग के लोगों को अपना उचित हिस्सा मिल सके । पांचवी योजनावधि के विकास कार्यक्रमों में कम विकसित क्षेत्रों के विकास तथा निर्बल वर्ग के लोगों के आर्थिक उत्थान कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जानी है ।

(३) जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकने के लिये परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर और अधिक बल दिया जाना है ।

(४) जनसंख्या के बहुत बड़े भाग को रोजगार दिला कर निर्धनता का उन्मूलन करना है ।

(५) न्यूनतम आवश्यकता के राष्ट्रीय कार्यक्रम को इस प्रकार कार्यान्वित करना है कि जिला स्तर पर लोगों को राष्ट्र स्तर पर निर्धारित मापदण्डों

के अनुसार सड़क, जनस्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, शिक्षा, विद्युत तथा पेय-जल की सुविधा उपलब्ध हो सके ।

(६) वसूली एवं जनवितरण प्रणाली को इस प्रकार नियोजित करना है, जिससे जनसाधारण को विशेषतया समाज के निर्बल वर्गों को आवश्यक वस्तुयें उचित एवं स्थिर मूल्यों पर उपलब्ध हो सके ।

४.३ राज्य योजना के उद्देश्य:- निर्धनता को हटाना तथा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना एक दीर्घ कालीन लक्ष्य है । संसाधनों के सीमित होने के कारण यह सम्भव नहीं है कि इन समस्याओं को पांचवी योजनावधि की अवधि में सुलझाया जा सके । फिर भी जिन उद्देश्यों को पांचवी योजना के दौरान सामने रखना है, उनका स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है । जो उद्देश्य राज्य की योजना में रक्खे गये हैं और जिनमें राष्ट्रीय योजना की प्राथमिकतायें एवं अनिवार्यतायें प्रतिबिम्बित होती हैं वह निम्न प्रकार हैं:-

१- बेरोजगार एवं अर्द्धबेरोजगार व्यक्तियों को लाभपूर्ण रोजगार देना तथा छोटे कृषकों तथा ग्रामीण शिल्पकारों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना ताकि उनको निजी उपभोग का न्यूनतम स्तर उपलब्ध किया जा सके (रोजगार साधन कार्यक्रम) ।

२- निम्नलिखित कार्यों द्वारा आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना :-

(क) विद्युत, सिंचाई एवं सड़कें जैसे आधारभूत अवस्थापन का सुदृढ़ीकरण ।

(ख) कृषि उत्पादन में वृद्धि ।

ग) औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि ।

३- न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति ।

४- संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करना ।

५- जन्म दर में कमी करना ।

६- मूल्यों को स्थिर करना ।

७- विकास केन्द्रों तथा नगरीय क्षेत्रों का विकास ।

८- जनता का सहयोग प्राप्त करना ।

४.४ पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये राज्य सरकार के प्रयत्नों की रूप रेखा:- राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के तीन सम्भाग यानी पूर्वी, पर्वतीय तथा बुन्देलखण्ड अपेक्षाकृत पिछड़े हुए माने गये हैं। देहरादून पर्वतीय क्षेत्र का एक जनपद है। चौथी योजना के दौरान राज्य सरकार ने इन पिछड़े क्षेत्र की आर्थिक प्रगति हेतु कई कदम उठाये हैं। मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना की गई है जिसका कार्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिये विकास की योजनायें बनाना तथा उनकी प्रगति की समीक्षा करना है। इस क्षेत्र के एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर पर एक आयुक्त एवं सचिव के अन्तर्गत पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त एक पर्वतीय विकास निगम की भी स्थापना की गई है जो कि संस्थागत वित्त को जुटा कर इस क्षेत्र के लाभ के लिये व्यवसायिक रूप से सहाय परियोजनाओं को शुरू करेगा। इस क्षेत्र के विकास के लिये केन्द्रीय योजना आयोग में आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में एक कमेटी आफ डाइरेक्शन का भी गठन किया गया है। इस कमेटी के अन्तर्गत गठित टास्क फोर्स। कार्यकारी दलों द्वारा इस क्षेत्र की क्षमताओं तथा संसाधनों का अध्ययन किया गया है और इस क्षेत्र में औद्योगिक, पर्यटन, वन तथा पशुपालन विकास के लिये बहुमूल्य संस्तुतियां। सुझाव दिये गये हैं। इस समिति की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में कृषि फसलों, भूमि उपयोग आदि के कुछ महत्वपूर्ण सर्वेक्षण का कार्य भी किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र में हवाई चित्रों के द्वारा सर्वेक्षण के उपयोग द्वारा प्रभावकारी भूमि उपयोगिता के विश्लेषण के लिये एक फोटो इन्टरप्रिटेशन यूनिट की भी स्थापना की गई है। निश्चित ही इन सब कदमों को उठाये जाने के कारण इस जनपद को भी लाभ पहुंचेगा।

४.५ जनपद की विशेष समस्यायें :- चूंकि जनपद देहरादून पर्वतीय क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है अतएव इस जनपद की भी वही समस्यायें हैं जो इस क्षेत्र की समस्यायें हैं। जनपद की विषम स्थलाकृति, दुर्गम पहाड़, यातायात तथा कृषि योग्य सीमित भूमि की विशेष समस्यायें हैं, और ओवर रिपोर्टिंग

एरिया का केवल लगभग २६.६८ प्रतिशत क्षेत्र ही कृषि योग्य है। विषमस्थलाकृति तथा पथरीली भूमि के कारण खेती की प्रक्रिया भी अधिक कठिन है और केवल घाटियों तथा पहाड़ के ढालानों पर ही खेती करना सम्भव है। जोतों का आकार बहुत छोटा है और ६.३ प्रतिशत जोतों का आकार ३ हैक्टर से अधिक है जो अधिकतर जनपद के तराई क्षेत्रों में बिखरी हुई है। सिंचाई के साधन भी सीमित जो मुख्यत: मैदानी भागों अथवा पानी के स्त्रोतों के पास की घाटियों में ही उपलब्ध है। जनसंख्या विरल और बिखरी हुई है। यातायात के साधनों की अत्यधिक कमी है। विद्युत सिंचाई, श्रम एवं विपणन आदि मौलिक अवस्थापन की सुविधाओं की कमी है और उनकी आवश्यकता के अनुसार विकास नहीं हो रहा है। इसमें जनपद में स्वच्छ पेयजल का अत्यधिक अभाव है। औद्योगीकरण की धीमी गति तथा फलोद्यान तथा पर्यटन, वन और खनिज सम्पदा की उपलब्ध क्षमता का पूर्ण उपयोग न होने के कारण बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी की भी विषम समस्या है।

४.६ जनपद की योजना के उद्देश्य:- इस जनपद की विशेष समस्याओं तथा पिछड़ेपन को देखते हुए इस जनपद के विकास के लिये निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य रखे गये हैं :-

१- सघन कृषि और फलोद्यान विकास का समन्वित और वैज्ञानिक ढंग से विकास करना तथा भूमि उपयोग के पैटर्न की भूमि की उपादेयता के आधार पर इस प्रकार सुनिश्चित करना जिससे उपलब्ध सीमित भूमि के अधिकतम उत्पादन और आय में शीघ्र वृद्धि हो सके, अर्थात् डाइवर्सिफिकेशन।

२- चारागाहयुक्त क्षेत्रों में आर्थिक पैमाने पर पशुपालन विकास को बढ़ावा देना।

३- वनों का वैज्ञानिक रखरखाव एवं सुधार में वृद्धि लाना।

४- साधनों पर आधारित औद्योगिक विकास में वृद्धि करना

५- पर्यटन का व्यावसायिक एवं व्यवसायिक स्तर पर विकास करना ।

६- यातायात सुविधाओं में वृद्धि के लिये सड़कों का अधिकतम विकास करना

(अ) कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये यातायात के साधन ।

(ब) औद्योगिक और पर्यटन विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा

(स) विकास केन्द्रों को अन्दरूनी इलाकों से जोड़ने के लिये अपेक्षित सड़कों का विकास करना ।

७- प्रारम्भिक शिक्षा, पेयजल, और ग्रामीण जनस्वास्थ्य आदि सुविधाओं की न्यूनतम आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना ।

८- पिछड़े हुए वर्गो अनुसूचित जाति । जनजातियों के आर्थिक उत्थान के लिये उचित व्यवस्था करना ।

<u>४.७ जनपद की योजना की प्राथमिकतायें</u>:- वस्तुओं के अभाव में, उनके भावों में वृद्धि एवं वित्तीय विवशताओं की विद्यमान पृष्ठभूमि में इस योजना की रूप-रेखा तैयार की गई है । वर्तमान परिस्थितयों के दवाव के अनुरूप अर्थ व्यवस्था के विभिन्न खण्डों में आन्तरिक तथा पारस्परिक प्राथमिकतायें निर्धारित की गई हैं । शक्ति, कृषि, सिंचाई, सड़क एवं उद्योग के कोर सेक्टरों को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है । फलोद्यान विकास, वनों के वैज्ञानिक रख रखाव एवं सुधार तथा पर्यटन विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अतिरिक्त सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के कार्यक्रम भी रक्खे गये हैं । इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जल सम्पूर्ति, हरिजन एवं समाज कल्याण इत्यादि परियोजनायें सम्मिलित हैं। संसाधनों की विवशता के कारण इन कार्यक्रमों में से कुछ की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना सम्भव नहीं हो सका है क्यों कि विद्युत, सिंचाई, कृषि एवं उद्योग खण्डों को प्राथमिकता दी गई है ।

अध्याय-५.१(क) कृषि उत्पादन

५.१.१ प्रस्तावना:- राज्य के अन्य जनपदों की भांति जनपद देहरादून एक कृषि प्रधान जनपद नहीं है । वर्ष १९७१ की जनगणना के अनुसार कुल कार्य करने वालों की जनसंख्या में से ३६.६ प्रतिशत जनसंख्या ही कृषि व्यवसाय में संलग्न थी तथा ३८.६ प्रतिशत जनसंख्या अन्य सेवाओं में लगी हुई थी । इस जनपद की स्थिति यहां की स्थानीय विशेषताओं-शीत जलवायु एवं अत्यधिक वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्र के अन्य जनपदों से भिन्न है । जनपद का अधिकतर भाग पर्वतीय एवं वनों के अन्तर्गत है । वर्ष १९७२-७३ के कृषि आंकड़ों के अनुसार जनपद में वनों का क्षेत्रफल कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का ६३.८ प्रतिशत था । इसी वर्ष में जनपद की कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल जनपद के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का २९.६८ प्रतिशत था ।

भौगोलिक दृष्टि से जनपद को दो सम्भागों -- मैदानी एवं पहाड़ी में विभाजित किया गया है । मैदानी उपसम्भाग में विकास खण्ड डोईवाला एवं रायपुर विकास खण्डों का क्षेत्र तथा पहाड़ी उप सम्भाग में कालसी एवं चकराता विकास खण्डों का क्षेत्र पड़ता है । मैदानी भाग की मुख्य फसलें मक्का, धान तथा गेहूं एवं वाणिज्यिक फसल गन्ना है । पहाड़ी भाग की मुख्य फसलें मडुवा, मक्का, धान एवं वाणिज्यिक फसल आलू है । मैदानी क्षेत्र के पूर्वी भाग में चले, मध्य भाग में सिलोम तथा पश्चिमी भाग में लाइट लोम तथा पर्वतीय क्षेत्र में पुअर टाइप लोम की भूमि है ।

जनपद खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्म निर्भर नहीं है और कृषि विकास की सम्भावनायें भी सीमित हैं । फिर भी अधिकाधिक खाद्यान्न उत्पादन प्राप्त करने की दृष्टि से योजना काल के प्रारम्भ से ही अधिक उपज देने वाली प्रजातियों एवं उर्वरकों के प्रयोग पर जोर दिया गया है । इन प्रयत्नों के फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुई है ।

४.१.२ वर्तमान स्थिति का तुलनात्मक: जनपद में वर्ष १९६८-६९ ,१९७०-७१ तथा १९७२-७३ में सकल बोये गये क्षेत्रफल,शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल, दोफसली क्षेत्रफल एवं फसल सघनता के आकड़े निम्न प्रकार हैं:-

वर्ष	सकल बोया गया क्षेत्रफल (हैक्टर)	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल (हैक्टर)	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल (हैक्टर)	फसल सघनता (प्रतिशत)
१	२	३	४	५
१९६८-६९	८३,२९८	५४,७१४	२८,५८४	१५२.२
१९७०-७१	८१,९७९	५५,६४७	२६,३३२	१४७.३
१९७२-७३	७९,२१०	५४,६५२	२४,५५८	१४४.९

जनपद में वर्ष १९६८-६९,१९७०-७१ तथा १९७२-७३ में खरीफ रबी तथा कुल खाद्यान्नों के अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादन की सूचना निम्न प्रकार से है:-

मद	१९६८-६९	१९७०-७१	१९७२-७३
१	२	३	४
१- खरीफ खाद्यान्न			
क्षेत्रफल (हैक्टर)	३४,७४०	३४,३५२	३३,५३१
उत्पादन (मैट्रिक टन में)	२५,३२२	३४,१४८	२७,२०३
२- रबी खाद्यान्न			
क्षेत्रफल (हैक्टर में)	२८,२२४	२८,२८३	२८,७०९
उत्पादन (मैट्रिक टन में)	२७,९५३	२९,४८२	३४,३४८
३- कुल खाद्यान्न			
क्षेत्रफल (हैक्टर में)	६२,९६४	६२,६३५	६२,२४०
उत्पादन (मैट्रिक टन में)	५३,२७५	६३,६३०	६९,५५१

जनपद में वर्ष १९६८-६९ ,१९७०-७१,तथा १९७२-७३ तथा १९७३-७४ में मुख्य फसलों के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल,उत्पादन तथा औसत उपज के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:-

वर्ष	कुल क्षेत्रफल (हैक्टर में)	उत्पादन (मैट्रिक टन में)	औसत उपज (कुन्तल प्रति हैक्टर)
१	२	३	४
१- चावल			
१९६८-६९	१२,४०६	११,३०२	९.११
१९७०-७१	१३,२४७	१४,२९९	१०.७९
१९७२-७३	१३,०८०	१३,५६९	१०.३७
१९७३-७४	१३,७८४	११,३२४	८.२२
२-मक्का			
१९६८-६९	१२,७८०	८,९६५	७.०१
१९७०-७१	१२,१४२	१४,९९९	१२.३५
१९७२-७३	१२,१०४	८,५३१	७.०५
१९७३-७४	७,९७४	६,७६०	८.४८
३-मडुवा			
१९६८-६९	६,७८१	३,८७०	५.७१
१९७०-७१	५,९७४	३,३७६	५.६५
१९७२-७३	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
१९७३-७४	५,९६४	४,६०३	६.०४
४- गेहूं			
१९६८-६९	२२,६८८	२४,३७६	१०.७४
१९७०-७१	२३,३२६	२६,३९२	११.२९
१९७२-७३	२३,२१८	२९,०२८	१२.५०
१९७३-७४	२३,१६७	१२,८७१	५.५६

१	२	३	४
५- दालें			
१९६८-६९	४,१२६	२,२७२	-
१९७०-७१	३,७९८	२,९३२	-
१९७२-७३	४,०५६	२,८४३	-
१९७३-७४	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
६- गन्ना			
१९६८-६९	५,३२०	२,५७,६३९	४८४.२८
१९७०-७१	५,७३८	२,२३,९७९	३९०.३४
१९७२-७३	५,३५३	२,६१,७६९	४८९.०१
१९७३-७४	५,६१०	२,६५,३२५	४७२.६५

जनपद में अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल में भी निरन्तर प्रगति हो रही है । जैसा कि निम्न तालिका से विदित होगा:-

(हेक्टेयर में)

मद	१९६८-६९	१९७१-७२	१९७२-७३	१९७३-७४
धान	४१४	१,२३९	३,१३०	३,४९७
मक्का	१९९	४२१	२०५	२३२
गेहूं	३,९७७	३,८६६	६,७४८	७,३२४

खाद्यान्न में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिये खरीफ एवं रबी फसलों के सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र के लिये जनपद में बीजों की नई प्रजातियों की विभिन्न किस्में प्रचलित की गई हैं । चौथी योजना के प्रारम्भ में ५२३ कुन्तल एक्जोटिक किस्म के बीजों का वितरण किया गया था जो चौथी योजना के अन्त में बढ़ कर ६३६ कुन्तल पर पहुंच गया था ।

रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को इस जनपद के मैदानी भाग में मुख्यत: प्रचुर प्रोत्साहन मिला है । चौथी योजना के प्रारम्भ में तथा चौथी योजना के अन्त में रासायनिक उर्वरकों के वितरण की जो स्थिति थी वह

वह नीचे की तालिका में दी जा रही है :-

मद	इकाई	चौथी योजना के प्रारम्भ की स्थिति	चौथी योजना के अन्त की स्थिति
१	२	३	४
नत्रजन	मैट्रिक टन	५९६	१,३०९
फास्फेटिक	मैट्रिक टन	१६८	३४०
पोटाश	मैट्रिक टन	१०१	१८६

उपरोक्त के अतिरिक्त हरी खाद के अन्तर्गत क्षेत्रफल जो चौथी योजना के प्रारम्भ में ९६५ हैक्टर था बढ कर चौथी योजना के अन्त में १,१५६ हैक्टर पर पहुंच गया ।

जनपद में अब जागरूक किसान बहुफसली खेती तथा फसल चक्र की विधि को अपना कर अग्रसर हो रहा है । साथ ही साथ वह उन्नतिशील कृषि यंत्रों का प्रयोग भी करने लगा है । वर्ष १९७३-७४ में वितरित किये गये उन्नतशील कृषि यंत्रों का विवरण निम्न प्रकार है:-

मद	संख्या
१- उन्नतशील हल	३६४
२- कल्टीवेटर	३३
३- पावर थ्रेशर	२२
४- हैरोज	३३
५- ट्रैक्टर	२४
६- अन्य यंत्र	१,२८२
योग	१,७५८

खाद्यान्न फसलों को कीट अथवा रोगों से सुरक्षित रखने के लिये इस जनपद में कुल ६ कृषि रक्षा इकाइयां कार्यरत हैं जिनके द्वारा चौथी योजना के अन्त तक निम्न कार्य किया गया :

मद	क्षेत्रफल(हैक्टर में)
१- बीज शोधन	१०,८४४
२- गूहा निवारण	८,३८२
३- सघन कृषि रक्षा कार्य	११,५४७
४- सरपतवार निवारण	१,५५८
कुल	३२,३३२

५.१.३ चालू विकास कार्यक्रम की समालोचनात्मक समीक्षा:- कृषि विभाग द्वारा वर्तमान समय में जितना ध्यान बीज, कृषि यंत्र एवं खाद वितरण की ओर दिया जा रहा है उतना कृषि विकास एवं निरीक्षण की ओर नहीं दिया जा रहा है । ग्राम स्तर पर खेतों में जा कर कृषकों की शंकाओं का समाधान किया जाना नितान्त आवश्यक है । ग्राम स्तर पर ग्रामसेवक नियुक्त हैं परन्तु उनके पास समय की कमी, कार्य की अधिकता, विस्तृत क्षेत्र तथा काश्तकारों की संख्या अधिक होने के कारण कृषकों की समस्याओं का तत्कालिक समाधान नहीं हो पाता है । कृषि विभाग के वितरण का कार्य अर्थात बीज, कृषि यंत्र एवं खाद वितरण का कार्य अन्य संस्थाओं को सौंपा जाना चाहिये ताकि कृषि विशेषज्ञों का अधिक से अधिक समय किसानों तक पहुंचने में उपलब्ध हो सके । इसी प्रकार तकावी वितरण का कार्य भी सहकारी समितियों तथा राष्ट्रीयकृत । वाणिज्यक बैंकों के माध्यम से कराया जाना चाहिये ।

कृषि में उन्नतिशील कृषि यंत्रों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है परन्तु ग्रामस्तर पर तो दूर खण्ड स्तर पर भी कृषि यंत्रों की मरम्मत हेतु वर्तमान समय में कोई कृषि सेवा केन्द्र नहीं है । परिणाम यह होता है कि यंत्र के खराब हो जाने पर उसकी मरम्मत में अत्यधिक व्यय होता है तथा साथ ही साथ समय की भी बरबाद होता है । अतएव यह आवश्यक है कि कम से कम खण्ड स्तर पर कृषि यंत्रों की मरम्मत के लिये कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना की जाय तथा इन कार्यशालाओं में अतिरिक्त कल पुर्जे रखे जायें ।

उर्वरकों के वैज्ञानिक एवं संतुलित प्रयोग के लिये इस बात की भी आवश्यकता है कि ग्रामस्तर पर जनपद में मिट्टी परीक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाय जो नियमित रूप से मिट्टी का परीक्षण करते रहें और विभिन्न फसलों में प्रयोग किये जाने वाले रसायनिक उर्वरकों के सम्बन्ध में काश्तकारों को परामर्श देते रहें ।

५.१.४ विकास की रणनीति:- जनपद की पांचवी पंच वर्षीय योजना में कृषि के क्षेत्र में निम्नलिखित रणनीति अपनाई जायेगी :-

१- अधिक उत्पादन देने वाली फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल को बढ़ाया जायेगा ।

२- महुवा के अन्तर्गत क्षेत्रफल को कम करके उसे सोलावीन तथा सूरजमुखी के अन्तर्गत लाया जायेगा ।

३- ऐसे स्थानीय उन्नतिशील बीजों का संवर्द्धन किया जायेगा जो पहाड़ी क्षेत्र की विभिन्न ऊंचाइयों के लिये उपयुक्त हों ।

४- उर्वरकों के वैज्ञानिक एवं संतुलित प्रयोग के लिये मिट्टी परीक्षण कार्य का सघनीकरण किया जायेगा ।

५- खाद्यान्न की फसलों को कीट एवं अन्य रोगों से बचाने हेतु फसल सुरक्षा कार्य पर विशेष बल दिया जायेगा ।

६- भूमि संरक्षण कार्य को पहाड़ी क्षेत्रों में शीघ्रता एवं तेजी से कार्यान्वित किया जायेगा ताकि उस क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि हो सके ।

७- जनपद के कृषकों को विशेष कर लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि ऋण की सुविधायें प्रदान की जायेंगी ताकि वह कृषि निवेशों का उपयोग कर प्रति इकाई उत्पादकता में वृद्धि ला सकें ।

५.१.५ विकास कार्य क्रम प्राथमिकता सहित:- जनपद की पांचवी पंच वर्षीय योजना में अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्रफल के लक्ष्य निम्न प्रकार प्रस्तावित हैं :-

हैक्टर में

मद	पांचवी योजना के लक्ष्य	१९७४-७५ की उपलब्धियां	१९७५-७६ के लक्ष्य
१	२	३	४
(क) एक्जोटिक किस्में			
(१) धान	४,६७२	३,९४५	४,०४६
(२) मक्का	२९६	२६४	२७०
(३) गेहूं	९,५५२	८,२२२	९,३००
(ख) स्थानीय किस्में			
(१) धान	८,६४५ ७,४८४	७,२५५	७,४६८
(२) मक्का		७,५२७	६,४६६
(३) गेहूं	५,६८९	३,३३९	४,९१६

अधिक उन्नतशील किस्मों के बीजों के वितरण के निम्न लक्ष्य प्रस्तावित हैं :-

(कुन्तल में)

मद	पांचवी योजना के लक्ष्य	वर्ष ७४-७५ की उपलब्धियां	वर्ष ७५-७६ के लक्ष्य
१	२	३	४
एक्जोटिक किस्में	८१०	७८६	७०१
स्थानीय	१०२	१४३	८०

रासायनिक उर्वरक वितरण के निम्न लक्ष्य प्रस्तावित हैं:-

टनों में

१	२	३	४
नत्र-जन	३,९५४	१,१३३	२,०५३
फास्फेटिक	७५६	१९१	४१३
पोटाश	३३९	१५४	२७२

पौध सुरक्षा कार्य के अन्तर्गत निम्न लक्ष्य प्रस्तावित हैं:-

हैक्टर में

मद	पांचवी योजना के लक्ष्य	वर्ष ७४-७५ की उपलब्धि	वर्ष ७५-७६ के लक्ष्य
१	२	३	४
पौध सुरक्षा	५४,०००	३६,८६७	४०,०००

वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत निम्न लक्ष्य प्रस्तावित हैं:-

हैक्टर में

१	२	३	४
सोयाबीन	१,५००	-	१००
गन्ना	६,४००	६,२१४	६,२१४
आलू	१,०००	३४५	६५०

विगत कुछ वर्षों में जनपद में कुल खाद्यान्न उत्पादन निम्न प्रकार रहा है:-

वर्ष	खाद्यान्न उत्पादन (मैट्रिक टन में)
१	२
१९६८-६९	५३,२७५
१९६९-७०	४७,७५२
१९७०-७१	६३,६३०
१९७१-७२	५२,३०३
१९७२-७३	६१,५५१
१९७३-७४	३९,९९०

उपरोक्त तालिका से यह विदित होगा कि वर्ष १९७३-७४ में जो पांचवी योजना का आधार वर्ष है खाद्यान्न उत्पादन सबसे कम था। उपरोक्त तालिका से यह भी विदित होगा कि वर्ष १९७०-७१ में खाद्यान्न उत्पादन ६३,६३० मैट्रिक टन तथा वर्ष १९७२-७३ में खाद्यान्न उत्पादन

National Institute of Educational Planning and Administration

६१,५५९ मै०टन तक पहुंच चुका था। इस प्रकार जनपद में खाद्यान्न उत्पादन का स्तर ६३,६३० मै०टन तक पहुंच चुका है। खाद्यान्न उत्पादन बहुत कुछ मौसम पर निर्भर करता है। जिस किसी भी साल सूखा अथवा पाला पड़ जाता है अथवा बाढ़ आ जाती है उस साल खाद्यान्न उत्पादन को बहुत धक्का लगता है। इस दृष्टि से वर्ष १९७३-७४ एक अच्छा वर्ष नहीं था और इस वर्ष के खाद्यान्न उत्पादन को जनपद की पांचवी योजना हेतु आधार मानना उचित नहीं समझा गया। पांचवी योजना के खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य निश्चित करते समय वर्ष १९७०-७१ के ६३,६३० मै०टन खाद्य उत्पादन के स्तर को ही आधार मानना अधिक उपयुक्त पाया गया है। पांचवी योजना के अन्त में यह आशा की जाती है कि जनपद में कुल खाद्यान्न उत्पादन ७८,१५२ मै०टन के स्तर तक पहुंच जायेगा अर्थात सम्पूर्ण योजना काल में १४,५२२ मै०टन का अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन होगा। यह अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है:-

क्रमांक	मद	अतिरिक्त क्षेत्र फल (हेक्टर में)	उत्पादन (मै०टन में)
१	२	३	४
१-	अतिरिक्त सिंचाई का क्षेत्रफल		
	(सृजित क्षमता में से २० प्रतिशत इस आधार पर कम करते हुए कि वह पांचवी योजनावधि में प्रयोग में न ला सकेगी)		
	(क) राजकीय लघु सिंचाई	६,६६४	-
	(ख) निजी लघु सिंचाई	१,५०६	-
	योग	८,१७०	-
२-	अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्रफल		
	(क) गेहूं	२,२२८	-
	(ख) धान	१,१७५	-
	(ग) मक्का	६४	-
	योग	३,४६७	-

१	२	३	४
३-	अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों से अतिरिक्त उत्पादन		
	(क) गेहूं (मान दण्ड १.८५३)	-	४,१२८
	(ख) धान (,, १.६५६)	-	१,६४६
	(ग) मक्का(,, १.२३६)	-	७६
	योग	-	६,१५३
४-	सिंचाई से अतिरिक्त उत्पादन (मद १ के क्षेत्रफल में से प्रथमतः २० प्रतिशत क्षेत्रफल अखाद्य फसलों की सिंचाई हेतु घटा कर तथा अवशेष में से मद २ के क्षेत्रफल को कम करते हुए)(मापदण्ड ०.४६)	-	१,५०४
५-	भूमि संरक्षण के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्रफल: (लक्ष्य का ८० प्रतिशत, यह मानते हुए कि २० प्रतिशत क्षेत्र अखाद्य फसलों के लिये प्रयोग होगा)	२,२८०	-
६-	भूमि संरक्षण के कारण अतिरिक्त उत्पादन(मापदण्ड ०.६१८)	-	१,४०६
७-	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल		
	(क) कुल	६,०६४	-
	(ख) उपरोक्त (क) का ८० प्रतिशत खाद्यान्नों के लिये	७,२७५	-
८-	एक बार से अधिक बोये गये क्षेत्रफल से अतिरिक्त उत्पादन (मापदण्ड ०.७५)	-	५,४५६
६-	पांचवी पंच वर्षीय योजना में अतिरिक्त खाद्य उत्पादन	-	१४,५२२
१०-	आधार वर्ष का खाद्यान्न उत्पादन		६३,६३०
११-	पांचवी योजना के अन्त में कुल अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन	-	७८,१५२

१	३	३	४
१२- पांचवी योजनावधि में विकास दर		-	लगभग ४ प्रतिशत

५.१.६ योजना के संसाधनों का विवरण:- जनपद की पांचवी पंच वर्षीय एवं वार्षिक योजना १९७५-७६ के परिव्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है। वर्ष १९७४-७५ के परिव्यय एवं वास्तविक व्यय का ब्यौरा भी नीचे दिया जा रहा है :-

लाख रु० में)

मद	पांचवी योजना परिव्यय		
	राज्य योजना गत	केन्द्र द्वारा पुरा निधानित	योग
१	२	३	४
कृषि विकास	५४.२०	-	५४.२०
गन्ना विकास	७.०७	-	७.०७
योग	६१.२७	-	६१.२७

मद	परिव्यय १९७४-७५			व्यय		
	राज्य योजना जनागत	केन्द्र द्वारा पुरा निधानित	योग	राज्य योजना जनागत	केन्द्र द्वारा पुरा निधानित	योग
	५	६	७	८	९	१०
कृषि विकास	४.१०	०.१९	४.२९	२.०४	०.१२	२.१६
गन्ना विकास	०.३२	-	०.३२	०.२४	-	०.२४
योग	४.४२	०.१९	४.६१	२.२८	०.१२	२.४०

मद	१६७५-७६ का परिव्यय		
	राज्य आयोजनागत	केन्द्र द्वारा पुरानिधानित	योग
कृषि विकास	३.६६	०.२४	४.२३
गन्ना विकास	०.३५	-	०.३५
योग	४.३४	०.२४	४.५८

५.१.७ भौतिक सामग्री एवं श्रम शक्ति की आवश्यकता: कृषि विकास कार्य क्रम के अन्तर्गत अधिकांश कार्य कृषकों द्वारा स्वयं किया जायेगा। प्राविधिक प्रशिक्षण एवं सलाह- देने हेतु कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। कृषि कार्य क्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्य मुख्यत: भूमि संरक्षण के अन्तर्गत होगा जिसमें भौतिक सामग्री एवं श्रम शक्ति की आवश्यकता होगी। इसके विस्तृत विवरण सम्बन्धित अध्याय में दिये गये हैं।

५.१.८ राज्य सरकार के लिये विचाराधीन प्रश्न एवं सुझाव:-

१) जनपद में २ हैक्टर या उससे कम जोत वाले कृषकों की संख्या कुल कृषकों की संख्या का लगभग २५ प्रतिशत है। इन छोटे कृषकों को ऋण, बीज, उर्वरक तथा कीट नाशक दवाइयों की सुविधायें ठीक से प्राप्त नहीं होती। अत: अन्य जनपदों की भांति इस जनपद में भी लघु एवं सीमान्त कृषक तथा खेतीहर मजदूर विकास योजना लागू करने की नितान्त आवश्यकता है।

२) जनपद के दोनों उप सम्भागों विशेष कर उप सम्भाग २ में सड़कों, क्रय विक्रय, संग्रहण, विधायन, विद्युत, बैंकों तथा सिंचाई साधनों के विस्तार एवं सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

३) जनपद की तहसील कलराता और देहरा में मिलने वाली सुविधायें पहाड़ी और मैदानी जनपदों के आधार पर प्रदान की जा रही हैं जब कि सिद्धान्त रूप में सम्पूर्ण जिला पहाड़ी है। जनपद का मैदानी

भाग प्रदेश के अन्य मैदानी जनपदों की तुलना में अत्यधिक जटिल है । यहां सिंचाई की सुविधायें प्राप्त करने हेतु मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा दुगुना से तिगुना व्यय करना पड़ता है । इस क्षेत्र में ऋण और अनुदान की सुविधाओं को मैदानी क्षेत्रों के समान दिया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है । यह आवश्यक है कि ऋण तथा अनुदान के निर्धारित अल्प सिंचाई साधनों के लिये राज्य सहायता की मात्रा ७५ प्रतिशत की जाय ताकि निजी साधनों द्वारा अल्प सिंचाई साधनों की ओर कृषक अग्रसर हो सकें । सिंचाई के साधनों में वृद्धि किये जाने से खाद्यान्न उत्पादन में आशातीत वृद्धि प्राप्त होगी ।

(ख) औद्योगिक विकास एवं फलोपयोग

जनपद के पर्वतीय अंचल में कृषि फसलों की अपेक्षा फलों एवं सब्जियों के अधिक उत्पादन तथा परम्परागत पद्धति में बोई जाने वाली फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र को फलोत्पादन के अन्तर्गत लाये जाने की बहुत अधिक सम्भावनायें हैं । जनपद के इस भाग की जलवायु आदर्श है । तथा इनमें टेम्परेट तथा सब ट्रापिकल फलों व तरकारियों के उत्पादन की काफी क्षमता है । इस लिये जनपद में तथा विशेषकर उप सम्भाग २ में उस कार्य क्रम को एक व्यापक पैमाने पर अपनाये जाने की आवश्यकता है ।

२- वर्तमान समय में जो योजनायें इस जनपद में चलाई जा रही हैं वह निम्न प्रकार हैं :-

१- फलपट्टियों एवं उद्यान उप निवेशों की स्थापना ।

२- प्रजनन उद्यान तथा नर्सरीज की स्थापना ।

३- आलू विकास का सघनीकरण ।

४- उन्नत तथा विदेशी सब्जी बीजों का संवर्धन ।

५- फलोत्पादकों एवं सेवा में लगे व्यक्तियों को बागवानी में प्रशिक्षण ।

६- मशरूम खेती में प्रशिक्षण ।

७- उद्यान एवं पौध रक्षा सेवा का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण ।

८- कोटिकरण एवं मण्डारण ।

९- फल पौधों, सब्जी बीज एवं पौधों के परिवहन पर राज्य सहायता ।

१०-उत्पादन तथा प्रशिक्षण, फलों के निर्यात हेतु परिवहन राज्य सहायता ।

११-फलोत्पादन कार्य क्रमों का विकास खण्ड स्तर पर समन्वय ।

१२-केन्द्रीय आसरोट उत्पादन योजना ।

१३-दीर्घ कालीन ऋण योजनायें आदि ।

३- जनपद की औद्यानिक विकास की पांचवी पंच वर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं-

१- जनपद के भूमि उपयोग में शनैः शनैः परिवर्तन ला कर जिन स्थानों में औद्यानिक विकास की क्षमता विद्यमान है उनमें औद्यानिक फसलों की खेती बढ़ा कर उनका उत्पादन बढ़ाना ।

२- फल, शाक भाजी एवं आलू की उपज के निस्तारण के लिये विपणन की उचित व्यवस्था करना ।

३- आर्थिक दृष्टि से अधिक उपयोगी फलों की जातियों को उपयुक्त क्षेत्रों में लगाना तथा कृषकों को उद्यान रोपड़ हेतु सभी प्रकार की वित्तीय एवं प्राविधिक सहायता उपलब्ध कराना ।

४- जो योजनायें इस समय जनपद में चल रही हैं उन्हें आगे भी जनपद की पांचवी पंच वर्षीय योजना में चलाया जाना प्रस्तावित है ।

जनपद की योजना के प्रमुख भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं:-

मद	३१-३-७४ तक की उपलब्धियां	पांचवी योजना का लक्ष्य	वर्ष ७४-७५ की उपलब्धियां	वर्ष ७५-७६ का लक्ष्य
१	२	३	४	५
बागवानी पौध सुरक्षा के अन्तर्गत क्षेत्र (हैक्टर)				
(१) फल	५,८७८	१,५००	२०७	२५०
(२) साक भाजी	१,०७६	१००	२६४	१५
(३) कीटाणु रोकथाम	अप्राप्त	३,०००	१,४३६	५००
(४) फल उत्पादन (मै०टन) (वार्षिक उत्पादन स्तर)				
(क) सेब	१६,६३०	-	१३,४३०	१३,६५०
(ख) आम	१,०००	७,०००	२,०००	३,०००
(ग) अन्य	३१,६४४	-	३२,१२५	३३,८५०
(५) आलू के अन्तर्गत क्षेत्रफल(हैक्टर)	६२६	१,०००	३४५	६५०
(६) आलू का उत्पादन (मै०टन)	५,८६३	६,०६५	३,२३२	५,८६२

५- योजना के संसाधनों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(लाख रू० में)

मद	पांचवी योजना परिव्यय			
	राज्य आयोजनागत	संस्थागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	योग
१	२	३	४	५
फलोपयोग	६०.७७	-	१.३५	६२.१२

मद	वर्ष १९७४-७५ का परिव्यय			
	राज्य द्वारा जागत	संस्थागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	योग
	६	७	८	९
फलोफागे	३.७४	१.०८	०.११	४.९३

मद	वर्ष १९७४-७५ का व्यय			
	राज्य द्वारा जागत	संस्थागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	योग
	१०	११	१२	१३
फलोफागे	१.८३	--	०.१६	१.९९

मद	वर्ष १९७५-७६ का परिव्यय			
	राज्य द्वारा जागत	संस्थागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	योग
	१४	१५	१६	१७
फलोफागे	४.९५	१.४४	०.२०	६.५९

जनपद में लीची तथा सेव के वगीचों के विकास हेतु अक्तुबर १९७४ से कृषि पुर्नवित्त निगम ने ५.४० लाख रू० की एक स्कीम स्वीकृत की है । यह स्कीम जनपद में भूमि विकास बैंक के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है ।

अध्याय ५.२ सिंचाई

५.२.१ प्रस्तावना: कृषि के विकास के लिये सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत अवस्थापन है। प्रदेश में लघु, मध्यम तथा बृहद सिंचाई साधनों पर योजना काल में काफी बल दिया गया है । लघु सिंचाई साधनों का मुख्य उद्देश्य कृषकों को उनकी इच्छानुसार सामयिक एवं सुनिश्चित सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करना है जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो तथा ग्रामीण अंचल का आर्थिक विकास तीव्रता से हो सके । जनपद में लघु सिंचाई की सुविधा निजी और राजकीय दोनों ही क्षेत्र में उपलब्ध हो रही है। राजकीय लघु सिंचाई कार्य क्रम में राजकीय नलकूप एवं पर्वतीय नहरें सम्मिलित हैं । जनपद में वृहत एवं मध्यम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। विभिन्न स्त्रोतों से किस हद तक जनपद में सिंचाई की जाती है इसका अनुमान इस बात से लगता है कि वर्ष १९७२-७३ में पर्वतीय नहरों द्वारा ५६.९ प्रतिशत, राजकीय नलकूपों द्वारा ३.२ प्रतिशत तथा अन्य स्त्रोतों द्वारा ३९.९ प्रतिशत क्षेत्र सींचा गया ।

५.२.२ वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन:-

(क) निजी लघु सिंचाई :- चौथी योजना के प्रारम्भ में तथा चौथी योजना के अन्त में निजी लघु सिंचाई साधनों की स्थिति निम्न प्रकार है थी:-

क्रमांक	कार्य का नाम	इकाई	३१-३-६९ की स्थिति	३१-३-७४ की स्थिति
१	२	३	४	५
१-	पक्के कुएं	संख्या	३३	१२०
२-	कूप बोरिंग	संख्या	२	६४
३-	रहट	संख्या	११	१४
४-	नलकूप	संख्या	२४	१०४
५-	पम्पिंग सैट	संख्या	५२	२०२

१	२	३	४	५
६-	गूल एवं हौज	हैक्टर में	६३८	१,१४७
७-	सिंचन क्षमता का सृजन	हैक्टर में	१,०२४	२,७६५

उपरोक्त तालिका से विदित होगा कि चौथी योजना के अन्त तक निजी लघु सिंचाई के माध्यम से २,७६५ हैक्टर क्षेत्र में सिंचन क्षमता सृजित की जा चुकी थी । वर्ष १९७४-७५ में २४६ हैक्टर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचन क्षमता का सृजन हुआ था तथा इस प्रकार वर्ष १९७४-७५ के अन्त तक ३,१११ हैक्टर क्षेत्र में सिंचन क्षमता का सृजन हो चुका था परन्तु कुछ कूप कार्यरत नहीं रहते या उनकी क्षमता कम हो जाती है । अतः ५ प्रतिशत ह्रास के उपरान्त वर्ष १९७४-७५ के अन्त में यह घट कर २,९६४ हैक्टर रह गई ।

(ब)राजकीय लघु सिंचाई:-

(१) राजकीय नलकूप:- यद्यपि जिले में भूमि की सतह के नीचे का जल स्त्रोत काफी गहराई में है फिर भी यहां कुछ नलकूप लगाये गये हैं । चौथी योजना के प्रारम्भ में राजकीय नलकूपों की संख्या ११ थी जो योजना काल के अन्त में बढ़ कर २६ पर पहुंच गई है । जनपद के सभी नलकूप उप सम्भाग-१ में हैं । कोई भी नलकूप उप सम्भाग-२ में नहीं है और नही इस उप सम्भाग में, उसके पूर्णरूप से पर्वतीय होने के कारण, नलकूप लगाये जाने की सम्भावना है ।इन नलकूपों का कमान्ड क्षेत्र ४,८४७ हैक्टर है । वर्ष १९७२-७३ तक औसत वार्षिक सिंचाई १,३०१ हैक्टर है जब कि प्रस्तावित क्षेत्र ३,०७२ हैक्टर है । राज्य में बिजली की कमी के कारण ये नलकूप पूरे समय न चल सके जिससे प्रस्तावित सिंचाई न हो सकी।

(२) पर्वतीय नहरें:- चतुर्थ योजना के अन्त तक जनपद में लगभग १८४ कि०मी० लम्बी नहरें हैं । इनमें कटा पत्थर नहर प्रणाली,बीजापुर नहर प्रणाली,राजपुर नहर प्रणाली,कालंगा बरासी नहर प्रणालीऔर जाखन नहर प्रणाली आदि हैं। इन नहर प्रणालियों का कमांड क्षेत्र १६,६६६

हैक्टर है जिसमें से लगभग ६३.८ प्रतिशत अर्थात १५,६२० हैक्टर प्रस्तावित क्षेत्र है । पिछले पांच वर्षों में सिंचाई का औसत १४,६११ हैक्टर है ।

५.२.३ चालू विकास कार्य क्रम की समालोचनात्मक समीक्षा:-

(क) निजी लघु सिंचाई:- जनपद में निजी लघु सिंचाई साधनों के उपलब्ध जल से एक फसल की सिंचाई भी भली भांति उपलब्ध नहीं हो पाती । जनपद में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य है कि समस्त कृषि योग्य भूमि पर औसतन वर्ष में कम से दो फसलें उगाई जायें और दोनों की सिंचाई हेतु पूर्ण व्यवस्था की जाय । राजकीय लघु सिंचाई कार्य अकेले इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते । अत: निजी सिंचाई के साधनों को कृषि योग्य भूमि में उपलब्ध कराने की तथा इस हेतु ठोस कार्य क्रम रखने की आवश्यकता है ।

अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत इस जनपद के कृषकों को निजी लघु सिंचाई कार्यों हेतु शासन द्वारा ऋण प्रदान किया जा रहा है तथा लघु सिंचाई विभाग द्वारा कृषकों का तकनीकी मार्ग दर्शन भी कराया जाता है । फिर भी प्राय: यह देखा जा रहा है कि इन सुविधाओं का कृषक भरपूर लाभ नहीं उठा पा रहा । उदाहरण के तौर पर योजनायें सही रूप से नहीं बन पाती तथा उनका रख रखाव भी समुचित रूप से नहीं हो पाता ।

अल्प सिंचाई कार्यक्रमान्तर्गत विभागीय ऋण एवं निजी साधनों से सिंचित क्षमताओं का सृजन हो रहा है परन्तु इन साधनों का अधिक उपयोग नहीं हो पा रहा क्यों कि छोटे छोटे टुकड़ों में सिंचन क्षमता के सृजन से क्रापिंग पैटर्न परिवर्तन नहीं हो पाता । यदि अल्प सिंचाई ऋण क्लस्टर योजना के रूप में चुने गये विशेष क्षेत्रों में किया जाय तो सिंचाई की सघनीकरणता से उस क्षेत्र की कृषि पद्धति में परिवर्तन लाया जा सकता है । उचित यह होगा कि जिन स्थानों पर अल्प सिंचाई साधन लगाने की सम्भावना है वहां सरकारी तौर पर छोटी

छोटी योजनायें निर्मित कराई जाय तथा ग्राम सभा अथवा ग्राम समूह , जैसी भी स्थिति हो, में सिंचन सुविधायें सामुहिक रूप से प्रदान करायी जाय और सिंचाई के पानी के उपभोग हेतु अन्य साधनों की तरह लगानी वसूल की जाय । इससे एक ओर उपलब्ध पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा तथा दूसरी ओर ऋण की वसुलीयें जो कठनाई आती है वा समाप्त हो जायेगी ।

(ख) राजकीय लघु सिंचाई :- हेवी रिंग मशीनों के अभाव में नलकूपों के खोदन में दिक्कत महसूस हो रही है । वर्तमान समय में तीन रिंगे है । यह बहुत कुशलता से कार्य नहीं कर पा रही हैं और इनकी क्षमता भी अधिक नहीं है । नलकूपों के खोदन के लिये यह आवश्यक है कि दो तीन अतिरिक्त अच्छी रिंगें जो पहाड़ी क्षेत्र के लिये उपयुक्त हों तुरन्त प्रदान की जाय । कैश क्रेडिट के अभाव में भी प्रगति अपर्याप्त है ।

५.२.४ दीर्घ कालीनपरिप्रेक्ष्य:-

(क) निजी लघु सिंचाई:- जनपद के लघु सिंचाई कार्यक्रमों के दीर्घ कालीनभौतिक लक्ष्य निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	मद	इकाई	पंचम पंच वर्षीय योजना के लक्ष्य	षष्टम योजना के लक्ष्य	सप्तम योजना के लक्ष्य
१	२	३	४	५	६
१-	पक्के कुए	संख्या	७६	७५	७४
२-	ट्यूब बोरिंग एवं पिट बोरिंग	,,	३६०	१५८	१५७
३-	नलकूप	,,	१००	१०८	१०७
४-	पम्पिंग सैट	,,	२००	१२५	१२५
५	सिंचन क्षमता का सृजन	हैक्टर	१८८३	१८९४	१८९३

(ख) राजकीय लघु सिंचाई:-

(१) राजकीय नलकूप: राजकीय नलकूपों के विकास कार्य क्रम हेतु विशेष सर्वेक्षण की आवश्यकता है जिसके अभाव में दीर्घ कालीन योजना नहीं बनाई जा सकती ।

(२) पर्वतीय नहरें:- जो योजनायें पांचवी एवं वार्षिक योजना काल में पूरी नहीं हो सकेंगी उनको छटी योजना में पूरा किया जायेगा । जब तक जिले की नदियों का पूर्ण रूपेण सर्वेक्षण नहीं हो जाता तब तक दीर्घ कालीन योजना बनाना सम्भव नहीं है ।

५.२.५ विकास की समरनीति:-

(क) निजी लघु सिंचाई:- निजी लघु सिंचाई के कार्यों को महत्व से कृषकों को अवगत कराने के लिये प्रचार साधन अपनाये जायेंगे । जिन स्थानों पर विद्युत उपलब्ध नहीं है वहां के कृषकों को डीजल चालित नलकूप एवं पम्पिंग सैट लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा । जिन स्थानों पर विद्युत आसानी से उपलब्ध है उन स्थानों पर विद्युत के नलकूप तथा पम्पिंग सेटों को लगाया जायेगा। योजना को बिखरा हुआ न बना कर एकीकृत एवं नियोजित ढंग से बनाया जायेगा ताकि उनसे वास्तविक लाभ अच्छे ढंग से प्राप्त हो सके । उप सम्भाग-१ में नलकूप निर्माण को पम्पिंग सैट की अपेक्षा प्राथमिकता दी जायेगी क्यों कि नलकूप की तुलना में पम्पिंग सैट की क्षमता कम होती है । नदियों से पानी को ऊपर उठाने में पम्पिंग सैट अति उपयोगी है । अत: वह इस कार्य हेतु अधिकाधिक संख्या में लगायें जायेंगे ।

(ख) राजकीय लघु सिंचाई :-

(१) राजकीय नलकूप:- राजकीय नलकूपों का विकास केवल उप सम्भाग १ में ही सम्भव है । अत: पांचवी योजना में जो भी कार्य क्रम प्रस्तावित हैं वह इसी क्षेत्र में कार्यान्वित किये जायेंगे । इस बात पर विशेष ध्यान दिया जायेगा कि जिन स्थानों पर अन्य सिंचाई साधनों की कमी है वहां पर राजकीय नलकूप लगा कर सिंचन क्षमता में वृद्धि की जाय ।

(२) पर्वतीय नहरें:- नहरों के अन्तर्गत जो कार्य चौथी योजना के अन्त तक पूर्ण नहीं हो सके हैं उनको पहले पूर्ण किया जायेगा ।

५.२.६ योजना के कार्य का प्राथमिकता सहित:-

(क) निजी लघु सिंचाई :- निजी लघु सिंचाई की वर्तमान उपलब्धियों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पांचवी योजना एवं वार्षिक योजना १६७५-७६ में जो लक्ष्य रक्खे गये हैं उनका व्यौरा निम्न प्रकार है:-

कार्य का नाम	इकाई	पांचवी पंच वर्षीय योजना के लक्ष्य	वर्ष १६७४-७५ की उपलब्धियां	वर्ष १६७५-७६ के लक्ष्य
१	२	३	४	५
पक्के कुए	संख्या	७६	२०	२०
कूप बोरिंग	संख्या	३६०	१५	[illegible] 100
रहट	संख्या	१५	-	५
नलकूप	संख्या	१००	१६	३
पम्पिंग सैट	संख्या	२००	२६	२०
गूल एवं हौज	हैक्टर	३२३	७४	५०
सिंचन क्षमता का सृजन	हैक्टर	१८८३	३४६	१६७

उप सम्भाग एक में विकास खण्ड डोईवाला एवं सहसपुर आते हैं। डोईवाला विकास खण्ड में गंगा, रिस्पना, सेवला तथा चन्द्रभागी नदियां बहती हैं। इनके समीप प्रीतनगर, श्यामपुर, हरिवाला, शेवला ग्राम सेवक क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में पम्पिंग सेटों के द्वारा पानी उठा कर क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। निजी नलकूप भी आसानी से लगाये जा सकते हैं। सहसपुर विकास खण्ड में यमुना नदी टौन्स, आसनबादि बड़ी बड़ी नदियों के अतिरिक्त अन्य कई छोटी छोटी नदियां बहती हैं। सहसपुर, अस्रानी, हरबर्टपुर, सेलाकूई पोलियों आदि क्षेत्रों में पम्पिंग सैट एवं निजी नलकूप लगाये जा सकते हैं। इन दोनों विकास क्षेत्रों में नलकूपों को प्राथमिकता दी जानी है। पम्पिंग सैट को

दूसरा स्थान दिया जाना है। सिंचाई कूपों द्वारा सिंचाई बहुत कम होती है अतः इन्हें तीसरा स्थान दिया जाना है।

उप सम्भाग दो सम्पूर्ण क्षेत्र पहाड़ी है। इस क्षेत्र में सिंचाई कूप एवं नलकूपों का निर्माण सम्भव नहीं है। स्थान स्थान पर छोटे छोटे झरने एवं गधेरे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इन स्त्रोतों के जल को गूल एवं होजों के द्वारा सिंचाई हेतु प्रयोग में लाया जाना सम्भव है जिसके लिये प्रावधान किया गया है। कहीं कहीं पर बड़ी बड़ी नदियां काफी कम गहराई पर बहती हैं जिनके जल को पम्पिंग सैटों द्वारा उठाया जाना सम्भव है परन्तु पंम्पिंग सैटों को लगाने में कृषकों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिजली बहुत कम उपलब्ध है तथा यातायात के साधन भी बहुत कम हैं जिसके कारण डीजल लेजाना भी बहुत कठिन है। इसके अतिरिक्त उनकी मरम्मत की भी कोई सुविधा प्राप्त नहीं है।

(ख) राजकीय लघु सिंचाई:-

(१) राजकीय नलकूप:- इस जनपद में पंचम पंच वर्षीय योजना काल में ५० राजकीय नलकूप लगाये जाने प्रस्तावित हैं। इनमें से ४ नलकूप वर्ष १९७४-७५ में लगाये जा चुके थे तथा ३ नलकूप वर्ष १९७५-७६ में लगाया जाना प्रस्तावित है। इन नलकूपों से पांचवी योजनावधि में ६,००० हैक्टर क्षेत्र में सिंचन क्षमता सृजित होगी जिसमें से ४८० हैक्टर क्षेत्र में सिंचन क्षमता का सृजन वर्ष १९७४-७५ में हो चुका था तथा वर्ष १९७५-७६ में ३६० हैक्टर क्षेत्र में सिंचन क्षमता का सृजन होना प्रस्तावित है।

(२) पर्वतीय नहरें:- पांचवी पंच वर्षीय योजना में जिले में लगभग ७६ किमी० नई नहरों का निर्माण तथा १२ किमी० वर्तमान नहरों का पुनरोद्धार प्रस्तावित है। इनसे लगभग २,३३० हैक्टर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचन क्षमता सृजित होगी जिसमें से वर्ष १९७४-७५ में २७० हैक्टर क्षेत्र में सिंचन क्षमता का सृजन हो चुका था तथा वर्ष १९७५-७६ के लिये कोई लक्ष्य प्रस्तावित नहीं है। पांचवी योजना में ली जाने वाली

नहर परियोजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	योजना का नाम	विकास क्षेत्र का नाम	लम्बाई किलोमीटर में
१-	डाकरी नहर का निर्माण	सहसपुर	३.३०
२-	बड़वा नहर का निर्माण	सहसपुर	३.००
३-	रुद्रपुर नहर का निर्माण	सहसपुर	५.००
४-	धूम नगर नहर का निर्माण	सहसपुर	४.५०
५-	सूर्यधार साइनर का निर्माण	डोईवाला	१.००
६-	डूंगा नहर का निर्माण	सहसपुर	७.७०
७-	तोड़ी भूड़ नहर का निर्माण	सहसपुर	६.५०
८-	प्रीत नगर रायवाला नहर का निर्माण	डोईवाला	५.००
९-	बरासी नहर द्वितीय का निर्माण	डोईवाला	६.००
१०-	विघोली नहर का निर्माण	सहसपुर	४.५०
११-	व्यास नहरी नहर	कालसी	३.००
१२-	कनाई नहर	कालसी	१.००
१३-	सानल क्यारी नहर	कालसी	१.५०
१४-	निथला नहर	कालसी	१.००
१५-	खेरा बाँड़	कालसी	१.००
१६-	कालसी खेरा नहर	चकराता	६.००
१७-	मजाग नहर	चकराता	५.००
१८-	गैनदरथ नहर	चकराता	४.७०
१९-	सतांग नहर	चकराता	२.५०
२०-	बेत्रा नहर	चकराता	२.१०
२१-	जाउ नहर	चकराता	३.००
		योग	७६.३०
२२-	वर्तमान नहरों को पक्का करके क्षमता वृद्धि करना		१२.००
		योग	८८.३०

(ग) बृहद एवं मध्यम सिंचाई:- इसके अन्तर्गत पांचवी पंच वर्षीय एवं वार्षिक योजना १९७४-७५ एवं १९७५-७६ में कोई भौतिक लक्ष्य प्रस्तावित नहीं हैं।

५.२.७ योजना के संसाधनों का विवरण:- पांचवी पंच वर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना १९७५-७६ के प्रस्तावित परिव्यय एवं वार्षिक योजना १९७४-७५ के परिव्यय। व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(लाख रू० में)

क्रम संख्या	कार्य क्रम	पांचवी योजना परिव्यय		
		राज्य तथा योजनागत	जनपोषित	योग
१	२	३	४	५
१-	निजी लघु सिंचाई	४०.५०	४०.५०	८१.००
२-	राजकीय सिंचाई			
	(क) लघु सिंचाई	१६५.००	-	१६५.००
	(ख) बृहद एवं मध्यम	१००.००	-	१००.००
	योग	३३५.५०	४०.५०	३७६.००

क्रम संख्या	कार्य क्रम	१९७४-७५					
		परिव्यय			व्यय		
		राज्य तथा जनागत	जन पोषित	योग	राज्य तथा जनागत	जन पोषित	योग
१	२	६	७	८	९	१०	११
१-	निजी लघु सिंचाई	४.६५	४.६५	९.३०	३.४४	३.४४	६.८८
२-	राजकीय सिंचाई						
	(क) लघु सिंचाई	१५.२४	-	१५.२४	------अप्राप्त------		
	(ख) बृहद एवं मध्यम	-	-	-	-	-	-
	योग	१९.८९	४.६५	२४.५४	३.४४	३.४४	६.८८

क्रम संख्या	कार्यक्रम	१९७५-७६ परिव्यय राज्य आयोजनागत	जनपाषित	योग
१	२	१२	१३	१४
१-	निजी लघु सिंचाई	६.५०	६.५०	१३.००
२-	राजकीय सिंचाई			
	(क) लघु सिंचाई	१५.६८	-	१५.६८
	(ख) वृहद एवं मध्यम	-	-	-
	योग	२२.१८	६.५०	२८.६८

५.२.८ भौतिक सामग्री एवं श्रम शक्ति की आवश्यकता:-

(क) निजी लघु सिंचाई:- पांचवी योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सीमेन्ट का महत्वपूर्ण स्थान है। सीमेन्ट की मांग का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	मद	एक वर्ष का लक्ष्य	सीमेन्ट ईंट प्रति इकाई	सीमेन्ट की मांग	पांचवी योजना हेतु
१	२	३	४	५	६
१-	सिंचाई कूप	१५	५० बोरे	७५० बोरे	कुल
२-	नलकूप	२०	५० बोरे	१,००० बोरे	६७२५० बोरे
३-	गूल	३०	४५० बोरे	१३,५०० बोरे	
४-	हौज	६०	७० बोरे	४२०० बोरे	
५-	ईंट सिंचाई कूप हेतु	१५	१५,००० ईंटें	२२५००० ईंटें	कुल ११ लाख २५ हजार

निजी लघु सिंचाई योजनाओं में विशेष प्राविधिक ज्ञान एवं सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनको निर्मित करने में स्थानीय साधनों एवं प्राविधिक ज्ञान का उपयोग होता है। इनमें मुख्यत: स्थानीय

श्रमिकों एवं कारीगरों को रोजगार मिलता है। अनुमान है कि इन कार्यों में लगभग १ लाख मानव दिवसों का उपयोग हो सकेगा।

(ख) राजकीय लघु सिंचाई:-

(१) राजकीय नलकूप:- भौतिक सामग्री एवं श्रम शक्ति की आवश्यकता निम्न प्रकार अनुमानित है:-

क्रमांक	मद	प्रति वर्ष	योजना काल में कुल
१	२	३	४
१-	ईंट	१० लाख	५० लाख
२-	सीमेन्ट	४०,००० बोरी	दो लाख बोरी
३-	श्रम शक्ति	२१,६००	१,०८,००० मानव दिवस

(२) पर्वतीय नहर:- जनपद में पर्वतीय नहरों के निर्माण हेतु अनुमान है कि १२,२०० मै०टन सीमेन्ट,एवं ६८ मै०टन लोहे की आवश्यकता होगी तथा १,८२,५०० मानव दिवसों का सृजन होगा।

५.२.६ राज्य सरकार के विचाराधीन प्रश्न एवं सुझाव:-

(क) निजी लघु सिंचाई:-

(१) पर्वतीय क्षेत्रों में गूल एवं होज के निर्माण के समान पम्पिंग सैट ,हाइड्रम एवं बोहार योजना पर भी ५० प्रतिशत अनुदान दिया जाना चाहिये क्यों कि होज एवं गूल की तुलना में पम्पिंग सैट आदि के निर्माण में अधिक व्यय एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की सहायता से ही इन योजनाओं की ओर किसानों को प्रोत्साहित किया जा सकता है ।

(२) पूरे जनपद में ऋण जमीन के स्थानीय मूल्यांकन के आधार पर दिया जाना चाहिये ताकि पर्याप्त मात्रा में लोगों को ऋण प्राप्त हो सके। भूमिधारी एवं सीरधारी के लगान की दर अत्यन्त कम होने के कारण कृषकों को पर्याप्त ऋण प्राप्त नहीं हो पाता।

(३) योजनाओं के सर्वेक्षण आदि करने का प्राविधान भी बजट में किया जाय ताकि योजनाओं का निर्माण विनियोजित एवं समुचित ढंग से किया जा सके ।

(ख) राजकीय लघु सिंचाई:-

(१) नलकूपों के छेदन के लिये दो तीन अतिरिक्त रिंगे जो पहाड़ी क्षेत्र के लिये उपयुक्त हों तुरन्त प्रदान की जाय ।

(२) वर्तमान समय में विभागीय निर्धारित ~~किस~~ नीति के कारण नहर क्षेत्र के कमांड में नलकूप नहीं लगाये जा सकते जब कि स्थिति यह है कि नहरें अपने कमांड क्षेत्र के = ४० प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधायें प्रदान करने में भी असमर्थ हैं । अधिक खाद्यान्न उत्पादन के हित को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि सिंचाई विभाग नियमों को ~~शि~~ शिथिल करे ।

(३) यह आवश्यक है कि जिले की भिन्न भिन्न नदी घाटियों, पहाड़ों एवं मैदानों का भली प्रकार सर्वेक्षण करके सिंचाई परियोजनाओं का एक मास्टर प्लान तैयार किया जाय । इस सर्वेक्षण के बाद ही यह ज्ञात हो सकेगा कि जिले में क्या सिंचन क्षमता प्राप्त की ~~जा सके~~ जा सकती है ।

अध्याय-५, ३ भूमि संरक्षण

५.३.१ प्रस्तावना: भूमि संरक्षण से हमारा तात्पर्य यह है कि कटाव ग्रस्त भूमि का सुधार किया जाय और सुधरी हुई भूमि में रक्षात्मक कार्यक्रम अपना कर आगे कटाव न होने दिया जाये। कटाव ग्रस्त भूमि में सुधार के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति, निरंतर पैदावार देते हुए भी, बनी रहती है तथा सुधरी भूमि में रक्षात्मक कार्य क्रम अपनाने से उसकी उर्वरा शक्ति आने वाले वर्षों में बढ़ती ही रहती है। इस प्रकार भूमि का दीर्घ कालीन सुधार होता है।

देहरादून जनपद का क्षेत्र गंगा तथा यमुना नदियों के जल समेट क्षेत्र में है। गंगा नदी के जल समेट क्षेत्र में विन्दाल, रिस्पना, सोंग, जाखन एवं बन्दारी आदि नदियां हैं और यमुना नदी के जल समेट क्षेत्र में टौंस, आसन आदि नदियां हैं। इसके अतिरिक्त इस जनपद में छोटे बड़े नाले हैं जो भूक्षारण की क्रिया को सक्रीय रूप देते हैं। इस जनपद का बहुत कुछ भाग पहाड़ी क्षेत्र में है जिसकी भूमि का प्रत्येक इंच कटाव ग्रस्त है।

इस जनपद की उपरोक्त समस्या में सुधार लाने हेतु वर्ष १९६४-६५ में भूमि संरक्षण की पहली इकाई का श्रीगणेश हुआ। कार्य के महत्व को देखते हुए वर्ष १९६८-६९ में दूसरी इकाई कालसी में स्थापित की गई। वर्ष १९७३-७४ में इस जनपद के मैदानी भाग में चकबन्दी का कार्य प्रारम्भ हो गया जिसके कारण देहरादून में स्थित भूमि संरक्षण की इकाई को समाप्त करना पड़ा और एक नई इकाई चकराता के नाम से वर्ष १९७३-७४ में स्थापित की गई। इस प्रकार वर्तमान समय में जनपद में दो इकाइयां कार्यरत हैं प्रथम कालसी तथा दूसरी चकराता में। यह दोनों इकाइयां पहाड़ी क्षेत्र में कार्य कर रही हैं।

५.३.२ वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन:- जनपद में कार्य रत भूमि संरक्षण इकाइयों द्वारा मार्च ३१, १९६९ तक १३,०५६ हैक्टर में, मार्च ३१, १९७२ तक १५,३०५ हैक्टर में तथा मार्च ३१, १९७४ तक १८,७३३ हैक्टर में भूमि

संरक्षण का कार्य सम्पन्न किया जा चुका था । इसमें से २७,५६८ हैक्टर में भूमि संरक्षण का कार्य उप सम्भाग १ में तथा १,१३५ हैक्टर मेंभूमि संरक्षण का कार्य उप सम्भाग २ में सम्पन्न हुआ था ।

५.३.३ चालू विकास कार्य क्रमों की समालोचनात्मक समीक्षा:- भूमि कटाव की समस्या को ध्यान में रखते हुए जनपद में कार्यरत वर्तमान दो इकाइयां प्रयाप्त नहीं है । भूमि संरक्षण सघन कार्यक्रम के अन्तर्गत एक कार्यकर्ता द्वारा वर्ष में केवल १२ हैक्टर क्षेत्र उपचारित किया जा सकता है । अत: यह आवश्यक है कि कुछ अतिरिक्त कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की ~~करना~~ जाय तथा एक और भूमि संरक्षण इकाई की स्थापना की जाय ।

५.३.४ दीर्घ कालीन योजना:- भूमि संरक्षण की दीर्घ कालीन योजना नीचे तालिका में दिखाई गई है:-

मद	अतिरिक्त भूमि जो उपचारित की जायगी (हैक्टर)	अतिरिक्त पैदावार (मि०टन)	अधिक कार्य दिवस (संख्या)	कृषक लाभान्वित (संख्या)
१	२	३	४	५
पंचम पंचवर्षीय योजना काल में	२८५०	१५६७	५,७०,०००	८,५५०
षष्ठम पंच वर्षीय योजना काल में	३०००	१६५०	६,००,०००	६,०००
सप्तम पंच वर्षीय योजना काल में	३०००	१६५०	६,००,०००	६,०००

५.३.५ विकास की समरनीति:-पांचवी पंच वर्षीय योजना के दौरान भूमि की रक्षा के कार्य क्रम को विस्तृत किया जायेगा तथा जल समेट क्षेत्रों के सर्वेक्षण के कार्य सम्पादित किये जायेंगे ।

५.३.६ विकास कार्य क्रम प्राथमिकता सहित:-पांचवी योजना काल में कुल २,८५० हैक्टर अतिरिक्त क्षेत्र में उपचारण प्रस्तावित है । योजना के प्रथम वर्ष अर्थात १६७४-७५ में ४६६ हैक्टर अतिरिक्त भूमि में भूमि संरक्षण

का कार्य सम्पन्न हुआ था जिसमें से १९९ हैक्टर में चकराता इकाई द्वारा तथा २८० हैक्टर में कालसी इकाई द्वारा कार्य किया गया था। वर्ष १९७५-७६ में ६०० हैक्टर अतिरिक्त क्षेत्र में उपचारण प्रस्तावित है। इस जनपद में रेवाइन्स की योजना लागू नही है।

१.३.७ योजना के संसाधनों का विवरण:- यह विवरण निम्न प्रकार है:-

(लाख रु० में)

पद	पांचवी योजना परिव्यय			वर्ष ७४-७५ का परिव्यय		
	राज्य आयोजनागत	जनपोषित	योग	राज्य आयोजनागत	जनपोषित	योग
१	२	३	४	५	६	७
भूमि संरक्षण	२४.५७	७.००	३१.५७	८.१३	३.००	११.१३

पद	वर्ष १९७४-७५ का व्यय			वर्ष १९७५-७६ का परिव्यय		
	राज्य आयोजनागत	जनपोषित	योग	राज्य आयोजनागत	जनपोषित	योग
	८	९	१०	११	१२	१३
भूमि संरक्षण	९.५७	३.८२	१३.३९	६.२६	१.००	७.२६

१.३.८ भौतिक सामग्री एवं श्रम शक्ति की आवश्यकता:- पांचवी पंच वर्षीय योजना में निम्न भौतिक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी :-

१-	सीमेन्ट	१ लाख बोरे
२-	लोहा	५० टन
३-	ईंट	५० लाख
४-	कांटेदार तार	२ टन

भूमि संरक्षण कार्य के लिये पहाड़ी क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों का प्राय: अभाव रहता है । इस लिये इन्हें बाहर से ही लाना होगा । पंचम पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ६०,००० श्रमिक दिवस तथा अवशेष वर्षों में १,२०,००० श्रमिक दिवसों की आवश्यकता होगी ।

५.३.६ राज्य सरकार के विचारधीन प्रश्न एवं सुझाव:- राज्य सरकार इस कार्य क्रम को जनपद में बढ़ावा देने के उद्देश्य से कम से कम एक इकाई और स्थापित करने की व्यवस्था करे ।

अध्याय ५.४ - क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम :-

यह योजना इस जनपद में लागू नहीं है।

-: ५.५ - पशुपालन एवं दुग्ध सम्पूर्ति :-

जनपद के सर्वांगीण विकास के लिये जहां एक ओर कृषि में आधुनिक साधनों का उपयोग कर उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना अतिआवश्यक है वहां साथ ही साथ पशुसम्पदा का विकास भी उतना ही वांछनीय है। जनपद देहरादून हिमालय की तलहटी में स्थित है। इसकी एक तहसील चकराता सम्पूर्ण रूप से पहाडी है तथा दूसरी तहसील देहरादून मैदानी है। भौगोलिक परिस्थितियां पर्वतीय क्षेत्र में मिलती जुलती हैं। जहां तक पशुपालन कार्यक्रम के अन्तर्गत सुविधा का प्रश्न है इस जनपद के विकास कार्यक्रमों को वही सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिये जो इस क्षेत्र के अन्य पहाडी जिलों को प्रदान की जाती हैं। जनपद में दुग्ध उत्पादन, चारा विकास, ऊन विकास तथा कुक्कुट विकास के कार्यक्रम तीव्रता से और पशुधन का रोगों से बचाव का कार्य आधुनिक ढंग से किये जाने की आवश्यकता है।

५.५.२ वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :- जनपद की वर्ष १९७१ की जनगणना के अनुसार ४,९८८ व्यक्ति पशुपालन वनीकरण, मत्स्य पालन आदि में लगे हुये थे जो कुल कार्य करने वालों की संख्या का २.३ प्रतिशत है। पशुगणना १९७१

पशुगणना १९७१ के अनुसार जनपद के गौजातीय एवं महिषा जातीय पशुओं की स्थिति निम्न प्रकार से है।-

क्रमांक	मद	उपसम्भाग-१	उपसम्भाग-२	जिले का योग
१-	(क) गौजातीय पशु			
	१- तीन वर्षों से कम आयु के नर	१६,२३१	९,१२५	२५,३५६
	२- तीन वर्षों से अधिक आयु के नर	३८,७४९	२१,५५५	६०,३०४
	३- तीन वर्षों से कम आयु के मादा	१९,४०७	६,१३५	२६,५४२
	४- " " " अधिक " " "	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		१,०५,५७१	६१,०३७	१,६६,६०८
२-	(ख) महिषा जातीय पशु			
	१- तीन वर्षों से कम आयु के नर	३,४३८	११५	३,५५३
	२- तीन वर्षों से अधिक आयु के नर	८७६	२०३	१,०७९
	३- तीन वर्षों से कम आयु के मादा	७,३५७	१,४५२	८,८०९
	४- तीन वर्षों से अधिक आयु के मादा	२०,०४७	५,९९३	२६,०४०
		३१,७१८	७,७६३	३९,४८१
महायोग १- क + २-ख		१,३७,२८९	६८,८००	२,०६,०८९

क्रमश: :-

क्रमांक	मद		उपसम्भाग-१	उपसम्भाग-२	जिले का योग
३- भेड़	१-	नर	१,३१८	७८८२	६,२००
	२-	पाठा	४,५१५	२०,४४६	२४,६६४
		योग :	५,८३३	२८,३३१	३४,१६४
४- बकरे तथा बकरियां					
	१-	नर	५,८७६	१६,९०५	२२,७८१
	२-	पाठा	१५,५१३	४१,०११	५६,५२४
		योग :	२१,३८९	५७,९१६	७९,३०५
५- घोड़े और टट्टू					
	१-	नर	१,२५०	६७०	१,९२०
	२-	मादा	१,०२२	१२८	१,१५०
		योग :	२,२७२	७९८	३,०७०
६- अन्य पशुधन					
	१-	खच्चर	१७५	३१८	४९३
	२-	गधे	११७	२६	१४३
	३-	ऊंट	२९	-	२९
	४-	सुअर	१,३१२	१,६२९	२,९४१
		कुल पशुओं की संख्या	१,६८,४१६	१,५७,८१८	३,२६,२३४
७- कुक्कुट					
	१-	मुर्गे	७,२६२	२,२६९	९,५३१
	२-	मुर्गियां	२९,३०३	५,८१३	३५,११६
	३-	चूजे	१३,६८०	२,६८०	१६,३६०
		योग :	५०,२४५	१०,७६२	६१,००७

चौथी योजनावधि में पशुपालन कार्यक्रमान्तर्गत आशातीत उपलब्धियां प्राप्त हुई है जो कि निम्न स्थिति के सिंहावलोकन से स्पष्ट हो जायेगी :-

क्रमशः

क्रमांक	मद	इकाई	३१-३-६६ की स्थिति	३१-३-९४ की स्थिति
१.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	संख्या	२	२
२.	कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्र	,,	२	११
३.	पशु सेवा केन्द्र	,,	१८	१९
४.	राजकीय कुक्कुट फार्म	,,	२	२ ११
५.	पशु चिकित्सालय । औषधालय	,,	८	११ ९
६.	भेड एवं ऊन विस्तार केन्द्र	,,	४	५
७.	पशुओं की बीमारी की रोकथाम			
	(क) एच० एस०	,,	३३,११९	१९,३५७२
	(ख) बी० क्यू०	,,	-	५,५२६
	(ग) रिन्डरपेस्ट	,,	२५३४४	३,५२,४४५

मैदानी

जनपद में पशुधन का स्वास्थ्य अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत ही गिरा हुआ है। पशुओं के कमजोर होने के कारण उनके मांस का उपयोग भी अपेक्षाकृत कम होता है। इसके अलावा पशुओं का कद छोटा होने के कारण वे अधिक श्रम से कार्य करने में असमर्थ हैं। दूसरी ओर बडे पशु पहाडी ढालों पर चलने में असमर्थ हैं। अत: यह एक ऐसी समस्या है जिसके निदान में काफी समय लग जायेगा। जहां तक कुक्कुट विकास का संबंध है इसकी नस्ल सुधार का कार्य व्यापक तौर पर शुरू किया गया है तथा कालसी एवं पशुलोक राजकीय कुक्कुट फार्म नस्ल सम्वर्द्धन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यहां से अच्छी नस्ल के पक्षी कुक्कुट विस्तार हेतु कुक्कुट पालकों को उपलब्ध कराये जाते हैं।

५.५.३ - <u>चालू विकास कार्यक्रमों की समालोचनात्मक समीक्षा</u> :- देहरादून के पर्वतीय व मैदानी क्षेत्र में अधिकतर देशी नस्ल की छोटी-छोटी गाये तथा भैंसे पाई जाती हैं जिनकी दुग्ध उत्पादन की क्षमता बहुत ही कम है तथा जो भी दुग्ध उत्पादन होता है उसका अधिकतर भाग पशुपालकों द्वारा स्वयं निजी उपभोग में ले लिया जाता है तथा अवशेष थोडे से भाग का ही विक्रय मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है। फिर भी पिछले कुछ वर्षों में जनपद के विकास नगर व देहरादून क्षेत्र में क्रास ब्रीडिंग का कार्य एक ऊंचे पैमाने पर किया गया है जिसके कारणदुधारू पशुओं के दुग्ध उत्पादन के औसत में काफी सुधार हुआ है अर्थात औसत उत्पादन ५०० ग्राम से बढ़कर ७५० ग्राम प्रति पशु पहुंच गया है।

जनपद के पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों द्वारा भेंड तथा तथा बकरी पालन का कार्य प्रचुर मात्रा में किया जाता है। भेंड से ऊन उत्पादित कर तथा बकरे। बकरियों का गोश्त, चमडा तथा दूध विक्रय कर के अपना जीविकोपार्जन करते हैं। जनपद में कार्यरत ५ भेंड एवं ऊन प्रसार केन्द्रों द्वारा वितरित किये गये भेड़ों के माध्यम से ऊन के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है जो ६०० ग्राम प्रति भेंड से बढ़कर एक किलो प्रति भेंड तक औसतन हो गई है। भेड़ों का रंग भी काले से सफेद हुआ है तथा ऊन की किस्म में भी उन्नति हुई है। बकरे। बकरियों से अधिकाधिक मात्रा में गोश्त, चमडा तथा दूध प्राप्त करने में भी सफलता मिली है।

५.५.४ - दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष्य :- क्रास ब्रीडिंग द्वारा गाय व भैसों की अपग्रेडिंग से पांचवीं योजना के अन्त तक १५ प्रतिशत व छठीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक २५ प्रतिशत दुग्ध उत्पादन बढ़ने की आशा है। इसी प्रकार उन्नत नस्ल के भेड़ों व बकरों द्वारा प्रजनन करने से पांचवीं योजना के अन्त तक २५ प्रतिशत व छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ३५ प्रतिशत ऊन व गोश्त उत्पादन बढ़ने की आशा है।

५.५.५ - विकास की समरनीति :- योजना आयोग के एक दल ने वर्ष १९७[2] में पर्वतीय जनपदों का दौरा किया था और यह अनुभव किया था कि पांचवीं योजना में इन जनपदों में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने हेतु विशेष योजनायें कार्यान्वित की जाय जिससे न केवल इन जनपदों की दूध की आवश्यकता ही पूरी हो सके बल्कि सैनिक संस्थानों, पर्यटक केन्द्रों एवं तीर्थ स्थानों की दूध की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके। अतएव अन्य पहाडी जनपदों की भांति इस जनपद में भी वर्ण संकर एवं पशु प्रजनन कार्यक्रम एक बडे पैमाने पर कार्यान्वित किये जायेंगे। इसी प्रकार उन्नत भेड़ों की प्रजनन सुविधाओं को बढ़ाकर भेंड विकास कार्यक्रम की गति को तीव्र किया जायेगा। इससे ऊन उत्पादन में वृद्धि प्राप्त की जा सकेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में अंडों की मांग भी पर्यटक केन्द्रों, सैनिक संस्थानों एवं विकासशील केन्द्रों के विकसित होने के कारण काफी बढ़ गई है। अतः पर्वतीय जनपदों में, जिसमें यह जनपद भी सम्मिलित है, कुक्कुट विकास का महत्व काफी बढ़ गया है और पांचवीं योजना में इस कार्यक्रम की गति को और तीव्र करने के लिये कार्यक्रम प्रस्तावित है। पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण। कुक्कुट आहार तथा चारा विकास के लिये समुचित प्राविधान किये गये हैं। विकास कार्यक्रम मुख्यतः यात्रा मार्गों, विकासशील केन्द्रों

सैनिक मुख्यालयों तथा ऐसे स्थानों पर जहां सिंचाई एवं सड़क की सुविधायें विकसित होने की सम्भावना है स्थापित एवं कार्यान्वित किये जायेंगे। इससे विपणन की सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी। पशुपालन संबंधी विकास कार्यक्रम अन्य विभागों के कार्यक्रमों से यथासम्भव सम्बद्ध किये जायेंगे ताकि समन्वित विकास से अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके।

५.५.६ <u>योजना कार्यक्रम</u> :- जनपद की पांचवीं योजना, वार्षिक योजना १९७४-७५ तथा १९७५-७६ के कतिपय प्रमुख भौतिक लक्ष्यों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	मद		पांचवीं योजना का लक्ष्य	१९७४-७५ का लक्ष्य	उपलब्धि	१९७५-७६ का लक्ष्य
१	२		३	४	५	६
सांडों का क्रय :-						
	(अ) क्रास ब्रीड	संख्या	६	४	४	१
	(ब) इम्पूब्रेड	,,	८	२	-	-
	(स) एक्जोटिक	,,	६	-	-	१
२.	नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र की स्थापना.	,,	४	१	१	-
३.	चारा विकास योजना					
	(अ) चारा बीजों का वितरण	है०	८१०	१५०	१३४	१६५
	(ब) प्रदर्शन	संख्या	१२०	२४	२४	२४
	(स) मिनी फार्मिंग	,,	२५	५	-	५
४.	कुक्कुट विकास :- पौष्टिक आहार तथा कुक्कुट उत्पादन कार्यक्रम यूनिसेफ द्वारा।					
(१-)	(अ) नवीन इकाइयों की स्थापना	संख्या	१०	२	२	२
	(ब) व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाना.	,,	२००	४०	११३	४०
	(स) पक्षियों का वितरण	,,	४०००	८००	२८७६	८००
(२-)	सघन कुक्कुट विकास परियोजना की स्थापना तथा इसके मार्केटिंग सुविधा का विस्तार.	,,	१	-	-	१

क्रमशः-

क्रमांक	मद	इकाई	पांचवी योजना का लक्ष्य	१९७४-७५ का लक्ष्य	उपलब्धियां	१९७५-७६ का लक्ष्य
१	२	३	४	५	६	७
(३)	कुक्कुट पालकों का प्रशिक्षण	संख्या	२००	-	-	१००
५-(१)	वर्तमान भेड संस्थाओं का सुधार एवं विस्तार					
	(अ) नवीन भेड व ऊन प्रसार केन्द्र की स्थापना	,,	१	-	-	-
	(ब) केलकुलेटिंग मशीन का क्रय	,,	१	-	-	१
	(स) ऊन परीक्षण लेब एवं लेब एटेन्डेट	,,	१	-	-	१
	(द) एक टेरिकन का क्रय.	,,	१	१	-	१
(२)	पशुचिकित्साधिकारियों, स्टाक मैन व इच्छुक भेड पालकों/प्रशिक्षार्थियों का					
	(अ) भेड पालक	,,	१००	१५	११	२०
	(ब) पशु स्नातकों व स्टाक मैनों का स्टाइपेन्ड.					
	(1) पशु स्नातक	,,	२००	-	-	४०
	(२) स्टाक मैन	,,	४५०	३०	२४	९०
(३.)	बकरों का क्रय व वितरण.	,,	७०	२०	२०	१५
६-	पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण.					
	(1) नवीन पशुचिकित्सालय की स्थापना	,,	१	१	१	-
	(२) पशु चिकित्सालय को दवा सुविधा	,,	३	३	३	३
	(३) ए श्रेणी के पशु चिकित्सालय पर ड्रेसर सुविधा	,,	१	१	१	१
	(३) सी श्रेणी के पशु चिकित्सालय पर ड्रेसर सुविधा	,,	२	२	२	२
	(४) पशु चिकित्सालय का प्रान्तीयकरण	,,	१	१	१	-

क्रमशः:

१	२	३	४	५	६	७
७- अन्य योजनायें :-						
(1) आवारा। जंगली संख्या पशुओं को पकड़ना			२०० । ५०	४० । १०	-। १०	४०। १०

५.५.७ :- योजना के संसाधनों का विवरण :- जनपद की पशुपालन एवं दुग्ध सम्पूर्ति योजना के संसाधनों का विवरण निम्न प्रकार है :- (लाख रु० में)

मद	पांचवीं योजना का परिव्यय	१९७४-७५ परिव्यय	व्यय	१९७५-७६का परिव्यय
१	२	३	४	५
१. पशुपालन	७१.४५	१०.७६	३.६०	४.९९
२. दुग्ध सम्पूर्ति	३८.८८	१०.३७	३.७०८	५.२९
योग :-	११०.३३	२१.१३	७.३८	१०.२४

उपरोक्त सभी परिव्यय । व्यय राज्य आयोजनागत पक्ष से प्रस्तावित है।

५.५.८ - भौतिक सामग्री एवं जनशक्ति की आवश्यकता :- पशुपालन कार्यक्रमान्तर्गत विकास योजनाओं से जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त अर्ध बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा । इन सभी कार्यक्रमों में अधिकतर स्थानीय लोगों को कार्य प्राप्त होगा।

५.५.९ - राज्य सरकार के विचाराधीन प्रश्न एवं सुझाव :-

१) चकराता तहसील में भेंड व ऊन प्रसार कार्यक्रम के विस्तार एवं पहाड़ी गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिये नैसर्गिक प्रजनन केन्द्र खोले जाने का सुझाव है।

२) देहरादून तहसील में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि का सुझाव है।

३) जनपद में दुग्ध सम्पूर्ति का सम्पूर्ण कार्य निजि उत्पादकों द्वारा चलाया जा रहा है। इसको सहकारी समितियों द्वारा संचालित किये जाने का सुझाव है।

४) सहकारी दुग्ध संग्रह केन्द्र व क्रय विक्रय संस्था को खोलने के लिये सहकारी तथा संस्थागत ऋण की आवश्यकता पड़ेगी जिसके उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

-: अध्याय ५.६ - मत्स्य :-

५.६.१ - प्रस्तावना :- इस जनपद में अच्छे जलाशयों की कमी तथा ऊंचे स्थानों में ठंडे पानी के उपलब्ध होने के कारण मत्स्य कार्यक्रम एक सीमित परिधि में ही कार्यरत रहे हैं। डाकपत्थर में सिंचाई के एक जलाशय के अतिरिक्त जनपद में अनेक नदियां ताल एवं तालाब हैं जिनमें मत्स्य पालन विकास की बहुत सम्भावनायें हैं। पूर्व के वर्षों में इस जनपद की नदियों एवं तालाबों से बिना सोचे समझे तथा अनियोजित ढंग से मत्स्य निकासी होती रही है जिसके कारण जनपद का वर्तमान मत्स्य उत्पादन काफी कम है। अब इस बात की आवश्यकता है कि जनपद में मत्स्य कार्यक्रमों का विकास एक नियोजित ढंग से किया जाय तथा नदियों एवं जलधाराओं में पुनर्वासन कार्य को प्राथमिकता दी जाय जिससे जनता को न केवल पोषाण युक्त भोजन ही उपलब्ध हो सके बल्कि जनपद में पर्यटन विकास को भी बढ़ावा मिल सके।

५.६.२ - वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :- देहरादून जनपद में १९७० से पूर्व मत्स्य पालन से सम्बन्धित सभी कार्य मत्स्य निरीक्षक, सहारनपुर द्वारा कार्यान्वित होते थे। वर्ष १९७० में एक पूर्णकालिक मत्स्य निरीक्षक की नियुक्ति देहरादून में हुई है। जनपद में वर्ष भर पानी वाले ४ तालाब तथा १० मौसमी तालाब हैं जिनमें मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है। डाकपत्थर बैराज तथा कृषिदेश में एन्टीबाइटिक्स फैक्टरी के समीप अंगुलिकाओं के वितरण हेतु स्थानों का सर्वेक्षण किया जा चुका है।

वर्ष १९६८-६९ तक १३,५०० अंगुलिकाओं का वितरण हुआ था। वर्ष १९७३-७४ के अन्त तक यह वितरण २९,००० तक पहुंच चुका था। वर्ष १९७४-७५ में, जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष था, ३,००० अतिरिक्त अंगुलिकाओं का वितरण हुआ था। इस वर्ष का परिव्यय ४२.५ हजार रू० निर्धारित था। व्यय के अंतिम आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं।

५.६.३ :- चालू विकास कार्यक्रम की समालोचनात्मक समीक्षा :-

इस समय देशीय तथा विदेशीय जाति की लाने योग्य अंगुलिकाओं के वितरण कार्य को ही मुख्यत: इस जनपद में लिया गया है। मत्स्य पालन के सम्पूर्ण कार्यक्रम को इस जनपद में विकसित करने की आवश्यकता है।

५.६.४ :- दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष्य :- मत्स्य की कोई दीर्घ कालीन योजना नहीं बनाई गई है।

५.६.५ :- विकास की समरनीति :-

(१) मत्स्य कार्यक्रम के विकास में उन्नत किस्म की अंगुलिकाओं के उत्पादन एवं वितरण पर विशेष बल दिया जायेगा।

(२) इस कार्यक्रम को अधिक महत्वपूर्ण बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाकर प्रशिक्षित कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य कार्यक्रम के विकास हेतु भेजा जायेगा।

(३) उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने हेतु नियोजित व्यापार की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

(४) मछलियों के प्रोसेसिंग की सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी तथा उन्हें शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिये यातायात की सुविधायें दिलाई जायेंगी।

५.६.६ - विकास कार्यक्रम तर्क संगत तथा प्राथमिकता सहित तथा योजना के संसाधनों का विवरण :- पांचवीं पंच वर्षीय योजना अवधि में अंगुलिकाओं के वितरण के लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं परन्तु वर्ष १९७५-७६ में ७५,००० अंगुलिकाओं के वितरण के लक्ष्य निश्चित किये गये हैं। इस जनपद में मत्स्य कार्यक्रम पर पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ५.२५ लाख रु० का परिव्यय प्रस्तावित है तथा वर्ष १९७५-७६ का परिव्यय १.२५लाख रु० निर्धारित किया गया है। यह सभी व्यय राज्य वार्योजनागत पक्ष से होगा।

अध्याय - ५.७ -वन

५.७.१ - प्रस्तावना :- उत्तर प्रदेश के कृषि आंकड़ों के अनुसार वर्ष १९७२-७३ में भूमि उपयोगिता के लिये कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल २,९५,७९२ हे० था जिसमें से वन के अन्तर्गत १,६६,६०० हे० क्षेत्रफल था जो कुल क्षेत्रफल का ६३.८ प्रतिशत है। प्रदेश में वनों का कुल क्षेत्रफल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का २६.८ प्रतिशत है। जबकि पर्वतीय क्षेत्र मे वनों का कुल क्षेत्रफल क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ६३.७ प्रतिशत है। पर्वतीय क्षेत्र में वन का कुल क्षेत्रफल प्रदेश के वन के कुल क्षेत्रफल का ६५.७ प्रतिशत है।

जनपद के प्राकृतिक संसाधनों में वन एक प्रमुख स्थान रखते हैं तथा इनमें खनिज पदार्थों की भी बहुतायत है। वनों से उद्योगों के लिये न केवल लकड़ी, स्लीपर्स तथा खम्बे ही उपलब्ध होते हैं उनसे जलाने की लकड़ी, [illegible] लकड़ी का कोयला, पशुचारा, जड़ी बूटी, लीसा, कत्था आदि भी उपलब्ध होता है। वनों से भूमि जल एवं नमी संरक्षण के अतिरिक्त वायु नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त वनों की सुन्दरता तथा वन्य जीव पर्यटकों के लिये मनोरंजन एवं आकर्षण के स्रोत हैं।

५.७.२ वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :- जनपद देहरादून जैसा पूर्व में कहा गया वन सम्पदा में काफी धनी है। यहां पर वनों की सुरक्षा एवं नियोजित विकास हेतु छः वन प्रभाग हैं (१) पूर्वी देहरादून वन प्रभाग (२) पश्चिमी देहरादून वन प्रभाग (३) चकराता वन प्रभाग (४) यमुना वन प्रभाग (५) शिवालिक वन प्रभाग तथा (६) टौन्स वन प्रभाग। इन वनों में साल, शीशम, तुन, चीड, देवदार एवं बांस के पेड मुख्य रूप से हैं। पर्वतीय ऊंचे भागों में फलों के अन्तर्गत सेब, अखरोट, प्लम नाशपाती तथा चेरी के पेड बहुतायत में पाये जाते हैं तथा निचले मैदानी भाग में नीम्बू, अमरूद, आम, लीची आदि के पेड मिलते हैं। इन वनों में हाथी, चीता, शेर, भालू तथा सांभर शिवालिक क्षेत्र में बहुतायत से मिलते हैं और हिमालय की तलहटी में हिरण, लोमड़ी

मैगाशेत तथा कावड़ आदि पाये जाते हैं। वनों से महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां भी बहुतायत से मिलती हैं। चौथी योजना के अन्त तक वन विभाग के प्रबन्ध के अन्तर्गत जनपद में वन का कुल क्षेत्रफल १,५३,०२५ है० था जो कि सारा का सारा वर्क प्लान क्षेत्र में था। चौथी योजना के अन्त तक आर्थिक महत्व के वृक्षों तथा शीघ्र उगने वाली प्रजातियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

५.७.३ - चालू विकास कार्यक्रमों की समालोचनात्मक समीक्षा:- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व की प्रजातियों एवं शीघ्र उगने वाली प्रजातियों के वृक्षों का वृक्षारोपण करके विकासशील उद्योगों के वन उपज की मांग व पूर्ति के बीच के अन्तर को कम किया जाना था। इसके अतिरिक्त वनों में संचार साधनों के विकास, वन सुरक्षा, चरागाह कार्य, भूमि एवं जल संरक्षण कार्य तथा अनुसंधान कार्य को कुछ सीमा तक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना था। परन्तु संसाधनों की कमी के कारण कुछ कार्यक्रम स्थगित करने पड़े। इनका संक्षिप्त व्यौरा निम्न प्रकार है :-

१- कार्यक्रमों को रोकने से वनों के विकास में रूकावट हुई और श्रमिकों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध न कराई जा सकीं।

२- वन सुरक्षा के कार्यक्रम जो पहले ही देर से प्रारम्भ किये गये थे आगे नहीं चलाये जा सके।

३- भूमि संरक्षण की योजना जो टौंस नदी पर थी रोक दी गई। इस योजना से वनों की सुरक्षा हो सकती थी।

४- चरागाह और फार्म फारेन्स्ट्री की स्कीमों को जिनसे ग्रामीण जनता को न केवल जलाने की लकड़ी ही उपलब्ध कराई जा सकती थी वरन उनके कृषि उत्पादन में भी (गोबर का प्रयोग ईंधन के रूप में रोककर) वृद्धि की जा सकती थी। यह कार्यक्रम भी आगे नहीं चलाये जा सके। निम्न उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त हुई :-

१- वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूर्ण रूप से चला और लाभदायक सिद्ध हुआ। चौथी योजना काल में १३७१ है० क्षेत्रों में आर्थिक महत्व के वृक्षों तथा ६४२ है० क्षेत्र में शीघ्र उगने वाली प्रजातियों का वृक्षारोपण किया गया।

२- छोटे एवं अविकसित वनों को विकसित किया गया। यह वन जब पूर्ण रूप से उत्पादन योग्य होंगे तब कई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के मुख्य आधार होंगे।

३- यातायात के साधनों में चतुर्थ योजना काल में १६ कि०मी० अनसर-फेस्ड सड़कों का विस्तार हुआ।

४- लौगिंग कार्यक्रम को अपनाकर जो क्षति पहले होती थी उसको कम किया गया।

५- कुछ सीमा तक कर्मचारियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराई गई।

६- जंगली जानवरों की सुरक्षा करके और वन पार्कों को विकसित करके पर्यटकों से राजस्व प्राप्त किया गया।

५.७.४ - दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष्य :- चूंकि वनीकरण की योजनायें एक लम्बी अवधि की योजनाएं हैं अतएव विकास की आवश्यकताओं और सम्भावनाओं की पृष्ठ भूमि में दीर्घ कालीन लक्ष्यों को दर्शाती हुई प्रदेश के लिये एक दीर्घ कालीन योजना बनाई गई है परन्तु जनपद के लिये अभी ऐसी कोई दीर्घ कालीन योजना नहीं बनी है।

५.७.५ :- योजना की समर नीति :- पांचवी पंच वर्षीय योजना काल में चतुर्थ योजना से चली आ रही योजनाओं के कार्यों को अधिक व्यापक रूप से किये जाने का उद्देश्य है तथा कुछ नई योजनायें जैसे वन प्रबन्ध का साधनीकरण, राज्य स्तर पर वन निगम की स्थापना आदि किया जाना है।

५.७.६ - विकास कार्यक्रम तर्क संगत एवं प्राथमिकता सहित :- जनपद की पांचवीं पंच वर्षीय योजना में ७५० है० क्षेत्र में आर्थिक महत्व की प्रजातियों के वृक्षों, जिनसे दियासलाई उद्योग, कत्था उद्योग, प्लाइउड उद्योग को वन उपज मिल सके, के वृक्षारोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है। इसमें से वर्ष १६७४-७५ में १६० है० क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा वर्ष १६७५-७६ के लिये १५० है० क्षेत्र में वृक्षा-रोपण के लक्ष्य प्रस्तावित हैं।

जनपद की पांचवीं योजना में वन उपज की उचित निकासी हेतु ५८ कि० मी० सरफेस्ड तथा २० कि०मी० अन सरफेस्ड सड़कों के निर्माण

के लक्ष्य भी निर्धारित किये गये हैं। इनमें से १० कि० मी० अनसरफेस्ड सड़कें वर्ष १९७४-७५ में निर्मित की जा चुकी है। वर्ष १९७५-७६ में केवल २ कि०मी० सरफेस्ड सड़कें बनाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

५.७.७ - योजना के संसाधनों का विवरण :- जनपद की पांचवीं पंच वर्षीय योजना के लिये १९८.२४ लाख रु० का परिव्यय निश्चित किया गया है। वर्ष १९७४-७५ का परिव्यय ७.०३ लाख रु० था जिसके सापेक्ष वास्तविक व्यय के ६.७५ लाख रु० था। वर्ष १९७५-७६ के लिये ७.६५ लाख रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है। यह सभी परिव्यय राज्य आयोजनागत पक्ष से प्रस्तावित हैं।

५.७.८ - भौतिक सामग्री एवं श्रम शक्ति की आवश्यकता :- वन विकास योजनाओं पर अधिकांश रूप से स्थानीय उपलब्ध साधनों से कार्य किया जायेगा तथा श्रम शक्ति के अन्तर्गत, नीति के अनुसार, स्थानीय लोगों को रोजगार देकर कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

५.७.९ - राज्य सरकार के विचाराधीन प्रश्न एवं सुझाव :- राज्य सरकार को वनों की सुरक्षा एवं उनके विकास हेतु अधिक से अधिक संसाधन जुटाने की तुरन्त आवश्यकता है। उसको राष्ट्रीय सम्पत्ति मानते हुए सुरक्षा के साथ आधुनिक ढंग से विकास करने की आवश्यकता हैं। उससे सम्बन्धित उद्योगों के विकास पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्याय ५.८ कृषि ऋण

५.८.१ प्रस्तावना: कृषि विकास के लिये किसानों को उचित समय व आसान शर्तों पर ऋण प्राप्त होना अत्यावश्यक है क्यों कि उचित समय पर "इन पुट" की प्राप्ति पर ही कृषि का सारा कार्य क्रम निर्भर है ।

५.८.२ वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन:- कृषि क्षेत्र में ऋण देने का काम बहुत अंश तक सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता है । विभिन्न सहकारी संस्थाओं द्वारा उर्वरक, बीज, कीट नाशक एवं यंत्रों के लिये अल्पकालीन ऋण और लघु सिंचाई के लिये मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है । नलकूप, पम्प सैट, पक्के कुवें, बोरिंग, रहट इत्यादि के लिये दीर्घ कालीन ऋण दिया जाता है । भूमि विकास बैंक लघु सिंचाई एवं अन्य कृषि कार्यों के लिये मुख्यरूप से दीर्घकालीन ऋण दे रहा है । अन्य वाणिज्यिक बैंक भी कृषि कार्यों के लिये ऋण देते हैं किन्तु अभी इनका प्रभाव व्यापक नहीं है और अब भी इनकी क्षमता का पूरा पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा ।

सहकारिता के क्षेत्र में एक सहकारी बैंक देहरादून में तथा इसकी चार शाखायें विकासनगर, डोईवाला, ऋषीकेश तथा चकराता में सफलतापूर्वक कार्य करके कृषकों को ऋण सुविधा प्रदान कर रही है । इन बैंकों द्वारा वर्ष १९७३-७४ तक १०६.९३ लाख रु० का अल्पकालीन ऋण तथा २५.०८ लाख रु० मध्यकालीन ऋण वितरित किया जा चुका था । जनपद में प्रारम्भिक सहकारी समितियों (कृषि ऋण) की वर्ष १९७३-७४ तक की वास्तविक स्थिति निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	पद	इकाई	विवरण
१	२	३	४
१-	समितियों की संख्या	संख्या	९८
२-	सदस्यता	हजार	३३
३-	अंशधन	हजार रु०	३४,६६
४-	जमा पूंजी	हजार रु०	७,२५
५-	अल्पकालीन ऋण वितरण	हजार रु० में	८१,६८
६-	मध्यकालीन ऋण वितरण	हजार रु०	२३,६१

जिले के मुख्यालय पर भूमि विकास बैंक की एक शाखा फरवरी १९६१ से कार्य कर रही है। वर्ष १९७३-७४ तक बैंक ने १६.६६ लाख रु०का दीर्घकालीन ऋण वितरित किया था। ऋण क्षेत्र में भूमि विकास बैंक ने बहुत बड़ी सीमा तक छोटे काश्तकारों की आवश्यकताओं को पूरा किया है। यह बैंक इस जनपद में अपनी सामान्य योजनाओं एवं कृषि पुनर्वित्त निगम की परियोजनाओं के अन्तर्गत ऋण दे रहा है। कृषि पुनर्वित्त निगम की परियोजनाओं के अन्तर्गत इस बैंक ने इस जनपद में कृषकों को सेव एवं लीची के बाग लगाने हेतु अक्तुबर १९७४ से ऋण देना प्रारम्भ किया है।

चौथी योजना के अन्त में जनपद में [illegible] राष्ट्रीयकृत/ वाणिज्यिक बैंकों की ५० शाखायें कार्यरत थी। इनमें से स्टेट बैंक आफ इण्डिया की केवल एक शाखा ही उप सम्भाग २ में कार्यरत थी। दिनांक ३०-६-७५ को बैंकों की संख्या बढ़ा कर ५६ हो गयी थी तथा इनके द्वारा कृषि क्षेत्र में दिये गये ऋण की स्थिति निम्न प्रकार थी:-

मद	खातों की संख्या	अवशेष धनराशि(हजार रु०में)
१	२	३
कृषि:		
१- प्रत्यक्ष	९७१	२५,६६
२- अप्रत्यक्ष	१२	४३

<u>५.८.३ चालू विकास कार्यक्रम की समालोचनात्मक समीक्षा:-</u> जिले में कृषकों के पास छोटी छोटी जोत वाले खेत हैं। इनकी कुल जोत भी बहुत कम है तथा कम जोत वाले अधिकांश कृषक निम्नवर्ग के लोग हैं। इसी कारण से यह कृषि ऋण की सुविधा का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इनके द्वारा दी जाने वाली लगान की धनराशि २,३ रुपये से ले कर ७,८ रुपये तक है जिसके कारण वर्तमान नियमों के अनुसार उनकी हैसियत आंकने पर कम आती है। फलस्वरूप उन्हें उनकी आवश्यकतानुसार ऋण नही मिल पाता और वह उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त नहीं कर पाते।

अत: वर्तमान शाखाओं में विशेष संशोधन की आवश्यकता है । कृषि ऋण ने कृषकों की आर्थिक दशा ठीक करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसे भविष्य में भी चालू रखने की आवश्यकता है ।

जिले के ग्रामीण अंचलों में महाजनों के चंगुल से काश्तकारों को छुड़ाने तथा उनका आर्थिक शोषण समाप्त करने के लिये बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है । लेकिन छोटे छोटे कृषकों को अभी तक इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है । खेती के लिये बीज, खाद,और बैल आदि खरीदने के लिये आज भी कृषक महाजन के पास जाना उचित समझता है क्यों कि संस्थाओं एवं बैंकों से एक तो समयानुसार ऋण नहीं मिल पाता दूसरे अनेकों औपचारिकताओं को पूरा करने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । अत: कृषकों को अग्रिम ऋण दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

५.८.४ दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य : - कृषि ऋण के अन्तर्गत अधिकांश ऋण सहकारिता विभाग द्वारा किया गया है । भविष्य में कृषकों की सभी कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं को,वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण दिला कर पूरा कराने जाने की योजना है ।

५.८.५ विकास की रणनीति:कृषि ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में निम्नलिखित रणनीति अपनाई जानी प्रस्तावित है:-

१) सहकारी संस्थाओं के संगठन को संगठित,सुदृढ,स्वावलंबी एवं प्रभावी बनाना जिससे वह न केवल कृषि सम्बन्धी अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने में समर्थ हो सकें बल्कि वे अपनी सदस्यता में उन सभी परिवारों को भी ला सकें जो वर्तमान समय में कृषि कार्यों में संलग्न हैं और अभी किसी सहकारी संस्था के सदस्य नहीं हैं ।

२) राष्ट्रीयकृत एवं वाणिज्यिक बैंक का इस प्रकार से विकास एवं प्रसार करना कि कृषकों की कृषि सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति वे भविष्य में कर सकें ।

३) कृषि वित्तीय संस्थानों जैसे भूमि विकास बैंक, मंडी परिषद कृषि उद्योग निगम में इस प्रकार का विनियोग करना जिससे कि वे जनपद में चल रहे विभिन्न कृषि कार्यक्रमों को वित्त पोषित कर सकें।

५.८.६ विकास कार्यक्रम प्राथमिकता सहित: कृषि ऋण के अन्तर्गत सहकारिता विभाग द्वारा बनाई गई योजना का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	मद	इकाई	पांचवी योजना में कुल	वर्ष ७४-७५ की वास्तविक उपलब्धि	वर्ष ७५-७६ के लक्ष्य
१	२	३	४	५	६
१-	अल्पकालीन ऋण वितरण (बढ़ोतरी)	हजार रु० में	१०५,४०	४,३७	२१,८०
२-	मध्यकालीन ऋण वितरण	तदैव	४६,००	२१,१०	६,२०
३-	दीर्घ कालीन ऋण वितरण (भूमि विकास बैंक के माध्यम से)	तदैव	४,८०	१,८८	८५

जिले के लीड बैंक ने जनपद के राष्ट्रीयकृत एवं वाणिज्यिक बैंकों की ओर से केवल देहरादून तहसील के लिये एक तीन वर्षीय कार्य योजना बनाई है जिसमें अगले तीन वर्षों में कृषि कार्यों हेतु १,१४,५८,००० रु० की आवश्यकता दिखायी गयी है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक	मद	ऋण की आवश्यकता (हजार रु० में)
१-	२	३
१-	ट्रैक्टर	२३,४०
२-	पम्प सैट	८,६०
३-	गूल निर्माण	८,५०
४-	भूमि को समतल करना	११,६०
५-	फसल ऋण	६१,८८
	योग कृषि कार्य	११४,५८

जनपद की चकराता तहसील के लिये लीड बैंक ने कोई कार्य योजना नहीं बनाई है क्योंकि इस तहसील में केवल एक ही राष्ट्रीयकृत बैंक कार्य कर रहा है तथा इस क्षेत्र के विकास के लिये कृषि वित्त निगम वर्तमान समय में एक विस्तृत सर्वेक्षण कर अपनी योजना प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहा है।

जहां तक कृषीय वित्तीय संस्थान में विनियोग का प्रश्न है यह कार्य सीधे राज्य स्तर से किया जाता है।

५.८.७ योजना के संसाधन का विवरण:- कृषि ऋण के अन्तर्गत अधिकांश परिव्यय संस्थागत स्रोतों से होगा।

५.८.८ भौतिक सामग्री तथा श्रम शक्ति की आवश्यकता:- उक्त मद की सूचना शून्य है।

५.८.९ राज्य सरकार के विचाराधीन प्रश्न एवं सुझाव:

१) जनपद के पिछड़ेपन एवं कृषकों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु कुछ अन्य जिलों की भांति इस जनपद में भी लघुकृषक सीमान्त योजना को लागू किया जाना आवश्यक है। इससे जनपद के छोटे कास्तकारों को कृषि ऋण की [illegible] समुचित सुविधा मिल सकेगी।

२) राष्ट्रीयकृत एवं वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा कृषि ऋण की सुविधा प्राथमिकता के आधार पर कृषकों को सुगमता एवं आवश्यकतानुसार दिये जाने की आवश्यकता है।

-: अध्याय ५.६ कृषि विपणन, संग्रहगार एवं भण्डारण :-

५.६.१ - प्रस्तावना :- खाद्यानों एवं कृषि उपज के विपणन, संग्रहण एवं भण्डारण का कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खाद्यानों एवं कृषि उपज की पैदावार बढ़ाना। कृषि विपणन के अन्तर्गत जनपद में बाजार के भावों के उतार चढ़ाव की समीक्षा की जाती है, कृषि उपज की ग्रेडिंग एवं वर्गीकरण का कार्य किया जाता है तथा उसके आयात एवं निर्यात की देखभाल की जाती है। कृषि विपणन का मुख्य उद्देश्य कृषक को उसकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है तथा साथ ही साथ उपभोक्ता को भी ग्रेडेड तथा वर्गीकृत उपज को उपलब्ध कराना है।

संग्रहगार की सुविधायें कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा तथा भण्डारण की सुविधायें उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। निगम द्वारा वैज्ञानिक भण्डारण की सुविधायें किराये के गोदामों में तथा पूर्वबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं के गोदाम बनाकर उपलब्ध कराई जा रही हैं। खाद्यानों तथा अन्य कृषि उपज की चूहें, कीडे मकोडे, घुन, सीलन आदि तथा गलत भण्डारण के फलस्वरूप होने वाली क्षति के रोकने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम की स्थापना राज्य सरकार द्वारा वर्ष १९५८ में की गई है।

५.६.२ - वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :-

१- कृषि विपणन :-

(क) मण्डी समिति की योजनायें :- उत्तर प्रदेश में बाजारों के नियंत्रण का कार्य वर्ष १९६४ से कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया। वर्ष १९७३ में इस अधिनियम में संशोधन कर राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद की स्थापना की

जा चुकी है। चतुर्थ योजना के प्रारम्भ में जनपद में नियंत्रित बाजारों की संख्या एक थी जो योजना के अन्त में बढ़कर चार हो गईं। जनपद में मण्डी समिति द्वारा इस समय जो कार्य चलाये जा रहे हैं वह निम्न प्रकार हैं :-

(1) कृषि उत्पादित वस्तुओं का क्रय विक्रय करना।

(२) बाजारों को स्थापित करना एवं उनकी देखभाल तथा उन पर नियंत्रण रखना।

(३) नोटिफाइड कृषि उत्पादित वस्तुओं के व्यापारियों को लाइसेन्स देना।

(४) मण्डी शुल्क एकत्र करना तथा क्रय एवं विक्रय कर्ता को वह सुविधायें उपलब्ध कराना जिससे दोनों ही वर्गों के लोग संतुष्ट हों।

(५) कृषि विभाग की योजनायें :- इस योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य किये जाते हैं :-

(1) पर्वतीय उत्पादों के विपणन का सर्वेक्षण.

(२) खाद्यान्न एवं कृषि उत्पादित वस्तुओं की संग्रहण संबंधी क्षति को कम करना.

(३) मार्केट इन्टेलीजेन्स कार्य को सुदृढ़ करना.

कृषि उत्पादन, ग्रेडिंग व मार्किंग रूल १९३७ के अन्तर्गत जनपद में स्वेच्छानुसार गुड, तेल, मसाले, शहद, घी, मक्खन, चावल, सेब, अण्डे तथा आलू इत्यादि का एगमार्क वर्गीकरण कराया जा रहा है।

२- भण्डारण :- उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम की स्थापना राज्य सरकार द्वारा वर्ष १९५८ में केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित एग्रीकल्चरल प्रोडयूस (डेवलपमेन्ट एण्ड वेयर हाउसिंग) कारपोरेशन एक्ट १९५६ के अन्तर्गत की गई जो बाद में वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एक्ट १९६२ द्वारा रिपील हुआ जिसके द्वारा वेयरहाउसिंग

कारपोरेशन के कार्यों में विस्तार होने के फलस्वरूप इन निगमों द्वारा खाद्यान, उर्वरक, खाद तथा अन्य कृषि उपज के अतिरिक्त अधिसूचित वस्तुएं भी भण्डारगृहों में रखी जा रही है जैसे लोहा, इस्पात, सीमेन्ट, कपड़ा, कागज, रबड, कम्बल (ऊन का सामान), कीटाणु नाशक दवायें तम्बाकू, तार, ऊन, इत्यादि। इस निगम द्वारा इस जनपद में वैज्ञानिक भण्डारण की सुविधायें वर्ष १९६० से किराये के गोदामों में उपलब्ध कराई जा रही है। निगम के दो हिस्सेदार हैं राज्य सरकार तथा केन्द्रीय भण्डारागार निगम। बराबर (५० : ५०) के अनुपात में आधे अंश राज्य सरकार तथा आधे केन्द्रीय भण्डारागार निगम के हैं। दोनों हिस्सेदारों द्वारा बराबर के अनुपात में इस निगम को अंशपूंजी के रूप में धन भण्डारगृहों के निर्माण हेतु दिया जाता है जिसका कार्यान्वयन (निर्माण) एक एकीकृत स्कीम के रूप में दोनों अंशधारियों से प्राप्त धन द्वारा किया जाता है। चतुर्थ योजना के अन्त में निगम के अन्तर्गत देहरादून और विकास नगर में किराये के भवनों में भण्डारण की सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही थी। यह निगम व्यापारी वर्ग एवं अन्य संस्थाओं को अपने नियमों के अन्तर्गत निश्चित दरों पर भण्डारण की सुविधायें उपलब्ध कराता है।

५.६.३ - चालू विकास कार्यक्रमों की समालोचनात्मक समीक्षा :-

(1) संग्रहण की सभी सुविधायें अभी तक नगरीय क्षेत्र में ही विकसित हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अब भी कृषक घरों में कोठी या कुठला में खाद्यानों को रखते हैं जिससे एक तरफ चूहों द्वारा खाद्यानों की हानि होती है तथा दूसरी ओर घुन आदि लग जाने से अन्न के दाने खराब हो जाते हैं।

(2) उप सम्भाग एक में ५ हजार टन क्षमता का एक कोल्ड स्टोरेज, पैतृक सम्पत्ति का निस्तारण/बटवारा न होने के कारण, निष्क्रिय पड़ा है जिसे शीघ्र चालू कराना आवश्यक है। उपसम्भाग

एक में वर्तमान समय में ऐसे और कोई संग्रहागार निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है जहां कृषक अपने उत्पादनों को स्टोर कर सकें। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव कृषक पर पड़ता है। उसके पास अपने उत्पादन को संग्रह करने के सीमित साधन भी होते हैं और संग्रहण की उचित व्यवस्था न होने के कारण उसे अपनी उपज को तुरन्त ही बाजार में लाना होता है जिससे उसे उसका वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता। इस मजबूरी के कारण व्यापारी वर्ग कृषक वर्ग का शोषण करते रहते हैं।

(३) सहकारिता विभाग द्वारा काश्तकारों को उनकी उपज का समर्थित मूल्य दिलाये जाने के लिये क्रय विक्रय समितियों का गठन किया जा रहा है परन्तु इन समितियों के पास कोई भी संग्रहण व्यवस्था उचित रूप से नहीं है। जहां पर यह समितियां कार्य भी कर रही हैं, वहां कृषकों को उनकी पैदावार का न्यूनतम मूल्य ही मिल रहा है तथा यह समितियां अपना लाभ एक व्यवसायी की तरह प्राप्त कर रही हैं। इस बात की तुरन्त आवश्यकता है कि कृषकों को साधान संग्रहण की सुविधायें ग्रामों में ही प्रदान की जाय।

(४) एग मार्क एक बिलकुल स्वैच्छिक योजना है। इसके क्वालिटी कन्ट्रोल पर विश्वास करता है परन्तु व्यापारी वर्ग इस योजना के कार्यान्वियन में सहयोग नहीं दे रहे। अत: इस की आवश्यकता है कि उपभोक्ता एगमार्क वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता प्रदान करें।

(५) भण्डारागार निगम के गोदामों में माल रखने के कार्य को इस कारण प्रोत्साहन नहीं मिल रहा क्योंकि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के निर्देशों के अनुसार रखे गये माल के एवज बैंकों से ऋण सुविधा अब प्राप्त नहीं हो रही।

<u>५.६.४ - दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष :-</u> उपसंभाग एक के विकास खण्ड डोईवाला में डोईवाला, जोलीग्रांट एवं रायपुर तथा विकास खण्ड

सहसपुर में सहसपुर तथा हरबर्टपुर मण्डियों के रूप में उभर रहे हैं। इसी प्रकार उप-सम्भाग दो के विकास क्षेत्र कालसी में कालसी और साहिया बाजार के रूप में विकसित हो रहे हैं। इन सभी स्थानों पर मार्केटयार्ड, भण्डारण एवं विपणन की नियमित व्यवस्था होना आवश्यक होगा। जिसे आगामी १५ वर्षों में पूरा करना आवश्यक होगा।

विकासनगर तक रेल सुविधा के विस्तार की भी आवश्यकता है। इससे अन्य कई स्थान मण्डी के रूप में विकसित हो सकेंगे तथा साथ ही साथ आयात एवं निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। इस कार्य को भी अगले १५ वर्षों में पूरा किया जाना आवश्यक होगा।

खाद्यान्न तथा फलोद्योग की संग्रहण की समस्या का हल निकालने के लिये निजि तथा सार्वजनिक क्षेत्र में संग्रहागार तथा कोल्ड स्टोरेज की स्थापना का भी प्राविधान करना होगा।

<u>५.६.५ - विकास की समरनीति :-</u> पांचवीं योजना की रणनीति में राज्य भण्डारागार निगम द्वारा कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम के अन्तर्गत राज्य की प्रत्येक पंजीकृत मण्डी में गोदाम निर्माण की योजना विचाराधीन है।

<u>५.६.६ - विकास कार्यक्रम प्राथमिकता सहित :-</u> पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बाजार नियंत्रण किये जाने के कोई लक्ष्य प्रस्तावित नहीं हैं। जहां तक भण्डारण का प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम द्वारा २००० मैट्रिक टन की भण्डारगार क्षमता पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इसमें से १००० मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण का लक्ष्य वर्ष १९७५-७६ के लिये निर्धारित है। यह गोदाम विकासनगर में निर्मित किया जाना है। इसके लिये भूमि खरीदने के संबंध में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। जैसे ही भूमि इस केन्द्र पर मिल जायेगी १००० टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। सहकारिता विभाग के अन्तर्गत पांचवीं योजनावधि में २४ ग्रामीण गोदाम तथा क्रय विक्रय

समितियों में एक गोदाम के निर्माण के लक्ष्य निर्धारित हैं। सहकारिता विभाग के इन निर्माण कार्यों से लगभग २४५० की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता पंचम पंचवर्षीय योजनावधि में उपलब्ध हो सकेगी।

५.६.७ :- योजना के संसाधनों का विवरण :-

उत्तर प्रदेश भण्डारागार निगम द्वारा जनपद में २००० मैट्रिक टन की भण्डारण क्षमता के लक्ष्य निर्धारित हैं जिसपर २०० रु० प्रति मै० टन की लागत के हिसाब से ४ लाख की लागत अनुमानित है जो कि इस निगम के दोनों अधिकारियों (राज्य सरकार तथा केन्द्रीय भण्डारागार निगम) द्वारा समान अनुपात में अपेक्षित है। वर्ष १९७४-७५ में भण्डारगृह निर्माण हेतु कोई परिव्यय निर्धारित नही था और इसके सम्बन्ध कोई व्यय भी नहीं हुआ। वर्ष १९७५-७६ में स्टेट प्लान के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा एक लाख रु० भण्डारगृह के निर्माण हेतु प्रस्तावित व स्वीकृत है। इतना ही अंश केन्द्रीय भण्डारागार निगम द्वारा भी मैचिंग कन्ट्रीब्यूशन के रूप में देय है।

सहकारिता विभाग द्वारा निर्मित किये जाने वाले गोदामों के परिव्यय । व्यय की सूचना सहकारिता विभाग के परिव्यय में सम्मिलित हैं।

५.६.८ - भौतिक सामग्री एवं अभिशक्ति की आवश्यकता :-

संगणना के अभाव में इस मद की सूचना देना सम्भव नहीं है।

५.६.९ - राज्य सरकार के लिये विचाराधीन प्रश्न एवं सुझाव :-

(१) जनपद की सभी विकसित मण्डियों में बैंक, यातायात तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का विस्तार किया जाना आवश्यक है।

(२) जनपद के फलोद्योग के व्यापार को सहकारी क्रय विक्रय समितियों के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।

(३) शीघ्र नष्ट होने वाले फलों को समुचित संग्रहागार की सुविधायें देकर सुरक्षित करने की आवश्यकता है।

अध्याय ५.१०- सहकारिता

५.१०.१ प्रस्तावना:- सहकारिता आन्दोलन का जनपद के आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण स्थान है । अत: पंच वर्षीय योजना में इसे प्रमुख स्थान प्रदान किया गया है । भूतकाल में सहकारिता के माध्यम से न केवल कृषकों को सरल दर पर समयानुकूल ऋण उनके उत्पादन को बढ़ाने हेतु दिया गया वरन उन्हें कृषि उपकरण भी सहकारी संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये । उनकी उपज का संग्रहण, विपणन एवं क्रय विक्रय द्वारा उन्हें उचित मूल्य दिलाने में सहायता भी की गई । सहकारिता के माध्यम से अल्प सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं उर्वरक वितरण के क्षेत्र में भी भूमिका निबाही जाती है । इसके साथ साथ सहकारिता आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य निर्बल वर्ग के समुदाय का आर्थिक उत्थान करना भी है ।

५.१०.२ वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन: इस जनपद में सहकारिता आन्दोलन वर्ष १९२३ से प्रारम्भ हुआ जब कि प्रथम सहकारी समिति ६ जून, १९२३ को निबन्धित हुई । प्रारम्भ में प्रारम्भिक ऋण सहकारी समितियों का गठन किया गया जो अपने सदस्यों को आर्थिक विकास हेतु ऋण सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करती थी । योजना काल प्रारम्भ होने से पूर्व जनपद के लगभग ७७० ग्रामों में से ४०७ ग्रामों में ऋण सहकारी समितियां कार्य रत थी। बीज वितरण हेतु तीन बीज भण्डार एवं विकास सम्बन्धी अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु ३ सहकारी संघ कार्य रत थे । योजना काल प्रारम्भ होने पर तथा विशेष कर द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में इन समितियों की ऋण प्रतिदान क्षमता बढ़ाने हेतु उन्हें सु-संगठित करने की ओर ध्यान दिया गया। इस काल में बड़े आकार की सात समितियों का गठन किया गया । वर्ष १९६० में प्रारम्भिक ऋण समितियों को साधन सहकारी समितियों में परिवर्तित कर स्वावलम्बी इकाइयां बनाना प्रारम्भ कर दिया गया । चौथी योजना के प्रारम्भ में तथा चौथी योजना के अन्त में जनपद में विभिन्न सहकारी समितियों की जो स्थिति थी वह नीचे

उठाई जा रही है:-

क्रम संख्या	मद	३१-३-६८ की स्थिति	३१-३-७४ की स्थिति
१	२	३	४
१-	प्राथमिक बहुधंधी समितियां	४१	२२
२-	बड़े आकार की समितियां	७	७
३-	साधन सहकारी समितियां	५५	६६
४-	सहकारी यूनियन	८	८
५-	भूमि विकास बैंक की शाखायें	१	१
६-	सहकारी बैंक की शाखायें	३	५
७-	कृषि विकय समितियां	२	२
८-	गन्ना यूनियन	२	२
९-	सहकारी दुग्ध समितियां	५५	११७
१०-	दुग्ध यूनियन	१	१

उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु जनपद में ५० नियन्त्रित कपड़े के बिक्री केन्द्र विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त दून कोआपरेटिव स्टोर तथा उसकी ३ शाखायें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण कर रही है।

चौथी योजना के प्रारम्भ में तथा चौथी योजना के अन्त तक सहकारिता क्षेत्र की कुछ प्रमुख उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार रहा है:-

क्रम संख्या	मद	इकाई	३१-३-६९ तक की स्थिति	३१-३-७४ तक की स्थिति
१	२	३	४	५
(क) प्रथमिक ऋण समितियां				
१-	समितियों की संख्या	संख्या	१०३	९८
२-	सदस्यता	हजार में	२३.२	३३
३-	अंश पूंजी	हजार रु० में	१९,७४	३४,६६
४-	कालू पूंजी	,, ,,	९५,७१	१६३,०३

१	२	३	४	५
५-	जमा धनराशि	हजार रु०में	४,६२	७,२५
६-	अल्पकालीन ऋण वितरण	,, ,,	५५,३३	८१,६८
७-	मध्यकालीन ऋण वितरण	,, ,,	१६,३६	२३,६१
(ख) क्रय विक्रय समितियां				
१-	समितियों की संख्या	संख्या	२	२
२-	सदस्यता	हजार में	६,२८	६
३-	विपणन की गयी वस्तु का मूल्य	हजार रु०में	६,७८	३,४६
(ग) उपभोक्ता सहकारी समितियां				
१-	समितियों की संख्या	संख्या	३६	४०
२-	सदस्यता	हजार में	३	१४
३-	विपणन की गयी वस्तु का मूल्य	हजार रु०में	८६,०६	७६,५४
(घ) सहकारी दुग्ध समितियां				
१-	समितियों की संख्या	संख्या	५५	११७
२-	सदस्यता	हजार में	०.७२७	२.५५०
३-	विपणन की गयी वस्तु की मात्रा	हजार लीटर में	७,१२	६,०४

५.१०.३ चालू विकास कार्यक्रम की समालोचनात्मक समीक्षा:- जनपद में सहकारिता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भिक ऋण एवं साधन समितियों की संख्या वर्ष ६८-६९ में १०३ थी जिन्हें सुसंगठित किया गया जिसके कारण उनकी संख्या घट कर चौथी योजना के अन्त में ९८ रह गई है । इन समितियों को सक्षम बनाने हेतु पुनर्गठित किया जा रहा है। पिछले अनुच्छेद के अन्त में दी गई तालिका से विदित होगा कि इन समितियों की सदस्यता, हिस्सपूंजी, जमा पूंजी तथा ऋण वितरण में लगातार बढ़ोतरी हुई है । यह सभी कार्य कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने में [illegible] महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं ।

सहकारिता द्वारा समाज के उत्थान एवं विकास हेतु महत्वपूर्ण कार्य किये जाने के कारण भविष्य में इसके कार्यों का विकास और भी अधिक तेजी से होने की पूर्ण आशा है ।

५.१०.४दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य:- पांचवी योजना के अन्त तक समस्त कृषि परिवार एवं कृषि पर आधारित अन्य परिवारों को समितियों का सदस्य बना लिया जायेगा । आगामी योजनाओं में कृषि सम्बन्धी ऋण की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति एवं औद्योगिक श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु कार्य किया जायेगा ।

५.१०.५ विकास की रणनीति:- पांचवी योजनावधि में सहकारी समितियों में जो कार्य चल रहे हैं,उन्हें न केवल संगठित व सुदृढ करने पर बल दिया जायेगा वरन सहकारिता आन्दोलन के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित नीतियों के पूर्ण परिपालन कराने की व्यवस्था की जायेगी । इस दिशा में निम्नलिखित कार्य क्रम प्रस्तावित हैं:-

(१) सहकारी संस्थाओं के संगठन को संगठित,सुदृढ,स्वावलंबी एवं प्रभावी बना कर उन्हें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करके प्रभावी एवं सशक्त बनाना ।

(२) पिछड़े हुए क्षेत्रों एवं समाज के निर्बल वर्ग के विकास एवं उनकी उन्नति पर विशेष बल देते हुए उनसे सम्बन्धित कार्यक्रमों को सहकारी समितियों के माध्यम से बढावा देना एवं उनका प्रसार करना ।

(३) समाज के निर्बल वर्ग जैसे श्रमिकों आदि की सहकारी समिति बनाने में प्रोत्साहन देना जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें तथा उन्हें सहायता उपलब्ध कराना ।

(४) सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं को समुचित मूल्य पर वितरित कराने की व्यवस्था कराना ।

(५) पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों में विकास हेतु सहकारी क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम बनाना जिससे क्षेत्रीय असन्तुलन को कम किया जा सके ।

(६) सहकारी समितियों के सदस्यों तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करना ।

५.१०.६ विकास कार्यक्रम प्राथमिकता सहित:-

ऋण एवं अधिकोषण परियोजना: पांचवी योजना के दौरान ८ नयी स्वाश्रयी समितियां गठित की जायेंगी, वर्ष १९७४-७५ की उपलब्धियां शून्य थी, एवं वर्ष १९७५-७६ के लिये कोई लक्ष्य प्रस्तावित नहीं हैं। पांचवी योजनावधि में १८ हजार नये सदस्य भर्ती किये जायेंगे जिसमें से वर्ष १९७४-७५ में एक हजार सदस्य भर्ती किये [illegible] का लक्ष्य प्रस्तावित है। योजनावधि में ३.६० लाख रु० की धनराशि अंशधन के रूप में सदस्यों से एकत्रित की जायेगी जिसमें से ३.०५ लाख रु० की धनराशि वर्ष १९७४-७५ में एकत्र की जा चुकी थी तथा ०.६० लाख रु० की धनराशि वर्ष १९७५-७६ में एकत्र किया जाना प्रस्तावित है। पांचवी योजनावधि में अल्पकालीन ऋण वितरण के स्तर में १.०५ करोड़ रु० की बढ़ोतरी की जायेगी वर्ष १९७४-७५ में ४.३७ लाख रु० की बढ़ोतरी की जा चुकी थी तथा वर्ष १९७५-७६ में २१.०८ लाख रु० की बढ़ोतरी करना प्रस्तावित है। मध्यकालीन ऋण वितरण योजना के अन्तर्गत पांचवी योजना के दौरान ४६.०० लाख रु० का ऋण वितरण किया जाना प्रस्तावित है जिसमें से २१.१० लाख रु० का ऋण वितरण वर्ष १९७४-७५ में किया जा चुका था तथा ६.२० लाख रु० का ऋण वितरण वर्ष १९७५-७६ में किया जाना प्रस्तावित है।

ग्रामीण क्षेत्र की बचत का उपयोग तथा कृषकों के निकटतम स्थानों पर ऋण प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला। केन्द्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं में और कोई विस्तार करने का लक्ष्य तो प्रस्तावित नहीं है परन्तु पांचवी योजना में ~~[illegible]~~ इन बैंकों की अंशपूंजी में ३.४० लाख रु० की वृद्धि प्राप्त करने का लक्ष्य प्रस्तावित है जिसमें से ७६ हजार रु० की वृद्धि वर्ष १९७४-७५ में प्राप्त कर ली गयी थी और वर्ष १९७५-७६ में ६० हजार रु० की वृद्धि प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। इसी प्रकार पांचवी योजनावधि में इनकी जमाराशि में ३०.०० लाख रु० की वृद्धि प्राप्त करना प्रस्तावित है जिसमें वर्ष १९७४-७५ की उपलब्धि (-)४.०५ लाख थी और वर्ष १९७५-७६ में ६.०० लाख रु०

की वृद्धि प्राप्त किये जाने के लक्ष्य निर्धारित हैं। पांचवी पंच वर्षीय योजनावधि में भूमि विकास बैंक की एक और शाखा खोला जाना भी प्रस्तावित है। यह शाखा किस वर्ष में खोली जायेगी यह अभी निश्चित नहीं किया गया है। भूमि विकास बैंक के माध्यम से योजनावधि में ४.८० लाख रु० की धनराशि दीर्घकालीन ऋण के रूप में वितरित की जानी प्रस्तावित है जिसमें से १.८८ लाख रु० की धनराशि वर्ष १९७४-७५ में वितरित की जा चुकी थी तथा ०.८५ लाख रु० की धनराशि वर्ष १९७५-७६ में वितरित की जानी प्रस्तावित है।

सहकारी क्रय विक्रय परियोजना:- पांचवी योजना के वर्ष १९७५-७६ में एक क्रय विक्रय समिति का खोला जाना प्रस्तावित है।

सहकारी उपभोक्ता परियोजना एवं सहकारी दुग्ध परियोजना: योजनावधि के लिये कोई लक्ष्य प्रस्तावित नहीं है।

५.१०.७ योजना संसाधनों का विवरण:- स्त्रोतवार यह विवरण निम्न प्रकार है:-

लाख रू० में

क्रमांक	कार्यक्रम	पांचवी योजना परिव्यय			
		राज्य आयोजनागत	जनपोषित	केन्द्रीय सेक्टर	योग
१	२	३	४	५	६
१-	अधिकोषण	८.५१	१९३.२०	-	२०१.७१
२-	क्रय विक्रय	१.८१	-	२.४६	४.२७
३-	श्रम सहकारी समितियां	०.३७	-	-	०.३७
४-	सहकारी कृषि योजना	०.१४	-	-	०.१४
५-	उपभोक्ता योजना	२.३८	-	-	२.३८
६-	प्रक्रिया योजना	०.१०	-	-	०.१०
७-	दुग्ध डेवलैपमैन्ट	१.९८	-	-	१.९८
	योग	१५.२९	१९३.२०	२.४६	२१०.९५

लाख रु० में

क्रमांक	कार्यक्रम	१९७४-७५ परिव्यय: राज्य आयोजनागत	जनपोषित	केन्द्रीय सेक्टर	योग	व्यय: राज्य आयोजनागत	जनपोषित	केन्द्रीय सेक्टर	योग
		७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१-	अधिकोषण	१.१२	३३.६५	-	३४.७७	२.८६	२७.११	-	२९.९७
२-	क्रय विक्रय	०.१३	-	-	०.१३	-	-	-	-
३-	श्रम सहकारी समितियां	-	-	-	-	-	-	-	-
४-	सहकारी कृषि योजना	-	-	-	-	-	-	-	-
५-	उपभोक्ता योजना	-	-	-	-	-	-	-	-
६-	प्रक्रिया योजना	-	-	-	-	-	-	-	-
७-	ड्रग डेवलैपमैन्ट	०.०६	-	-	०.०६	-	-	-	-
	योग	१.३१	३३.६५	-	३४.९६	२.८६	२७.११	-	२९.९७

क्रमांक	कार्यक्रम	७५-७६ परिव्यय: राज्य आयोजनागत	जनपोषित	केन्द्रीय सेक्टर	योग
		१५	१६	१७	१८
१-	अधिकोषण	०.५०	३९.०५	-	३९.५५
२-	क्रय विक्रय	०.२५	-	-	०.२५
३-	श्रम सहकारी समितियां	-	-	-	-
४-	सहकारी कृषि योजना	-	-	-	-
५-	उपभोक्ता योजना	-	-	-	-
६-	प्रक्रिया योजना	-	-	-	-
७-	ड्रग डेवलैपमैन्ट	-	-	-	-
	योग	०.७५	३९.०५	-	३९.८०

५.१०.८ भौतिक सामग्री एवं मानव शक्ति की आवश्यकता: अनुमान है कि सह-कारिता सम्बन्धी विभिन्न निर्माण कार्य हेतु पूरे योजना काल में ५००० बोरे सीमेन्ट तथा लगभग २५ टन लोहे की आवश्यकता पड़ेगी ।

५.१०.९ राज्य सरकार के विचाराधीन प्रश्न एवं सुझाव:-

(१) वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा सिंचाई कार्यों हेतु मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण इस जनपद में दिये जा रहे हैं । राज्य सरकार द्वारा यह ऋण नहीं दिये जाने चाहिये । भूमि विकास बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक । वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शत प्रतिशत इस प्रकार के ऋण दिये जाने चाहिये ।

(२) समस्त खाद एवं बीज सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिये ।

अध्याय ५.११ - पंचायती राज

५.११.१ - प्रस्तावना :-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का नियोजन एवं विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। यह संस्थायें जिनका सीधा संबंध जनसाधारण से है स्थानीय स्तर पर कृषि, पशुपालन, निर्माण कार्य, लघु सिंचाई इत्यादि के लिये जिम्मेदार हैं। इन संस्थाओं को अधिकशक्त बनाने के विचार से पिछली योजनावधियों में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाये गये थे और उन्हें पांचवीं योजनावधि में भी चालू रखना प्रस्तावित है।

५.११.२ - वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :- वर्तमान समय में जनपद विकास खण्डवार ग्राम सभाओं एवं न्याय पंचायतों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	ग्राम सभाओं की संख्या	न्याय पंचायतों की संख्या
१-	डोईवाला	८६	११
२-	सहसपुर	८७	११
३-	कालसी	३७	६
४-	चकराता	२८	६
	योग :-	२४१	४०

देहरादून जनपद में पंचायतों का गठन वर्ष १९४६ में किया गया था। इनका गत चतुर्थ सामान्य चुनाव वर्ष १९७२ में हुआ था जिसमें ८७ प्रधान निर्विरोध चुने गये थे तथा २७ सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। जनपद के पर्वतीय क्षेत्र की गांव पंचायतों की आय के साधन सीमित हैं इस लिये आर्थिक दृष्टि से ये गांव पंचायतें कमजोर हैं किन्तु मैदानी क्षेत्रों की गांव सभाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी है।

१) **पंचायत उद्योग :-** इस जनपद में विकास खण्ड डोईवाला के अन्तर्गत ग्राम सभा डेहरावाला में टिन से बनने वाली वस्तुओं के एक पंचायत उद्योग की स्थापना वर्ष १९७३ में की गई थी। इसके बाद जनवरी १९७५ में एक नवीन पंचायत उद्योग फ़तूवाला में वैली, विकासनगर में स्थापित किया गया है। इसमें लकड़ी के फर्नीचर आदि का कार्य किया जाता है।

२) **उत्पादक परिसम्पद योजना :-** गांव पंचायतों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस जनपद में वर्ष १९६३-६४ से अब तक ८ गांव सभाओं को ४८,७६८ रु० का ऋण विभाग द्वारा दिया गया। इस धनराशि से गांव पंचायतों ने दुकान व आवासगृह बनाये हैं जिससे किराये के रूप में स्थाई आय गांव पंचायतों को होती है।

३) **निर्माण कार्य :-** प्रारम्भ से ही गांव पंचायतों ने इस जनपद में अपने साधनों से विभिन्न निर्माण कार्य किये हैं जिसमें कुंए खोदना, सड़कें बनाना व सड़कों की मरम्मत करना, पंचायत घरों एवं पाठशाला भवनों का निर्माण करना है। वर्ष १९७१-७२ से निर्माण कार्यों का मूल्यांकन निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	धनराशि(रु० में)
१९७१-७२	१,५३,७२८
१९७२-७३	२,८८,९४४
१९७३-७४	१,१६,८३०
१९७४-७५	१,८६,९२४

४) **पंचायत राज वित्त निगम :-** नवीन स्थापित पंचायत राज वित्त निगम के लिये जनपद की गांव सभाओं द्वारा १३,२०० रु० के १३२ शेयर क्रय करने का लक्ष्य था जिसके विपरीत गांव सभाओं ने २५,००० रु० के २५० शेयर क्रय कर लक्ष्य से भी अधिक पूर्ति करने का श्रेय प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त क्षेत्र समितियों द्वारा

८,०००रु० के शेयर क्रय करने थे जिसके विपरीत उन्होंने २,८०० रु० के शेयर क्रय किये। इससे इस जनपद की गांव पंचायतों व पंचायत उद्योगों को अपने कार्य संचालन हेतु ऋण प्राप्त हो सकेगा तथा यह जनपद लाभान्वित होगा।

५ ४ पुरस्कार योजना :- वर्ष १९७४-७५ में गांव सभा डैशवाला, विकास खण्ड डोईवाला ने मण्डल स्तर पर ५ ५,०००रु० का प्रथम पुरस्कार स्वच्छता अभियान में प्राप्त किया। गांव सभाओं को प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत जिले की सर्वोत्तम गांव सभा कालसी को वर्ष १९७३-७४ में ३,००० रु० का प्रथम, खण्ड स्तर पर बुरांसखा, विकास खण्ड चकराता, वेस्टहोप टाउन, विकास खण्ड सहसपुर, कोरवा, विकास खण्ड कालसी, माजरीग्रांट, विकास खण्ड डोईवाला में प्रत्येक को ३०० रु० का पुरस्कार दिया गया। वर्ष १९७४-७५ में इस योजना के अन्तर्गत गांव सभा कोरवा, विकास खण्ड सहसपुर को ३,००० रु० का प्रथम, ग्राम सभा जौलीग्रांट, विकास खण्ड डोईवाला को १,००० रु० का द्वितीय तथा ग्राम सभा दसऊ, विकास खण्ड चकराता को ४०० रु० का तृतीय पुरस्कार दिया गया।

५.११.३ - चालू विकास कार्यक्रमों की समालोचनात्मक समीक्षा:-

ग्राम स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की विकासात्मक उत्तरदायित्वों की पूर्ति में सबसे जटिल समस्या साधनों का अभाव है। ग्राम स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पास ऐसे कोई भी महत्त्वपूर्ण आय के साधन नहीं हैं जिनके बल पर वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन अपने बल पर कर सकें और उन्हें पल-पल पर सरकारी सहायता का मुंह ताकना पड़ता है। जो गांव सभायें शासकीय सहायता प्राप्त कर कुछ कार्य कराती भी हैं तो वह उस कार्य की.

साधनों के अभाव में, उचित देखभाल नहीं कर पाती। कुछ गांव सभायें पुराने कार्यों की मरम्मत तक के लिये अनुदान का सहारा लेती हैं। इस समस्या के निराकरण के लिये यह जरूरी है कि ग्राम स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को अधिक से अधिक वित्तीय साधन सम्पन्न बनाया जाय।

ग्रामीण विकास में युवा श्रमशक्ति के पलायन की समस्या भी कम जटिल नहीं है। ग्रामीण युवक शहरों में नौकरी की तलाश में आ जाते हैं। इससे धीरे-धीरे गांवों में युवा श्रमशक्ति का ह्रास हो रहा है। इस समस्या के समाधान के लिये गांवों में दोनों प्रकार के रोजगारों को उत्पन्न करना होगा। श्रम प्रधान कार्यों के साथ-साथ पढ़े लिखे ग्रामीण युवकों के लिये शिक्षित रोजगार के साधन भी उत्पन्न करने होंगे।

ग्राम स्तर पर नियुक्त पंचायत सेवक, ग्राम सेवक, ग्राम सेविका, मिड वाइफ, पशु सेवक आदि ग्रामीण जनता का मार्ग दर्शन कर न केवल ग्रामीण विकास में बल्कि उनके सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये कर्मचारी अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय कर्मचारियों की अपेक्षा आकांक्षाओं से अधिक परिचित होते हैं। अतएव योजनाओं के निर्माण एवं उनके कार्यान्वयन में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

<u>५.११.४ - दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष्य</u> :- पंचायत राज विभाग की दीर्घकालीन योजना निम्न प्रकार से है :-

१। <u>पंचायत उद्योग</u> :- पंचम पंचवर्षीय योजना काल में जिले में ५ नये पंचायत उद्योग स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष १९७७-७८ से अगले १० वर्षों में जनपद में १५ और पंचायत उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य है। इस प्रकार १९८८-८९ तक इस जिले में २१ पंचायत उद्योग स्थापित हो जायेंगे। यदि एक पंचायत उद्योग स्थापित करने का प्रारम्भिक व्यय २५,००० रु आंका जाय तो इस प्रकार पन्द्रह वर्षों के लिये ५०० हज़ार रु० के शासकीय ऋण की आवश्यकता होगी।

२) <u>ग्रामों में लिंक रोड</u> :- इस योजना में ग्रामों में संयोजित मार्गों का निर्माण किया जायेगा। पंचम पंच वर्षीय योजना में प्रत्येक गांव जिसकी आबादी एक हजार से ऊपर है को सार्वजनिक निर्माण विभाग की पक्की सड़कों अथवा नहरी सड़कों से मिलाया जायेगा। पंचायत राज विभाग की इस योजना में प्रतिवर्ष एक लाख रु० का प्राविधान प्रस्तावित है। अगले १५ वर्षों में १५ लाख रु० की आवश्यकता होगी। अनुमान है कि अगले १५ वर्षों में कम से कम ३० और गांव राज मार्गों से संयोजित हो जायेंगे।

३) <u>जन साक्षरता</u> :- इस योजना के अन्तर्गत एक न्याय पंचायत में एक शिक्षक को ६ माह के लिये रोजगार प्रदान किया जायेगा। इस प्रकार अगले १५ वर्षों में इस जनपद के १२०० शिक्षित बेरोजगारों को ६ माह के लिये अल्पकालीन रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु ५७० हजार रु० की आवश्यकता अनुमानित है। इस योजना का दूसरा उद्देश्य निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाना भी है। ६ माह के एक सत्र में कम से कम प्रति पाठशाला ३५ प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रक्खा गया है। इस प्रकार हर सत्र में इस जनपद में कम से कम १४०० व्यक्तियों को साक्षर बनाया जा सकेगा। मोटे तौर पर अगले १५ वर्षों में कम से कम ४२, ००० निरक्षरों को साक्षर बनाया जा सकेगा।

४) उत्पादक परि सम्पद योजना :- इस योजना के अन्तर्गत गांव सभाओं को उनकी परिसम्पत्ति को आर्थिक दृष्टि से उत्पादक बनाने के लिये ऋण प्रदान किया जाता है जो उन्हें १० से १५ वर्षों में वापस करना पड़ता है। इन वर्षों में गांव सभायें इस योग्य हो जाती हैं कि वे ऋण को मय सूद के वापस कर सकें। अगले १५ वर्षों में इस जनपद की १५ गांव सभाओं को ऋण दिये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार १९८८-८९ तक इस जनपद की कुल २३ गांव सभायें इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगी। १५ वर्षों के लिये १५० हजार रु० की आवश्यकता होगी।

५) ग्रामीण मलिन बस्तियों का सुधार :- गांव सभायें वित्तीय कमी के कारण अपने क्षेत्र में स्वच्छता का कार्य नहीं कर पाती। ग्रामीण जनस्वास्थ्य के लिये यह आवश्यक है कि ग्रामों में गन्दे पानी के निकास का प्रबन्ध हो और खड़न्जे लगाये जायें। इस योजना के अन्तर्गत एक गांव सभा को ५०० से एक हजार रु० तक का अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है। अगले १५ वर्षों में आधे से अधिक गांव सभाओं में मलिन बस्तियों का सुधार का कार्य सम्पन्न किया जा सकेगा। इसके लिये १५ वर्षों में १५० हजार रु० की आवश्यकता होगी।

६) पंचायत घरों का निर्माण :- अगले १५ वर्षों में ४ पंचायत घर प्रतिवर्ष के निर्माण का लक्ष्य रक्खा गया है। इस प्रकार ३६ हजार रु० प्रति वर्ष की दर से इस योजना के लिये कुल ५४० हजार रु० की आवश्यकता होगी। इस योजना में ३०० हजार रु० शासकीय अनुदान एवं २४० हजार रु० ग्राम सभायें स्वयं अपने साधनों से वहन करेंगी।

७) <u>पंचायत पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापना की योजना :-</u>

अगले २५ वर्षों में प्रत्येक गांव सभा में पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना करना प्रस्तावित है। इसके लिये १,५०० रु० प्रति पुस्तकालय अनुदान दिया जाना आवश्यक होगा। इस प्रकार अगले २५ वर्षों के लिये ३६१.५ हजार रु० की आवश्यकता होगी।

८) <u>ग्रामीण खेल कूद एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम की योजना :-</u> ग्रामीण नवयुवकों में खेलकूद की ओर रुचि उत्पन्न करने के लिये ग्रामीण क्षेत्र में क्रीडा स्थलों का निर्माण किया जाना आवश्यक है। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष ४ क्रीडा स्थलों के निर्माण का लक्ष्य प्रस्तावित है। प्रतिवर्ष ३.५० हजार रु० व्यय होने का अनुमान है जिसमें से २ हजार रु० प्रतिवर्ष शासकीय अनुदान होगा तथा शेष गांव सभायें वहन करेंगी। इस प्रकार अगले २५ वर्षों में ५२.५ हजार रु० का व्यय होगा और ६० गांवों में क्रीडा स्थलों का निर्माण किया जा सकेगा।

<u>५.११.५ - विकास की समरनीति</u> :- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराने तथा पंचायतों को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पंचायत उद्योगों की स्थापना की जायेगी। इन उद्योगों के कुशल प्रबन्धकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। न्याय पंचायत के सरपंच तथा सहायक सरपंचों को [illegible] को पंचायत राज अधिनियम एवं नियमावली का समुचित व्यावहारिक ज्ञान कराने तथा उन्हें न्याय पंचायत से संबंधित अभिलेखों के रख रखाव की जानकारी कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण शिविर तहसील स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। इसी प्रकार गांव पंचायत के प्रधानों तथा उप प्रधानों का प्रशिक्षण विकास खण्ड स्तर पर किया जावेगा। पंचायती राज संस्थाओं को उत्पादक परिसम्पदा के सृजन तथा

रचनात्मक गतिविधियों में प्रगति लाने के लिये ऋण के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिये राज्य स्तर पर पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना की गई है। निगम ने अपना कार्य सुचारू रूप से प्रारम्भ कर लिया है। पंचायतों के कार्यक्रम साधारणतः अपने साधनों से अपेक्षित हैं। राज्य सरकार प्रशिक्षित स्टाफ को उपलब्ध कराने, संस्थाओं को प्रोत्साहन देने और आर्थिक विकास के लिये व्यवस्थापना उपलब्ध कराने के लिये जिम्मेदार हैं।

५.११.६ - विकास कार्य का प्राथमिकता सहित :- जनपद की पंचायत विभाग की पंचम पंच वर्षीय योजना के कतिपय भौतिक लक्ष्यों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

कार्यक्रम	इकाई	पांचवीं योजना का लक्ष्य.	वर्ष १९७४-७५ की उपलब्धि	वर्ष ७५-७६ का लक्ष्य.
पंचायत सेवकों का प्रशिक्षण	संख्या	५	१	१
पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहन.	,,	१५	३	३
पंचायती राज पदाधिकारियों का प्रशिक्षण.	,,	२७५	-	७०) ३५ सरप) ३५ उपस)
पंचायत भवनों का निर्माण	,,	३	-	१

५.११.७ - योजना के संसाधनों का विवरण :- जनपद की पंचायत विभाग की पांचवीं पंच वर्षीय योजना के संसाधनों का विवरण निम्न प्रकार हैं :-

क्रमशः-- --

(हजार रु० में)

क्रमांक	कार्यक्रम	पांचवीं योजना का परिव्यय राज्य आयोजनागत	पांचवीं योजना का परिव्यय अनुपाषित	पांचवीं योजना का परिव्यय योग	वर्ष ७४-७५ का व्यय राज्य आयोजनागत	वर्ष ७४-७५ का व्यय अनुपाषित	वर्ष ७४-७५ का व्यय योग	वर्ष ७५-७६ का परिव्यय राज्य आयोजनागत	वर्ष ७५-७६ का परिव्यय अनुपाषित	वर्ष ७५-७६ का परिव्यय योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१-	पंचायत सेवकों का प्रशिक्षण.	१.९०	-	१.९०	०.४०	-	०.४०	०.३०	-	[illegible]
२-	पंचायती राज संस्थाओं का प्रोत्साहन.	२२.३०	-	२२.३०	४.४६	-	४.४६	४.४६	-	[illegible]
३-	पंचायत कार्यालय भवन	१५.००	१२.००	२७.००	-	-	-	५.००	४.००	[illegible]
४-	पंचायती राज पदाधिकारियों का प्रशिक्षण.	२१.५२	-	२१.५२	-	-	-	३.४६	-	३.४६
५-	क्षेत्र समिति तथा जिला परिषदों के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण.	१०.००	-	१०.००	-	-	-	-	-	-
६-	पंच सम्मेलन	७.२३	-	७.२३	-	-	-	-	-	-
७-	पुस्तकालय एवं वाचनालय केन्द्र.	४.४०	-	४.४०	-	-	-	-	-	-
८-	पंचायत उद्योगों के अध्यक्षों का प्रशिक्षण.	५.००	-	५.००	-	-	-	-	-	-
९-	पंचायत सेवकों का अभिनवीकरण प्रशिक्षण.	३.००	-	३.००	-	-	-	-	-	-
१०-	पर्यावरण स्वच्छता	८.००	-	८.००	-	-	-	-	-	-
११-	फार्म फारेस्ट्री तथा वृक्षारोपण के लिये सांकेतिक अनुदान.	२५.००	-	२५.००	-	-	-	-	-	-
१२-	शिविर संबंधी प्रकाशित काम.	२.२४	-	२.२४	-	-	-	-	-	-
	योग :-	१२५.५९	१२.००	१३७.५९	४.८६	-	४.८६	१३.२२	४.००	[illegible]

५.११.८ - भौतिक सामग्री एवं शक्ति की आवश्यकता :- जनपद की योजना हेतु भौतिक सामग्री अधिकांशतः स्थानीय रूप से जुटाई जायेगी शक्ति में भी अधिकांशतः स्थानीय कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को रोजगारी मिलेगा।

५.११.९ - राज्य सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव एवं सुझाव :-

१) ग्राम स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अधीन गाँव समाज की भूमि, चरागाह एवं मेले सन्निहित हैं। इससे कुछ वर्ष पूर्व तक गांव सभाओं के अधीन नदियां भी होती थीं जिनकी वार्षिक नीलामी द्वारा उनको एक अच्छी खासी आय हो जाती थी लेकिन अब नदियों को निलाम करने का अधिकार गांव सभाओं से ले लिया गया है। इससे बहुत सी गांव सभायें साधनहीन हो गई हैं। इस जिले में हाट एवं पशु मेलों की संख्या भी नगण्य है। राज्य सरकार द्वारा इस जनपद की गांव सभाओं को अधिकाधिक मात्रा में ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि वे अपने क्षेत्र में मेलों एवं हाटों की व्यवस्था कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें।

२) पंचायत उद्योगों को स्थापित करने एवं उनके विकास में कच्चे माल की कमी, बिजली तथा कुशल प्रबन्ध की समस्यायें हैं जिनका निराकरण राज्य स्तर से प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

३) निर्माण कार्यों के लिये आवश्यक सामग्रियों की सुनिश्चित व्यवस्था भी शासन द्वारा की जानी चाहिए।

अध्याय ५.१२ :- **लघु एवं सीमान्त कृषक तथा खेतिहर मजदूर विकास योजना :-**

यह योजना इस जनपद में लागू नहीं है।

-: ५.१३ - भूमि सुधार चकबन्दी :-

५.१३.१ - प्रस्तावना :- चकबन्दी योजना कृषि विकास का एक अंग है जिसका उद्देश्य काश्तकार के बिखरे हुए खेतों को अधिक संहत करना है। चूंकि यह जनपद एक पहाडी जनपद है अतएव इस क्षेत्र की स्थलाकृति विषम है तथा यहां दुर्गम पहाड हैं। इन विशेष समस्याओं के कारण इस कार्यक्रम का विस्तार इस जनपद में करना सम्भव नहीं हो सका है।

५.१३.२ - वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन एवं वालू विकास कार्यक्रम की समालोचनात्मक समीक्षा :-

जनपद में भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत चकबन्दी का कार्य वित्तीय वर्ष १९७३-७४ से कुछ ग्रामों में प्रारम्भ किया गया। इस वर्ष के अन्त तक ८४५ हेक्टर क्षेत्र में ३.०३ लाख रू० के व्यय से चकबन्दी का कार्य पूर्ण किया गया। वर्ष १९७४-७५ में कार्यक्रम का विस्तार कुछ अन्य ग्रामों में किया गया और इस वर्ष के अन्त तक १३ ग्रामों में नये चकों पर कब्जा परिवर्तन किया जा चुका था। वर्ष १९७४-७५ का इस कार्यक्रम पर सम्पूर्ण परिव्यय १.७३ लाख रू० निर्धारित था और वास्तविक व्यय १.७२ लाख रू० था।

चूंकि यह योजना अभी प्रारम्भिक अवस्था में है अतएव इसकी समालोचनात्मक समीक्षा अभी सम्भव नहीं है।

५.१३.३ - विकास कार्यक्रम एवं योजना के संसाधनों का विवरण :-

पांचवीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना १९७५-७६ के लिए चकबन्दी कार्यक्रम के लिये कोई भौतिक लक्ष्य अथवा वित्तीय परिव्यय प्रस्तावित नहीं है। जनपद में चकबन्दी संबंधी जो कार्य अब तक किया गया है तथा इस कार्यक्रम की ओर जनता की जो प्रतिक्रिया रही है उसका मूल्यांकन एवं अध्ययन किया जा रहा है और यह कार्य पूर्ण हो जाने पर ही जनपद में इस योजना के विस्तार के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

अध्याय ५.१४ बाढ़ नियंत्रण

५.१४.१ - प्रस्तावना :- जनपद में बाढ़ के कारण फसल की तथा पशुओं की हानि उठानी पड़ती है। इसकी रोक थाम हेतु शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ नियंत्रण संबंधीपर लाखों रूपयों की धनराशि व्यय करनी पड़ती है। बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्यक्रम प्रदेश एवं भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं। वर्ष १९७१ की बाढ़ के उपरान्त से दोनों सरकारें इसकी रोक थाम हेतु भरसक प्रयत्नशील है एवं इस ओर अधिक व्यय किया जा रहा है।

यह जनपद पहाडी है तथा बरसात में सैकडों नदीनाले तीव्र प्रवाह से फूट निकलते हैं जो प्रति वर्ष हजारों एकड कृषि योग्य भूमि को बंजर बना देते हैं। साथ ही तट के किनारे बसी हुई आबादी को भी खतरा पैदा कर देते हैं। अत: पांचवीं पंच वर्षीय योजना अवधि में ऐसे सभी स्थलों की सुरक्षा के लिये, जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में हैं अथवा जहां बाढ़ का पानी पहुंचने का भय बना रहता है, आवश्यक योजनायें प्रस्तावित की जा रही हैं।

५.१४.२ वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :- विकास खण्ड डोईवाला के घमंडपुर, खेरी, तुल्लावाला, झबरावाला, भानियावाला, रेशम माजरी कालूवाला, कृषिकेशलर, गागरी तथा विकास खण्ड सहसपुर में रामपुर खुशालपुर, जाटोवाला, सभावाला, प्रतीत पुर आदि ऐसे स्थान हैं जहां पर सभी वर्ष बाढ़ के कारण जान तथा माल की हानि होती है। उपसम्भाग-२ में जो, पूर्ण/पहाडी क्षेत्र है, बरसाती नदी नालों को ठीक किये जाने की आवश्यकता है।

५.१४.३ - चालू विकास कार्यक्रमों की समालोचनात्मक समीक्षा :-

जनपद में बाढ़ से रक्षा की परियोजनाओं पर हुये कार्य का विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

:: क्रमश::

क्रमांक	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु०में)	चतुर्थ योजना के अन्त तक अनुमानित व्यय (लाख रु०) में
१	२	३	४
१-	**शहर की सुरक्षा(चालू परियोजना) :-**		
१-	गंगा नदी के कटाव से ऋषिकेश कस्बे की सुरक्षा.	१६.१५	२.८६
२-	बिन्दाल नदी की बाढ़ से देहरादून शहर की सुरक्षा.	६.५७	१.७४
३.	देहरादून रायपुर रोड ब्रिज के ऊपर देहरादून शहर के रिस्पना नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा कार्य.	७.००	०.४६
	नदी सुधार तथा भूमि कटावरोकने हेतु निर्माण कार्य (चालू परियोजनायें) :-		
१.	ग्राम कुल्हालपुर पर आसन नदी की बाढ़ से सुरक्षा कार्य.	३.५२	०.८०
२.	ग्राम धर्मचक पर सोंग नदी की बाढ़ से सुरक्षा कार्य.	१.१०	१.०४
३.	ग्राम बुलावाला में सुसवा नदी की बाढ़ से सुरक्षा कार्य.	७.८०	२.३०
४.	ग्राम चौबरा में शीतला नदी की बाढ़ से सुरक्षा कार्य.	२.८०	०.१२
५.	ग्रामपुर रामपुर पर आसन नदी की बाढ़ से सुरक्षा कार्य.	१.६०	०.३३
६.	आसन नदी पर ग्राम रेशम मांजरी में बाढ़ सुरक्षा कार्य.	६.७०	०.५८
७.	टौन्स नदी पर ग्राम फाकरा में बाढ़ सुरक्षा कार्य.	१.७३	०.२४
८.	सुसवा नदी के किनारे शिमलास ग्रांट गांव में बाढ़ सुरक्षा कार्य.	४.३५	०.०२
९.	सोंग नदी पर डोईवाला ग्राम में बाढ़ सुरक्षा कार्य.	२.६३	-
	नदी सुरक्षा एवं कटाव निरोधक निर्माण कार्य(नई परियोजनायें)		
१.	कुंला नदी पर फूटो वाला ग्राम को बचाने हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य.	१.२१	-
२.	सुसवा नदी पर सिमलास ग्रांट को बचाने हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य.	४.३५	-
३.	सोंग नदी पर डोईवाला ग्राम को बचाने हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य.	२.६३	-

(स्त्रोत:- पांचवीं पंचवर्षीय योजना,उत्तर प्रदेश,वार्षिक योजना १९७५-७६)

५.१४.४ - दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष्य :- बाढ़ [illegible] परियोजनाओं का अभी तक विस्तृत सर्वे नहीं किया गया है, जिसके अभाव में दीर्घ कालीन योजना देना सम्भव नहीं है। यह अनुमान लगाया गया है कि जो योजनायें पंचम पंचवर्षीय योजना काल में अपूर्ण रह जायेंगी उनकी पूर्ति षाष्ठम पंचवर्षीय योजना में की जायेगी।

५.१४.५ - विकास की समग्र नीति :- जनपद में योजना का कार्यान्वित करने हेतु एवं लक्ष्य निर्धारण करने के संबंध में निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है :-

१. कृषि योग्य भूमि का कटाव रोकना
२. आबादी को बाढ़ से बचाना
३. नदी का कटाव रोकना

मद ३ के अन्तर्गत टौन्स, आसन, सुसवा, जमुना, गंगा आदि नदियों के किनारे स्थित ग्रामों के पास की भूमि का कटाव रोकना तथा आबादी का बचाव करना प्रस्तावित है।

५.१४.६ - योजना के कार्यक्रम, तर्क संगत एवं प्राथमिकता सहित :-

जनपद में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण की योजना निम्नलिखित है :- (लाख रू० में)

क्रमांक	मद	पांचवीं योजना परिव्यय	वर्ष १९७४-७५ का परिव्यय	वर्ष १९७४-७५ का वास्तविक व्यय	वर्ष १९७५-७६ का परिव्यय
१	२	३	४	५	६
	शहर की सुरक्षा				
१.	गंगा नदी के कटाव से ऋषिकेश कस्बे की सुरक्षा.	१२.५६	६.२६	६.२६	३.०४
२.	विन्दाल नदियों के किनारे बाढ़ सुरक्षा कार्य.	३.००	०.५६	०.६८	०.३०
३.	देहरादून रायपुर रोड ब्रिज के ऊपर देहरादून शहर के रिस्पना नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा कार्य.	-	३.१२	३.१२	१.६०

क्रमश: -

१	२	३	४	५	६
	नदी सुधार तथा भूमि कटाव रोकने हेतु निर्माण कार्य.				
१.	ग्राम सुखालपुर पर आसन नदी की बाढ़ से सुरक्षा कार्य.	१.५२	१.७० ..१०	१.७१	०.१९
२.	ग्राम बुलाकवाला पर सुसवा नदी की बाढ़ से सुरक्षा कार्य.	५.८०	.	१.९९	१.०८
३.	ग्राम घमीक पर सौंग नदी की बाढ़ से सुरक्षा कार्य.	-	०.०३ -	०.०२	०.०३
४.	ग्राम चोबरा शीतला नदी की बाढ़ से सुरक्षा कार्य	-	१.१० -	१.१०	०.२५
५.	ग्राम रामपुर पर आसन नदी की बाढ़ सुरक्षा कार्य.	-	१.०० -	०.९३	०.९०
६.	आसन नदी पर रेखा माजरी ग्राम में बाढ़ सुरक्षा कार्य.	-	१.३२	०.३३	११.१२
७.	टौन्स नदी पर ग्राम फाफरा में बाढ़ सुरक्षा कार्य	-	१.०० -	०.९८	०.९८
८.	सुसवा नदी के किनारे सिमलास ग्रांट गाव में बाढ़ सुरक्षा कार्य.	-	१.०५ -	१.८५	०.४७
९.	सौंग नदी पर डोईवाला ग्राम को बचाने हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य.		१.००	-	०.३५
१०.	कालानदी परभूटोवाला ग्राम को बचाने हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य.	-	०.२५ -	०.२५	०.३०
११.	सुसवा नदी पर सिमलास ग्रांट को बचाने हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य	-	-	-	१.२०
१२.	सौंग नदी पर डोईवाला ग्राम को बचाने हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य	-	-	०.९३	०.८०
१३.	ग्राम थालमाल देवता को बचाने हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य.	-	०.०१ -	०.०१	-
	कुल योग :-	२२.८८	२०.५० [illegible]	२०.१६	१२.७१

५.१४.७ - योजना के संसाधनों का विवरण :-

बाढ़ नियंत्रण की परियोजनाओं का सम्पूर्ण व्यय राज्य आयोजनागत पक्ष से वहन किया जायेगा।

५.१४.८ - भौतिक सामग्री तथा जनशक्ति की आवश्यकता :-

यह निम्न प्रकार आंकी गई है :-

क्रमांक	मद	कुल १९७४-७६	१९७४-७५	१९७५-७६
१.	सीमेन्ट बैग्स की संख्या	७०,०००	३१,०००	३९,०००
२.	मानव दिवस संख्या	६०,०००	३०,०००	२०,०००

५.१४.९ - राज्य सरकार के विचाराधीन प्रश्न एवं सुझाव :-

समय - समय पर आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों की मांग के अनुसार जनपद में बाढ़ नियंत्रण का कार्य किया गया है। आवश्यकता इस बात की है कि एक विस्तृत सर्वे कराकर दीर्घ कालीन योजना बना ली जाय।

अध्याय५.१५ विद्युत

५.१५.१ प्रस्तावना:- विद्युत शक्ति अर्थ व्यवस्था का एक मुख्य अस्थापन है और प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग के स्तर से किसी देश, प्रदेश अथवा जनपद की उन्नति को आंका जाता है। औद्योगिक एवं कृषि विकास विद्युत उत्पादन पर निर्भर है। कृषि और उद्योग के अलावा परिवहन और संचार में भी विद्युत का उपयोग होता है। अतएव बहुमुखी विकास बिना विद्युत के सम्भव नहीं है। तीसरी योजनावधि से विद्युत क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। बिजली की कमी के कारण प्रदेश के आर्थिक विकास में रुकावट उत्पन्न हो रही है। अतएव प्रदेश की पांचवी योजना में विद्युत उत्पादन कार्यक्रम को शीर्ष प्राथमिकता दी गई है।

राज्य नियोजन संस्थान, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित पुस्तिका 'उत्तर प्रदेश में विद्युत उपभोग' के अनुसार वर्ष १९७२-७३ में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग सबसे अधिक मिर्जापुर (१०६१.५ किलोवाट घन्टे) का था। द्वितीय स्थान देहरादून का (३०६.६ किलोवाट घन्टे) था। इस विवरण के अनुसार विद्युत उपभोग की दृष्टि से यह जनपद प्रदेश में दूसरे स्थान पर आता है।

५.१५.२ वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन:- जनपद देहरादून पर्वतीय सम्भाग का एक पिछड़ा क्षेत्र है। इस जनपद के मैदानी भाग में चतुर्थ योजना के अन्त तक काफी प्रगति हो चुकी है। ११ के०बी० लाइन के नजदीक तथा उससे भी काफी दूर के १६१ ग्रामों को बिजली दी जा चुकी है। पहाड़ी क्षेत्र चकराता के विद्युतीकरण के लिये ११ के०बी० लाइन कालसी से चकराता बनाई जा चुकी है जिससे चकराता तथा उसके आस पास के ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है।

जनपद देहरादून में राज्य विद्युत परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन विद्युत अनुरक्षण खण्ड, देहरादून ने निम्नलिखित कार्य गत चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्त तक सम्पन्न किये हैं:-

१-	ग्रामों का विद्युतीकरण	(संख्या)	१६१
२-	११ के०वी लाइनों का निर्माण	(कि०मी०)	३४५
३-	निजी नलकूपों का विद्युतीकरण	(संख्या)	१४७
४-	हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	(सं०)	५६
५-	औद्योगिक कनक्शन		१६६

५.१५.३ चालू विकास कार्य क्रम की समालोचनात्मक समीक्षा:- जनपद देहरादून में विद्युतीकरण का विकास शनैः शनैः हो रहा है । राज्य को वर्ष १६७३-७४ से व्याप्त सूखे का सामना करना पड़ा है जिसका प्रभाव विद्युत उत्पादन पर भी पड़ा तथा परिषद को पावरकट लागू करने को बाध्य होना पड़ा । इससे ग्रामों का विद्युतीकरण न किया जा सका तथा औद्योगिक संस्थानों को भी नये कनेक्शन न दिये जा सके । हरिजन बस्तियां जिन ग्रामों में थी उन सभी का विद्युतीकरण किया जा चुका है । जिन ग्रामों में दो या दो से अधिक हरिजन बस्तियां थी उन्हें, धन का पर्याप्त मात्रा में प्राविधान न होने के कारण ,छोड़ना पड़ा क्यों कि एक ग्राम की हरिजन बस्ती के लिये केवल १६०० रू० का ही प्राविधान था । इस जनपद के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की ओर से कोई भी योजना वर्तमान समय में लागू नहीं है । जौनसार बावर जो इस जनपद का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है उसके १६२ ग्रामों के विद्युतीकरण की ७० लाख रू० की एक योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा अभी हाल में स्वीकृत हुई है । इस योजना के अन्तर्गत सभी कार्य न्यूनतम आवश्यकता कार्य क्रम के अन्तर्गत किया जायेगा तथा इस योजना से इस पिछड़े क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी । इसके अतिरिक्त डोईवाला, सहसपुर विकास क्षेत्रों में भी ५४ ग्रामों के विद्युतीकरण की ४० लाख रू० लागत की एक योजना की स्वीकृत की प्रतीक्षा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत सभी कार्य कम्पोजिट स्कीम के अन्तर्गत किया जायेगा तथा इसके स्वीकृत हो जाने पर इस क्षेत्र के औद्योगीकरण को गति मिलेगी ।

५.१५.४ दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष्य:- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से अभी तक जनपद की पांचवी पंच वर्षीय योजना के लक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए हैं। उनके अभाव में दीर्घ कालीन योजना के लक्ष्य निश्चित करना सम्भव नहीं हो सका है।

५.१५.५ विकास की समरनीति: पांचवी पंच वर्षीय योजना काल में ग्रामीण विकास का काफी विस्तृत कार्य क्रम प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में जनपद के अल्प विकसित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी ताकि उनके विकास का स्तर भी न्यूनतम कार्य क्रम के स्तर तक तो अवश्य पहुंच जाय और यदि सम्भव हो तो उससे अधिक उपलब्धि हो सके। अल्प विकसित क्षेत्रों में विद्युतीकरण कार्य क्रम को विस्तृत करने के लिये वित्तीय सहायता संस्थाओं जैसे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से विशेष प्राप्त की जायेगी। इस पिछड़े क्षेत्र की कठिनाइयों को देखते हुए निगम को अपने नियमों में संशोधन की विशेष व्यवस्था करनी होगी। ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु यथासम्भव ऐसे कार्यक्रम बनाये जायेंगे जिससे ५०० से अधिक ऊपर जनसंख्या वाले ग्रामों का विद्युतीकरण हो सके।

५.१५.६ विकास कार्य क्रम प्राथमिकता सहित:-उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से जनपद की पांचवी पंच वर्षीय योजना हेतु अभी तक भौतिक लक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए हैं। योजना के प्रथम वर्ष अर्थात १९७४-७५ में जो उपलब्धियां हुई हैं तथा वर्ष १९७५-७६ के लिये जो भौतिक लक्ष्य प्रस्तावित हैं उनका विस्तृत विवरण रूप पत्र २ के मद ६ में दिया गया है।

विद्युतीकरण में उन ग्रामों एवं हरिजन बस्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी जो कि ११ के०वी० लाइन के नजदीक हैं तथा जिनकी जनसंख्या ५०० या उससे अधिक है। निजी नलकूपों के लिये जो उपभोक्ता पहले प्रार्थना पत्र देंगे उनको विद्युत कनेक्शन पहले दिया जायेगा। जो बाद में प्रार्थना पत्र देंगे उन्हें बाद में विद्युत मिलेगी।

५.१५.७ योजना के संसाधनों का विवरण:- जनपद की योजना के संसाधनों का विवरण निम्न प्रकार है :-

(लाख रू० में)

मद	पांचवी योजना परिव्यय	१९७४-७५ परिव्यय	१९७४-७५ व्यय	१९७५-७६ परिव्यय
१	२	३	४	५
ग्रामीण विद्युतीकरण	अप्राप्त	४.६६	४.६६	१४.१०

उपरोक्त सभी परिव्यय । व्यय राज्य आयोजनागत पदों से प्रस्तावित हैं ।

५.१५.८ भौतिक सामग्री एवं श्रम शक्ति की आवश्यकता:- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से जनपद की पांचवी पंच वर्षीय योजना के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की अनुपलब्धि के कारण इस मद के अन्तर्गत आवश्यकताओं का अनुमान लगा सकना सम्भव नहीं हो सका है ।

५.१५.९ राज्य सरकार के लिये विचाराधीन प्रश्न एवं सुझाव:- इस शीर्षक के अन्तर्गत कोई सूचना नहीं देनी है ।

अध्याय 5. 16 - उद्योग

5. 16. 1 प्रस्तावना :- देहरादून जनपद देश के एक कोने में पहाडों की बीच स्थित है। यह जनपद औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है जबकि यहाँ पर बहुमूल्य तथा साधारण लकडी लीसा, औषधियाँ, अन्य सम्पदा, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, फॉसफोराइट, सिलिका, मार्बल आदि खनिज पत्थर मिलते हैं। जनपद के उप सम्भाग -2 में यातायात, विद्युतशक्ति, पूंजी, प्राविधिक ज्ञान, औद्योगिक साहस आदि की कमी एवं अनुपलब्धता के कारण इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। केवल देहरादून नगर, ऋषिकेश, हर्रावाला तथा डोईवाला में कुछ उद्योग पनपे है।

ऊंची नीची एवं पथरीली भूमि होने तथा सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण खेती के प्रसार की सभांवना अत्यन्त सीमित है। बागवानी के विकास के लिये कार्य हुआ है और आगे में इसकी सभावनायें है। यहाँ कि सबसे बडी समस्या भूमि - क्षरण की है, जिसके लिये भूमि संरक्षण/विभाग द्वारा प्रयत्न किये जा रहे है। यहाँ का निवासी शिक्षा के लिये अग्रसर हो रहा है तथा आजिविका के लिये देश विदेशों में जाता रहा है। सेना में यहाँ से अच्छा योगदान है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि यहाँ का निवासी साहसी तथा विकासोन्मुख है। क्षेत्र में गरीबी है किन्तु भुखमरी नहीं, छोटी मजदूरी देने वाले आजिविका के साधनों ~~और क्षेत्र~~ अत्यन्त सीमित है। जिसका कारण एक यह भी है कि वहाँ अन्य स्थानों की अपेक्षा मंहगाई अधिक है तथा ठण्डा क्षेत्र होने के कारण दैनिक आवश्यकतायें भी अधिक है।

इस क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों के कारण यहाँ का एकाकी विकास दुरुह है। अधिकतम सफलता के लिये आवश्यक है कि यहाँ सुसंगठित और सर्वतोन्मुखी विकास के लिये प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध विकास के प्रयत्न किये जायें। औद्योगिक विकास के बिना इस क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान सम्भव नहीं है। किन्तु इसके लिये पहले अन्य दिशाओं में अधिक प्रयत्न करने पडेंगे और औद्योगिक विकास को क्रमशः अधिक बढाना होगा। गत वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रयत्न किये गये है तथा प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रो

के माध्यम से उद्योगों की ओर जनता को जिस प्रकार प्रेरित किया गया उसके फल-स्वरूप नयी पीढ़ी में उद्योगों की ओर कुछ रुचि होने लगी है। अन्य साधनों के पर्याप्त एवं अनुकूल होने पर औद्योगिकरण हो सकेगा और प्रारम्भिक सीमा पार होने पर इसमें स्वतः शीघ्रता आयेगी।

5. 16. 2 :- वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :- देहरादून उत्तरी रेलवे का अन्तिम स्टेशन है। हरिद्वार से ब्राड गेज लाइन ऋषिकेश तक आती है। कुछ अन्य स्थान, ऋषिकेश - डोईवाला- देहरादून मसूरी, मोहन्ड -क्लेमनआउन-देहरादून, देहरादून - रायपुर, देहरादून -सहसपुर, हरबर्टपुर, - विकास नगर-कालसी -चकराता, त्यूनी, हरबर्टपुर - सहारनपुर, मसूरी -चम्बा और कालसी - बड़कोट मोटर मार्गों से जुड़े हैं अन्य स्थानों के लिये यातायात नहीं है। चूना पत्थर, जिप्सम तथा मार्बल की खानों के लिये उचित मोटर मार्ग नहीं है। इसी प्रकार वन-सम्पदा के महत्वपूर्ण केन्द्र मोटर मार्गों से बहुत दूर है। विद्युत शक्ति ऋषिकेश, रायवाला, डोईवाला, हर्रावाला, नेहरग्राम, देहरादून, मसूरी, सहसपुर हरबर्टपुर, विकासनगर, कालसी तथा साहिया में उपलब्ध है। जनपद के अन्य स्थानों में विशेषतया पश्चिमोत्तर भाग में विद्युत की सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्थानीय कच्चा माल क्षेत्र के निवासियों को उद्योग स्थापित करने व चलाने के लिये उनकी आवश्यकतानुसार छोटी छोटी मात्राओं में उचित मूल्य पर दिये जाने की कोई नियमित एवं उचित व्यवस्था नहीं है।

औद्योगिकरण में उपरोक्त स्थानीय एवं अन्य बाधाओं के फलस्वरूप इस समय जनपद में चार विकास क्षेत्रों में से से उत्तर पश्चिम के तीन विकास क्षेत्रों ~~के~~ सहसपुर, कालसी तथाचकराता में उद्योग नगण्य है। देहरादून, ऋषिकेश व डोईवाला के आसपास मुख्यतया डोईवाला विकास क्षेत्र में जनपद की अधिकांश लघु औद्योगिक इकाईयाँ एवं 10 वृहत औद्योगिक इकाईयां कार्य कर रही है।

देश एवं जनपद के औद्योगिक विकास के लिये इस समय निम्नलिखित मुख्य विभाग एवं संस्थायें कार्य कर रही है :-

क्रमांक	प्रशासन	विभाग / संस्था	कार्यक्रम
क-	भारत सरकार	क- लघु उद्योग सेवा संस्थान	प्राविधिक ज्ञान, सहायता, प्रशिक्षण औद्योगिक सर्वेक्षण एवं मार्गदर्शन आदि ।
		ख- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	किराया क्रय पर स्थानीय एवं आयातित कल
		ग- राज्य व्यापार निगम, खनिज एवं धातु निगम, ज्वाइंट प्लान कमेटी, ज्वाईंट डाइरेक्टर ट्रान्सपोर्ट, चीफ कन्ट्रोलर आफ इम्पोर्टस आदि	स्थानीय एवं आयातित कच्चे माल की व्यवस्था तथा यातायात के लिये वैगन्स
		घ- अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, अखिल भारतीय हस्तकला परिषद, अखिल भारतीय रेशम और बसर परिषद आदि	सम्बन्धित उद्योगों का विस्तार
		ड- स्टेट बैंक व अन्य राष्ट्रीय कृत बैंक	आर्वतक पूंजी के लिये ऋण
ख-	उत्तर प्रदेश शासन -	क- उद्योग विभाग	1- प्राविधिक एवं उद्योग सम्बन्धी ज्ञान, सूचनाओं एवं आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं उनका उपयोग । 2- प्राविधिक ज्ञान देना, मार्गनिर्देशन सहायता एवं प्रसार । 3- योजनाओं की जांच एवं पंजीकरण

क्रमांक	प्रशासन	विभाग / संस्था	कार्यक्रम
			4- स्थानीय एवं आयातित कच्चे माल का वितरण एवं उसके लिये संस्तुति ।
			5- आर्थिक सहायता के लिये संस्तुति
			6- देश और प्रदेश के सम्बन्धित विभिन्न विभागों एवंसंस्थाओं से सम्पर्क और उनके कार्यक्रमों का ताल मेल ।
			7- औद्योगिक आस्थान
			8- कारीगरों का प्रशिक्षण
			9- औद्योगिक सहकारिता
		ख- उ0प्र0 लघु उद्योग निगम -	1- किराया क्रय पर कलें
			2- देशी एवं आयातित कच्चे माल का प्रबन्ध ।
			3- प्राविधिक एवं विपणन ज्ञान तथा विपणन हेतु पंजीकरण ।
			4- कुछ औद्योगिक इकाईयों को चलाना ।
		ग-उ प्र वित्त निगम-	अनावर्तक पूंजी के लिये ऋण
		घ- उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम-	1- हिस्सा पूंजी के अण्डर राइटिंग
			2- उद्योगों के लिये भूमि खण्डों का विकास ।
		ड - बिक अप	1- क्रेडिट गारन्टी ।
			2- बीस लाख रुपये अधिक के ऋण

क्रमांक	प्रशासन	विभाग / संस्था	कार्यक्रम
च-	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम		निर्यात सम्बन्धी ज्ञान एवं सहायता
छ-	उ०प्र० वस्त्रोद्योग निदेशालय		हाथकरघा, खाम, टसर आदि उद्योगों का विकास
ज-	उ०प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद		खादी एवं ग्रामोद्योग का विकास
झ-	उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं श्रम विभाग		प्राविधिक प्रशिक्षण

उपरोक्त विभाग एवं संस्थाओं के कार्यक्रमों के लिये निम्नांकित माध्यम मनोनीत हैं :-

1- जिला उद्योग कार्यालय

2- देहरादून एवं विकास नगर में दो औद्योगिक आस्थान

3- कारीगर प्रशिक्षण के लिये सामान्य मैकेनिक एवं विद्युत व्यवसायों के दो प्रशिक्षण केन्द्र विकासनगर में

4- उ०प्र० लघु उद्योग निगम की क्रीडा सामग्री की फैक्ट्री देहरादन में ।

5- उ०प्र० वित्त निगम का शाखा कार्यालय ।

6- उप- उद्योग निदेशक (खाम) का कार्यालय और हथकरघा कार्यों के लिये सम्बन्धित निदेशालय का एक कर्मचारी(जिला उद्योग कार्यालय में)

7- खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद का कार्यालय ।

8- श्रम विभाग के एक महिला और दो पुरुषों के कुल तीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ।

5. 16. 3 - चालू विकास कार्यक्रमों की समालोचनात्मक समीक्षा :-

जिन विभागों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधि जनपद स्तर पर नहीं है उनसे सम्पर्क स्थापित करने तथा कार्य कराने में विनियोक्ताओं को असुविधा होती है, यद्यपि उनके कुछ स्थानीय कार्य जिला उद्योग कार्यालय तथा उद्योग निदेशालय उ०प्र० के माध्यम से हो जाते हैं। जनपद के औद्योगिक विकास के लिये सब विभागों एवं संस्थाओं का सुनियोजित एवं सुसंगठित प्रयत्न होना आवश्यक है जिसके लिये जनपद स्तर पर जिला उद्योग कार्यालय ही उचित माध्यम है। विभिन्न विभागों और संस्थाओं के कार्यकलापों तथा नियोजन के समुचित तालमेल तथा प्रगति के लिये जनपद स्तर में उचित माध्यम की कमी है जिसे जिला उद्योग कार्यालय के अन्तर्गत एक संयुक्त समिति स्थापित करके पूरा किया जा सकता है।

जिला उद्योग कार्यालय के उपरोक्त कार्यों और महत्ता को देखते हुये औद्योगिक विकास के लिये उचित है कि इस कार्यालय को यातायात, सम्पर्क एवं प्रचार की अधिकतम सुविधा दी जाय।

जिला उद्योग कार्यालय से सभी कार्यों के लिये संस्तुति आगे भेजी जाती है और जिला स्तर पर कोई भी कार्य अन्तिम रूप से नहीं किया जाता है। उ०प्र० एक बड़ा राज्य है। अतएव कार्य शीघ्र एवं सुचारु रूप से कराने में यह परिस्थिति रुकावट डालती है और कागजी कार्य बढ़ता है।

इसी प्रकार कच्चे माल का गोदाम न होने के कारण स्थानीय छोटी छोटी इकाईयों को बड़ी कठिनाई होती है। जनपद की कोयला प्रयोग करने वाली इकाईयों को देहरादून के रेल स्टेशन न होने के कारण परेशानी होती है।

5. 16. 4 -दीर्घ कालीन परिप्रेक्षा :-

जनपद के दक्षिण पूर्वी भाग में औद्योगिकरण को सघन करते हुये इसका प्रसार उत्तर पश्चिम की ओर किया जायेगा तथा प्रसार-पर अधिक ध्यान दिया जायेगा। अगले पन्द्रह वर्षों में औद्योगिक कार्यवाहियों के केन्द्र निम्नांकित होंगे :-

क - वृहत औद्योगिकरण

1- देहरादून   2- ऋषिकेश   3- रायवाला
4- डोईवाला   5- हर्रावाला   6- क्लेमन-टाउन
7- प्रेमनगर   8- रायपुर   9- राजपुर

ख - औद्योगिकरण का प्रसार :-

1- सहसपुर   2- हर्बर्टपुर   3- विकास नगर
4- कालसी   5- ... ी   6- सहिया
7- चकराता   8- त्यूनी ।

5.16.5 :- विकास की सार नीति :-

जनपद में मुख्यतः कच्चे माल पर आधारित, पूरक तथा मांग पर आधारित उद्योग स्थापित किये जायेंगें ।

आजिविका तथा उत्पादन दोनो ही दृष्टि से लघु एवं कुटीर उद्योगों को स्थापित करने में प्राथमिकता दी जायेगी। वृहत एवं आधुनिक लघु उद्योगों को भी यथा सम्भव बढावा दिया जायेगा ।

स्थानीय उद्यमियों को नये उद्योगों की स्थापना में प्राथमिकता दी जायेगी। इससे उनका आत्मविश्वास बढेगा तथा उनमें समृद्धि आयेगी ।

क्षेत्रीय तथा आर्थिक एवं सामाजिक असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से जनपद के उप सम्भाग - 2 के औद्योगिकरण के लिये अधिक प्रयत्न किये जायेंगें। इसके लिये इन स्थानों पर यातायात, विद्युत तथा संचार की समुचित व्यवस्था करनी होगी। साथ ही साथ बागवानी, कृषि, पशुपालन सिंचाई, भूमि संरक्षण आदि की भी व्यवस्था करनी होगी ।

5.16.6 :- विकास कार्यक्रम प्राथमिकता सहित :-

जनपद की पांचवी पंच वर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना 1975-76 में प्रस्तावित कतिपय भौतिक लक्ष्य तथा वर्ष 1974-75 की उपलब्धियां, खादी एवं

ग्रामोद्योग परिषद की योजनाओं को सम्मिलित करते हुये इस पुस्तिका के अन्त में दिये गये रूपपत्र -2 में दर्शाये गये है ।

5. 16.7- योजना के संसाधनों का विवरण :-

यह विवरण निम्न प्रकार है :-

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	कार्यक्रम	राज्य आयोजनागत	संस्थागत	राज्य निगमों प्राधिकरणों द्वारा	जन घोषित	योग
		पांचवी योजना का परिव्यय				
		पूंजी निवेश				
1	2	3	4	5	6	7
1-	लघु उद्योग	77-60	-	-	114-30	191-90
2-	खादी एवं ग्रामोद्योग	-	19-00	-	-	19-00
3-	हथकरघा	29-63	-	-	-	29-63
4-	यू०पी० स्टेट एग्रोइण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	-	38-55	44-50	-	83-05
	योग :-	107-23	57-55	44-50	114-30	323-58

1974-75 परिव्यय

क्र० सं०	कार्यक्रम	राज्य आयोजनागत	संस्थागत	राज्य निगम प्राधिकरणों द्वारा	जन घोषित	योग
		पूंजी निवेश				
		8	9	10	11	12
1-	लघु उद्योग	3-99	-	-	22-86	26-85
2-	खादी एवं ग्रामोद्योग	-	2-36	-	-	2-36
3-	हथकरघा	4-36	-	-	-	4-36
4-	यू०पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	0-09	-	0-09
	योग:-	8-35	2-36	0-09	22-86	33-66

1974-75 व्यय

क्र० सं०	कार्यक्रम	राज्य आयोजनागत	संस्थागत	राज्य निगम प्राधिकरणों द्वारा पूंजी निवेश	जन पोषित	योग
		13	14	15	16	17
1-	लघु उद्योग	3-99	-	-	22-86	26-85
2-	खादी एवं ग्रामोद्योग	-	0-42	-	-	0-42
3-	हथकरघा	4-16	-	-	-	4-16
4-	यू०पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	0-09	-	0-09
	योगः-	8-15	0,42	0-09	22-86	31-52

1975-76 का परिव्यय

क्रम सं०	कार्यक्रम	राज्य आयोजनागत	संस्थागत	राज्य निगम प्राधिकरणों द्वारा पूंजी निवेश	जन पोषित	योग
		18	19	20	21	22
1-	लघु उद्योग	2-12	-	-	25-00	27-12
2-	खादी एवं ग्रामोद्योग	-	3-07	-	-	3-07
3-	हथकरघा	4-11	-	-	-	4-11
4-	यू०पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड ×	-	-	12-00	-	12-00
	योग :-	6-23	3-07	12-00	25-00	46-30

× फलों तथा पेय पदार्थों इत्यादि के कारखानों की स्थापना हेतु। -- वृहत उद्योगों के परिव्यय/व्यय की सूचना प्राप्त नहीं हुई है अतएव वह उपरोक्त तालिका में सम्मिलित नहीं है। इसी प्रकार उ०प्र० एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन को छोड़कर अन्य किसी निगम / परिषद आदि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है और वह भी उपरोक्त तालिका में सम्मिलित नहीं है। लघु उद्योगों के वित्त पोषण हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक

वाणिज्यिक बैंकों से भी सहायता प्राप्त की जायेगी। जनपद के लीड बैंक द्वारा बनाई गई कार्य योजना के अनुसार अगले तीन वर्षों में लघु उद्योग हेतु लगभग 80 लाख रुपये की आवश्यकता होगी ।

5.16.8 - सामग्री एवं श्रम शक्ति की आवश्यकता :-

जहाँ तक भौतिक सामग्री का प्रश्न है अनुमान है कि पाँचवी पंच वर्षीय योजना में निम्न लिखित सामग्री की आवश्यकता होगी :-

क्रमांक	सामग्री का नाम	इकाई	योजना की आवश्यकता	विवरण
1-	सीमेन्ट	लाख बोरा	1	20 हजार बोरा प्रति वर्ष
2-	लोहा	मैट्रिक टन	700	140 मै०टन प्रतिवर्ष
3-	लकड़ी	लाख घनफुट	1	20 हजार घनफुट प्रतिवर्ष
4-	ईंट	संख्या लाख में	60	12 लाख प्रति वर्ष
5-	चूना-बजरी आदि	लाख रू में	8	1-60 लाख रू प्रति वर्ष

चूंकि वृहद उद्योग सैक्टर तथा विभिन्न राज्य निगमों, प्राधिकरणों एवं परिषदों के कार्यक्रमों की विस्तृत सूचनायें प्राप्त नहीं हुई है अतएव श्रमशक्ति के अनुमान बनाना कठिन है। फिर भी मोटे-मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि पाँचवी योजनावधि में जनपद में स्थापित होने वाले सभी उद्योगों में 2,000 से 3,000 व्यक्तियों को पूर्ण कालिक रोजगार प्राप्त हो सकेगा ।

5.16.9 :- राज्य सरकार के लिये विचाराधीन प्रश्न एवं सुझाव :-

1- देहरादून जनपद के लगभग 75 प्रतिशत भाग का औद्योगीकरण नगण्य है। अतएव इसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया जाय जिससे पिछड़े जनपदों की भाँति देहरादून को भी उसी प्रकार की सहायता मिल सके। रोलिंग मिल्स, तार खिंचना, तेल निकालना, आटा चक्की जैसे उद्योगों को भी सहायता एवं

प्रोत्साहन मिलना चाहिये ।

2- हिन्दुस्तान मशीन टूल्स बंगलौर द्वारा पूरक उद्योगों को दी जाने वाली सभी सुविधायें देहरादून जनपद के तथा समीपवर्ती भारी उद्योगों द्वारा भी अपने पूरक उद्योगों को दी जानी चाहिये। पूरक उद्योगों की स्थापना की सीमा - वृहत उद्योगों के 50 मील की परिधि होनी चाहिये ।

3- औद्योगिक विकास के लिये सभी मुख्य स्थानों पर पावर उपलब्ध कराई जाय। जहाँ विद्युत उपलब्ध नहीं है वहाँ डीजल इंजन तथा जनरेटर द्वारा उद्योग चलाने पर 10% उत्पादन अथवा बिक्री अनुदान दिया जाय ।

4- उ0 प्र0 वित्त निगम द्वारा ऋण प्राप्त करने की वर्तमान प्रक्रिया दुरूह एवं अधिक समय लेने वाली है। इसके कारण इच्छुक इकाईयों को समय पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता। इसलिये 10 हजार रुपये तक ऋण स्वीकृत करने के अधिकार वर्ष 67-68 से पहले की भांति जिलाधिकारियों को प्रदत्त किये जाने चाहिये ।

5- नियंत्रित एवं कम उपलब्ध कच्चा माल जनपद मुख्यालय पर लघु उद्योग निगम अथवा जिला सहकारी संघ अथवा लोकल बोडिंग द्वारा लागत मूल्य पर उपलब्ध कराया जाय ।

अध्याय ५.१७ भूतत्व एवं खनिज विकास

५.१७.१ - प्रस्तावना :- खनिज पदार्थों की उपलब्धि के संबंध में जनपद, देहरादून प्रदेश के अन्य जनपदों की तुलना में अधिक भाग्यशाली है क्योंकि विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ काफी मात्रा में यहां पाये जाते हैं। इस कार्यक्रम के विकास हेतु प्रदेश में एक निदेशालय स्थापित है तथा उसका कार्यालय इस जनपद में भी कार्यरत है। इस कार्यालय का मुख्य कार्य ऐसे स्थलों का सर्वेक्षण करना है जहां पर बहुतायत में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ उपलब्ध हों। औद्योगिक उपक्रमों को कच्चा माल उपलब्ध कराने की दिशा में खनिज पदार्थ अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जनपद में उपलब्ध खनिज संसाधनों के उचित उपयोग से जनपद के औद्योगिकरण को प्रोत्साहन और गति मिलने की काफी सम्भावनायें हैं।

५.१७.२ - वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :- जनपद में पाये जाने वाले खनिज पदार्थों, उनकी अनुमानित मात्रा, स्थान तथा उपयोग का विवरण निम्न प्रकार है :-

तालिका ५.१७.१ : जनपद देहरादून में खनिज पदार्थों की उपलब्धि एवं उपयोग

खनिज पदार्थ का नाम	अनुमानित उपलब्ध मात्रा (मिलियन टन में)	स्थान	उपयोग
१	२	३	४
चूना पत्थर	४३	बरकोट, घोडापाड़ी कुटियाधार, हाथीपांव.	सीमेन्ट, केमिकल्स, कैल्सीयम कारबाइड, चीनी मिल, पेपर मिल, इत्यादि.
चूना पत्थर	५०	कालसी, मन्दारसू	सीमेन्ट.
संगमरमर	६	भट्टा, क्यारकुली	सफेद सीमेन्ट तथा मार्बलचिप्स.
संगमरमर	८	लम्बीधार	केमिकल्स, केल्सीयम कारबाइड, प्रीसिपेटेड चाक, सफेद सीमेंट.
जिप्सम	ज्ञात नहीं	सहस्त्रधारा	प्लास्टर आफ पेरिस तथा फर्टिलाइजर.
राक फास्फेट	२५	मालदेवता, मसूरी	फर्टिलाइजर तथा एलीमेन्टल फासफोरस
डोलोमाइट	ज्ञात नहीं	घोरन पहाडी	लोहा तथा स्टील एवं डेड बर्न्ट, रिफेक्टरी इत्यादि.

(स्रोत: निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश.)

पिछले कुछ वर्षों में जनपद में खनिज पदार्थों का उत्पादन निम्न प्रकार रहा है-:-

तालिका ५.१७.२ :- जनपद देहरादून में खनिज पदार्थों का उत्पादन(मैट्रिक टन में)

मद	वर्ष 1970	1971	1972	1973	1974
मद	१९७०	१९७१	१९७२	१९७३	१९७४
१	२	३	४	५	६
लाइम स्टोन	३,९६,८२३	२,८४,७९४	४,३६,३९६	४,४३,२४६	४,७५,३१०
जिप्सम	१,५७४	५७	५१५	१८६	-
मारबल	६७,१९९	७७,६०७	१,१५,१३७	८२,६०२	१,०२,९८६
डोलामाइट	-	-	४०५	-	-
राफस	-	३४७	५,८१९	६,४७५	-

(स्रोत :- जिलाधिकारी, देहरादून.)

वर्ष १९७१ की जनगणना के अनुसार खान एवं खादान उद्योग में कार्य करने वालों की कुल संख्या ३९९ थी अर्थात कुल जनसंख्या का ०.२ प्रतिशत इस उद्योग में कार्यरत था।

५.१७.३ - चालू विकास कार्यक्रम की समालोचनात्मक समीक्षा :-

यद्यपि जनपद में चूना पत्थर के कुछ भण्डार सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया को तथा राक फास्फेट के कुछ भण्डार पाइराइट, फास्फेट्स एवं केमिकल्स लिमिटेड, जो एक भारत सरकार की संस्था है, को खनन हेतु पट्टे पर दिये जा चुके हैं तथापि अधिकतर खनिज पदार्थों के उत्खनन का कार्य व्यक्तिगत पार्टियों द्वारा किया जा रहा है जिससे उनके अधिपत्य के कारण इस उद्योग पर उनका एकाधिकार हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में इस कार्य को किये जाने के लिये अभी तक कोई ठोस योजना शासन द्वारा नहीं बनाई गई है। जनपद में उपरोक्त खनिज पदार्थों के भण्डारों का पता लगाने के लिये शासन द्वारा काफी प्रयत्न किये गये हैं और उसमें प्रयाप्त सफलता मिली है।

५.१७.४ - दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष्य :- जनपद में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा पता लगाये गये तथा सिद्ध किये गये खनिज पदार्थों के भण्डारों के आधार पर भविष्य में विभिन्न वृहत एवं लघु औद्योगिक इकाईयां जनपद में स्थापित की जा सकेंगी।

५.१७.५ - योजना के विकास कार्यक्रम तथा संसाधनों का विवरण :-

जनपद में भूतत्व एवं खनिज विकास हेतु पांचवीं पंचवर्षीय योजना का परिव्यय २४ लाख रू० निर्धारित किया गया है। योजनावधि में उच्च श्रेणी संगमरमर, चूना पत्थर, डोलोमाइट एवं बेराइट का अन्वेषण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष १९७४-७५ में निदेशालय द्वारा जनपद में उच्च श्रेणी के चूना पत्थर तथा संगमरमर के विस्तृत सर्वेक्षण किये गये हैं जिसके फलस्वरूप जनपद के हाथीपाव तथा लम्बोधार क्षेत्रों में भण्डार सिद्ध किये जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश, राज्य खनिज विकास निगम, जो वर्ष १९७४-७५ में स्थापित किया गया था, उपयोग के बारे में विचार कर रहा है। वर्ष १९७४-७५ का परिव्यय ३.५० लाख रू० था और इसके समक्ष वास्तविक व्यय ४.५८ लाख रू० था। वर्ष १९७५-७६ में ३ लाख रू० का परिव्यय प्रस्तावित है। यह सम्पूर्ण व्यय माइन्स सर्वे तथा खनन संबंधी कार्यों पर किया जायेगा।

५.१७.६ - राज्य सरकार के विचाराधीन प्रश्न एवं सुझाव :- उपलब्ध खनिज पदार्थों की खुदाई का कार्य व्यक्तिगत पार्टियों से न लेकर सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजित ढंग से कराया जाय। खुदाई के कारण भूमि कटाव की समस्या प्रारम्भ हो गई है। सुरक्षा की दृष्टि से इस व्यवसाय को नियमित करने की आवश्यकता है।

अध्याय - 5. 18 सड़क तथा पुल

5. 18. 1 प्रस्तावना :- किसी अर्थ व्यवस्था के अवस्थापन में सड़कों एवं पुलों का सारगर्भित स्थान होता है। सत्य तो यह है कि विकासशील अर्थ-व्यवस्था की परिवहन पहली सीढी है। योजनाकाल में सड़कों के बडे स्तर से निर्माण से यातायात साधनों में जो प्रगति हुई है उससे सड़को का महत्व रेल व्यवस्था के समकक्ष होता जा रहा है। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में सडके सुगम यातायात के साधनों को उपलब्ध करके कृषि उत्पादित वस्तुओं से अच्छा मूल्य प्राप्त करने में सहायक होती है जिससे स्थानीय व्यापारी द्वारा कृषकों को शोषण से बचाया जा सकता है। पहाडी क्षेत्र में आर्थिक क्रान्ति लाने के लिये सडकों का विस्तार नितान्त आवश्यक है ।

5. 18. 2 वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :- जनपद में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में समतल सडकों की कुल लम्बाई 609 कि0मी0 थी जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बढकर 729 कि0 मी0 हो गई है। इस जिले में कुछ प्रमुख मार्गो आदि का विवरण नीचे दिया जा रहा है ।

प्रादेशिक राज्य मार्ग :- इस जनपद में कोई राष्ट्रीय मार्ग नही है तथा प्रादेशिक राज्य मार्ग 45 स्थित है। यह एक मुख्य प्रादेशिक राज्य मार्ग है जो रुड़की, मुज्जफर नगर, मेरठ तथा दिल्ली आदि मुख्य शहरो से उप संभाग एक को जोड़ता है। इस मार्ग में अन्य बहुत से प्रादेशिक राज्य मार्ग स्थान स्थान पर आकर जुड़ते है। इस सम्भाग की फलों की मुख्य फसलें मेरठ, दिल्ली आदि की प्रमुख मंडियों में इसी प्रादेशिक मार्ग द्वारा निर्यात की जाती है। इसके अलावा आलू, अदरख तथा वन उपज, इमारती तथा ईंधन की लकडी भी इसी मार्ग द्वारा निर्यात की जाती है ।

प्रादेशिक राज्य मार्ग न0 49 :- यह मार्ग देहरादून को दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग न0 24 को जनपद मुरादाबाद में मिलाता है ।

प्रादेशिक राज्य मार्ग न0 55 :- यह मार्ग देहरादून को सहारनपुर व अम्बाला से जोडता है। यह मार्ग हरियाणा और पंजाब से होने वाले आयात और निर्यात का मुख्य मार्ग है ।

उप संभाग 2 में देहरादून - चकराता तथा चकराता -त्यूनी मार्ग मुख्य है। चकराता -त्यूनी मार्ग लगभग 80 कि0 मी0 लम्बा दुर्गम पहाड़ी मार्ग है तथा अनेकों गावों को आवागमन तथा यातायात की सुविधायें उपलब्ध कराता है ।

मंसूरी -चकराता - शिमला मार्ग :- मंसूरी से चकराता तक 70 कि0मी0 सडक निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है जो पैटेंड नहीं है। चकराता से अटल तक सड़क निर्माण की योजना स्वीकृत हो चुकी है। इस मार्ग के बन जाने पर इस क्षेत्र के भीतरी गांवों को आने -जाने तथा परिवहन यातायात की सुगम सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी। कालसी से ब्यासी होते हुये 20कि0मी0 मार्ग मोटरेबिल है किन्तु पैटैड नहीं है। यह सड़क सात आठ ग्रामों को सुगम यातायात की सुविधायें प्राप्त कराती है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रमुख सड़के उप सभांग एक में पडती है। इसके अतिरिक्त इस सम्भाग में जिला परिषद की सड़कें , बन विभाग की सडकें तथा पैदल तथा खच्चर मार्ग भी है जो यातायात की सुविधायें प्रदान करती है। इस उपसभांग में बारहमासी यातायात के लिये हरिद्वार -ऋषिकेश मार्ग पर सत्यनारायण के समीप, ऋषिकेश डोईवाला मार्ग पर रानीपोखरी के समीप तथा डोईवाला -भानियावाला के बीच सोंग नदी पर तीन बड़े पुलों का निर्माण चौथी योजना में हो चुका है। इन पुलों के निर्माण से पूर्व, बरसात के मौसम में, देहरादून का ऋषिकेश से सम्बंध विच्छेद हो जाता था। इसी उप - सम्भाग में देहरादून - ऋषिकेश मार्ग तथा देहरादून -रायपुर मार्ग पर [illegible] नदी पर दो पुलों का निर्माण भी हो चुका है। इन पुलों के निर्माण से इन दोनों मार्गो पर बारहमासी मोटरेबिल ट्रैफिक सुनिश्चित हो गया है।

उप सम्भाग दो में मुख्यतः जिला परिषद की ही सडके है।इस उप सम्भाग के 20प्रतिशत गाँवों को ही सुगम यातायातीय सुविधा उपलब्ध है। तथा दुर्गम और भीतरी क्षेत्रों में स्थित ग्रामों की जनता को मुख्य सडकों तक आने में आज भी 12-12 , 13-13 मील से लेकर 20-20, 25-25 मील तक पैदल चलकर आना पडता है। सडकों की कमी के कारण यह उप सभांग विशेष रू

से पिछडा हुआ है। वर्षा ऋतु में अन्य भागों से इसका सम्बन्ध बिलकुल कट जाता है तथा ग्रामवासियों को अपनी उपज मंडियों तक लाने तथा मंडियों से खाद बीज आदि आवश्यक वस्तुयें ले जाने में बडी असुविधा होती है ।

5. 18. 3 -चालू विकास कार्यक्रमों की समालोचनात्मक समीक्षा :- इस जनपद में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले 62 गांवों में से लगभग 6 गांव ऐसे है जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के समाप्त होने पर भी पक्की सडकों से जुडने से छूट गये हैं। यह गांव जिले के अन्दरूनी और दुर्गम भागों में नदियों के बीच स्थित है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सीमित परिव्यय होने के कारण कुछ मार्ग ऐसे है जो पूर्ण नहीं किये जा सके है। उप सम्भाग I में मैदानी क्षेत्रों में सडक निर्माण में सबसे बडी समस्या बरसाती नदी, नालों से जगह - जगह रास्तों के कट जाने की है। अतः जब तक सम्बन्धित मार्गों पर पुलों का निर्माण न हो जाय तब तक सडकों का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। सडकों पर यातायात बहुत तेजी से बढता जा रहा है, जिसके कारण पुरानी सडकों को चौडा करना तथा उनको मजबूत करना तुरन्त आवश्यक हो गया है। यदि यह कार्य तुरन्त न किया गया तो सडकों की दशा बहुत खराब हो जायेगी । चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सीमित साधनों के कारण केवल 27 कि0मी0 प्रादेशिक राज मार्गों का तथा 93 कि0मी0 मुख्य जिला सडकों, अन्य जिला सडकों एवं ग्रामीण सडकों का निर्माण कार्य किया गया । इसी योजना अवधि में दो पुलों का निर्माण क्रमशः देहरादून - रायपुर मार्ग एवं देहरादून -ऋषिकेश मार्ग पर होना था । इनमें से केवल देहरादून रायपुर मार्ग पर ही पुल का निर्माण हो पाया। दूसरे पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर रहा ।

5. 18. 4 - दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष :- बीस वर्षीय बंबई योजना के अनुसार वर्ष 1981 के अन्त तक इस जिले में पक्की सडकों की लम्बाई 679 कि0मी0 होनी चाहिये और पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह लक्ष्य पूरा हो जायेगा परन्तु इस जनपद का काफी भाग पहाडी क्षेत्र में पडता है और

पहाडी क्षेत्र में क्षेत्रफल की अपेक्षा जनसंख्या बहुत कम होती है और दो स्थानों को जोडने के लिये वास्तविक लम्बाई स्थानों को सीधी दूरी से कहीं अधिक रहती है। अतः मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पहाडी क्षेत्रों में काफी अधिक लम्बाई की आवश्यकता पड ती है। यद्यपि प्रदेश के स्तर पर मैदानी क्षेत्रों में 1500 से अधिक आबादी वाले तथा पहाडी क्षेत्र में 500 से अधिक आबादी वाले गावों को शीघ्रातिशीघ्र पक्की सडकों से जोडने का लक्ष्य है परन्तु यह जनपद हिमाचल प्रदेशीय सीमा पर स्थित है और इस प्रदेश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान बद्रीनाथ, केदार नाथ, गंगोत्री तथा यमनोत्री जाने के लिये हिमाचल प्रदेश से सीधा सम्पर्क इस जिले के माध्यम से ही स्थापित हो सकता है। इस जिले के पहाडी क्षेत्र में जनों की पैदावार, फल पट्टियों की पैदावार तथा आलू व अदरक आदि कृषि उत्पादन को मंडियों तक पहुंचाने के लिये भी बहुत से मार्गों की आवश्यकता है। इसलिये इस जिले में मार्गों तथा पुलों की योजना प्रस्तावित करने के लिये उपरोक्त बातों का ध्यान प्राथमिकता के आधार पर रखना आवश्यक है।

उपरोक्त बातों तथा जनता की मांग को ध्यान में रखते हुये 12-72 करोड रुपये लागत की एक दीर्घकालीन योजना बनाई गई थी जिसके अन्तर्गत 390 कि0मी0 मार्गों का नव निर्माण तथा 199 कि0मी0 मार्गों का पुनर्निर्माण तथा 6 पुलों का निर्माण सम्मिलित था जिसमें से 5-04 करोड रुपये मात्र की पांचवी पंच वर्षीय योजना स्वीकृत होने के कारण केवल 149 कि0मी0 मार्ग का निर्माण ही हो सकेगा तथा अवशेष कार्य छटवी तथा सातवी पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त पहाडी क्षेत्रों में 500 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम समूहों को पक्की सडकों से जोडने के लिये लिंक मार्गों के बनाने का कार्यक्रम, अतिरिक्त वित्तीय साधन प्राप्त होने पर, छटवी तथा उसके बाद की योजना में सम्मिलित किया जा सकेगा।

5.18.5- विकास की समरनीति :- चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में सीमित व्यय होने के कारण कुछ मार्ग ऐसे है जो पूर्ण नहीं हो सके है। यह सभी मार्ग कृषि-उत्पादन, फल उत्पादन एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इनके अवशेष भाग को पूरा करना आवश्यक है। पंचम पंच वर्षीय योजना में प्रस्तावित मार्गों में ऐसे मार्गों को प्राथमिकता दी गई है।

वर्तमान मार्गो पर यातायात बहुत तेजी से बढ रहा है जिसके कारण सडकों को चौडा करना तथा सुदृढ करना अत्यन्त आवश्यक है। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर तुरन्त किया जाना है ताकि वर्तमान मार्गो की दशा बहुत शोचनीय न होने पाये ।

कुछ वर्तमान मार्गो पर पक्के पुल न होने के कारण उन्हें पूरे वर्ष यातायात के लिये प्रयोग नही किया जा सकता । अतएव प्राथमिकता के आधार पर नये पुल भी पांचवी योजनावधि में निर्मित किये जायेगें ।

5. 18. 6 - विकास कार्यक्रम प्राथमिकता सहित :- पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान 149 कि0मी0 नयी सडकों का निर्माण तथा 16 कि0मी0 सडकों का पुनीनिर्माण प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त एक पुल का निर्माण किया जाना भी प्रस्तावित है। वर्ष 1974-75 में 54 कि0मी0 नई सडकों का निर्माण किया जा चुका था तथा वर्ष 1975-76 के लिये 16-00 कि0मी0 नई सडकों के निर्माण के लक्ष्य निर्धारित है। कौन कौन सी सडकें एवं पुल निर्माण हेतु स्वीकृत हुये है इसके विस्तृत विवरण उपलब्ध नही है ।

5. 18. 7 - योजना के संसाधनों का विवरण :- जनपद की पांचवी पंच वर्षीय योजना में सडक एवं सेतु निर्माण हेतु 5-04 करोड रूपयें का परिव्यय राज आयोजनागत पक्ष से प्रस्तावित है। वर्ष 1974-75 का परिव्यय भी राज्य आयोजनागत पक्ष से 65-29 लाख रूपये निर्धारित था जिसके समकक्ष वास्तविक व्यय 67-46 लाख रूपये का था । इस व्यय में से 66-10 लाख रूपये का व्यय केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित था। वर्ष 1975-76 के लिये 67-44 लाख रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है जिसमें से 64-44 लाख रूपये का परिव्यय राज्य आयोजनागत पक्ष से प्रस्तावित है तथा अवशेष परिव्यय केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित होगा ।

5.18.8 - भौतिक सामग्री एवं श्रम शक्ति की आवश्यकता :- पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के लिये जो मजदूरों तथा विभिन्न सामग्रियों की आवश्यकता होगी वह निम्न प्रकार से अनुमानित की गई है :-

	मद	पांचवी योजना के लिये कुल
सामग्री	1- लोहा (टनों में)	470-5
	2- वैगनों की संख्या)	23
	3- सीमेन्ट (टनोंमें)	9530
	(वैगनों की संख्या)	760
	3- तारकोल (टनों में)	1060
	(वैगनों की संख्या)	59
श्रम शक्ति		
	1- मानव दिवस (लाखों में)	20-60
यन्त्रों की आवश्यकता		
	1- बुलडोजर	1
	2- जीप	3
	3- ट्रक	6
	4- ट्रैक्टर ट्राली पानी की टंकी के साथ	4
	5-रोड रोलर	10
	6- विब्रात प्लेट	4
	7- कंक्रीट मिक्सर	2
	8- वाईब्रेटर	2

5. 18. 9 - राज्य सरकार के विचाराधीन प्रश्न एवं सुझाव :-

इस विभाग से सम्बन्धित योजनाओं को कार्यान्वित करने में बहुधा निम्नलिखित कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जिन पर प्रादेशिक स्तर पर विचार तथा समाधान की आवश्यकता है :-

1- अधिकतम मार्गों के निर्माण में सबसे बड़ा अवरोध भूमि का समय से उपलब्ध न होना है। बहुधा ऐसा देखा गया है मार्गों के लिये भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही 8-10 वर्ष तक भी पूरी नही हो पाती है। जहाँ कहीं भूमि के स्वामी भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही होने से पहले कब्जा नही देते है वहाँ पर मार्ग का निर्माण रुक जाता है और जिन लोगों की भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही से पहले ले ली जाती है उन्हें वर्षों तक कोई मुआवजा नही दिया जाता है। बहुत से ऐसे मार्ग है जो द्वितीय तथा तृतीय पंच वर्षीय योजना में स्वीकृत हुये थे परन्तु उपरोक्त कठिनाई के कारण पूर्ण नही हो पाये। अतः सुझाव है कि इस विभाग के अधिकारियों को भूमि अध्याप्त करने के पूरे अधिकार मिल जाने चाहिये जैसा कि कुछ अन्य प्रदेश में प्रचलित है। अन्यथा इसका कोई अन्य ठोस समाधान निकालना आवश्यक है ।

2- दूसरी कठिनाई जो इस विभाग के सामने आती है वह सामग्री तथा आवश्यक मशीनों का उपलब्ध न होना है। चूंकि अब मशीनों का युग है और जनशक्ति आवश्यकतानुसार उपलब्ध नही रहती इसीलिये आवश्यकतानुसार मशीनों का समय से उपलब्ध होना बहुत आवश्यक है। जहाँ तक निर्माण सामग्रीयों का प्रश्न है प्रदेश स्तर पर सीमेन्ट लोहा तथा तारकोल तथा कोयले का प्रबन्ध है तथा इन सामग्रियों की फैक्ट्रियों तथा खानों से ढुलान की व्यवस्था बहुत आवश्यक है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि वैगनों की कमी के कारण निर्माण सामग्री फैक्टियों पर मौजूद होने के बावजूद भी समय से उपलब्ध नही होती ।

-: अध्याय - ५.१६ पर्यटन :-

५.१६.१ : प्रस्तावना :- पर्यटन विश्व का एक महत्वपूर्ण उद्योग माना गया है। विदेशी पर्यटकों से देश को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है जो विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारत जैसे विशाल देश में जहां विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग जलवायु, मौसम, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थान और दूसरे पर्यटन के साधन हैं, आन्तरिक पर्यटन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन बातों को ध्यान में रखते हुये राज्य क्षेत्रों में स्थानीय तथा प्रादेशिक महत्व के स्थानों के विकास पर विशेष बल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पांचवीं योजना में पर्यटन विकास हेतु १३२०.००लाख रु० केवल पहाडी क्षेत्र के लिये है। इससे विदित होगा कि पहाडी क्षेत्र में पर्यटन विकास पर राज्य सरकार अधिक ध्यान दे रही है।

चूंकि जनपद देहरादून उत्तर प्रदेश राज्य के पर्वतीय क्षेत्र का एक जनपद है अतएव इस जनपद में भी पर्यटन विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस जनपद में पर्यटन की आशित सम्भावनायें हैं और यहां अनेकों पर्यटन स्थल विद्यमान हैं।

५.१६.२ : वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :- इस जनपद में जहां एक ओर पर्वतों की रानी मसूरी, चकराता तथा अन्य सुरम्य पर्वतीय स्थल हैं वहां दूसरी ओर धार्मिक और पौराणिक स्थल-कृषिकेश, टन्डे गन्धक के श्रोतों का उद्गम - सहस्त्रधारा, आधुनिक सौन्दर्य स्थल- डालनवाला एवं अशोक कालीन ऐतिहासिक स्थल कालसी स्थित हैं। राष्ट्रीय महत्व के शिक्षण संस्थानों जैसे भारतीय सैनिक प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान तथा कालेज, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी तथा कुछ प्रमुख कार्यालयों जैसे प्राकृतिक गैस एवं तेल आयोग, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान, नियंत्रक सैनिक लेखा, सर्वे आफ इण्डिया आदि के जनपद में स्थित होने के कारण देहरादून राष्ट्रीय महत्व का स्थल बन गया है जहां प्रतिवर्ष लाखों भारतीय एवं विदेशी पर्यटक आते हैं।

उपरोक्त महत्वपूर्ण स्थलों के होते हुए भी मसूरी एवं देहरादून अभी तक पर्यटन के मानचित्र में अपना उपयुक्त स्थान नहीं पा सके हैं जिसका मुख्य कारण यह है कि विगत के वर्षों में इस परिक्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि

से नियोजित विकास एवं प्रचार नहीं किया गया है। अब मंसूरी क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय की स्थापना ७ जून, १९७३ को हुई है। इसके अन्दर मंसूरी एवं देहरादून सम्मिलित हैं। इस कार्यालय की स्थापना के बाद से मंसूरी के पर्यटन उद्योग को एक नई दिशा प्रदान करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

५.१६.३ : चालू विकास कार्यक्रमों की समालोचनात्मक समीक्षा :- देहरादून, मंसूरी एवं ऋषिकेश को पर्यटक मानचित्र में अपना उपयुक्त स्थान दिलाने हेतु निम्न आधुनिक सुविधायें शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करानी होगी :-

(क) यातायात की सुविधायें :- विदेशी पर्यटकों एवं सम्पन्न भारतीय पर्यटकों की सुविधा हेतु यहां एक हवाई अड्डा बनाये जाने की आवश्यकता है। इस समय देहरादून से दक्षिण के लिये कोई भी सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं है जबकि दक्षिण से बहुत बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष पर्यटक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री की यात्रा हेतु यहां आते हैं। अतः यह आवश्यक है कि दक्षिण के लिये एक सीधी रेल सेवा तुरन्त प्रारम्भ की जाय। देहरादून से आने और जाने वाली रेल गाड़ियों में वातानुकूल की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। वातानुकूल बसें एवं "लक्जरी" पर्यटक कारों की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। अन्य विकसित पर्यटक स्थलों में यह सुविधायें उपलब्ध हैं और यहां भी यह सुविधायें उपलब्ध कराई जानी चाहियें।

(ख) सड़कों का सुधार :- इस परिक्षेत्र में भिन्न-भिन्न स्थानों पर सुरम्य पर्यटक स्थल उपलब्ध हैं किन्तु अच्छी सड़कों एवं अन्य सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण अधिक संख्या में पर्यटक वहां नहीं पहुंच पाते। मुख्य रूप से चकराता, देवबन्द, मुन्डाली, त्यूनी आदि स्थानों को जाने वाली सड़कों का सुधार एवं निर्माण परमावश्यक है। उसी प्रकार मंसूरी से टिहरी जाने वाली सड़क एवं कैम्पटी फाल जाने वाली सड़क का सुधार भी आवश्यक है।

(ग) आवास व्यवस्था :- इस परिक्षेत्र में भिन्न स्थानों पर पर्यटक आवास गृहों का निर्माण आवश्यक है :-

क्रमशः-

(१) ऋषिकेश :- ३० दो शय्या वाले कमरे तथा १० शय्या वाले चार डारमेटरी कमरे का निर्माण.

(२) देहरादून :- १५ दो शय्या वाले कमरे तथा १० शय्या वाले दो डारमेटरी कमरे का निर्माण.

(३) सहस्त्रधारा :- १५ दो शय्या वाले कमरे तथा १० शय्या वाले एक डारमेटरी कमरे का निर्माण.

उपरोक्त स्थानों पर इससे भी अच्छी आवास सुविधायें विदेशी पर्यटकों के लिये आवश्यक होंगी।

यदि उपरोक्त वर्णित सुविधायें इस परिक्षेत्र को उपलब्ध हो सके तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ समय उपरान्त काश्मीर की भांति पर्यटन इस क्षेत्र का मुख्य उद्योग बन जायेगा।

<u>५.१६.४ :- दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष्य</u> :- पर्यटन विकास की दीर्घ कालीन योजना में जनपद में पर्यटकों की सुविधा हेतु एक हवाई अड्डा स्थापित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त निम्न स्थानों पर पर्यटक आवास गृहों का निर्माण आवश्यक है :-

१- ऋषिकेश	२- देहरादून	३- सहस्त्रधारा	४- धनौल्टी
५- कानाताल	६- चकराता	७- देवबन्द	८- त्यूनी
९- लखवाड़	१०- मन्डाली	११- डाकपत्थर	१२- मसूरी

<u>५.१६.५ - विकास की समरनीति</u> :- जनपद में पर्यटन की बढ़ती हुई तथा अच्छी सुविधायें उपलब्ध होने के फलस्वरूप विदेशी तथा आन्तरिक पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि होने की सम्भावना है। इस बात की भी सम्भावना है कि जनपद में पर्यटकों के ठहरने की औसत अवधि में भी वृद्धि होगी तथा पर्यटक वर्ष भर जनपद में आते रहेंगे। इसके फलस्वरूप पर्यटन के और अधिक विकास हेतु नई सुविधाओं को उपलब्ध कराना होगा तथा एक 'स्टेट लाइट' क्षेत्र का विकास करना होगा, जिनमें मनोरंजन की भरपूर सुविधायें उपलब्ध हों। आवासीय एवं अन्य सुविधाओं से युक्त पर्यटक स्थलों के विकास से और अधिक पर्यटक एवं तीर्थ यात्री इस जनपद की ओर आकर्षित होंगे जिसके कारण इस जनपद की आय में वृद्धि होगी तथा पूरे क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा।

५.१६.६ - विकास कार्यक्रम

मसूरी एवं देहरादून के निम्नलिखित निकटवर्ती स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिये कार्यवाही विभाग द्वारा प्रस्तावित है :-

१- डाकपत्थर (देहरादून) :- देहरादून से ४३ कि०मी० की दूरी पर स्थित डाकपत्थर की बहुमुखी विकास के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करशासन को प्रेषित की जा चुकी है। शासन के प्रथम चरण में पर्यटक आवास गृह निर्माण हेतु स्वीकृति दी है। यह निर्माण कार्य सिंचाई यमुना परियोजना, देहरादून द्वारा प्रारम्भ कर प्रगति पर है। इस सम्पूर्ण परियोजना की अनुमानित लागत ३०.०० लाख रु० है।

२- सहस्त्रधारा (देहरादून) :- यह स्थल देहरादून से १३ कि०मी० की दूरी पर स्थित है। इसके विकास के लिये शासन द्वारा "टास्क फोर्स" का गटन किया गया है जिसकी व्यवस्था पूर्ण है और शासन को प्रेषित की जा चुकी है।

३- पर्यटक काम्पलेक्स मसूरी :- मसूरी के पर्यटन उद्योग को एक नई दिशा प्रदान करने हेतु इसको यमुनोत्री । गंगोत्री यात्रा के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत मसूरी से व डकोट के लिये राजकीय सड़क परिवहन निगम की सीधी बस सेवा का शुभारम्भ किया गया है। पर्यटक नगरी मसूरी में अभीतक पर्यटक आवास गृह नहीं है। इसके लिये शासन द्वारा क्रान्ती 'बिल्डिंग' भवन । भूमि को अध्याप्त किया रहा है जिसमें से इस भूमि । भवन के एक भाग को अध्याप्त किया जा चुका है। इस भूमि।भवन का कुल क्षेत्रफल ८२ एकड है। इस विस्तृत क्षेत्र में पर्यटक आवास गृह,टूरिस्ट क्लब,स्केटिंग रिंक हाल, विभिन्न किस्मों की दुकानों का केन्द्र,रोड-रेल,विमान सेवाओं के आरक्षण कार्यालय, मोटर कार गैरेज आदि सम्मिलित करने की योजना है।

४-पर्यटक आवास गृह देहरादून:- वर्तमान समय में देहरादून में पर्यटक आवास गृह नहीं हैं। इसके लिये ४५, गांधी रोड में भूमि। भवन अध्याप्त करने की कार्यवाही न्यायालय में चल रही है।

५.१६.७ योजना के संसाधनों का विवरण:- जनपद की चौथी योजना के संसाधनों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(लाख रू० में)

मद	पांचवी योजना का परिव्यय	वर्ष १९७४-७५ परिव्यय	व्यय	वर्ष १९७५-७६ का परिव्यय
१	२	३	४	५
पर्यटन	१२६.४३	१४.३०	१४.३०	२३.८०

उपरोक्त सभी परिव्यय। व्यय राज्य आयोजनागत पक्ष से प्रस्तावित हैं।

अध्याय ५.२० सामान्य शिक्षा

५.२०.१ प्रस्तावना:- शिक्षा एक ऐसी सामाजिक सेवा है जो जन साधारण के लिये बहुत महत्व की है और जिस पर प्रदेश में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा का व्यक्ति की आय क्षमता बढ़ाने से विशेष सम्बन्ध है और सामान्य प्रगति की दिशा में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें यह आवश्यक कड़ी है। सामान्य शिक्षा के तीन मुख्य अंग हैं- बेसिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा।

५.२०.२ वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन: वर्ष १९७१ की जनगणना के अनुसार इस जनपद में साक्षरता का प्रतिशत ४३.७ है जो प्रदेश भर में सबसे अधिक है। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में यह जनपद प्रथम स्थान पर है। जनपद के नगरीय क्षेत्र में कुल आबादी का ४७.१ भाग निवास करता है। यह वर्ग हर दृष्टि से सम्पन्न है और उसकी सुविधा हेतु नगरीय क्षेत्र में शिक्षण संस्थायें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाली दून स्कूल, सेंट जोसेफ्स एकाडेमी, सेंट थामस हाई स्कूल, कर्नल ब्राउन केम्ब्रिज स्कूल, कान्वेन्ट आफ जीसस एण्ड मेरी, वैलहम गर्ल्स हाई स्कूल आदि ऐसी शिक्षण संस्थायें हैं जिनमें न केवल प्रदेश के बल्कि सम्पूर्ण भारत के विभिन्न क्षेत्रों से सम्पन्नशील परिवारों के बच्चे यहां आकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार मसूरी में भी शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। शिक्षा के मामले में जनपद का नगरीय क्षेत्र जितना आगे है ग्रामीण क्षेत्र उतना ही पिछड़ा हुआ है। यह असमानता सभी सुविधाओं के नगरीय क्षेत्र में केन्द्रीत हो जाने के कारण उत्पन्न हुई है।

वर्ष १९७१ की जनगणना के अनुसार जिले की शिक्षित तथा अशिक्षित ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या का वितरण नीचे दिया जा रहा है। चूंकि अभी तक यह विवरण प्राप्त नहीं हुआ है कि शैक्षिकवार स्तर की स्थिति क्या है अतएव उसका उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

उप सम्भाग - १	शिक्षित			अशिक्षित		
	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग
ग्रामीण	४९,२६२	२१,५३८	७०,८००	७७,५३२	८४,१७४	१,६१,७०६
नगरीय	१,०५,१३९	६०,५३४	१,६५,६७३	४६,९४२	५३,०५७	९९,९९९
योग	१,५४,४०१	८२,०७२	२,३६,४७३	१,२४,४७४	१,३७,२३१	२,६१,७०५

उप सम्भाग - २	शिक्षित			अशिक्षित		
	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग
ग्रामीण	१०,७९२	१,५०८	१२,३००	३१,१०३	२९,६२०	६०,७२३
नगरीय	३,४३०	३२९	३,७५९	१,९०८	४३८	२,३४६
योग	१४,२२२	१,८३७	१६,०५९	३३,०११	३०,०५८	६३,०६९

जिले का योग						
ग्रामीण	६००५४	२३०४६	८३१००	१०८६३५	११३७९४	२२२४२९
नगरीय	१०८५६९	६०८६३	~~१६४३२~~ १६९४३२	४८८५०	५३४९५	१०२३४५
योग	१६८६२३	८३९०९	२५२५३२	१५७४८५	१६७२८९	३२४७७४

चौथी योजना के अन्त में प्रारम्भिक, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो स्थिति जनपद में उपलब्ध थी उसकी सूचना नीचे दी जा रही है :-

प्रारम्भिक शिक्षा

बेसिक स्कूलों की संख्या		बेसिक स्कूलों में भर्ती (लाख में)	
ग्रामीण	नगरीय	योग	बालिकायें
१	२	३	४
४३३	८०	०.७५	०.३२

सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या		सीनियर बेसिक स्कूलों में भर्ती (लाख में)	
ग्रामीण	नगरीय	योग	बालिकायें
५	६	७	८
५१	१०	०.२५	०.१०

माध्यमिक शिक्षा

हायर सेकण्डरी स्कूलों की संख्या		हायर सेकण्डरी स्कूलों में भर्ती (लाख में)	
ग्रामीण	नगरीय	योग	बालिकायें
१	२	३	४
१४	३५	०.३८३	०.१३३

उच्च शिक्षा

डिग्री कालेज संख्या	डिग्री कालेज में भर्ती (लाख में)	
	योग	बालिकायें
१	२	३
७	०.०४८	०.०२१

५.२०.३ चालू विकास कार्यक्रमों की समालोचनात्मक समीक्षा: जनपद में नगरीय क्षेत्र में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं के लिये नर्सरी स्तर से महाविद्यालय स्तर तक अध्ययन करने की पर्याप्त सुविधायें हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तहसील देहरादून की अपेक्षा तहसील चकराता शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। उप सम्भाग १ में जहां पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक शिक्षा प्राप्त करने की प्रचुर सुविधायें उपलब्ध हैं उसके विपरीत उप सम्भाग २ में केवल दो ही हाई स्कूल ऐसे हैं जहां जूनियर हाई स्कूल के पश्चात् हाई स्कूल तक की शिक्षा के लिये सुविधायें उपलब्ध हैं। उप सम्भाग २ पूर्णतया पहाड़ी क्षेत्र है तथा गांव छिटके हुए और दूर दूर हैं। यहां हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के लिये केवल कुछ

गांवों को ही छोड़ कर, जिनके समीप हाई स्कूल हैं, छात्र छात्राओं को २०-२०, ३०-३० मील दूरी से आकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त न तो यहां के गांव आधुनिक हैं और न ही कोई छात्रावासीय सुविधायें उपलब्ध हैं। केवल कालसी एवं चकराता क्षेत्र में ही आश्रम पद्धति का एक एक स्कूल हरिजन विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। इनमें नि:शुल्क छात्रावासीय सुविधायें उपलब्ध तो हैं परन्तु छात्र छात्राओं की संख्या को देखते हुए यह नितान्त अपूर्ण है। इस उप सम्भाग के निवासियों की आर्थिक स्थिति बहुत ही गिरी हुई है। यहां पर कोई भी व्यवसाय और उद्योग ऐसे नहीं हैं जिनके लिये शिक्षित युवक युवतियों की आवश्यकता हो और इस आवश्यकता की अनिवार्यता को पूरा करने के लिये शिक्षा प्राप्ति की प्रेरणा मिल सके। अधिकांशत: निम्न एवं मध्यमवर्ग के लोग निजी छोटे छोटे धन्धों में अपने परिवार के समस्त सदस्यों सहित संलग्न रहते हैं और इन परिवार के मुखिया को अपने बच्चों की शिक्षा में कोई रुचि नहीं रहती।

<u>५.२०.४ दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष्य:</u> द्वितीय शिक्षा सर्वेक्षण जो १९६५-६६ में सम्पन्न हुआ था में यह प्राविधान रक्खा गया था कि प्राइमरी स्तर के बच्चों को १.५ कि०मी०, जूनियर हाई स्कूल के बच्चों को ५ कि०मी० एवं हायर सेकण्डरी स्कूल के बच्चों को ८ कि०मी० से अधिक शिक्षा हेतु अपने ग्राम से बाहर न जाना पड़े, प्रत्येक न्याय अथवा केन्द्रीय पंचायत के अन्तर्गत एक जूनियर हाई स्कूल हो तथा भौगोलिक एवं प्राकृतिक बाधाओं के कारण उस बस्ती में भी प्राइमरी स्कूल खोला जाय जहां की जनसंख्या ३०० है। तृतीय अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण मार्च १९७४ से प्रारम्भ हो गया है किन्तु अभी तक इस सर्वेक्षण की विद्यालयों के खोले जाने के सम्बन्ध में विस्तृत व्याख्या उपलब्ध नहीं हो पायी है। यदि द्वितीय शैक्षिक सर्वेक्षण को ही आधार माना जाय तो इस जनपद में शिक्षा का विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त प्रसार कराने हेतु कई विद्यालयों की आवश्यकता है। दीर्घकालीन योजना कालमें जनपद की चकराता तहसील, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे है, के बालक बालिकाओं की शिक्षा हेतु कम से कम दो या

तीन इण्टर कालेज विशेषत: जौनसार क्षेत्र में खोलने की व्यवस्था करना जनहित में होगा । इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति बहुत ही शोचनीय है अत: शासन अथवा विभाग को यह विद्यालय सरकारी क्षेत्र में ही खोलने पड़ेंगे । जनपद के अन्य भागों में पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यदि एक या दो विद्यालय खोले जायें तो पर्याप्त हैं ।

५.२९.५ विकास की समर नीति: शिक्षा और जनसंख्या का आपस में घनिष्ट सम्बन्ध है । जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है नये नये विद्यालयों का सृजन विभाग व सरकार को करना पड़ता है । सर्व प्रथम प्राथमिक फिर माध्यमिक और उसके बाद हायर सेकण्डरी स्कूल खोले जाते हैं । प्रारम्भिक शिक्षा विकास की पांचवी पंच वर्षीय योजना निम्न बातों को ध्यान में रख कर की गयी है :-

(क) जूनियर बेसिक स्कूल

१- ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित बेसिक विद्यालय

२- ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के लिये जूनियर बेसिक स्कूल ।

३- नगर क्षेत्रों में बालक तथा बालिकाओं के जूनियर बेसिक स्कूल

४- ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु बालिकाओं तथा निर्बल वर्ग के बालकों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण

५- नगर क्षेत्र में छात्र संख्या में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु बालिकाओं तथा निर्बल वर्ग के बालकों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण

६- ग्रामीण क्षेत्र में जूनियर बेसिक स्कूलों के भवन मरम्मत

७- नगर क्षेत्रों के जूनियर बेसिक स्कूलों के भवन मरम्मत

(ख) सीनियर बेसिक स्कूल

८- ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों एवं बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलना

९- नगर क्षेत्रों में बालकों एवं बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलना ।

१०- ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों एवं बालिकाओं के चुने हुए बेसिक स्कूलों में क्राफ्ट/चर कक्षायें खोलना

११- नगर क्षेत्रों में बालकों एवं बालिकाओं के चुने हुए बेसिक स्कूलों में क्राफ्ट/चर कक्षायें खोलना

१२- नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयुवर्ग ११-१४ के बच्चों के लिये आंशकालिक कक्षायें खोलने हेतु अनुदान

१३- निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सीनियर बेसिक स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें बैंक स्थापित करना।

१४- पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु नगर क्षेत्रों के बेसिक स्कूलों में पाठ्य पुस्तक बैंक स्थापित करना

१५- ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन मरम्मत

१६- नगर क्षेत्रों के वर्तमान सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन मरम्मत

५.२०.६ विकास कार्यक्रम प्राथमिकता सहित: जनपद में पांचवी योजनान्तर्गत ५४ बेसिक स्कूल खोले जायेंगे जिनमें से ५० स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में और ४ नगरीय क्षेत्र में खोले जाने का प्राविधान है। इनमें से वर्ष १९७४-७५ में १६ बेसिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में तथा दो नागरिक क्षेत्र में खोले जा चुके थे वर्ष १९७५-७६ में ८ बेसिक स्कूल केवल ग्रामीण क्षेत्र में खोले जाने का लक्ष्य निर्धारित है। निर्बल वर्ग के जातियों (औसतन) को पाठ्य पुस्तकों का वितरण किये जाने की भी व्यवस्था है। पांचवी योजना में २१ सीनियर बेसिक स्कूल खोले जायेंगे जिनमें से ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों की संख्या १६ होगी। वर्ष १९७४-७५ में ४ सीनियर बेसिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में तथा १ नगरीय क्षेत्र में खोले जा चुके थे। वर्ष १९७५-७६ में ३ सीनियर बेसिक स्कूल केवल ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत इस जनपद में पांचवी योजना में निम्नलिखित कार्य क्रम कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।-

(१) असहायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान

(२) जिला विद्यालय निरीक्षकों के कार्यालय का सुदृढ़ीकरण

(३) सहायक विद्यालय निरीक्षक के पद का सृजन

पांचवी योजना में देहरादून जनपद में १५ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है जिसमें से ५ ग्रामीण क्षेत्र में तथा १० नगरीय क्षेत्र में खोले जायेंगे । इनमें से दो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वर्ष १९७४-७५ में खोले जा चुके थे । वर्ष १९७५-७६ में एक भी एक भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है ।

५.२०.७ योजना के संसाधनों का विवरण:- ऊपर के अनुच्छेद में बेसिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत वर्णित कार्यक्रमों की पांचवी योजना तथा वर्ष १९७४-७५ तथा वर्ष १९७५-७६ की वार्षिक योजनाओं के परिव्ययों तथा वर्ष १९७४-७५ के वास्तविक व्यय की सूचना निम्न प्रकार से है:-

(लाख रु० में)

मद	पांचवी योजना परिव्यय	१९७४-७५ परिव्यय	१९७४-७५ व्यय	१९७५-७६ परिव्यय
१	२	३	४	५
सामान्य शिक्षा	२६.४६	२.६५	१.९०	३.९८

उपरोक्त सभी परिव्यय राज्य आयोजनागत पक्ष से प्रस्तावित हैं ।

५.२०.८ भौतिक सामग्री एवं श्रम शक्ति की आवश्यकता: पांचवी योजना में विद्यालय भवनों की मरम्मत के लिये परियोजनायें बनाई गई हैं जिसके अन्तर्गत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जूनियर बेसिक व सीनियर बेसिक स्कूलों की मरम्मत की जायेगी ।

५.२०.९ राज्य सरकार के विचाराधीन प्रश्न एवं सुझाव:- उपसम्भाग-२ में प्रशिक्षित शिक्षकों एवं नये विद्यालयों का खोला जाना आवश्यक है जिससे वहां के लोगों को शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध हो सकें ।

अध्याय ५.२१ प्राविधिक शिक्षा :-

५.२१.१ प्रस्तावना :- इस समय प्राविधिक शिक्षा राज्य में तीन स्तरों पर दी जा रही है :-

(१) डिप्लोमा
(२) स्नातक अभियन्ता
(३) स्नातकोत्तर अभियन्ता

५.२१.२ :- राज्य की विभिन्न संबंधी संस्थाओं में डिप्लोमा स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अभियंत्रण संस्थायें एवं विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य के दो नये विश्वविद्यालय तथा संस्थाओं में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

५.२१.३ - वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन एवं विकास कार्यक्रम :-

जनपद देहरादून में तीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें स्थापित हैं जो शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदान करती हैं परन्तु सभी कोई संस्था स्थापित नहीं है जो डिप्लोमा अथवा डिग्री स्तर की प्राविधिक शिक्षा प्रदान करती हों। इस मद के अन्तर्गत इस जनपद के लिये पांचवीं पंच वर्षीय योजना हेतु कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं है।

५.२१.४ राज्य सरकार के विचाराधीन प्रश्न एवं सुझाव :-

पांचवीं पंच वर्षीय योजना काल में इस जनपद में एक प्राविधिक शिक्षा देने वाली संस्था को स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।

अध्याय 5. 22 स्वास्थ्य

5. 22. 1 - प्रस्तावना :- किसी भी विकासोन्मुख व्यवस्था को बनाने हेतु यह आवश्यक है कि उसकी जनता का स्वास्थ्य अच्छे स्तर का हो। उसके लिये यह अनिवार्य है कि चिकित्सा जनस्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन की सुविधायें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। पूरे पर्वतीय संभाग में तथा इस जनपद में भी चिकित्सा जन स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन की सुविधायें पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। जनपद के निवासी आर्थिक रूप से पिछडे हुये हैं और एक ही मकान में कई परिवार एक साथ भिन्न-भिन्न रूप से निवास करते हैं। उनको पौष्टिक आहार भी उपलब्ध नहीं होता। फलस्वरूप क्षय, कुष्ठ, चेचक तथा मलेरिया जैसे संचारी रोगों के फैलने का भय बना रहता है इस जनपद के पहाडी एवं भीतरी भागों में बहुधा वे सुख एवं सुविधायें भी उपलब्ध नहीं होती जो मैदानी क्षेत्रों के जिलों में उपलब्ध होती है। अतएव चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य सेवा के प्राविधिक एवं अप्राविधिक कर्मचारी ऐसे स्थानों में जाकर कार्य करने से बराबर कतराते है। मुदालियर समिति ने यह अनुशंसा की थी कि चिकित्सक सुविधा प्राप्त करने हेतु ऐसा व्यवस्था होनी चाहिये कि किसी भी व्यक्ति को 5 मील से अधिक न चलना पडें। इस पहाडी जनपद में विभिन्न भागों की स्थिति के अनुसार इस मापदण्ड को घटाकर 3 अथवा 2 मील रखना आवश्यक है।

5. 22. 2 - वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :- जनपद का क्षेत्रफल 3,111 वर्ग कि0मी0 है। इसकी वर्ष 1974 की जन संख्या 6,28,000 अनुमानित है जिसमें से 2,97,000 शहरी एवं 3,31,000 ग्रामीण है। इस जनसंख्या के अनुसार जन संख्या का घनत्व 202 प्रति वर्ग कि0मी0 है। चतुर्थ योजना के अन्त तक जनपद के शहरी क्षेत्र में 52 एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय तथा ग्रामीण क्षेत्र में 19 चिकित्सालय /औषधालय तथा 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत थे। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के 12 औषधालय तथा होम्योपैथिक पद्धति के 2 औषधालय ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत थे। शहरी क्षेत्र में प्रति लाख जनसंख्या के पीछे 17-5 एलोपैथिक अस्पताल उपलब्ध थे तथा ग्रामीण क्षेत्र में यह अनुपात 5-7 है। जनपद में कुल एलोपैथिक रोगी शैयायें 1484 थी जिसमें से 962 शहरी

क्षेत्र में तथा 522 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित थी। जिले का शैय्या जनसंख्या अनुपात शहरी क्षेत्र में 3-2 शैय्या प्रति हजार तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1-6 प्रति हजार जनसंख्या है। निर्धारित नार्म के अनुसार 1000 जनसंख्या पर एक शैय्या उपलब्ध होनी चाहिये ।

ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवायें 45 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा प्रदान की जाती है। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ 8 उपकेन्द्र सम्बद्ध है)। निर्धारित नार्म के अनुसार 80,000 से 1,00,000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 10,000 जनसंख्या पर एक उपकेन्द्र होना चाहिये ।

इस जनपद में शासन द्वारा संचालित पैरामैडिकल कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिये एक स्कजलरी नर्स एण्ड मिडवाइफ ट्रेनिंग सेन्टर तथा एक क्षेत्रीय परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र भी कार्यरत है ।

जिले में विशिष्ठ चिकित्सा के लिये एक जिला क्षय नियन्त्रण केन्द्र भी कार्यरत है जिसमें क्षय रोगियों की भर्ती हेतु जिला अस्पताल में 10 शैय्यायें है ।

राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन योजना वर्ष 1962-63 से जनपद में चल रही है। चतुर्थ योजना काल में यह कार्यक्रम केन्द्र पुरोनिधानित कार्यक्रम हो गया । इस योजना के लिये जनपद से प्राथमिक एवं पुर्नभेद टीकों का लक्ष्य क्रमश : 1,99,050 व 5,40,740 था। इसके साथ ही साथ चेचक उन्मूलन का लक्ष्य भी निहित था। इन लक्ष्यों के अन्तर्गत 83,948 प्राथमिक व 4,24,244 पुर्नभेद टीके लगाये गये। वर्ष 1973-74 के अक्तूबर मास से सर्वथा एक नई कार्य विधि भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से चेचक उन्मूलन के लक्ष्य की पूर्ति के लिये अपनाई गई। इस नई विधि के अनुसार जनता में सामूहिक टीका लगाये जाने के बजाय चेचक के रोगियों की खोज पर विशेष बल दिया गया और जहाँ भी चेचक रोगी मिले वहाँ सघन सर्वे से ग्राम व एक मील के अर्द्ध व्यास के घेर के अन्दर समस्त जनता को प्राथमिकता के आधार पर लगभग एक सप्ताह की अवधि में टीकों का कार्य पूर्ण किया गया । इस नई प्रणाली के अपनाने के फलस्वरूप टीके का लक्ष्य चाहे पूर्ण न हो सका हो परन्तु वर्ष 1974-75 में जनपद में चेचक का उन्मूलन

सम्भव हो सका । जनपद में पूर्ण चतुर्थ योजना काल में चेचक के 98 रोगी हुये जिनमें से 25 की मृत्यु हुई। पंचम पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ही जिला चेचक रहित हो गया और मार्च अन्तिम 1974 के अन्तिम सप्ताह के पश्चात् जनपद में चेचक की कोई घटना नही हुई ।

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम भी शत प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोनिधानित परियोजना है। वर्ष 1973-74 में विशेष रूप से मलेरिया के प्रकोप में वृद्धि पाई गई। प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशक दवाओं के छिडकाव के चक्र चलाये गये तथा जहाँ छुट-पुट केसेज पाये गये वहाँ फोकल छिडकाव किया गया। इसके अतिरिक्त विजिलेन्स सर्वेक्षण का कार्य भी किया गया ।

परिवार नियोजन की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु चतुर्थ योजना के अन्त तक 4 ग्रामीण तथा 3 नगरीय केन्द्र स्थापित किये जा चुके थे तथा 18,000 व्यक्तियों को नसबन्दी एवं 6,806 महिलाओं को लूप निवेशन की सेवा प्रदान की गयी थी। परिवार नियोजन की कोई न कोई विधि अपनाने के लिये सभी सन्तान उत्पन्न करने में सक्षम दम्पत्तियों को आगे आना है पर अभी तक अनुमानतः 3 लाख दम्पत्तियों में से 26-8 हजार दम्पत्तियों ही इसका लाभ उठा सके है। अतएव कार्यक्रम में अभी काफी विस्तार की सम्भावना है ।

5.22.3 - चालू विकास कार्यक्रमों की समालोचनात्मक समीक्षा :-

जनपद में चिकित्सकों का घनत्व नगरीय क्षेत्र में ही है। ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षित है । जिले के पहाडी क्षेत्र में जिसमें जौनसार भावर क्षेत्र का सारा इलाका शामिल है इस दृष्टि से विशेष रूप से पिछडा हुआ है। यहाँ आवागमन के साधन दुर्लभ है। पक्की सडकें अल्प है। पहाडी गाँव अल्प आबादी वाले और विकीर्ण है।

इस जनपद के नगरों की भी अपनी विशेष स्थिति है जो राज्य के अन्य नगरों से बहुत भिन्न है। देहरादून जिले का मुख्यालय है। यह एक तेजी से बढता हुआ विकासशील नगर है। नगर की तेजी से बढती हुई आबादी के साथ साथ हमारे अनिवार्य चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि नहीं हुई ही पाई है ।

- ऋषिकेश जिले में दसरी मुख्य नगर है। यह उत्तराखण्ड के सभी तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार है। यद्यपि इसकी अपनी स्थायी जन संख्या केवल 17,646 (1971) है परन्तु वर्ष भर में लगभग एक लाख यात्री इस क्षेत्र में आते है। इस प्रकार यात्रियों के इस विशाल समुदाय की स्वास्थ्य सम्बन्धी अपेक्षायें ऋषिकेश की अनिवार्य आवश्यकता है ।

मसूरी इस जिले का पर्वतीय नगर है। इसकी कुल स्थायी आबादी 18,038 है। वर्ष भर में अनुमानतः डेढ लाख भ्रमणकारी यहाँ आते है। यह सब वर्ष के थोडे से सीमित समय में एकबारगी समूह के रूप में इकट्ठे होते है। इसके अनुसार मंसूरी नगर की अपनी विशेष आवश्यकतायें है ।

विकासनगर इस जिले का एक नया विकासशील कस्बा है। यह जौनसार बाबर क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। डाकपत्थर से यमुना प्रोजेक्ट योजना के कारण इसका महत्व निरन्तर बढ रहा है। वर्तमान में इसकी कुल आबादी 7,066 (1971) है।

जौनसार बाबर क्षेत्र का एकमात्र नगर चकराता है। यद्यपि नगर की द्रष्टि से इसका महत्व विशेष नहीं है फिर भी इस इलाके के सभी ग्रामीण नागरिकों को आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का यह एक मात्र स्थल है ।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि जिले के सभी पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव है ।

मलेरिया निराकरण योजना सारे जिले में अभी भी सक्रिय रूप से कार्यरत है जिसके परिणाम स्वरूप अब मलेरिया का प्रकोप कम होता जा रहा है ।

गैस्ट्रोएन्टराइटिस की व्यापकता नहीं है ।

चेचक नियन्त्रण कार्यक्रम के बावजूद कभी-कभी कुछ यत्र-तत्र/केस हो जाते है

फाइलेरिया, हुकवर्म, ट्रेकोमा के बारे में कोई प्रमाणित सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हुई है। परन्तु निरीक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि फाइलेरिया इस क्षेत्र में कोई समस्या प्रस्तुत नहीं करता। ट्रकोमा सारे पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त है। हुकवर्म और दूसरे परजीवी कृमि (राउन्डवर्म) आदि भी व्यापक रूप से पाये जाते है ।

5 22. 4 - दीर्घ कालीन प्रति पेक्षा :-

इस जनपद की जौनसार बावर क्षेत्र जिसमें विकास क्षेत्र चकराता एवं कालसी सम्मिलित है में पर्याप्त संख्या में चिकित्सालय नहीं है। राज्य में प्रति दस हजार की जनसंख्या पर एक चिकित्सालय का मानदण्ड रखा गया है। मैदानी इलाकों के लिये यह ठीक हो सकता है किन्तु इस इलाके की भौगोलिक स्थिति, बिखरी आबादी और आवागमन की कठिनाईयों को देखते हुये यहाँ प्रति 5,००० जनसंख्या के पीछे एक चिकित्सालय होना चाहिये । जौनसार बावर क्षेत्र की कुल आबादी 79,126 है। इस प्रकार यहाँ कुल 16 यूनिट होनी चाहिये। वर्तमान में सब प्रकार के चिकित्सा यूनिटें मिलाकर कुल १० है। इस प्रकार यहाँ 6 अतिरिक्त चिकित्सालय और चाहिये ।

जनपद के तीसरे विकास खण्ड सहसपुर की कुल जनसंख्या 1,12,७७७ है। वर्तमान में इसके ग्रामीण क्षेत्र में कुल सात चिकित्सा यूनिटें है। इसके अतिरिक्त इस विकास खण्ड के नगरीय क्षेत्र विकास नगर में भी दो चिकित्सालय है। प्रति १०,००० जनसंख्या के एक चिकित्सालय के हिसाब से इस विकास क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम ।। चिकित्सा यूनिटें होनी चाहिये। जैसा कि ऊपर बताया गया वर्तमान में कुल 7 है। इस प्रकार यहाँ 4 अतिरिक्त ऐलोपैथिक डिसपैंसरियाँ खोली जानी चाहिये ।

जनपद के चौथे विकास खण्ड डोईवाला की कुल जनसंख्या 1,12,७७। के लगभग है। प्रति १०,००० जनसंख्या के पीछे एक चिकित्सा यूनिट के हिसाब से यहाँ ।। यूनिट होनी चाहिये। वर्तमान में इस विकास क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में केवल पांच चिकित्सा यूनिटें है। इस प्रकार इस विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र में को 6 अतिरिक्त चिकित्सालय की आवश्यकता है ।

जनपद में दो तहसीलें है, देहरादून एवं चकराता। देहरादून में जो जिले का मुख्यालय है अपग्रेडेड चिकित्सालय कार्यरत है। दूसरी तहसील कैवल मात्र तहसील की ही विशेषता प्राप्त नहीं है। यह सारी की सारी तहसील जौनसार बावर का इलाका है जिसकी विशेषतायें ऊपर बताई जा चुकी है। इस सारे इलाके को

आधुनिक चिकित्सासुविधायें प्राप्त करने का एकमात्र स्थल पड़ता है जो वर्तमान में इस दृष्टि से बहुत असन्तोषजनक स्थिति में है। यहाँ पैथोलोजी यूनिट, रेडियोलोजी यूनिट, सर्जरी, मेडिसन, एनैस्थीसियालौजी और डेन्टल सेक्शन स्थापित किया जाना चाहिये। बाल रोग विभाग का भी औचित्य है ।

संसाधनों के अभाव में यह सभी कार्यक्रम पांचवी पंच वर्षीय योजना में लिये जाने सम्भव नहीं होंगे। अतः इन्हें छटी एवं सातवीं योजनाकाल में पूरा किया जाना आवश्यक होगा ।

5. 22. 5- विकास की व्यूहनीति :- पांचवी योजना में स्वास्थ्य सैक्टर के अन्तर्गत यह व्यूहनीति ~~अपनाई~~ जा रही है कि पिछली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य सैक्टर का जो ढांचा तैयार किया गया है उसी ढांचे के ऊपर चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ एवं विकसित किया जाय। तदनुसार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जिसके अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन, उप केन्द्रों की स्थापना, भवन निर्माण आदि के कार्य लिये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में औषधि की उचित व्यवस्था हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपकेन्द्र पर अतिरिक्त धनराशि के आवन्टन की ~~व्यवस्था~~ व्यवस्था है ।

5. 22. 6 :- विकास कार्यक्रम प्राथमिकता सहित :-

(क) चिकित्सा :- पांचवी पंच वर्षीय योजना में एक राजकीय एैलोपैथिक अस्पताल एवं औषधालय ग्रामीण क्षेत्र में खोला जाना प्रस्तावित था और यह वर्ष 1974-75 में खोल लिया गया था । पांचवी पंच वर्षीय योजना में 3आयुर्वेदिक अस्पताल एवं औषधालय ग्रामीण क्षेत्रो में खोले जाने प्रस्तावित थे जो सब के सब वर्ष 1974-75 में खोले जा चुके है। पांचवी पंच वर्षीय योजना में नगरीय एलोपैथिक अस्पतालों में 20 शैयाओं की वृद्धि की जानी थी। यह लक्ष्य योजना के प्रथम वर्ष 1974-75 में ही प्राप्त कर लिया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों के एैलोपैथिक अस्पतालों में यद्यपि पांचवी पंच वर्षीय योजना में शैयाओं में वृद्धि के कोई लक्ष्य प्रस्तावित नहीं थे फिर भी वर्ष 1974-75 में 4 शैयाओं की वृद्धि की जा चुकी थी ।

पांचवी पंच वर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के आयुर्वेदिक /यूनानी चिकित्सालयों में 12 शैय्याओं की वृद्धि के लक्ष्य प्रस्तावित थे और इन लक्ष्यों की प्राप्ति वर्ष 1974-75 में की जा चुकी थी ।

(ख)- जन स्वास्थ्य :- संचारी रोग जैसे चेचक, क्षय , कुष्ठ, ट्रेकोमा , मलेरिया तथा फाइलेरिया आदि स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं। चेचक , मलेरिया तथा कुष्ठ को छोड़कर शेष संचारी रोगों की रोकथाम पर होने वाले व्यय का उत्तरदायित्व प्रदेश पर है जबकि साज सज्जा पर व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ।

1- मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम :- पांचवी योजना के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। वर्ष 1974-75 में एक हजार हैक्टर क्षेत्र में कीटनाशक दवायें छिड़कने का लक्ष्य निर्धारित था जो कि पूरा का पूरा प्राप्त कर लिया गया । इसके अतिरिक्त इस वर्ष 92,200 रक्त पट्टिकायें एकत्र करने का लक्ष्य निर्धारित था जिसके विरुद्ध 1,25,007 रक्त पट्टिकायें एकत्र की गई। वर्ष 1974-75 में मलेरिया धनात्मक रोगियों की संख्या 05 थी जिनमें से 02 को रेडिकल ट्रीटमेन्ट दिया गया। वर्ष 1975-76 के लिये भी 92,200 रक्तपट्टिकायें एकत्र करने का लक्ष्य निर्धारित है ।

2- फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम :- जनपद में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 % जनसंख्या का सर्वेक्षण कराना प्रस्तावित है। यह कार्य वर्ष 75-76 से आरम्भ कर दिया गया है ।

3- चेचक उन्मूलन कार्यक्रम:- पंचम पंच वर्षीय योजना काल के लिये टीकों का लक्ष्य क्रमशः 1,74,750 प्राथमिक तथा 5,02,500 पुनर्भेद रखा गया है। योजना के प्रथम वर्ष में 11,544 प्राथमिक व 56,56 पुनर्भेद टीके लगाये गये। वर्ष 1975-76 में 34,950 प्राथमिक एवं 1,16,500 पुनर्भेद टीके लगाये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है। इस योजना काल में विशेष बल चेचक के छिपे हुये अथवा बाहर से आये रोगियों की खोज पर रहेगा जिससे कि ऐतिहासिक चेचक उन्मूलन की उपलब्धि को बनाया रखा जा सके ।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम :- यह कार्यक्रम मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से

एकीकृत सेवायें उपलब्ध कराने के लिये निर्धारित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रो में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा चिकीत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन एवं मात एवं शिशु कल्याण सम्बन्धि सेवायें उपलब्ध कराई जाती है। पांचवी पंच वर्षीय योजना में इस जनपद में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उन्नयन तथा एक उप केन्द्र की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित है परन्तु योजना के प्रथम दो वर्षों में आर्थिक संसाधानों की कमी के कारण इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नही हो पाई है।

परिवार नियोजन :- पंचम आयोजना के लिये 11,897 बंध्याकरण तथा 10,192 लूप निवेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । वर्ष 1974-75 में 800 बन्ध्याकरण तथा 834 लूप निवेशन की उपलब्धि हुई। वर्ष 1974-75 से चिकित्सीय गर्भ समापन योजना पर विशेष बल दिया गया है। तथा खने वाली गर्भ निरोधक गोली का प्रचार एवं प्रयोग को सामान्य कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। वर्ष 1975-76 के लिये निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये है :-

बन्ध्याकरण - 1900

लूप निवेशन - 3,164

परम्परागत गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता - 3,604

खाने वाली गोली के प्रयोगकर्ता - 360

5. 22. 7 योजना के संसाधनों का विवरण :-

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मद वार परिव्यय नही दिया गया है। पांचवी पंच वर्षीय योजना, वार्षिक योजना 1974-75 एवं 1975-76 के लिये प्रस्तावित परिव्यय एवं वर्ष 1974-75 के वास्तविक व्यय की सूचना निम्न प्रकार है:-

(लाख रुपये में)

कार्यक्रम	पांचवी योजना परिव्यय			1974-75 का परिव्यय		
	राज्य आयोजनागत	केन्द्रद्वारा पोनिधानित	योग	राज्य आयोजनागत	केन्द्रद्वारा पोनिधानित	योग
1	2	3	4	5	6	7
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	17-81	77-24	95-05	2-32	19-52	21-84

व्यय			1975-76 का प्रक्षेपण		
राज्य आयोजनागत	केन्द्र द्वारा पुनर्निधानित	योग	राज्य आयोजनागत	केन्द्र द्वारा पुनर्निधानित	योग
9	9	10	11	12	13
1-12	16-57	17-69	3-25	19-09	22-34

5. 22. 8 भौतिक सामग्री एवं प्रशक्ति की आवश्यकता :-

एक प्राविधिक अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण किये जाने के पश्चात् ही इस मद की सूचना दी जा सकती है ।

5. 22. 9 - राज्य सरकार के विचाराधीन प्रश्न एवं सुझाव :-

जौनसार बावर क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा की सफलता के लिये व्यवहार्यता आवश्यक है। यहाँ की जीवन व्यापन सम्बन्धी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये सुदूर भविष्य तक ऐलोपैथिक पद्धति के चिकित्साधिकारी नहीं टिक सकेंगे। इसलिये इस क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था इन्टीग्रेटेड होनी चाहिये ।

इस क्षेत्र में जो कुछ भी भवन उपलब्ध है वे सब स्थानीय पहाड़ी ढंग के छोटे - छोटे है जो चिकित्सालय खोले जाने की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पावेंगे। अतएव ग्राम्य में किराये के अथवा दान स्वरूप प्रदत्त भवनों में चिकित्सालय खोलकर शुभारंभ करने की बात अव्यवहारिक है ।

जिला चिकित्सालय में 300 शैय्याओं के बढ़ाये जाने की तुरन्त आवश्यकता है।

प्राईवेट वार्ड यहाँ की आवश्यकताओं के लिये बिलकुल अपर्याप्त है इसलिये 10 प्राईवेट वार्ड बढ़ाये जाने की जरूरत है ।

जनपद में चल रहे ऐसे अशासकीय चिकित्सालय जिनका कार्य सही ढंग से नहीं चल रहा, प्रान्तीय करण किया जाना वांछित है ।

-: अध्याय ५.२३ - पौष्टिक आहार :-

५.२३.१ - प्रस्तावना :- राष्ट्रीय योजना में इस बात का प्राविधान है कि अपोषाण की समस्या को जड़ से उखाड फेकने के लिये गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा समाज के निर्बल वर्गों के प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों की विशेष देखभाल करना आवश्यक होगा। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा निर्बल वर्गों के प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों को पौष्टिक आहार देने की समस्या इस प्रदेश और इस पहाडी सम्भाग में इसलिये और भी अधिक गम्भीर है क्योंकि यह प्रदेश तथा यह सम्भाग आर्थिक रूप से विशेष रूप से पिछड़ा हुआ है।

पौष्टिक आहार की उपलब्धता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष १९६० में जहां प्रति व्यक्ति प्रति दिन न्यूनतम पौष्टिक आहार की न्यूनतम आवश्यकता २३७० केलोरी तथा ६६.६ ग्राम प्रोटीन (१० ग्राम पशु प्रोटीन सम्मिलित करते हुये) थी वहां जो आहार वास्तव में उपलब्ध था उसमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ४०० केलोरी तथा १४.५ ग्राम प्रोटीन की कमी थी। जनसंख्या में वृद्धि के कारण इस कमी में और बृद्धि हो रही है।

योजना आयोग ने प्रदेश की पांचवीं योजना में पुष्टाहार कार्यक्रम के लिये २०.२० करोड रू० का परिव्यय इंगित किया है। यह कुल परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय किया जायेगा। जनपद में इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शिक्षा एवं सामुदायिक विकास विभाग द्वारा किया जायेगा। सामुदायिक विकास विभाग को इन कार्यक्रमों के चलाने का पूर्व अनुभव है इसके पास संगठनात्मक ढांचा भी है। इस लिये यह विभाग पोषाहार कार्यक्रम के संबंध में समन्वय का कार्य करेगा।

स्वीकृत सेवायें उपलब्ध कराने के लिये निर्धारित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन एवं मातृ एवं शिशु कल्याण सम्बन्धि सेवायें उपलब्ध कराई जाती है। पांचवी पंच वर्षीय योजना में इस जनपद में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उन्नयन तथा एक उप-केन्द्र की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित है परन्तु योजना के प्रथम दो वर्षों में आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पाई है।

परिवार नियोजन :- पंचम आयोजना के लिये 11,897 वंध्याकरण तथा 10,192 लूप निवेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 1974-75 में 800 वन्ध्याकरण तथा 834 लूप निवेशन की उपलब्धि हुई। वर्ष 1974-75 से चिकित्सीय गर्भ समापन योजना पर विशेष बल दिया गया है। तथा खाने वाली गर्भ निरोधक गोली का प्रचार एवं प्रयोग को सामान्य कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। वर्ष 1975-76 के लिये निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये है :-

वन्ध्याकरण	- 1900
लूप निवेशन	- 3,164
परम्परागत गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता	- 3,604
खाने वाली गोली के प्रयोगकर्ता	- 360

5.22.7 योजना के संसाधनों का विवरण :-

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मद वार परिव्यय नहीं दिया गया है। पांचवी पंच वर्षीय योजना, वार्षिक योजना 1974-75 एवं 1975-76 के लिये प्रस्तावित परिव्यय एवं वर्ष 1974-75 के वास्तविक व्यय की सूचना निम्न प्रकार है:-

(लाख रुपये में)

कार्यक्रम	पांचवी योजना परिव्यय			1974-75 का परिव्यय		
	राज्य आयोजनागत	केन्द्र द्वारा प्रायोजित	योग	राज्य आयोजनागत	केन्द्र द्वारा प्रायोजित	योग
1	2	3	4	5	6	7
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	17-81	77-24	95-05	2-32	19-52	21-84

:अध्याय ५.२३ - पौष्टिक आहार :-

५.२३.१ - प्रस्तावना :- राष्ट्रीय योजना में इस बात का प्राविधान है कि अपोषाण की समस्या को जड़ से उखाड फेंकने के लिये गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा समाज के निर्बल वर्गों के प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों की विशेष देखभाल करना आवश्यक होगा। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा निर्बल वर्गों के प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों को पौष्टिक आहार देने की समस्या इस प्रदेश और इस पहाडी सम्भाग में इसलिये और भी अधिक गम्भीर है क्योंकि यह प्रदेश तथा यह सम्भाग आर्थिक रूप से विशेष रूप से पिछड़ा हुआ है।

पौष्टिक आहार की उपलब्धता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष १९६० में जहां प्रति व्यक्ति प्रति दिन न्यूनतम पौष्टिक आहार की न्यूनतम आवश्यकता २३७० केलोरी तथा ६६.६ ग्राम प्रोटीन (१० ग्राम पशु प्रोटीन सम्मिलित करते हुये) थी वहां जो आहार वास्तव में उपलब्ध था उसमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ४०० केलोरी तथा १४.५ ग्राम प्रोटीन की कमी थी। जनसंख्या में वृद्धि के कारण इस कमी में और बढ़ोत्तरी हो रही है।

योजना आयोग ने प्रदेश की पांचवीं योजना में पुष्टाहार कार्यक्रम के लिये २०.२० करोड रु० का परिव्यय इंगित किया है। यह कुल परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय किया जायेगा। जनपद में इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शिक्षा एवं सामुदायिक विकास विभाग द्वारा किया जायेगा। सामुदायिक विकास विभाग को इन कार्यक्रमों के चलाने का पूर्व अनुभव है इसके पास संगठनात्मक ढ़ांचा भी है। इस लिये यह विभाग पोषाण कार्यक्रम के संबंध में समन्वय का कार्य करेगा।

५.२३.२ - वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :- जनपद के विकास खण्ड डोईवाला तथा कालसी में पौष्टिक आहार योजना अपने पांच वर्ष पूरे करने के पश्चात विकास खण्ड चकराता तथा सहसपुर में चल रही है। कार्यक्रमान्तर्गत स्कूल वाटिकाओं का निर्माण, कुक्कुटशालाओं की स्थापना तथा प्रशिक्षण आदि का कार्य संतोषजनक रूप से किया गया है।

५.२३.३ - चालू विकास कार्यक्रमों की समालोचनात्मक समीक्षा :-

विकास क्षेत्रों में पुष्टाहार योजना की समाप्ति के पश्चात कर्मचारियों के अभाव में उचित फालोअप नहीं हो पाता और इस प्रकार योजनावधि में किया गया व्यय इच्छित लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाता। पहाडी क्षेत्रों में आवागमन तथा अन्य सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण यह कार्यक्रम जिन केन्द्रों पर चलाये गये हैं वहां वह एक समिति दायरे में ही कार्य कर सके हैं। मैदानी क्षेत्रों की भांति वह दूसरे क्षेत्रों अथवा केन्द्रों के लिये प्रेरणा अथवा प्रचार के श्रोत नहीं बन सके हैं।

५.२३.४ - दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष्य :- पुष्टाहार कार्यक्रम की कोई दीर्घ कालीन योजना नहीं बनाई गई है।

५.२३.५ - विकास की भावी नीति :- वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण ०-६ वर्ष तथा ६-११ वर्ष की आयु समूहों के समस्त बच्चों को पोषाण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाना सम्भव नहीं है। इस कारण से इस सुविधा को समाज के निर्बल वर्ग के बच्चों को उपलब्ध कराने पर अधिक बल दिया जायेगा। बच्चों के अतिरिक्त गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को भी पौष्टिक आहार देने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रारम्भिक स्कूलों के बच्चों के लिये मध्यान्ह आहार (बालाहार) की योजना भी कार्यान्वित की जायेगी। साथ ही

क्रमशः--

साथ गर्भिती व धात्री माताओं के लिये पूरक आहार का वितरण भी किया जाना प्रस्तावित है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस बात पर बल दिया जायेगा कि प्रोटीन आहारों जैसे दालों, सोयाबीन, दूध तथा दूध के उत्पाद्य, अण्डे, मछली, तथा तिलहनों का अधिक से अधिक उत्पादन और आहार में इनका प्रयोग किया जाय।

५.२३.६ - विकास कार्यक्रम प्राथमिकता सहित :- व्यवहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद की पंचवीं योजना में लिये प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	मद	इकाई	३१-३-७४ तक की स्थिति.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य.	वर्ष ७४-७५ की उपलब्धियां	वर्ष ७५-७६ का लक्ष्य.
१	२	३	४	५	६	७
	व्यावहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम :					
१.	स्कूल वाटिकाओं की स्थापना तथा रखरखाव	संख्या	३८	१२	४	-
२.	सहयोगी संगठनों द्वारा चलाई जाने वली.					
	(क) संस्थागत कुक्कुट इकाई	,,	१७	४	२	-
	(ख) व्यक्तिगत सदस्यों की कुक्कुट इकाई.	,,	२०४	१७२	३८	-
३.	सहयोगी संगठनों जिनको साज सज्जा देना है।	,,	३२	१०	५	-
४.	सरकारी तथा गैर सरकारी व्यक्तियों को पुष्टिकता में प्रशिक्षण.	,,	५३५	२००	११६	-

५.२३.७ - योजना के संसाधनों का विवरण :- जनपद की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पौष्टिक आहार के लिये निम्नलिखित परिव्यय प्रस्तावित है :-

(१९७४-७९) (हजार रू० में) (१९७४-७५)

कार्यक्रम	-:पांचवीं योजना परिव्यय:- राज्य आयोजनागत	संस्थागत	केन्द्र द्वारा पुरानिधानित.	केन्द्रीय सेक्टर.	योग	-:परिव्यय:- (१९७४-७५) राज्य आयोजनागत	संस्थागत.	केन्द्र द्वारा पुरानिधानित.	केन्द्रीय सेक्टर.	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१- सामुदायिक विकास विभाग के कार्यक्रम.	४,०४	८	६८	-	४,८०	५०	६	६०	०.४	११[illegible]
२- शिक्षा विभाग के कार्यक्रम.	१५०,०० (+)	-	-	-	१,५०,००	९,५०	-	-	-	
योग:-	१५४,०४	८	६८	-	१,५४,८०	१०,००	६	६०	०.४	११[illegible]

क्रमशः---

कार्यक्रम	-: व्यय :- राज्य आयोजनागत	संस्थागत.	केन्द्र द्वारा पुरानिधानित	केन्द्रीय सेक्टर.	योग	-:-१९७५-७६ का परिव्यय -:- राज्य आयोजनागत.	संस्थागत.	केन्द्र द्वारा पुरानिधानित.	केन्द्रीय सेक्टर.	योग
	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२[illegible]
१- सामुदायिक विकास विभाग के कार्यक्रम	५०	६	६०	०.४	११६.४	-	१,७५	-	-	१,[illegible]
२- शिक्षा विभाग के कार्यक्रम.	९,३२	-	-	-	९,३२	८,५०	-	-	-	८[illegible]
योग:-	९,८२	६	६०	०.४	१०,४८.४	८,५०	१,७५	-	-	१[illegible]

(+)देहरादून एवं नैनीताल का सम्मिलित ।

५.२३.८ - भौतिक सामग्री एवं श्रमशक्ति की आवश्यकता :-

पौष्टिक आहार कार्यक्रमों में स्थानीय सामग्री एवं श्रमशक्ति का ही उपयोग किया जायेगा।

५.२३.९ - राज्य सरकार के विचाराधीन प्रश्न एवं सुझाव :-

योजना कार्यक्रम में अच्छे स्टाफ को निरंतर बनाये रखना आवश्यक है क्योंकि योजना की समाप्ति के पश्चात् स्टाफ के अभाव में कार्यक्रम का फालोअप नहीं हो पाता। विकास योजना हेतु इस योजना को अधिक से अधिक स्थानों पर चलाया जाना आवश्यक है। तभी इसके महत्व की जानकारी ग्रामीण जनता को हो सकती है और वह इसका लाभ उठा सकती है।

अध्याय 5. 24 जल सम्पूर्ति एवं स्वच्छता

5. 24. 1 प्रस्तावना :- पर्याप्त मात्रा में शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल की सम्पूर्ति जल निकासी, नदियों के पानी को प्रदोषित होने से बचाने की व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है। ये कार्यक्रम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सुविधा प्रदान करने के साथ साथ अनेक महामारियों की रोकथाम भी करते है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल सुविधा का काफी अभाव है। पर्वतीय क्षेत्र में विशेष रूप से स्थिति काफी गम्भीर है। भौगोलिक स्थिति की जटिलता के कारण इस क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में इस सुविधा का पर्याप्त विस्तार नहीं हुआ है ।

5. 24. 2 - वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन :- जनपद देहरादून में कुल 767 आबाद ग्राम है जिनकी जनसंख्या 3.06 लाख है। चतुर्थ योजना के प्रारम्भ में 125 ग्रामों की 65 हजार जनसंख्या को तथा चतुर्थ योजना के अन्त तक 287 ग्रामों की 1.05 लाख जनसंख्या को पाईप द्वारा पेयजल की सुविधा प्रदान की जा चुकी थी ।

जनपद में कुल 9 नगरीय क्षेत्र है जिनकी 1971 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 2.72 लाख है। इनमें से चतुर्थ योजना के प्रारम्भ तथा अन्त तक 6 नगरों की 2.23 लाख जनसंख्या को पेयजल की सुविधा प्राप्त थी ।

चतुर्थ योजना के प्रारम्भ में जनपद के दो नगरों की 1.04 लाख जनसंख्या को जल निस्तारण की सुविधा प्राप्त थी। चतुर्थ योजना के अन्त तक यह सुविधा जनपद के तीन नगरों (देहरादून, मंसूरी एवं ऋषिकेश) की 2.02 लाख जनसंख्या को प्राप्त हो चुकी थी ।

5. 24. 3- चालू विकास कार्यक्रमों की समालोचनात्मक समीक्षा :-

जनपद देहरादून पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ सभी जगह पानी भूमि तल से 50-60 फीट से अधिक की गहराई पर ही उपलब्ध हो पाता है। पानी की गहराई अधिक होने के कारण सम्पूर्ण जनपद में पेयजल योजनाएं चालू नहीं की जा सकी है । जहाँ पेयजल योजनायें चालू नहीं की गई है वहाँ गर्मी के दिनों में पेयजल की कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है ।।

जनपद के मैदानी क्षेत्रों में विकास खण्डो द्वारा कुओं व हैण्ड पम्पों का निर्माण किया जाता है। जिले में हैण्ड पम्प लगाने का कोई औचित्य नहीं है। जिन क्षेत्रों में अभी पेयजल की व्यवस्था नही है उनमें स्रोतों से पानी लेकर या नलकूप द्वारा जल सम्पूर्ति योजनायें बनाने से समस्या का हल किया जा सकता है।

कुछ योजनाओं का रखरखाव स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग (जो अब उत्तर प्रदेश जल निगम में परिवर्तित हो गया है) द्वारा एवं कुछ का ग्राम सभाओं द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण जनता से जलकर वसूल करने व अशिक्षित जनता द्वारा योजना में तोड़फोड़ किये जाने के कारण अत्यन्त कठिनाई अनुभव की जाती है।

घरों में व्यक्तिगत कनेक्शन देने के पूर्ण प्रयास किये जा रहे है परन्तु ग्रामीण जनता इसके प्रति पूर्ण उत्सुकता नही दिखा रही। कुछ क्षेत्रों में ग्रामीण जनता गरीब होने के कारण व्यक्तिगत कनेक्शन लेने में समर्थ नही है जिसके कारण भी व्यक्तिगत कनेक्शनों के पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पा रही।

5. 24. 4 :- दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष :- विकास क्षेत्रों द्वारा जो पेय जल योजनायें पूर्व में निर्मित की गई थी उनमें अधिकतम रखरखाव ठीक प्रकार से न होने के कारण वह सचारू रूप से नही चल रहीहै। कुछ योजनाओं में बाढ़ इत्यादि के कारण भी प्रायः टूट फूट होती रहती है। अतः इन पेयजल योजनाओं को पुनर्गठित किया जाना आवश्यक है। समय के साथ जनसंख्या व क्षेत्रफल बढ जाने के कारण भी योजनाओं का पुनर्गठन किया जाना आवश्यक होता है। धन के अभाव में केवल पांच ग्रामों की योजनाओं को पांचवी योजना में पुनर्गठित करने हेतु प्रस्ताव बनाये गये है। अवशेष ग्रामों की पेयजल योजनाओं को षष्टम एवं सप्तम योजनाओं में पुनर्गठित किया जायेगा।

पांचवी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक जितने ग्राम जनपद में पेयजल योजना से वंचित रह जायेंगे उन्हें षष्टम पंच वर्षीय योजना में पेयजल प्रदान करना प्रस्तावित है।

5. 24. 5 :- विकास की सार नीति :- 1- पांचवी पंच वर्षीय योजना में पर्यटन विकास पर काफी बल दिया जा रहा है। बहुत से ऐसे स्थलों में जो पर्यटन हेतु विकसित किये जाने है पीने के स्वच्छ पानी की अत्याधिक कमी है।

ऐसे स्थानों पर पेयजल सुविधा प्रदान की जायेगी ।

2- पेयजल कार्यक्रमों को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के साथ सम्बन्द्ध किया जायेगा। जिन अभावग्रस्त ग्रामों को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जायेगा उनमें साथ ही साथ पेयजल सुविधा भी प्रदान की जायेगी ।

3- ऐसे सभी अभावग्रस्त ग्रामों में जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र तथा शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध है पेयजल कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर चलाये जायेंगे। इससे क्षेत्र का समन्वित विकास सम्भव होगा ।

4- विकास क्षेत्रों द्वारा जो पेयजल योजनायें बनाई गई है उनके पुनर्गठन विस्तार एवं मरम्मत के लिये शीघ्र प्राविधान किया गया है ।

5- हरिजन तथा पिछडे वर्गो के लिये पेयजल सुविधा प्रदान किये जाने के लिये विशेष रूप से कार्यक्रम चलाये जायेंगे ।

ऐसी आशा की जाती है कि पांचवी योजना के अन्त तक [illegible]

5. 24. 6 योजना कार्यक्रम प्राथमिकता सहित :-

<u>नगरीय जल सम्पूर्ति</u> - इस योजना के अन्तर्गत पांचवी पंच वर्षीय योजनावधि में जनपद के दो नगरों में जल सम्पूर्ति की व्यवस्था की जायेगीजिससे लगभग 10,000 जन संख्या लाभान्वित हो सकेगी ।

<u>नगर जल निस्तारण</u> :- इस योजना के अन्तर्गत जनपद की पांचवी पंच वर्षीय योजना के लिये कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित नही है ।

<u>ग्रामीण जल सम्पूर्ति</u> :- इस योजना के अन्तर्गतपांचवी योजनावधि में जनपद के 100 ग्रामों में लगभग 65,000 जनसंख्या को पाईप द्वारा पेयजल की सुविधा प्रदान की जानी प्रस्तावित है। इनमें से 50 ग्रामों की 29,000 जनसंख्या को यह सुविधा वर्ष 1974-75 मेंउपलब्ध करा दी गई थी और वर्ष 1975-76 में 20 अन्य ग्रामों की 19,000 जन संख्या को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य निर्धारित किये गये है ।

<u>हैण्ड पम्प तथा कुयें</u> :- उपरोक्त के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कुयें तथा हैण्ड पम्प द्वारा भी पेयजल की व्यवस्था सामुदायिक विकास विभाग द्वारा की जा रही है। यह कार्यक्रम विशेष कर हरिजन बस्तियों वाले ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है ।

5. 24. 7 योजना के संसाधनों का विवरण :-

उत्तर प्रदेश जल निगम की जल/सम्पूर्ति की जिला स्तरीय पांचवी पंच वर्षीय योजना हेतु 430-23 लाख रुपया का परिव्यय निर्धारित किया गया है। जिसमें से 313-96 लाख रुपये राज्य आयोजनागत स्त्रोत से तथा 116-27 लाख रुपयें संस्थागत स्त्रोत से प्राप्त होगा ।

वर्ष 1974-75 के लिये 35-34 लाख रुपये का कुल परिव्यय निर्धारित था जो धन का धन राज्यआयोजनागत स्रोत से प्राप्त किया जाना था। इसके सापेक्ष वास्तविक व्यय 14-74 लाख रुपये का था ।

वर्ष 1975-76 के लिये कुल 73-15 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है जिसमें से 37-50 लाख रुपये राज्य आयोजनागत स्रोत एवं 35-65 लाख रुपये संस्थागत स्त्रोत से प्राप्त होना प्रस्तावित है ।

सामुदायिक विकास विभाग की जल सम्पूर्ति की जिला स्तरीय पांचवी पंच वर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित परिव्यय की सूचना उपलब्ध नहीं है परन्तु वर्ष 1974-75 के लिये राज्य आयोजनागत पक्ष से 15,000 रुपये का परिव्यय प्रस्तावित था और उतना ही व्यय हुआ था। इस विभाग की वर्ष 1975-76 की योजना हेतु राज्य आयोजनागत पक्ष से 10,000 रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

5. 24. 8 भौतिक सामग्री एवं श्रम शक्ति की आवश्यकता :- पंच वर्षीय योजना में सीमेन्ट, स्टील, जी0आई0 पाईप आदि जितनी मात्रा में खर्च होने का अनुमान है उसकी मात्रा का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

क्रम संख्या	विवरण	योग
1-	सी0आई0 पाईप	300 मी0टन
2-	सी0आई0 स्पेशल	60 मी0टन
3-	जी0 आई0 पाईप	300 मी0टन
4-	जी0 आई0 स्पेशल	75 मी0टन
5-	वाल्व व फिटिंग	40 मी0टन
6-	सीमेन्ट	1,000मी0टन
7-	लोहा	20 मी0ट0

उपरोक्त योजनाओं पर 6.40 लाख मानव दिवस कार्य किया जायेगा सके0गा।

5.24.9 राज्य सरकार के विचाराधीन प्रश्न एवं उनका सुझाव :-

1- पेयजल योजनाओं के सुचारु रूप से निर्माण के लिये यह आवश्यक है कि जलस्रोतों जो योजना बनाने के लिये उपयुक्त है उन पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिये। अभी तक जल स्रोतों पर नीजि अधिकार पहाडी क्षेत्रों में काफी तौर पर रहा है जो कि पेयजल योजनाओं के निर्माण के लिये बाधा बन चुका है। अतः इसमें सुधार आवश्यक है ।

2- कुछ जल स्रोत वन विभाग की सीमा के अन्दर आते है। अतः योजना निर्माण के पूर्व वन विभाग की अनुमति लेनी पडती है जिसको प्राप्त करने में कई वर्ष लग जाते है । अतः इस नियम में भी संशोधन होना चाहिये ।

3- योजनाओं के निर्माण हेतु नलों एवं सीमेन्ट का प्रबन्ध प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिये ।

4- क्षेत्रों में आने जाने के साधन ठीक न होने के कारण कार्यों के निरीक्षण हेतु एवं सामान पहुँचाने हेतु जीप व ट्रक का प्रबन्ध होना चाहिये ।

5- क्षेत्रों में आने जाने के लिये सडकों का निर्माण भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिये , ताकि योजनाओं के लिये सामान इत्यादि आसानी से पहुंचाया जा सके ।

-:अध्याय ५.२५ आवास एवं नगरीय विकास :-

<u>५.२५.१ - प्रस्तावना</u> :- वर्ष १९७१ की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या ५,७७,३०६ है। जनपद की ४७.१ प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास करती है तथा अवशेष ग्रामीण क्षेत्र में। पिछले कुछ वर्षों से जनपद में अनेकों कार्यालयों के खुल जाने से जनपद के नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या में विशेष रूप से बढ़ोत्तरी हुई है तथा आवास की समस्या काफी गम्भीर और जटिल हो गई है। स्थानीय निकायों ने, जिनके द्वारा बहुधा आवासीय कार्यक्रम कार्यान्वित किये जाते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुये आवासों के निर्माण की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। इस जनपद में पर्यटकों के विशेष रूप से भारी संख्या में आने के कारण कई नगरों के विकास को काफी बढ़ावा मिला है परन्तु आवश्यकतानुसार अवासीय सुविधा में वृद्धि न होने के कारण नगरों एवं शहरों में मलिन बस्तियों का निकास एवं प्रसार होता जा रहा है।

उपरोक्त समस्या का हल निकालने हेतु वर्ष १९६६ में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद के अन्तर्गत जनपद के मुख्यालय पर स्थित खण्डीय कार्यालय द्वारा जनपद की अवासीय समस्या के हल हेतु अक्तूबर २,१९७० से मध्यम आय वर्ग, अल्प आय वर्ग तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्गों के लिये भवनों का निर्माण कार्य तथा भूखण्डों के विकास का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। देहरादून खण्ड का कार्यक्षेत्र निम्न नगरों में हैं :-

१- देहरादून २- ऋषिकेश ३- मसूरी ४- हरिद्वार.

<u>५.२५.२ वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन</u> :- देहरादून जिले के अन्तर्गत उपरोक्त ऊपरी तीन नगर खण्डीय कार्यालय के कार्य क्षेत्र में आते हैं। देहरादून नगर में परिषद द्वारा निम्न योजनायें प्रस्तावित की जा चुकी है :-

१- नेहरू नगर योजना संख्या-१

२- नेहरू नगर योजना संख्या-२

३- निरंजनपुर टी स्टेट भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना (इन्दिरा नगर) तीन चरणों में।

४- चकराता रोड, एवं गृह स्थान योजना.

५- हरबंश वाला टी स्टेट भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना.

६- राजपुर रोड, भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना.

परिषद द्वारा वर्ष १९७३-७४ तक दुर्बल आय वर्ग के १५८ आवास अल्प आय वर्ग के ११६ आवास तथा मध्यम आयवर्ग के १०६ आवास निर्मित किये जा चुके हैं। वर्ष १९७३-७४ तक ही १२६.०८ भूमि अध्याप्ति की जा चुकी थी और ४२.०६ हैक्टर भूमि में विकास कार्य किया गया था।

5.25.3 - चालू विकास योजनाओं की विचाराधीन समीक्षा :-

देहरादून नगर में सभी प्रस्तावित योजनाओं पर कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। ऋषिकेश नगर में जो योजनायें प्रस्तावित थीं और जिन पर किन्हीं कारणों वश कार्यवाही नहीं की जा सकी है उनका व्यौरा निम्न-लिखित है :-

१- इण्डियन केमीकल के पास की भूमि एवं गृह स्थान योजना,
२- देहरादून रोड की भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना,
३- भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या-३.

उपरोक्त तीन योजनाओं की परिषद के अधिनियम की धारा २८ के अन्तर्गत विज्ञाप्ति हो चुकी है। भूमि अध्याप्ति हेतु अभी अग्रिम कार्यवाही शेष है। मसूरी में प्रस्तावित योजना का चयन अभी विचाराधीन है।

५.२५.४ - दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष्य :- जनपद के नगर व क्षेत्रों में बढ़ती हुई जनसंख्या ने आवास समस्या को अधिक विषम बना दिया है जिसके लिये दीर्घ कालीन योजना बनाकर कार्य करने की अति आवश्यकता है। परिषद की योजना के अन्तर्गत निर्मित आवास जनपद की आवासीय समस्या के समाधान के मुख्य आधार हैं। परिषद द्वारा विकसित बस्तियों में आवश्यक सभी साधनों जैसे शिक्षा संबंधी, मनोरंजन संबंधी, बाजार एवं अस्पताल का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी आधुनिक व आवास सुविधायें जैसे पेयजल, जलोत्सारण नालियां, सड़क बिजली तथा पार्क आदि की भी सुविधायें उपलब्ध होंगी।

५.२५.५ - विकास की समर नीति :- परिषद के अभियंत्रण संगठन की आवास संबंधी समरनीति निम्न प्रकार से है :-

क्रमशः-

(1) आवासीय योजनाओं के लिये उपयुक्त स्थानों का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संबंधी कार्य करना ।

(२) योजना में आवास तथा परिषद अधिनियम के अधीन भूमि अध्याप्ति संबंधी कार्य करना; जिसके अन्तर्गत तहसील तथा नगर पालिकाओं के अभिलेखों से सूचना एकत्र करना, भूमि अध्याप्ति करने की नोटिस जारी करना, आपत्तियों की सुनवाई करना, भूमि अध्याप्ति हेतु नक्शा तैयार करना तथा पहली विज्ञाप्ति के समय भूमि की तत्कालिक परिस्थितियों का सर्वेक्षण आदि कार्य सम्मिलित है।

(३) भूमि की अभियांत्रिक सर्वेक्षण करना, ले आउट प्लान बनाना तथा जल सम्पूर्ती, जल निकास, सड़क, बिजली, नालियां, वृक्षारोपण आदि विकास कार्यों के डिजाइन एवं प्राक्कलन बनाना ।

(४) विभिन्न प्रकार के भवनों का पूर्ण नियोजन, डिजाइन और प्राक्कलन संबंधी कार्य।

(५) जल सम्पूर्ती, जल निकास, बिजली, सड़क आदि विकास कार्यों को कार्यान्वित करना।

(६) विभिन्न प्रकार के भवनों का निर्माण ।

(७) पंजीकरण योजना के द्वारा भवनों की मांग का पूर्वानुमान करना ।

(८) योजना के पूर्ण हो जाने के पश्चात मकानों तथा विकसित भूखण्डों का मूल्यांकन करना, योजना संबंधी सभी योजनाओं का समावेश करके पुस्तिका तैयार करना, आवंटन तिथि निश्चित करना तथा उसे कार्यान्वित करना, क्रेताओं से धनराशि समय पर वसूल करना तथा उनका लेखा रखना आदि।

योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु सबसे पहला कदम भूमि अर्जन का होता है। यह अनुभव किया गया है कि नोटिस विज्ञाप्ति के पश्चात परिषद के अधिनियम के अनुसार भूमि अध्याप्ति के पश्चात परिषद् के अधिनियम के अनुसार भूमि अध्याप्ति करनेमें कई वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि भूमि अर्जन की कार्यवाही इतनी विषम है कि भूमि अध्याप्ति करते करते काफी समय लग जाता है। इसके अतिरिक्त जिसकी भूमि योजना के के अन्तर्गत आ जाती है वह अपनी भूमि योजना के अलग करने के लिये हर सम्भव प्रयास करता है। इस तरह जब तक भूमि अध्याप्ति नहीं हो जाती

तब उसके लिये निरंतर भाग दौड करनी पडती है। बहुधा जब तक मुआवजा देकर भूमि को अध्याप्ति नहीं कर लिया जाता तब तक योजनाओं के प्रोदक-लन बनाने हेतू सर्वेक्षण कार्य भी आरम्भ करना कठिन होता है। अतः राज्य सरकार को भूमि अध्याप्ति हेतु सरल नियम बनाने चाहिये जिससे कम से कम समय में भूमि अध्याप्ति कार्य हो सके।

परिषाद की योजनाओं में प्रस्तावित अल्प आय वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग के लोगों के लिये बनाये जाने वाले अधिकांश भवन किराये पर बेचे जावेंगे जिनकी लागत का अधिकांश भाग पच्चीस वर्षों की आसान किश्तों में वसूल किया जावेगा।

५.२५.६ - विकास कार्यक्रम तर्क संगत एवं प्राथमिकता सहित :-

पांचवीं पंच वर्षीय योजना में भूमि अर्जन कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न नगरों की योजना ली गई है :-

१- नेहरू नगर योजना संख्या एक, देहरादून.

२- नेहरू नगर योजना संख्या दो, देहरादून.

३. निरंजनपुर भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना (इन्द्रानगर) दे०

४. स्टर्डिया केमिकल के पास की भूमि, विकास एवं गृह स्थान योजना, कृष्णिकेश, देहरादून.

५. राजपुर रोड गृह निर्माण योजना, देहरादून.

६. भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, कृष्णिकेश, देहरादून.

७. देहरादून रोड की भूमि विकास एवं गृह निर्माण योजना, कृष्णिकेश, देहरादून.

८:- गृह निर्माण योजना, मसूरी ।

आवास एवं विकास परिषाद द्वारा जनपद में निम्न कार्यों को किये जाने की योजना है।

१. भूमि अर्जन

२. भूमि विकास

३. मध्यम् आय के वर्ग के लिये भवन निर्माण

४. अल्प आय के वर्ग के लिये, भवन निर्माण

५. आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के लिये भवन निर्माण,

आवास एवं विकास कार्यक्रमों के पांचवीं पंच वर्षीय योजनालक्ष्य, वार्षिक योजना १९७४-७५ की उपलब्धियां एवं वार्षिक योजना १९७५-७६ के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :-

क्रमांक	मद	पांचवीं पंच वर्षीय योजना के लक्ष्य	वर्ष १९७४-७५ की उपलब्धियां	वर्ष १९७५-७६ के लक्ष्य
भूमि अध्याप्ति एवं विकास योजना :-				
१.	अध्याप्ति भूमि (हैक्टेयर)	८३.७७	-	१३.३५
२.	विकसित भूमि ,,	४८.९७	-	१३.३५
आवास गृहों का निर्माण				
१.	दुर्बल आय वर्ग संख्या	३७९	-	२७०
२.	अल्प आय वर्ग ,,	१२९	-	७८
३.	मध्यम आय वर्ग ,,	५४	-	२३

५.२५.७ योजना के संसाधनों का विवरण :- संसाधनों के विवरण निम्न तालिकानुसार हैं :-

(लाख रू० में)

कार्यक्रम	पांचवी योजना परिव्यय			१९७४-७५ परिव्यय		
	राज्य आयोजनागत	संस्थागत	योग	राज्य आयोजनागत	संस्थागत	योग
१	२	३	४	५	६	७
देहरादून	३०.६५	७२.०९८	९२.७४८	-	१३.३२	१३.३२
ऋषिकेश	-	४२.७५९	४२.७५९	-	-	-
योग	३०.६५	१०४.८५७	१३५.५०७	-	१३.३२	१३.३२

क्रमशः-

१९७४ - ७५ व्यय			१९७५-७६ का परिव्यय		
राज्य क्षेत्रगत	संस्थागत	योग	राज्य क्षेत्रगत	संस्थागत	योग
८	९	१०	११	१२	१३
-	२६.९८	२६.९८	-	३१.०२	३१.०२
-	--	-	--	२०.४५१	२०.४५१
योग :-	२६.९८	२६.९८	-	५१.४७१	५१.४७१

५.२५.८ - भौतिक सामग्री एवं श्रम शक्ति की आवश्यकता :-

भवन निर्माण की कुल लागत का ६०-६५ प्रतिशत तक तथा विकास कार्यों की कुल लागत का ४०-४५ प्रतिशत तक निर्माण सामग्रियों में व्यय होता है। आवश्यक निर्माण सामग्री जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रयोग में आयेगी उनका विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है :-

(मूल्य लाख रू० में)

सीमेन्ट		स्टील		ईंट		सी०आई०पाइप	
मात्रा (म०टन)	लागत	मात्रा (म०टन)	लागत	मात्रा लाख	लागत	मात्रा (म०टन)	लागत
१	२	३	४	५	६	७	८
२०,०१०	५६.०५६	३,३३७	६६.७४०	५००	७५.०००	२७७	४.१५३

क्रमशः--

पी०वी०सी० पाइप		ए०सी० पाइप		आर०सी०सी०पाइप	
मात्रा म०टन	लागत	मात्रा म०टन	लागत	मात्रा म०टन	लागत
९	१०	११	१२	१३	१४
६७	६.३६५	५५७	११.१४०	१०४७	४.१८८

परिषद की अभियांत्रिक सेवा में आवश्यक व्यक्तियों के अतिरिक्त परोक्ष रूप से बहुत से कुशल व्यक्तियों एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री पूर्ति करने वाली संस्थाओं के द्वारा जीविका मिल सकेगी। अनुमान है कि इस प्रकार परोक्ष रूप से २५०० व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

५.२५.९ - राज्य सरकार के लिये विचाराधीन प्रश्न एवं सुझाव :-

परिषद का निर्माण कार्य मुख्यत: ऋण द्वारा प्राप्त धन से होता है। अत: किश्तों की राशि कम करने के लिये यह आवश्यक है कि परिषद जो ऋण ले वह कम से कम व्याज पर हो। इस दिशा में राज्य सरकार को कम से कम व्याज पर परिषद को धन उपलब्ध कराने में उदारतापूर्वक सहायता करनी चाहिये।

भवन निर्माण एवं विकास कार्यों की कुल लागत का पचास प्रतिशत से भी अधिक निर्माण सामग्रियों पर व्यय होता है। अत: यह आवश्यक है कि निर्माण सामग्रियां पर्याप्त मात्रा में उचित मूल्यों पर उपलब्ध हों। विभिन्न अभियंत्रण विभागों में तेजी से चल रहे विकास कार्यों के कारण निर्माण सामग्रियों में बहुत बडी कमी आ गई है। साथ ही साथ उनके मूल्यों में लगातार वृद्धि होती जा रही है और इस तरह भवन निर्माण की लागत भी लगातार बढ़ती जा रही है। अत: भवन निर्माण एवं विकास कार्यों के मूल्य में कमी लाने के लिये यह आवश्यक है कि निर्माण सामग्री बनाने वाले उद्योगों का भी समुचित विस्तार किया जाय।

अध्याय ५.२६ पिछड़ी जातियों का कल्याण एवं समाज कल्याण

५.२६.१ प्रस्तावना: पिछड़े वर्ग शब्द का तात्पर्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से है। इन वर्गों की दशा को सुधारने के लिये राज्य सरकार के पास एक विस्तृत कार्यक्रम है। इस प्रदेश में ६६ जातियां अनुसूचित जाति, ७० विमुक्त एवं अस्थिर वासी जाति तथा ३६ हिन्दू तथा २१ मुस्लिम जातियों को पिछड़ी जातियों में होने की मान्यता प्राप्त है। हरिजन सहायक विभाग द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की आबादी १.८५ लाख के लगभग है तथा १३ और जातियों को अनुसूचित जनजातियां घोषित किये जाने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है। इस प्रकार इनकी आबादी ६ लाख हो जाने का अनुमान है। देहरादून जनपद में जौनसार बावर का समस्त क्षेत्र, जो दो सामुदायिक विकास खण्डों में बंटा हुआ है, जनजाति का क्षेत्र कहा जाता है।

समाज के पददलित तथा अशक्त वर्गों की दशा में सुधार करने के लक्ष्य को ध्यान में रख कर समाज कल्याण की योजनायें प्रदेश में प्रथमबार १९५५ से प्रारम्भ की गई। समाज कल्याण की स्कीमें समाज के शारीरिक रूप से अशक्त, उपेक्षित, असहाय और कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करती है जिनमें महिलायें, बच्चे तथा शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से अविकसित लोग भी शामिल हैं।

५.२६.२ वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन: इस जनपद में अनुसूचित जातियों में मुख्त: चमार, जाटव, शिल्पकार, बाल्मीक, धोबी, डोम, पासी, कावल, खटिक, धनगर, मजहबी जातियां हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजातियों के अन्तर्गत इस जनपद में जौनसारी तथा बुक्सा जातियां निवास करती है। जौनसारी जाति चकराता तहसील के परगना जौनसार बावर में निवास करती है। इस क्षेत्र के बाजगी, डोम शिल्पकार एवं कोल्टा हरिजन भी अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति बोक्सा देहरादून तहसील के विकास

एण्ड डोईवाला एवं सहसपुर में मुख्यत: शिवालिक के निचले ढालों पर बसी हुई हैं। अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित कोल्टा, बाजगी, डोम एवं बोक्सा स्थानीय साहुकारों के ऋणी हैं। ऋण के दबाव में यह जातियां श्रम के रूप में कार्य करती हैं। उपरोक्त अनुसूचित जातियां मुख्यत: देहरादून तहसील में निवास करती हैं। शहरी क्षेत्रों को छोड़कर अनुसूचित जातियों के लोग मुख्यत: कृषक अथवा कृषक मजदूर हैं। कुछ जातियां अपने परम्परागत व्यवसाय में कार्यरत हैं। नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर जनपद की अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां लगभग अशिक्षित हैं। जनपद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का उपसम्भागवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :-

क्रमांक	पद	अनुसूचित जाति (संख्या)		अनुसूचित जन जाति (संख्या)		योग (संख्या)	
		ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय
१	२	३	४	५	६	७	८
१-	उप सम्भाग-१	३४,९३९	२५,८५४	५,२२५	३६४	४०,१६४	२६,२१८
२-	उप सम्भाग-२	६,१७८	३०८	५५,८८२	२०१	६२,०६०	५०९
	योग	४१,११७	२६,१६२	६१,१०७	५६५	१,०२,२२४	२६,७२७

उपरोक्त तालिका से विदित होगा कि इस जनपद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति की कुल संख्या १,२८,९५१ है जो जनपद की कुल जन संख्या का २२.३ प्रतिशत है। जहां तक उप सम्भाग २ का प्रश्न है वह इस अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति की जन संख्या इस सम्भाग की कुल जन संख्या का ७९.१ प्रतिशत है तथा जहां तक अनुसूचित जनजाति की जन संख्या का प्रश्न है वह इस सम्भाग की कुल जन संख्या का ७१ प्रतिशत है। इस प्रकार जनपद का उप सम्भाग २ विशेष रूप से पिछड़ा हुआ है और वहां के निवासी बहुत ही गरीब तथा पद दलित हैं।

उप सम्भाग २ के विकास के लिये दो विशेष जनजातीय वेलफेयर प्राजेक्ट कालसी तथा चकराता में स्थापित किये गये थे। यह प्रोजेक्ट वर्ष १९७४-७५ के अन्त तक कार्य करते रहे और इनके द्वारा

संचालित विभिन्न कार्य क्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	कार्य क्रम	वर्ष १९७१-७२ से १९७४-७५ तक	
		भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति	कुल व्यय (हजार रु० में)
१-	कृषि । बागवानी सुधार	८३१ व्यक्ति	४४५.१
२-	यातायात	१२२ ग्रामसभा	४२१.४
३-	लघु सिंचाई	९८ व्यक्ति	१२४.५
४-	भवन निर्माण	४९३ परिवार	६१८.८
५-	कुटीर उद्योग	६२९ व्यक्ति	२३५.२
६-	पशुपालन	१३१ व्यक्ति	१०२.६
७-	पेयजल योजना	५६ ग्रामसभा	२६८.०
८-	जनमिलन केन्द्र	२ ग्रामसभा	७.०
९-	पुनर्वास योजना	४३ परिवार	१५२.०
१०-	सामाजिक शिक्षा	६ ग्रामसभा	११.०
११-	खडंजा निर्माण	५६ ग्रामसभा	१३१.७

पिछड़ी जातियों के कल्याण शीर्षक के अन्तर्गत जनपद में प्रारम्भ की गयी कल्याणकारी स्कीमें तीन वर्गों के अन्तर्गत आती हैं :-

(१) शिक्षा (२) आर्थिक उत्थान एवं(३) स्वास्थ्य,गृह निर्माण तथा अन्य स्कीमें ।

शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये विभाग की ओर से शैक्षिक सुविधायें प्रदान की जा रही हैं जिनमें छात्रवृत्ति एवं फीस पूर्ति योजनायें सम्मिलित हैं । आर्थिक उत्थान के लिये कृषि एवं बागवानी तथा उद्योग हेतु अनुदान दिये जाते है । स्वास्थ्य , गृह निर्माण एवं अन्य स्कीमों के अन्तर्गत गृह निर्माण हेतु अनुदान एवं ऋण स्वीकृत किया जाता है ।

इस जनपद में महिलाओं और बालकों के कल्याण का कार्य करने वाली दो संस्थायें हैं। एक संस्था मानसिक रूप से मन्दित तथा विकलांग के कल्याण का कार्य करने वाली है। इसके अतिरिक्त एक अन्ध विद्यालय तथा एक मूकबधिर विद्यालय भी चल रहा है। सब संस्थायें समाज कल्याण विभाग से सहायता प्राप्त करती हैं। इनका प्रबन्ध स्वैच्छिक रूप से संस्थायें स्वयं करती हैं।

५.२६.३ चालू स्कीमों की समालोचनात्मक समीक्षा:- इस समय जो योजनायें हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही हैं उनका संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है :-

१- भवन निर्माण हेतु अनुदान

२- कृषि विकास एवं बागवानी हेतु अनुदान

३- पुनर्वासन् हेतु अनुदान

४- सहकारिता योजना

५- एकीकृत योजना द्वारा

(क) कृषि बागवानी

(ख) पशुपालन

(ग) अल्प सिंचाई

(घ) यातायात

(ङ) सामाजिक शिक्षा

६- पूर्व दशम कक्षा में छात्रवृत्ति

७- दशमोत्तर कक्षा में छात्रवृत्ति

८- पूर्व दशम कक्षा में निःशुल्क शिक्षा

९- विभाग द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं का प्रसार व सुधार

१०- छात्रावास की स्थापना

११- आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना

१२- पौष्टिक आहार

१३- अनुसूचित जाति। जन जाति निगमों की स्थापना जो आर्थिक विकास हेतु ऋण तथा अनुदान स्वीकृत करेगा।

१४- अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को कानूनी सहायतार्थ अनुदान

१५- अनुसूचित जाति । जन जाति के विधि स्नातकों एवं डाक्टरों को व्यवसाय चलाने हेतु सहायता

इसके अतिरिक्त स्वैच्छिक संगठनों को, बालकों एवं महिलाओं के कल्याणार्थ कार्य करने हेतु, अनुदान तथा निराश्रित विधवाओं को भरण-पोषण हेतु अनुदान समाज कल्याण विभाग द्वारा निदेशालय स्तर से दिया जाता है । जनपद में स्थित विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान केवल संस्था के कुल व्यय एवं आय के अन्तर अथवा कुल व्यय के आधे, जो दोनों में से कम हो, के आधार पर दिया जाता है ।

अब तक हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की ओर से जो भी योजनायें चलाई गयी हैं उनसे पिछड़ी जातियों के आर्थिक उत्थान एवं शैक्षिक विकास में पर्याप्त प्रभाव पड़ा है और यह जातियां अपने सामाजिक रहन सहन के स्तर को ऊंचा करने में किसी बिन्दु तक सफल रही हैं ।

५.२६.४ दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य:- पिछड़ी जाति के कल्याण के लिये बीसवीं योजना तक किये गये कार्य एवं पांचवी योजना में किये जाने वाले कार्यक्रमों के पश्चात् भी इस वर्ग के सर्वांगीड़ विकास के लिये ठोस दीर्घ कालीन योजना बनाना अति आवश्यक है । विभाग की आर्थिक उत्थान, स्वास्थ्य, गृह निर्माण, शिक्षा एवं सहकारिता की योजनायें छठी एवं सातवी योजना में भी लागू करनी आवश्यक होंगी ।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त दीर्घ कालीन योजना में ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय मांग के अनुरूप एवं वहां पर उपलब्ध कच्चे माल के उपयोग हेतु योजनायें प्रारम्भ की जायेंगी जिससे एक ओर स्थानीय जन जाति के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और दूसरी ओर कच्चे माल की खपत से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी । जौनसार बावर क्षेत्र में स्थानीय कच्चे माल पर आधारित निम्न उद्योग खोले जाने की सम्भावना है :

(१) सैलू उद्योग (२) जड़ी बूटी उद्योग (३) बांस उद्योग (४) रोजिन फैक्ट्री की स्थापना (५) कत्था फैक्ट्री की स्थापना।

५.२६.५ विकास की रणनीति:- हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़ी जातियों आदि के लिये अब तक जो योजनायें जिन जिन मदों में चलाई गयी हैं उनके चलाये जाने से पिछड़े वर्गों की जो समस्यायें हैं उनको केवल उपरोक्त विभाग द्वारा अकेले पूरा किया जाना सम्भव नहीं है । अतएव इस बात को ध्यान में रखते हुए पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में यह नीति अपनायी गयी है कि इन जातियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु शासन के विभिन्न विभाग जैसे सामुदायिक विकास विभाग, सेवा योजन एवं प्रशिक्षण विभाग, शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग योजनायें बनायें तथा अपने बजट का एक निश्चित प्रतिशत पिछड़ी जातियों के कल्याण एवं आर्थिक उत्थान हेतु प्रत्येक दशा में व्यय करें ।

५.२६.६ योजना कार्यक्रम प्राथमिकता सहित:- पिछड़ी जातियों के कल्याण कार्य क्रम के अन्तर्गत जनपद की पांचवी पंच वर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना १९७५-७६ में प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य एवं वर्ष १९७४-७५ की भौतिक उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं:-

कार्य क्रम	इकाई	पांचवी पंच वर्षीय योजना के लक्ष्य	वर्ष १९७४-७५ की उपलब्धि	वर्ष ७५-७६ के लक्ष्य
१	२	३	४	५
अनुसूचित जन जातियां				
कक्षा ९ व १० के छात्रों को छात्र वृति एवं अनावर्ति सहायता	संख्या	७०८	१२०	१०३
कक्षा ९ व १० के छात्रों को शुल्क की क्षति पूर्ति	,,	८५०	२००	८४
दशमोत्तर छात्र वृति	,,	६२५	१२०	१४०
प्राविधिक एवं पेशेवर (छात्र-वृत्ति)	,,	१००	२२	३०

१	२	३	४	५
मेडिकल इन्जीनियरिंग तथा तकनीकी छात्रों को अनावर्ती सहायता	संख्या	१०	–	–
पुनर्वास योजना	,,	१२८	१०	६
छात्रा वासों की स्थापना	,,	१	–	–
साक्षर पद्धति विद्यालयों की स्थापना	,,	३	३	–
कृषि विकास हेतु अनुदान	,,	६३५	२२०	१५०
कुटीर उद्योग हेतु अनुदान	,,	१७००	–	–
गृह निर्माण हेतु अनुदान	,,	५२०	२००	६०
अनुसूचित जातियां				
कक्षा ६ व १० में पढ़ने वाले छात्रों को छात्र-वृत्ति एवं अनावर्ती सहायता	,,	३६०	५१०	१४०
कक्षा ६ व १० में पढ़ने वाले छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा की क्षतिपूर्ति	,,	२५६	६२०	४०
मेडिकल इन्जी० तथा अन्य तकनीकी विषयों में पढ़ने वाले छात्रों को अनावर्ती सहायता	,,	१६	–	१५
विभागीय सहायता प्राप्त संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाचनालयों एवं विद्यालयों का प्रसार एवं सुधार	,,	२	२	४
दशमोत्तर छात्र वृत्ति	,,	१८००	३१०	३६०
कृषि विकास हेतु अनुदान	,,	६७	५	१०
कुटीर उद्योग अनुदान	,,	१०८	–	–
गृह निर्माण हेतु अनुदान	,,	६१	१२	१३
प्राविधिक एवं पेशवर कोर्स में छात्र वृत्ति	,,	५००	६३	१००

१	२	३	४	५
पिछड़ी जातियाँ :				
पूर्व दशम कक्षाओं को छात्र वृति एवं अनावर्ति सहायता	संख्या	२००	७७	६०
दशमोत्तर कक्षाओं में छात्र वृति	,,	-	६	-
विमुक्त जातियाँ				
पूर्व दशम कक्षाओं में छात्र वृत्ति एवं अनावर्ती सहायता	,,	-	१३	-

समाज कल्याण कार्य क्रमों के अन्तर्गत जनपद की योजना में कोई भौतिक लक्ष्य प्रस्तावित नहीं है। समाज कल्याण के विभिन्न कार्य क्रमों हेतु वित्तीय प्राविधान किया गया है तथा इसके विस्तृत विवरण अनुच्छेद ५.२६.७ में दिये गये हैं।

५.२६.७ योजना के संसाधनों का विवरण:- पिछड़ी जातियों के कल्याण कार्य क्रम के अन्तर्गत जनपद की पांचवी योजना, वर्ष १९७४-७५ एवं वर्ष १९७५-७६ की वार्षिक योजना के लिये प्रस्तावित परिव्यय एवं वर्ष १९७४-७५ के वास्तविक व्यय की सूचना निम्न प्रकार से है:-

कार्य क्रम	पांचवी योजना परिव्यय		
	राज्य आयोजनागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	योग
१	२	३	४
अनुसूचित जनजातियां			
कक्षा ९ व १० के छात्रों को छात्र वृति एवं अनावर्ती सहायता	१०६.२५	-	१०६.२५
कक्षा ९ व १० के छात्रों को शुल्क की प्रतिपूर्ति	८५.००	-	८५.००

१	२	३	४
मेडिकल इन्जीनि तथा तकनीकी के छात्रों को अनावर्ती सहायता	५.००	-	५.००
पुलवारी योजना	६४०.००	-	६४०.००
छात्रावासों की स्थापना	२६०.००	-	२६०.००
आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना	१५००.००	-	१५००.००
कृषि विकास हेतु अनुदान	४६७.५०	-	४६७.५०
कुटीर उद्योग हेतु अनुदान	८५०.००	-	८५०.००
गृह निर्माण हेतु अनुदान	८३२.००	-	८३२.००
दशोत्तर छात्र वृत्ति	-	-	-
योग	४७४५.००	-	४७४५.००

कार्यक्रम	१९७४-७५ परिव्यय		
	राज्य आयोजनागत	केन्द्र द्वारा पुरानिधानित	योग
	५	६	७
कक्षा ९ व १० के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता	४.७०	-	४.७०
कक्षा ९ व १० के छात्रों को शुल्क की प्रति पूर्ति	१.९०	-	१.९०
मेडिकल इन्जीनि तथा तकनीकी के छात्रों को अनावर्ती सहायता	१.००	-	१.००
पुलवारी योजना	१५.००	-	१५.००
छात्रावासों की स्थापना	२००.००	-	२००.००
आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना	१५०.००	-	१५०.००
कृषि विकास हेतु अनुदान	२०.५०	-	२०.५०
कुटीर उद्योग हेतु अनुदान	२५.००	-	२५.००
गृह निर्माण हेतु अनुदान	२४.४०	-	२४.४०
दशोत्तर छात्र वृत्ति	-	-	-
योग	४४२.५०	-	४४२.५०

कार्य क्रम	१९७४-७५ व्यय		
	राज्य का-योजनागत	केन्द्र द्वारा पुरानिधा-नित	योग
	८	९	१०
कक्षा ६ व १० के छात्रों को छात्रवृति एवं अनावर्ती सहायता	६०.००	-	६०.००
कक्षा ६ व १० के छात्रों को शुल्क की प्रतिपूर्ति	१०.००	-	१०.००
मेडिकल इन्जी० तथा तकनीकी के छात्रों को अनावर्ती सहायता	-	-	-
पुनर्वास योजना	५०.००	-	५०.००
छात्रावासों की स्थापना	-	-	-
आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना	१५०.००	-	१५०.००
कृषि विकास हेतु अनुदान	१२०.००	-	१२०.००
कुटीर उद्योग हेतु अनुदान	-	-	-
गृह निर्माण हेतु अनुदान	१७६.००	-	१७६.००
दशमोत्तर छात्र वृति	१०८.००	-	१०८.००
योग	६६४.००	-	६६४.००

कार्य क्रम	१९७५-७६ का परिव्यय		
	राज्य का-योजनागत	केन्द्र द्वारा पुरानिधा-नित	योग
	११	१२	१३
कक्षा ६ व १० के छात्रों को छात्र वृति एवं अनावर्ती सहायता	१५.३०	-	१५.३०
कक्षा ६ व १० के छात्रों को शुल्क की प्रति पूर्ति	८.४०	-	८.४०
मेडिकल इन्जी० तथा तकनीकी के छात्रों को अनावर्ती सहायता	-	-	-
पुनर्वास योजना	३०.००	-	३०.००

	११	१२	१३
छात्रावासों की स्थापना	–	–	–
आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना	३०५.००	–	३०५.००
कृषि विकास हेतु अनुदान	७५.००	–	७५.००
कुटीर उद्योग हेतु अनुदान	–	–	–
गृह निर्माण हेतु अनुदान	६७.००	–	६७.००
दशमोत्तर छात्र वृत्ति	–	–	–
योग	५३०.७०	–	५३०.७०

कार्यक्रम	पांचवी योजना परिव्यय		
	राज्य आयोजनागत	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	योग
१	२	३	४
अनुसूचित जातियां			
कक्षा ९ व १० में पढ़ने वाले छात्रों को छात्र वृत्ति एवं अनावर्ती सहायता	५४.००	–	५४.००
कक्षा ९ व १० में पढ़ने वाले छात्रों को निःशुल्क शिक्षा की क्षतिपूर्ति	२५.९२	–	२५.९२
मेडिकल इन्जी० तथा तकनीकी शिक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को अनावर्ती सहायता	९.५०	–	९.५०
विभागीय सहायता प्राप्त संस्थाओं (पुस्तकालयों छात्रावासों एवं विद्यालयों का प्रसार एवं सुधार)	७.००	–	७.००
दशमोत्तर छात्र वृत्ति	–	१७६६४.००	१७६६४.००
कृषि विकास हेतु अनुदान	३३.५०	–	३३.५०
कुटीर उद्योग हेतु अनुदान	५४.००	–	५४.००
गृह निर्माण हेतु अनुदान	६१.००	–	६१.००
योग	२४४.९२	१७६६४.००	१७९०८.९२

कार्य क्रम	१९७४-७५ परिव्यय		
	राज्य का-योजनागत	केन्द्र द्वारा पुरानिधा-नित	योग
	५	६	७
कक्षा ६ व १० में पढ़ने वाले छात्रों का छात्र वृत्ति एवं अनावर्ती सहायता	३.००	-	३.००
कक्षा ६ व १० में पढ़ने वाले छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा की क्षतिपूर्ति	२.००	-	२.००
मेडीकल इन्जी० तथा तकनीकी शिक्षा में पढ़ने वाले छात्रों का अनवर्ती सहायता	१.५०	-	१.५०
विभागीय सहायता प्राप्त संस्थाओं में (पुस्तकालय छात्रावासों एवं विद्यालयों का प्रसार एवं सुधार)	१.४०	-	१.४०
अनुसूचित छात्रवृत्ति	-	४००.००	४००.००
कृषि विकास हेतु अनुदान	२.००	-	२.००
कुटीर उद्योग हेतु अनुदान	२.००	-	२.००
गृह निर्माण हेतु अनुदान	३.००	-	३.००
योग	१४.९०	४००.००	४१४.९०

कार्य क्रम	१९७४-७५ व्यय		
	राज्य का-योजनागत	केन्द्र द्वारा पुरानिधा-नित	योग
	८	९	१०
कक्षा ६ व १० में पढ़ने वाले छात्रों का छात्र वृत्ति एवं अनावृत्ति सहायता	६.००	-	६.००
कक्षा ६ व १० में पढ़ने वाले छात्रों का नि:शुल्क शिक्षा की क्षतिपूर्ति	१०.००	-	१०.००
मेडीकल इन्जी० तथा तकनीकी शिक्षा में पढ़ने वाले छात्रों का अनवर्ती सहायता	-	-	-
विभागीय सहायता प्राप्त संस्थाओं (पुस्तकालय छात्रावासों एवं विद्यालयों का प्रसार एवं सुधार)	०.५०	-	०.५०

	८	९	१०
दशमोत्तर छात्र वृति	-	२८९.००	२८९.००
कृषि विकास हेतु अनुदान	५.००	-	५.००
कुटीर उद्योग हेतु अनुदान	-	-	-
गृह निर्माण हेतु अनुदान	१२.००	-	१२.००
योग	३३.५०	२८९.००	३२२.५०

	११	१२	१३
कक्षा ९ व १० में पढ़ने वाले छात्रों को छात्र वृति एवं अनावर्ती सहायता	२१.००	-	२१.००
कक्षा ९ व १० में पढ़ने वाले छात्रों को निःशुल्क शिक्षा की क्षति पूर्ति	४.००	-	४.००
मेडीकल इन्जी० तथा तकनीकी विषयों में पढ़ने वाले छात्रों को अनावर्ती सहायता	७.५०	-	७.५०
विभागीय सहायता प्राप्त संस्थाओं (पुस्तकालय छात्रावास एवं विद्यालयों का प्रसार एवं सुधार)	२.६०	-	२.६०
दशमोत्तर छात्र वृति	-	३२९२.००	३२९२.००
कृषि विकास हेतु अनुदान	५.००	-	५.००
कुटीर उद्योग हेतु अनुदान	-	-	-
गृह निर्माण हेतु अनुदान	१३.००	-	१३.००
योग	५३.१०	३२९२.००	३३४५.१०

कार्यक्रम	पांचवी योजना परिव्यय		
	राज्य का योजनागत	केन्द्र द्वारा पुरानिधानित	योग
१	२	३	४
पिछड़ी जातियां:			
पूर्व दशम कक्षाओं को छात्र वृति एवं वनावती सहायता	३०.००	-	३०.००
दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृति	-	-	-
योग	३०.००	-	३०.००

	१९७४-७५ का परिव्यय		
	राज्य का योजनागत	केन्द्र द्वारा पुरानिधानित	योग
	५	६	७
पूर्व दशम कक्षाओं को छात्र वृति एवं वनावती सहायता	१.००	-	१.००
दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृति	-	-	-
योग	१.००	-	१.००

	१९७४-७५ का व्यय		
	राज्य का योजनागत	केन्द्र द्वारा पुरानिधानित	योग
	८	९	१०
पूर्व दशम कक्षाओं को छात्रवृति एवं वनावृति सहायता	१५.७०	-	१५.७०
दशमोत्तर कक्षाओं में छात्र वृति	१२.००	-	१२.००
योग	२७.७०	-	२७.७०

कार्य क्रम	१९७५-७६ का परिव्यय		
	राज्य या-योजनागत	केन्द्र द्वारा पुरानिधानित	योग
	११	१२	१३
पूर्व दसक कक्षाओं को छात्रवृति एवं वीनावृति सहायता	६.००	--	६.००
दसमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृति	-	-	-
योग	६.००	-	६.००

११

~~विमुक्त-जातियां-~~ कार्य क्रम	पांचवी योजना परिव्यय		
	राज्य आयोजना गत	केन्द्र द्वारा पुरानिधानित	योग
१	२	३	४
विमुक्त जातियां			
पूर्व दसक कक्षाओं में छात्र वृति एवं वीनावती सहायता	-	-	-
महायोग	५०२०.६७	१७६६४.००	२२६८४.६७

	१९७४७५ ७५ का परिव्यय		
	राज्य या योजनागत	केन्द्र द्वारा पुरानिधानित	योग
	५	६	७
पूर्व दसक कक्षाओं में छात्रवृति एवं वीनावती सहायता	-	-	-
महायोग	४५८.४०	४००.००	८५८.४०

	-१९७४-७५ व्यय		
	राज्य या योजनागत	केन्द्र द्वारा पुरानिधानित	योग
	८	९	१०
पूर्व दसक कक्षाओं में छात्र वृतिएवं वीनावती सहायता	२.५७	-	२.५७

	८	६	१०
महायोग	७२७.७७	२८६.००	१०१६.७७

	१९७५-७६ का परिव्यय		
	राज्य का योजनागत	केन्द्र द्वारा पुरानिधानित	योग
	११	१२	१३
पूर्व दशम कक्षाओं में छात्र वृत्ति एवं शिक्षावती सहायता	-	-	-
महायोग	५६२.८०	३२६२.००	३८८४.८०

समाज कल्याण कार्य क्रम के अन्तर्गत जनपद की पांचवी योजना वर्ष १९७४-७५ एवं वर्ष १९७५-७६ की वार्षिक योजना के लिये प्रस्तावित परिव्यय एवं वर्ष १९७४-७५ के वास्तविक व्यय की सूचना निम्न प्रकार है:-

हजार (रु० में)

क्रम सं०	कार्य क्रम	पांचवी योजना परिव्यय	१९७४-७५ व्यय	परिव्यय	१९७५-७६ परिव्यय
१	२	३	४	५	६
१-	निराश्रित महिलाओं के लिये आदर्श गृह की स्थापना	४,२०	-	-	-
२-	उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम के अन्तर्गत गृहों की स्थापना	१,२२	२२	४.६०	२५
३-	बाल न्यायालयों की स्थापना	४६	१६	२	१०
४-	महिलाओं के लिये आदर्श प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	६०	-	-	-
५-	निर्धन तथा निराश्रित महिलाओं के लिये सिलाई बुनाई की मशीन तथा अन्य साज सज्जा क्रय करने हेतु अनुदान	६२	५	६	५
	योग	७,४३	३६	१२.६०	४०

उपरोक्त सभी परिव्यय।व्यय राज्य आयोजनागत स्रोत से प्रस्तावित हैं।

५.२६.८ भौतिक सामग्री एवं श्रम शक्ति की आवश्यकता: - निर्माण कार्यों के लिये जो भी योजनायें हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा चलायी जायेंगी उनका निर्माण कार्य पिछड़ी जातियों के वे लोग स्वयं करेंगे जिनके लिये निर्माण किया जाता है । अत: योजनाओं के मापदण्ड के लिये सामग्री की आवश्यकता का दिया जाना सम्भव नहीं है ।

५.२६.९ राज्य सरकार के विचाराधीन प्रश्न एवं सुझाव: - कोई सूचना नहीं देनी है ।

अध्याय ५.२७ शिल्पकार प्रशिक्षण तथा श्रम कल्याण

(क) शिल्पकार प्रशिक्षण

५.२७.१ प्रस्तावना:- जनपद में औद्योगीकरण की प्रगति बढ़ने के साथ साथ शिल्पकारों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिये शिल्पकारों के प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण की योजनायें विभिन्न जनपदों में चलाई गई हैं।

५.२७.२ वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन:- इस जनपद में वर्तमान समय में तीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें कार्य कर रही हैं जिनमें से एक महिला एवं दो पुरुषों की हैं/इन प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन संस्थाओं में प्रवेश के लिये न्यूनतम योग्यता कक्षा ८ पास तथा कुछ विशेष व्यवसायों के लिये कक्षा १० विज्ञान एवं गणित के साथ पास होना अनिवार्य है। परीक्षार्थियों को जो सुविधायें दी जाती हैं उनमें नि:शुल्क प्रशिक्षण, नि:शुल्क चिकित्सा, नि:शुल्क छात्रावास, ३३.५ प्रतिशत छात्रों को २५ रू० प्रति माह छात्रवृति तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी नि:शुल्क भ्रमण आदि शामिल हैं।

५.२७.३ चालू विकास कार्यक्रम की समालोचनात्मक समीक्षा:- इन संस्थाओं से उत्तीर्ण होने के उपरान्त छात्र किसी भी विभाग अथवा संस्थान में सम्बन्धित व्यवसाय में नौकरी कर सकता है तथा वह चाहे तो और ऊंचे प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु जा सकता है। महिला प्रशिक्षणार्थियों में वर्तमान समय में हिन्दी व अंग्रेजी टंकको व आशुलिपिकों की मांग सरकारी एवं निजी संस्थाओं। अधिष्ठानों में जोरों पर है। इस कारण महिलायें इस व्यवसाय में काफी रुचि के साथ अध्ययन कर अपने भविष्य को उज्वल बना रही हैं।

५.२७.४ दीर्घकालीन परिप्रेक्ष:- विभाग की कोई दीर्घकालीन योजना प्राप्त नहीं हुई है।

५.२७.५ विकास की सामनीति:- जनपद के वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नये व्यवसायों को लागू करना, वर्तमान व्यवसायों में सीटों की संख्या में वृद्धि करना, संस्थानों का सुदृढ़ीकरण आदि प्रस्तावित है।

५.२७.६ विकास कार्यक्रम प्राथमिकता सहित:- जनपद की पांचवी पंचवर्षीय योजना में वर्तमान सर्टिफिकेट स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में ३,७१७ छात्रों तथा वार्षिक योजना १९७५-७६ में ६५६ छात्रों की भर्ती के लक्ष्य प्रस्तावित हैं। वर्ष १९७४-७५ में ८२६ छात्र भर्ती किये जा चुके थे।

५.२७.७ योजना के संसाधनों का विवरण :- निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन, उत्तर प्रदेश से पांचवी योजना, वार्षिक योजना १९७४-७५ तथा १९७५-७६ के परिव्यय। व्यय की सूचना प्राप्त नहीं है। अतएव इसे इंगित करना सम्भव नहीं है।

(ख) श्रम एवं श्रम कल्याण

५.२७.८ प्रस्तावना:- श्रम कल्याण परियोजनाओं का उद्देश्य उत्पादन में न केवल किसी प्रकार के ह्रास को रोकना है अपितु उसमें वृद्धि करना भी है। उत्पादन में किसी प्रकार का ह्रास न होने के लिये यह आवश्यक है कि उद्योग का पहिया निरंतर चलता रहे। इस हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि श्रमिक वर्ग की शिकायतों का सामयिक निराकरण किया जाय एवं उद्योगों में हड़ताल एवं तालाबंदी न हो। उत्पादन में वृद्धि, श्रमिकों के स्वास्थ्य को बनाये रखने एवं उनके ज्ञान वर्धन से ही सम्भव है जिसके लिये उन्हें कल्याणकारी सुविधायें प्रदान की जाती हैं। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु श्रम विभाग की परियोजनायें श्रम प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं श्रमिकों को हितकारी सुविधायें दिलाये जाने के दृष्टिकोण से बनाई गई हैं।

५.२७.९ वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन : इस जनपद में श्रम कल्याण केन्द्र हरबंशवाला टी स्टेट तथा विकास नगर में स्थापित है। श्रमिकों के स्वास्थ्य वर्धक मनोरंजन के लिये पसूरी में एक होली डे होम भी चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त टी स्टेट के श्रमिकों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु एक स्वचालित दवाखाना भी चलाया जा रहा था।

५.२७.१० योजना कार्य क्रम एवं योजना के संसाधनों का विवरण:- जनपद की पांचवी पंच वर्षीय योजना में श्रम कल्याण केन्द्रों के लिये अतिरिक्त साज सज्जा तथा चिकित्सीय उपकरणों का क्रय किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु ०.०३१ लाख रुपया का परिव्यय निर्धारित किया गया है । चिकित्सीय उपकरणों का क्रय, परिव्यय का पूर्ण उपयोग करते हुए, योजना के प्रथम वर्ष अर्थात वर्ष १९७४-७५ में ही कर लिया गया ।

जनपद में श्रम प्रवर्तन तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं विकेन्द्रीकरण हेतु पांचवी पंच वर्षीय योजना में ०.१८३ लाख रु० का परिव्यय प्रस्तावित है तथा इस कार्य क्रम के अन्तर्गत दो पदों का सृजन होना है । योजना के प्रथम दो वर्षों के लिये कोई परिव्यय अथवा भौतिक लक्ष्य प्रस्तावित नहीं है ।

पांचवी योजना के दौरान ०.५४१ लाख रुपये के परिव्यय से जनपद में एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की जानी है । इस योजना में ९ पद सृजित होने हैं । मूलत: यह योजना अल्मोड़ा के लिये प्रस्तावित थी परन्तु व्यवहारिक रूप से इसे अब इस जापद में कार्यान्वित करना उचित पाया गया है । योजना के प्रथम दो वर्षों के लिये कोई परिव्यय अथवा भौतिक लक्ष्य प्रस्तावित नहीं हैं ।

सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले गृहों । डारमीटरीज के रख रखाव हेतु जनपद की पांचवी योजना में दो पदों का सृजन एवं ०.०२२ लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है । योजना के प्रथम दो वर्षों के लिये कोई परिव्यय अथवा भौतिक लक्ष्य प्रस्तावित नहीं है ।

उपरोक्त वर्णित सभी परिव्यय राज्य आयोजनागत पक्ष से प्रस्तावित है ।

अध्याय-६ वित्तीय दृष्टिकोण एवं ऋणीय संस्थाओं की भूमिका

६.१ वित्तीय दृष्टिकोण:- यह सर्व मान्य है कि पंचम पंचवर्षीय योजना के सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति उस समय तक सम्भव नहीं है जब तक कि राजस्व, वित्तीय एवं संस्थागत सुविधायें ठीक प्रकार से उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। ठोस वित्तीय प्रशासन राज्य के विकास एवं आर्थिक प्रक्रिया की मजबूती के लिये नितान्त आवश्यक है। राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास पर वित्तीय नीतियों तथा उनके प्रशासन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आर्थिक विकास के प्रेरक के रूप में राज्य की इस नई भूमिका ने वित्तीय नीतियों के निर्माण एवं प्रशासन की नवीन विधियों की खोज को प्रोत्साहित किया है।

६.२ राज्य के संसाधन में यथा सम्भव अधिकतम वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रसिद्ध अर्थ शास्त्री प्रो० लकड़वाला की अध्यक्षता में एक विशेष समिति सम्बन्धित विषयों का अध्ययन करने तथा उनके लिये उपयुक्त सुझाव देने के उद्देश्य से नियुक्त की गई थी। समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुकी है। राज्य की विकास दर में अपेक्षित वृद्धि हेतु वित्तीय संसाधनों की वृद्धि के लिये महत्वपूर्ण प्रयास किये गये हैं। ६.२५ एकड़ तक की जोतों पर भूमि कर पुनः लगा दिया गया है। ३.१२५ एकड़ तक की जोतों पर विकास कर लगाया गया है और विक्री कर से आय में वृद्धि करने हेतु कर की दरों तथा कर के प्रकलन की विधियों को भी युक्ति संगत बनाया गया है। माल वाहक गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है तथा बिजली की दरें भी पुनरीक्षित कर दी गई हैं। बकाया कर को वसूल करने हेतु सघन अभियान चलाये जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप करों की वसूली का प्रतिशत काफी बढ़ गया है। करों की चोरी रोकने के लिये भी सख्त कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान वित्तीय संकट पर काबू पाने हेतु सरकार ने कठोर मितव्ययता सम्बन्धी कदम उठाये हैं। उपर्युक्त प्रयासों से हुई बचतों को विद्युत उत्पादन, सिंचाई एवं कृषि जैसे महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्रों में लगाया गया है।

६.३ बजट उपयोग के अनुश्रवण के लिये वित्त विभाग में एक डेटा प्रोसेसिंग सेन्टर की स्थापना की जा चुकी है। बजट प्राविधान के उपयोग में बाधायें दूर करने के लिये वांछित एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। प्रस्ताव की जांच का कार्य प्रस्ताव को बजट में सम्मिलित करने से पूर्व ही लाने का प्रयास किया जा रहा है और बजट पास हो जाने के बाद की जांच और परीक्षण का कार्य न्यूनतम कर दिया गया है।

६.४ वित्तीय एवं अन्य प्रयासों के बावजूद कीमतें बराबर बढ़ती रही हैं जिससे योजना से मिलने वाले लाभ को बहुत कुछ कम कर दिया है। यदि बढ़ती हुई कीमतों को प्रभावकारी ढंग से न रोका गया तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित विशेष रूप से कमजोरवर्ग व अन्य निजी और सामाजिक उपभोग के स्तर को उठाने का वित्तीय कार्यक्रम असफल हो जायेगा। कीमतों को रोकने में राज्य जिस सीमा तक अपना योगदान दे सकता है वह अत्यन्त सीमित है। राज्य उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि कर और वितरण की अधिक प्रभावशाली व्यवस्था करके सहायता कर रहा है परन्तु वितरण प्रणाली मुख्यत: राष्ट्रीय नीतियों पर निर्भर करती है, इसलिये राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय और वितरण नीतियों की दिशा में अनेक कदम उठाने होंगे। उपभोग लाइसेन्स और नियंत्रणात्मक नीतियों को इस प्रकार बनाना और कार्यान्वित करना होगा कि एक ओर विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन और उपभोग घटे और दूसरी ओर जनसाधारण के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन बढ़े।

६.५ वित्तीय संस्थाओं की भूमिका:- किसी भी देश, प्रदेश, सम्भाग अथवा क्षेत्र के विकास में संसाधनों की कमी सबसे बड़ी रुकावट होती है। उत्तर प्रदेश जैसे गरीब एवं अविकसित प्रदेश में संसाधनों का मुख्य स्त्रोत घरेलू बचत होती है। प्रदेश के गरीब एवं अविकसित होने के कारण घरेलू बचतें अधिक नहीं हो पाती और परिणाम स्वरूप संसाधनों की कमी बनी रहती है। इस कमी को पूरा करने की दिशा में वित्तीय संस्थायें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। वित्तीय संस्थायें अधिकता के सेक्टरों से अधिकता को एकत्र कर कमी के सैक्टरों को उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त वह घरेलू एवं छोटी बचतों को उत्पादन कार्यों में लगा कर आय में वृद्धि लाने के प्रयास करती हैं तथा इस अतिरिक्त आय वृद्धि से पुन: नई बचतों के

निर्माण

निर्माण में योगदान देती हैं। इस प्रकार वाणिज्यिक बैंकों,सहकारी बैंकिंग व्यवस्था, बीमा कम्पनियों, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया तथा अन्य विशिष्ट वित्तीय संस्थानों ने हमारी आर्थिक व्यवस्था में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है।

६.६ १६ जुलाई १९६९ के बाद से जब कि १४ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया व्यापारिक बैंकिंग को संगठित एवं सुदृढ़ करने पर काफी बल दिया गया है। जून १९६९ में जनपद में ३२ बैंकें शाखायें थी। इस प्रकार उस समय १७०००/जनसंख्या पर एक शाखा कार्यरत थी। जून,१९७२ तक तक स्थिति में काफी सुधार दिखने लगा था। इस दिनांक को जनपद में ३४ बैंक शाखायें कार्य कर रही थी। अर्थात १३,००० जनसंख्या पर एक बैंक शाखा कार्य कर रही थी। जून,१९७५ के अन्त में जनपद में ५६ बैंक शाखायें कार्य कर रही हैं। इस प्रकार अब १०,००० जनसंख्या पर एक बैंक शाखा कार्य कर रही है। जनपद में बैंकों का विकास एक नियोजित ढंग से नहीं हुआ है। बैंक कार्यालय मुख्यतः देहरादून में ही केन्द्रित हैं तथा बैंकिंग कार्यकलाप मुख्यतः नगरीय केन्द्रों तक ही सीमित हैं। वर्ष १९६९ के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विकास हुआ है परन्तु विकास की गति बहुत धीमी रही है। सम्पूर्ण चकराता तहसील में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की केवल एक शाखा ही चकराता में कार्य कर रही है और यह भी वर्ष १९६९ के अन्त में खोली गई थी।

६.७ जनपद में जमा धनराशि,ऋण एवं ऋण जमा पूंजी अनुपात तथा प्राथमिकता।कमजोर क्षेत्र में ऋण वितरण। की अवशेष धनराशि के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:-

(करोड़ रु० में)

क्रमांक	मद	३१-१२-७० की स्थिति	३०-६-७२ की स्थिति	३०-६-७४ की स्थिति	३१-१२-७४ की स्थिति	३१-३-७५ की स्थिति	३०-६-७५ की स्थिति
१	२	३	४	५	६	७	८
१-	जमा धनराशि	२१.५८	३०.०२	४५.८७	४५.०५	५४.२८	४७.१८
२-	ऋण	४.५७	५.१६	७.६५	८.५४	६.२१	९.०२
३-	ऋण जमा पूंजी अनुपात	२१.१७	१७.१९	१७.३३	१८.६५	११.४४	१९.११
४-	प्राथमिकता। कमजोर क्षेत्र में ऋण वितरण की अवशेष धनराशि	अप्राप्त	अप्राप्त	३.७४	२.९३	२.८१	२.९३

उपरोक्त आंकड़ों के अवलोकन से विदित होगा कि एक ओर जहां जनपद के बैंकों की जमा पूंजी बढ़ रही है वहां उसी अनुपात में ऋण में वृद्धि नहीं हो पा रही है तथा ऋण जमापूंजी अनुपात जो दिसम्बर ३१, १९७० में २१.१७ था घट कर जून ३०,१९७५ को १९.११ पर आ गया है।

६.८ संस्थागत वित्त के संसाधनों के पूर्ण उपयोग में अब तक सबसे बड़ी रुकावट यह रही है कि विभिन्न विभागों के पास ऐसी कोई ठोस परियोजनायें तैयार अवस्था में उपलब्ध नहीं रही हैं जिन्हें संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया जा सके। इसी कमी को पूरा करने हेतु लगभग २ वर्ष पूर्व राज्य स्तर पर संस्थागत वित्त निदेशालय की स्थापना की गई है। इस निदेशालय का मुख्य उद्देश्य संस्थागत वित्त के संसाधनों में बढ़ोतरी, विभिन्न विभागीय, निगमों। परिषदों की ठोस प्रायोजनाओं को बनाने में सहायता देना तथा इनके लिये संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास करना है। इसके अतिरिक्त यह निदेशालय देश की वित्तीय संस्थाओं तथा प्रदेश के सरकारी विभाग एवं संस्थाओं से अधिकाधिक समन्वय स्थापित करने के सम्बन्ध में सलाह भी देता है। इस निदेशालय के सक्रिय प्रयासों के फलस्वरूप संस्थागत वित्त उपलब्ध

कराने की दिशा में काफी कुछ किया गया है। जिला स्तर पर भी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला समन्वय की स्थापना की गई है। प्रत्येक जिले में लीड बैंक की एक जिला सलाहकार समिति भी है। यह ---------- समितियां प्राथमिकता वाले सैक्टरों में उद्यमकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करती है। मण्डलस्तर पर भी मण्डलाधिकृत की अध्यक्षता में एक संस्थागत वित्तीय समिति कार्य करती है।

६.९ निजी उद्योगों के क्षेत्र में छोटे उद्यमियों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में कुछ प्राविधिक कठिनाइयां सामने आती रही हैं जैसे कि ठीक प्रकार से जानकारी को दाखिल न करना तथा बैंकों की अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण न करना आदि। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये प्रयत्न किये गये हैं कि ऋण प्रक्रिया सरल एवं सीधी सादी हो। उद्योग विभाग में छोटे उद्यमियों को आवश्यक विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्राविधिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। विभिन्न सेक्टरों में उन्नति एवं विकास लाने हेतु, विशेष कर उद्योग सैक्टर में अनेकों निगमों की स्थापना की गई है। यह निगम वाणिज्यिक आधार पर कार्य करते हैं और बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय संसाधन प्राप्त करते हैं। जनपद देहरादून पहाड़ी सम्भाग का एक जनपद है और इस सम्भाग के लिये विकास के लिये भी पृथक से एक निगम की स्थापना की गई है।

६.१० सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषि के क्षेत्र में अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण देने के सम्बन्ध में जो भूमिका अदा की जा रही है उसको इस प्रकार संगठित एवं सुदृढ़ करने की आवश्यकता है कि जनपद का प्रत्येक कृषि परिवार उनका सदस्य बन सके। इससे भविष्य में वे अपने सदस्यों से अधिक मात्रा में अंश पूंजी एकत्र करने में समर्थ हो सकेंगी।

६.११ जीवन बीमा निगम की ग्रामीण क्षेत्र की बचतों को एकत्र कर उसे उत्पादक कार्यों में लगाकर एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। यह निगम अभी तक नगरीय क्षेत्र में ही सीमित रहा है परन्तु विगत कुछ वर्षों

से इनमें ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु कार्यक्रम बनाये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार हो रहा है और इसके साथ ही साथ ग्रामीण जनता जीवन बीमा कराने का महत्व समझ रही है। इस निगम के कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भविष्य में इससे बहुत आशायें हैं।

६.१२ विभिन्न विशिष्ट वित्तीय निगम भी इस जनपद के विकास कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। कृषि पुर्नवित्त निगम ने अक्तुबर १९७४ से ५.४० लाख रु० की एक योजना जनपद में लीची तथा सेव के बागों को लगाने हेतु इस जनपद में स्वीकृत की गई है और भूमि विकास बैंक द्वारा इसे वित्त पोषित किया जा रहा है।

६.१३ जनपद की चकराता तहसील जनपद का एक विशेष रूप से पिछड़ा हुआ भाग है। इस क्षेत्र में अधिकतर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति निवास करते हैं। इस क्षेत्र की विशेष समस्याओं के अध्ययन हेतु कृषि वित्त निगम द्वारा वर्तमान समय में विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है तथा सर्वेक्षण के पूर्ण हो जाने पर निगम द्वारा इस क्षेत्र के विकास हेतु एक एकीकृत योजना प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। जनपद के इस भाग को छोड़ कर, अवशेष भाग अर्थात देहरादून तहसील का सर्वेक्षण जनपद के नेतृत्व बैंक- पंजाब नेशनल बैंक द्वारा पूरा कर लिया गया है और इस क्षेत्र के विकास हेतु उसने एक तीन वर्षीय कार्य योजना बनाई है, जिसमें ३०५.०५ करोड़ रु० की आवश्यकता दिखाई गई है। इस योजना की संक्षिप्त रूप रेखा नीचे प्रस्तुत की जा रही है:-

क्रमांक	मद	ऋण की आवश्यकता (हजार रु० में)		
		विकास क्षेत्र डोईवाला	विकास क्षेत्र सहसपुर	योग देहरादून
१	२	३	४	५
१-	ट्रेक्टर	१३,२०	१०,२०	२३,४०
२-	पम्प सैट	५,००	३,६०	८,६०

१	२	३	४	५
३-	गुल निर्माण	६,५०	२,००	८,५०
४-	भूमि को समतल करना	७,६०	४,००	११,६०
५-	फसल ऋण	३४,३४	२७,५४	६१,८८
६-	एग्रो सर्विस सेन्टर	३,००	१,५०	४,५०
७-	लघु उद्योग	६४,७०	१५,२०	७६,६०
८-	फुटकर व्यापारी	१४,५५	५,४०	१६,६५
९-	शिल्पकार	४,५६	४,५६	६,१२
१०-	कुक्कुट पालन	१,६०	६०	२,१०
११-	दुग्ध उत्पादन	६,१५	५,२०	१४,३५
१२-	क्रशर	१०,५०	-	१०,५०
१३-	चरखी	४०	१५	५५
१४-	परिवहन	४५,७५	३,७५	४६,५०
	योग	२,२१,०५	८४,००	३,०५,०५

:: अध्याय - 7 सामग्री की आवश्यकता ::

जनपद की विभिन्न योजनाओं के लिये निर्माण सामग्री जैसे ××× एवं लकड़ी निर्मित माल तथा मशीनों आदि की आवश्यकता होती इसके मोटे मोटे अनुमान कुछ ही विभागों से प्राप्त हुये हैं। सामग्री आदि के अनुमान लगाने का कार्य एक विशिष्ट कार्य है और जिला स्तर पर आवश्यक विशेषज्ञता उपलब्ध न होने के कारण अधिकतर विभागों से सामग्रियों के कोई अनुमान प्राप्त नहीं हुये है। जिन विभागों से सूचना प्राप्त हुई है उनकी संख्या बहुत ही कम है और उनसे प्राप्त सूचना अधूरी एवं विभिन्न इकाईयों में है। अतएव उपलब्ध हुई अलग एवं अधूरी सूचना को संकलित कर इस अध्याय में प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया गया है। जिन विभागों से सामग्रियों के विवरण प्राप्त हुये हैं उन्हें सम्बन्धित परिच्छेदों में निर्धारित मद के अन्तर्गत दिखा दिया गया है और उनके विस्तृत विवरण तथा स्थान देखे जा सकते हैं।

अध्याय ८ सेवा-योजन कार्यक्रम

८.१ प्रदेश के पर्वतीय सम्भाग की जनसंख्या का छटवें से कुछ अधिक भाग इस जनपद में रहता है तथा जनशक्ति की दृष्टि से यह जनपद काफी आबादी वाला क्षेत्र है। यद्यपि यह साधन आर्थिक विकास के लिये स्वयं काफी महत्वपूर्ण है तथापि इसकी महत्ता बहुत कुछ जनशक्ति के विकास एवं उसके उपयोग पर निर्भर है। जनशक्ति का पूर्ण उपयोग उन्नतशील अर्थ व्यवस्था का प्रतीक है तथा इससे एक कल्याणकारी चित्र इंगित होती है। जनशक्ति नियोजन का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध जनशक्ति संसाधनों का अधिकतम विकास करना तथा उत्पादकता की दृष्टि से उनका पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जनशक्ति आय - व्यय बनाना, शिक्षण सुविधाओं में सुधार हेतु आवश्यक प्राविधान करना, जन संख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, रोजगार के अतिरिक्त साधन अर्जित करना, कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार करना, कार्मिकों में गतिशीलता को प्रोत्साहित करना आदि पग उठाना है।

८.२ राज्य स्तर पर राज्य नियोजन संस्थान में विभिन्न जनशक्ति सम्बन्धी समस्याओं को अध्ययन करने के लिये जनशक्ति इकाई तथा नियोजन विभाग में रोजगार कार्य क्रम से सम्बन्धित कार्य करने हेतु रोजगार इकाई स्थापित हो जाने से राज्य में जनशक्ति नियोजन एवं रोजगार हेतु सुगठित संगठन स्थापित हो गया है। जनशक्ति नियोजन इकाई जनशक्ति के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करती है जिनमें पांचवी योजना में विभिन्न वर्ग के कार्मिकों की मांग एवं पूर्ति, प्रशिक्षित जनशक्ति का उपयोग, शिक्षा में अपव्यय आदि अध्ययन प्रमुख हैं। रोजगार इकाई का मुख्य कार्य बेरोजगारी की स्थिति में सुधार लाने हेतु रोजगार कार्य क्रमों से सम्बन्धित कार्य करना है।

८.३ यद्यपि जनपद में व्याप्त बेरोजगारी के कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं फिर भी १९७२ की जनसंख्या तथा सेवा योजन कार्यालय के आंकड़ों से वर्तमान स्थिति पर कुछ प्रकाश पड़ता है जिसका उल्लेख आगे के प्रस्तरों में किया जा रहा है।

८.४ वर्ष १९७१ की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या ५,७७,३०६ थी जिसमें से कुल कार्य करने वाले स्त्री पुरुषों की संख्या २,०१,२५० अर्थात कुल जनसंख्या का ३४.८ प्रतिशत थी। इसमें से कार्य करने वाले पुरुषों की संख्या १,७६,६४४ अर्थात पुरुषों की कुल जनसंख्या का ५५ प्रतिशत तथा कार्य करने वाली स्त्रियों की संख्या २१,४०६ अर्थात स्त्रियों की कुल जनसंख्या का ८.५ प्रतिशत थी । जनपद में पुरुषों की अपेक्षा कार्य करने वाली स्त्रियों की संख्या बहुत कम है जिसका मुख्य कारण उनका घरेलू कार्यों में व्यस्त रहना है । वर्ष १९७१ की जनगणना के अनुसार कार्य न करने वालों की कुल संख्या ३,७६,२५६ थी जिसमें से वर्ष ०-१४ तक के बच्चों की संख्या २,१८,२६२ थी । यह बच्चे कार्य न करने वालों की श्रेणी में आते हैं । इनको कुल कार्य न करने वालों की संख्या में से निकाल देने पर कार्य करने वालों की संख्या १,५८,१९४ रह जाती है जिसमें से स्त्रियों की संख्या १,२३,८५५ थी । इसलिये अब कार्य न करने वाले पुरुषों की संख्या केवल ३४,३६९ रह जाती है जो कुल आबादी का ६ प्रतिशत है। इसमें शिक्षित तथा अशिक्षित, कुशल तथा अकुशल सभी प्रकार के लोग सम्मिलित हैं ।

८.५ पिछले कुछ वर्षों से जनपद में बेरोजगारी में वृद्धि होती रही है । क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय देहरादून के जीवित पंजिका के आंकड़ों के अनुसार वर्ष १९७२ में रोजगार की तलाश में पंजीकृत १९,३८४ व्यक्तियों की संख्या ३१-३-१९७५ को बढ़ कर १९,८६९ हो गयी । शिक्षित जनशक्ति की स्थिति भी इससे कोई अधिक भिन्न नहीं थी । वर्ष १९७२ में शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या ८,९४५ से बढ़ कर वर्ष १९७५ में ९,४८१ हो गई । निम्न तालिका में इंगित क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय देहरादून की जीवित पंजिका के आंकड़ों से इस तथ्य की वास्तविकता और भी स्पष्ट हो जाती है :-

श्रेणी	क्षेत्रीय सेवा रोजन कार्यालय की जीवित पंजिका पर पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या			
	मार्च ३१ १९७२	मार्च ३१ १९७३	मार्च ३१ १९७४	मार्च ३१ १९७५
कुल मिला कर	१९,३८४	१९,३४९	२१,०८१	१९,८६९
शिक्षित	८,९४३	९,०८३	९,८४३	९,४८१

रोजगार कार्यक्रम

८.६ शिक्षित बेरोजगारी:- राज्य सरकार भी भारत सरकार के समान शिक्षित जनशक्ति में बढ़ती हुई बेरोजगारी के प्रति पूर्णतया जागरूक है और अपने साधनों की सीमाओं में यथाशक्ति बेरोजगार लोगों के लिये रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का अर्जन करने में प्रयत्नशील है । वर्ष १९७१-७२ व १९७२-७३ में स्वत: रोजगार की योजनायें चलायी गई । इस योजना के अन्तर्गत ऐसे तकनीकी बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान की गई जो कृषि सेवा केन्द्रों को गांवों में स्थापित करने के इच्छुक थे । इस योजना के लिये पांचवी योजना में कोई परिव्यय प्रस्तावित नहीं है । वर्ष १९७२-७३ व वर्ष १९७३-७४ में विशेष रोजगार योजनायें चलायी गई । इस योजना का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार शिक्षित एवं अशिक्षित जनशक्ति के लिये रोजगार के अतिरिक्त साधन सृजित करना था । इस योजना हेतु भारत सरकार से ५० प्रतिशत की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई । यह कार्य क्रम भी पांचवी योजना अवधि में नहीं चलाया जा रहा ।

८.७ बेरोजगार शिक्षित जनशक्ति के लिये रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने के उद्देश्य से भारत सरकार की "हाफ ए मिलियन जाब्स प्रोग्राम" के अन्तर्गत ७० योजनायें प्रदेश भर में चलायी गयी । इस कार्य क्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित की गई विभिन्न योजनाओं से प्रदेश में ४४,८१९ व्यक्तियों को ३१-३-१९७४ तक प्रशिक्षित किया गया । जनपद में इस

योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों के आंकड़े प्रथक से उपलब्ध नहीं हैं।

८.८ वर्ष १९७४-७५ में भारत सरकार ने इम्प्लाइमेन्ट प्रमोशन प्रोग्राम के अन्तर्गत ३४० लाख रुपयों के परिव्यय से २९ योजनायें प्रदेश के लिये स्वीकृत की हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यत: स्वत: रोजगार की योजनायें सम्मिलित हैं। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग १६,७६६ व्यक्तियों को रोजगार में लाने का लक्ष्य है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन में प्राथमिकता दी गई है। इस जनपद के लिये प्रथक से कोई लक्ष्य प्रस्तावित नहीं हैं।

८.९ जनपद स्तर पर बैंकों से वित्तीय सहायता उपलब्ध करा कर शिक्षित बेरोजगारों को स्वत: रोजगार की योजनाओं में लगाने का भी प्रयत्न किया जाता रहा है। अब तक कुल १७ व्यक्तियों को बैंकों के माध्यम से १,७९,२०० रू० का ऋण स्वत: रोजगार योजनाओं के लिये वितरित कराया जा चुका है।

८.१० यद्यपि विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से जनपद में रोजगार के अवसरों की वृद्धि हुई है फिर भी जनपद में बेरोजगारी की समस्या पूर्ववत बनी हुई है और इसके समाधान की आवश्यकता आज भी यथावत है। बेरोजगारी की इस समस्या से निपटने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अगले वर्षों में क्या योजनायें कार्यान्वित की जायेंगी इसकी रूप रेखा भी अभी स्पष्ट नहीं हैं। परन्तु ऐसी आशा की जाती है कि पिछले वर्षों की भांति ही केन्द्र सरकार द्वारा भविष्य में भी रोजगार योजनायें कार्यान्वित की जायेंगी। राज्य के सीमित संसाधनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा भी इस समस्या के समाधान का प्रयास किया जा रहा है।

८.११ अशिक्षित बेरोजगारी:- अशिक्षितों एवं अर्द्ध शिक्षितों में भी बेरोजगारी प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार जनशक्ति के लिये रोजगार के अतिरिक्त साधन सृजित करने हेतु भारत सरकार की ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना अक्तूबर १९७१ में प्रदेश में चलायी गई और वर्ष १९७३-७४ तक चलती रही। यह योजना पांचवी योजना अवधि में

नहीं चलायी जा रही ।

८.१२ . जनपद के ग्रामीण अंचलों में उपलब्ध अपार जनशक्ति के उपयोग के लिये राज्य सरकार द्वारा अभी हाल में एक जनशक्ति संचालन निदेशालय की स्थापना की गयी है । यह निदेशालय सामुदायिक विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों को केन्द्र बिन्दु मान कर प्रादेशिक विकास दल की सहायता से विभागीय कार्यक्रमों के लिये जनशक्ति उपलब्ध करेगा । इस निदेशालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम सघन कार्य संचालित किये जायेंगे ताकि स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें । जहां तक श्रम सघन कार्यों का प्रश्न है सभी सम्बन्धित विभाग यह इंगित करेंगे कि उनके विभाग के कौन से ऐसे कार्य हो सकते हैं जिनका सम्पादन जनशक्ति निदेशालय के माध्यम से कराया जा सकता है। इस प्रकार के कार्य क्रमों के लिये धन की व्यवस्था सम्बन्धित विभाग अपने स्वीकृत विभागीय बजट से ही करेंगे । प्रारम्भ में प्रत्येक मण्डल से एक जिला इस प्रकार के सघन कार्यक्रम के लिये लिया जायेगा। पर्वतीय जिलों में वृक्षा रोपण तथा सड़क निर्माण के कार्य भी जनशक्ति उपयोग कार्य क्रम के अन्तर्गत लिये जायेंगे ।

अध्याय - ७ :- न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम

७. १ -प्रस्तावना :- न्यूनतम आवश्यकताओं के राष्ट्रीय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य समाज के निर्धन वर्गों को सामाजिक उपभोग की वस्तुओं का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने में सहायता करना है। प्रारंभिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार ग्रामीण पेय जल पूर्ति, आवास, ग्रामीण सड़कों विद्युतीकरण, पर्यावरण में सुधार इस कार्यक्रम के अंग है।

७. २ :-

राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पांचवी पंच वर्षीय योजना के दौरान जिला स्तर पर निम्नलिखित मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रस्ताव है :-

१- कम से कम ६० प्रतिशतकर्षों को कक्षा ८ तक एवं सभी ग्रामीण बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना।

२- ग्रामीण क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना।

३- ८०,००० से १,२०,००० तक की ग्रामीण जनसंख्या के लिये एक प्राईमरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करना जिसके अन्तर्गत ६,००० से १०,००० जनसंख्या पर एक उप केन्द्र हो।

४- १५०० से अधिक आबादी वाले प्रत्येक ग्राम को हर मौसम में खुली रह सकने वाली सड़कों द्वारा पक्की सड़क से जोड़ना।

५- कम से कम ४० % ग्रामीण जनता को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना।

६- नगरीय क्षेत्र में मलिन बस्तियों को समाप्त करना।

७- गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा समाज के दुर्बल वर्ग के स्कूल जाने वाले बालकों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना।

८- भूमिहीन खेतिहर श्रमिक परिवारों को आवास स्थल उपलब्ध कराना।

राष्ट्रीय कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में उपरोक्त कार्यक्रम इस राज्य तथा इस जनपद में किस सीमा तक कार्यान्वित किये जाने हैं इसका संक्षिप्त विवरण आगे के अनुच्छेदों में दिया जा रहा है :-

9. 3 - प्रारम्भिक शिक्षा :- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनानुसार कार्य किया जाना प्रस्तावित है :-

1- पांचवी योजना के अन्त तक आयु वर्ग 6-11 के समस्त बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का दिया जाना ।

2- पांचवी योजना के अन्त तक 11-14 आयु वर्ग के कम से कम 50 प्रतिशत बच्चों को स्कूल में भर्ती किया जाना ।

3- लड़कियों की शिक्षा में उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति में आने वाली कठिनाईयों की ओर विशेष ध्यान देकर उचित कार्यक्रम बनाना ताकि उनका शिक्षा स्तर भी लड़कों के बराबर आ सके ।

4- प्रत्येक ग्राम में 1-5 कि0 मी0 की दूरी के अन्दर प्राईमरी स्कूल तथा 5 कि0मी0 की दूरी के अन्दर जूनियर हाई स्कूल की व्यवस्था करना ।

5- उपरोक्त के सन्दर्भ में अध्यापकों की नियुक्ति, निरीक्षकों की नियुक्ति, भवननिर्माण, साज-सज्जा इत्यादि की व्यवस्था करना। साथ ही साथ पाठ्य पुस्तकों तथा दोपहर के भोजन इत्यादि का प्रबन्ध करना ।

जनपद की पांचवी पंच वर्षीय योजना में शिक्षा के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों पर 21-21 लाख रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है। वर्ष 1974-75 का प्रस्तावित परिव्यय 2-41 लाख रूपये का था जिसके समक्ष 0-95 लाख रूपये का व्यय हुआ था। वर्ष 1975-76 के लिये 3-03 लाख रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है। जूनियर बेसिक/ सीनियर बेसिक स्कूलों की लक्ष्य/ उपलब्धि की स्थिति निम्नप्रकार है:-

कार्यक्रम	31-3-74 की स्थिति	पांचवी पंच वर्षीय योजना के लक्ष्य	वर्ष 1974-75 की उपलब्धि	वर्ष 1975-76 के लक्ष्य
1- जूनियर बेसिक स्कूल (संख्या)				
क- नगरीय	80	4	2	-
ख-ग्रामीण	433	50	16	8
2- सीनियर बेसिक स्कूल (संख्या)				
क- नगरीय	10	5	1	-
ख -ग्रामीण	51	16	4	3

9.4 - ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति :- जनपद देहरादून का अधिकतर भाग पर्वतीय है और यहाँ की स्थिति मैदानी जनपदों से काफी भिन्न है। इस जिले में पीने के पानी को बहुत दूर से लाना पड़ता है जिसमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भूमि के नीचे पानी काफी गहराई पर उपलब्ध होता है जिसके कारण कुओं तथा हैण्ड पम्पों का निर्माण करना इस क्षेत्र में सम्भव नहीं है। यहाँ के निवासियों को पीने के पानी के लिये झरनों एवं नदियों पर आश्रित रहना पड़ता है जो ग्रीष्मऋतु में अधिकतर सूख जाते हैं। इस कारण पीने के पानी को प्राप्त करने में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का एक मात्र उपाय पाईप लाइनों का बिछाना है।

जनपद के 867 आबाद ग्रामों में से, चौथी योजना के अन्त तक 287 ग्रामों में पाईप द्वारा जल सम्पूर्ति की व्यवस्था जल निगम द्वारा की जा चुकी थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 100 अतिरिक्त ग्रामों में यह सुविधा प्रदान की जानी प्रस्तावित है जिसमें से वर्ष 1974-75 में 50 ग्रामों में यह सुविधा प्रदान की जा चुकी थी। वर्ष 1975-76 में 20 अतिरिक्त ग्रामों में यह सुविधा प्रदान की जानी प्रस्तावित है। जल निगम द्वारा ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति हेतु पृथक से परिव्यय/व्यय की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसी प्रकार सामुदायिक विकास विभाग से भी ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति हेतु पांचवी पंचवर्षीय योजना की परिव्यय सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं हुई है परन्तु वर्ष 1974-75 में 15,000 रु० का परिव्यय प्रस्तावित था और उसके सम्मुख उतना ही व्यय हुआ था। वर्ष 1975-76 हेतु 10,000 रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

9.5 - स्वास्थ्य :- मैदानी क्षेत्र में 80,000 से एक लाख की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और इसी से सम्बद्ध 8-10 उपकेन्द्रों जिनमें प्रत्येक से लगभग 10 हजार की जनसंख्या लाभान्वित होगी मानदण्ड के रूप में पांचवी योजना के लिये स्वीकार किया गया है। केवल बुन्देलखण्ड और पर्वतीय जिलों में यह मानदण्ड (नार्म) कुछ कम कर दिया गया है क्योंकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। इन दोनों उपसभागों में 35-से 50 हजार की जनसंख्या

9. 8 - मलिन बस्ती सुधार :- प्रदेश के उन सात शहरों में जिनकी आबादी तीन लाख से अधिक है मलिन बस्ती सुधार का कार्यक्रम पांचवी योजना में वृहत रूप से चलाये जाने का प्रस्ताव है। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मोरादाबाद, आगरा, बरेली और वाराणसी शहरों में यह कार्यक्रम चलाया जायेगा। प्रदेश की योजना के लिये 10 करोड रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है जिसमें 8-17 लाख व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

यह कार्यक्रम इस जनपद में चलाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

9. 9 - पौष्टिक आहार :- योजना आयोग ने प्रदेश की पांचवी योजना में पौष्टाहार कार्यक्रम के लिये 20-20 करोड रुपये का परिव्यय इंगित किया है। यह कुल परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय किया जायेगा। इस कार्यक्रम में 0-6 वर्ष के पूर्व विद्यालय तथा 6-11 वर्ष तक के स्कूल जाने वाले बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पौष्टिक आहार देने की व्यवस्था की जायगी। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के समय मलिन बस्तियों में 0-6 वर्ष की आयु के पूर्व विद्यालय शिशुओं को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनजाति के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम का कार्यान्वयन शिक्षा एवं सामुदायिक विकास विभाग द्वारा किया जायगा। सामुदायिक विकास विभाग को इन कार्यक्रमों के चलाने का पूर्व अनुभव है तथा इसके पास संगठनात्मक ढांचा भी है इसलिये यह विभाग पोषण कार्यक्रम के सम्बन्ध में समन्वय का कार्य करेगा।

जनपद की पांचवी पंच वर्षीय योजना में पौष्टिक आहार के लिये निम्न लिखित वित्तीय लक्ष्य प्रस्तावित है। वर्ष 1974-75 की वास्तविक उपलब्धियां भी नीचे दिखाई जा रही है :-

(हजार रुपये में)

क्र० सं०	कार्यक्रम	पांचवी योजना का परिव्यय	वर्ष 1974-75 का वास्तविक व्यय	वर्ष 75-76 का परिव्यय
1-	सामुदायिक विकास विभाग के कार्यक्रम	4,80	1:16	1,75
2-	शिक्षा विभाग के कार्यक्रम -	1,50,000 *	9,32	8,50

* देहरादून एवं नैनीताल को सम्मिलित।

9. 10 - भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों के लिये आवास स्थल :-

ऐसा अनुमान है कि प्रदेश के 81,369 ग्रामों के 11-5 लाख भूमिहीन खेतिहर श्रमिक परिवार ऐसे है जिनके पास मकान बनाने के लिये भूमि तक नहीं है। इन्हें मकान के लिये भूमि देने का कार्यक्रम गत सरकार द्वारा चौथी योजनासे ही प्राथमिकता के आधार पर शामिल कर लिया गया था तथा पांचवी योजना में सितम्बर 1974 तक 3-56 लाख भूमिहीन श्रमिक परिवारों को आवास स्थलों का आवन्टन किया जा चुका था ।

इस जनपद में 2807 भूमिहीन खेतिहर श्रमिक परिवारों को आवास स्थल आवंटित करने का लक्ष्य निर्धारित था और उस लक्ष्य की प्राप्ति नवम्बर 15, 1975 तक की जा चुकी थी ।

अध्याय - 10 समाज के निर्बल वर्ग हेतु कार्यक्रम

- - - - - -

10. 1 - निर्बल वर्ग की श्रेणी के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग आते है। इन वर्गों के लिये चलाई जाने वाली कल्याण कारी योजनायें 1- शिक्षा, 2-आर्थिक उत्थान , 3- स्वास्थ्य , आवास तथा अन्य योजना से सम्बन्धित है ।

10. 2 - शिक्षा से सम्बन्धित योजनायें , छात्रवृत्ति देना, शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति चिकित्सा पुस्तक पर व्यय करने के लिये विद्यार्थीयों को वित्तीय सहायता देना , आश्रम पद्धति के विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना तथा हास्टल का निर्माण आदि है। आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में कृषि विकास बागवानी तथा कुटीर उद्योगों के लिये सहायता प्रदान की जाती है। लोगों को भूमि पर पुर्नवासन के लिये नगद सहायता भी प्रदान की जाती है तथा ग्रहों के निर्माण तथा रेयजल योजनाओं के लिये भी आर्थिक सहायता दी जाती है। इन वर्गों के अभ्यर्थियों को नगद सेवाओं हेतु साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये मार्ग व्यय दिया जाता है।

10. 3 - नगद सेवाओं में प्रायः 18 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों तथा दो प्रतिशत पद अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित किये गये है। 1974-75 में नगद सेवाओं की श्रेणी 3 और 4 के लिये पदों का आरक्षण जो लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर है, क्रमशः 45 प्रतिशत और 5 प्रतिशत कर दिया गया है। तदर्थ पदोन्नति में भी 18 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशतस्थान इन वर्गों के लिये सुरक्षित रखने के आदेश दे दिये गये है। यह आदेश उस समय तक लागू रहेगा जब तक इस श्रेणीयों में आरक्षण का निर्धारित प्रतिशत पूरा न हो जाय। इन जातियों के सदस्यों को पुलिस में भर्ती करने का भी बंदोबस्त है। शिक्षित बेरोजगार हरिजनों को स्टेनोग्राफर की ट्रेनिंग देने का भी इन्तजाम है। एक सहायक रोजगार योजना के अन्तर्गत पढ़े लिखे हरिजनों को नीजि संगठनों में भी नौकरी दिलाने की कोशिश की जा रही है। यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक जिले में एक चयन समिति गठित की जाय जो कि तृतीय व चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों

की भर्ती के लिये साक्षात्कार लेगी व अपनी संस्तुतियों को विभिन्न जिला स्तरीय विभागों को भेजेगी।

10. 4 - राज्य सरकार ने अक्तूबर 2, 1974 को एक अध्यादेश जारी किया जिसके अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों के एक एकड़ से कम के काश्तकारों जिनके रजिस्टर्ड डीड व कानूनी कागजात नहीं बने है, के ऋणों को माफ कर दिया गया है। इससे साहूकारों के पंजों से ग्रसित कमजोर वर्ग को राहत मिलेगी। यह कमजोर वर्गों की आर्थिक उन्नति के लिये एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और प्रगतिशील कदम उठाकर हरिजनों, अनुसूचित और गैर अनुसूचित कबीलों के लोगों अथवा उत्तर प्रदेश भूमिहीन खेतीहर मजदूर ऋण राहत कानून के अनुसार अनुसूचित कर्जदारों की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का फैसला किया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में एक कानूनी सहायता समिति तथा राज्य स्तर पर एक कानूनी सलाहकार समिति गठित की जा रही है। यह समिति जिला कानूनी सहायता समितियों के कार्य की देखभाल करेगी। कानूनी सहायता वकीलों की फीस और साथ ही मुफ्त कानूनी सलाह के रूप में दी जायेगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में किसी भी रूप में बन्धक श्रम प्रथा समाप्त करने के लिये बन्धक श्रम प्रतिबन्ध अधिनियम पारित कर कमजोर वर्गों के कल्याण के लिये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को तीन वर्ष तक के कारावास या एक हजार रुपये तक जुर्माने या दोनों सजायें दी जायेंगी ।

10. 5 हरिजनों के साथ अन्याय और जुल्म की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला अधिकारियों से यह साफ तौर से कहा गया है कि उनके अपने आने जिलों में हरिजनों के हितों की रक्षा उनकी अपनी जिम्मेदारी होगी। तथा इस जिम्मेदारी को निभाने में किसी लापरवाही को माफ नहीं किया जायेगा। पुलिस पुलिस उप महा निरीक्षक के अधीन राज्य स्तर पर एक 'सैल' का गठन किया गया है जो हरिजनों के प्रति ज्यादती की घटनाओं की जांच और आवश्यक कार्यवाही करेगा। अस्पृश्यता निवारण के लिये ठोस कदम उठाये गये हैं ।

10. 6 - मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो विभिन्न विभागों में हरिजनों की तरक्की के लिये मिलने वाली सुविधाओं को एक जगह से लागू करायेगी। यह समिति इस बात का भी पता लगायेगी कि क्या और भी सुविधायें विभिन्न विभागों द्वारा इन वर्गों की तरक्की के लिये दी जा सकती है। एक दूसरी समिति का भी गठन किया गया है जो प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये सुरक्षित स्थानों पर इनका दाखिला सुनिश्चित करने के लिये जरूरी कार्यवाही करेगी। इन जातियों के उत्थान और विकास के लिये उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम की स्थापना की गई है। इससे इन जातियों की आर्थिक स्थिति सुधारने में काफी सहायता मिल रही है। अनुसूचित जन जातियों के कल्याणार्थ इस मण्डल में पृथक से एक निगम की भी स्थापना की जा चुकी है।

10. 7 :- जनपद के अनेक गाँवों में आज भी पीने के पानी की समस्या गंभीर रूप से विद्यमान है। समस्या की गम्भीरता को स्वीकार करते हुये सामुदायिक विकास विभाग की ग्रामीण जल सम्पूर्ति योजना के अन्तर्गत हरिजन बस्तियों में कुओं एवं हैण्डपम्पों का निर्माण कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि हरिजनों को कुओं के निर्माण के लिये निर्माण व्यय का तीन-चौथाई अथवा एक हजार रुपये (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में दिया जाता है तथा हैण्डपम्प लगाने के लिये 75 रुपये से 125 रुपये तक।

10. 8 - चौथी योजना के अन्त तक जनपद की 56 हरिजन बस्तियों में बिजली, जल का कार्य विद्युत विभाग द्वारा किया गया था। विद्युत विभाग इस ओर जागरूक है और पाँचवी पंच वर्षीय योजना में इस विभाग द्वारा जनपद की हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण का कार्य आगे बढ़ाया जायेगा। वर्ष 1974-75 की उपलब्धियों शून्य थी तथा वर्ष 1975-76 में 15 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है।

10. 9 :- अधिकांश हरिजन आज भी खेतिहर मजदूर के रूप में कार्य कर रहे है। इन भूमिहीनों मजदूरों को भूमि दिलाने के लिये राज्य सरकार दीर्घ काल से प्रयत्नशील है। जमींदारी उन्मूलन, अधिकतम जोत सीमा आरोपण आदि कानूनों द्वारा भूमिहीन

हरिजनों को भूमि दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

जनपद में नई तथा पुरानी गोल सीमा आरोपण कानून के अन्तर्गत 324-77 अतिरिक्त घोषित भूमि उपलब्ध हुई थी जिस पर कब्जा किया जा चुका था। इसमें से 78-88 हैक्टेयर भूमि 343 भूमिहीन कृषक श्रमिकों को तथा 51-80 हैक्टेयर भूमि दो सहकारी समितियों को सितम्बर 30, 1975 तक आबंटित की जा चुकी थी।

10. 10 - केन्द्रीय सरकार के संकेत पर 15 अगस्त 1972 से एक नई योजना प्रारम्भ की गई है जिसके अधीन भूमिहीन कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लोगों को जिसके पास गृह अथवा गृह स्थल नहीं है, चुके हुये खण्डों में गृह स्थलों के लिये भूमि प्रदान की जाती है। स्कीम के अनुसार पांचवी योजना काल में प्रदेश के उपरोक्त श्रेणी के सभी परिवारों को गांव सभा की दो हजार हैक्टेयर भूमि प्राप्त करके भवन बनाने हेतु भूमि आबंटित की जानी प्रस्तावित है। सितम्बर 30, 1975 तक जनपद में 2,909 परिवारों को 41:08 हैक्टेयर भूमि आबंटित की जा चुकी है। वर्ष 1974 में उ०प्र० भूमि कानून (संशोधन) (यू०पी० लैण्ड लाज एमेन्डमेंट) बिल, 1974 पास हुआ जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार एक्ट 1950 में संशोधन किये गये है। इस संशोधन के द्वारा जिन व्यक्तियों ने मार्च 15, 1974 तक किसी अन्य भूमि में मकान बना लिया है उन्हें मकान बनाने का कानूनी अधिकार (*Home stead right*) प्रदान कर दिये जायेंगे

10. 11 - कारीगरों, शिल्पकारों तथा छोटे पैमाने के उद्यम कर्ताओं की उत्पादकता बढ़ाने के दृष्टिकोण से प्रोन्नत कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये है। जनपद की अर्थव्यवस्था में हथकरघा उद्योग का भी अपना स्थान है। चौथी योजना के अन्त में जनपद में 327 हस्तकरघा कार्यरत थे। हथ करघा उद्योग के विकास के लिये जनपद की पांचवी योजना में 23-63 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है। वर्ष 1975-76 के लिये 4-11 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। बुनकरों की दशा सुधारने के लिये बहुत से कदम उठाये गये है। एक अलग हैण्डलूम टैक्सटाइल

निदेशालय का सृजन किया गया है जो बुनकरों व बुनाई उद्योग के हितों की देखभाल करेगा। हैण्डलूम -पावरलूम वित्त निगम हथकरघा उद्योग के वाणिज्य पहलुओं के हितों की देखता है। सूत की कमी को दूर करने के लिये प्रदेश में बहुत सी कताई मिलों का पुनर्गठन किया जा रहा है एवं उत्पादन की वृद्धि तथा विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु कदम उठाये जायेंगे। बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्य नगरों में प्रमोशन सेल संगठनों की स्थापना की गई है। खादी एवं ग्रामोद्योग विकास के लिये पांचवी योजना में संस्थागत स्रोत से 10-00 लाख रुपये का परिव्यय एवं वार्षिक योजना 1975-76 हेतु 3-07 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

10. 12 - जनपद की पांचवी पंच वर्षीय योजना में समाज कल्याण कार्यक्रमों हेतु 7-43 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। यह कार्यक्रम निर्धन एवं निराश्रित महिलाओं, बच्चों, अन्धे एवं मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों इत्यादि जैसे वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वार्षिक योजना 1975-76 में इन स समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिये 0-40 लाख रुपयें का परिव्यय प्रस्तावित है ।

10. 13 - शहरी क्षेत्रों में रहने वाला आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग भी अत्यन्त पीड़ित वर्ग है। शहरी क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या जो आवास की कमी से प्रभावित है, उसमें इसी वर्ग के लोग है। पांचवी योजना काल में जनपद में दुर्बल आय वर्गों के 379 आवासों के निर्माण हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा प्राविधान किया गया है । इन आवासों में 252 आवास देहरादून में तथा अवशेष ऋषिकेश में निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 1975-76 में 100 आवास देहरादून तथा 90 आवास ऋषिकेश में निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ।

10. 14- निर्धनता का सबसे मुख्य कारण बेरोजगारी है। अतः लोगों को लाभप्रद रोजगार दिलाकर इस समस्या के निवारण का प्रयास किया जा रहा। ~~[illegible]~~ एवं रोजगार योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जनपद के उप सम्भाग 2 में विशेष रूप से जन जातियों का बाहुल्य है एवं इस सम्भाग में निवासी बहुत ही गरीब एवं पद दलित है। इस उप - सम्भाग में केवल एक ही राष्ट्रीयकृत/ [illegible] बैंक मात्र वर्तमान समय में कार्यरत है। प्रयत्न यह किये जा रहे है कि शीघ्र ही इस सम्भाग में राष्ट्रीयकृत बैंक की और शाखायें खुल जायें ताकि इस सम्भाग में निवास करने वाले समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक उत्थान हेतु बड़े पैमाने पर ऋण आदि दिलाने

की कार्यवाही की जा सके। यह जनपद पिछड़े जिलों की सूची में नहीं आता और न ही यहाँ पर एस० एफ० डी० ए०, एम० एफ० ए० एल० तथा आर० आई० पी० की स्कीमें लागू हैं। अतः यहाँ पर विभिन्नात्मक ब्याज दर की योजना लागू नहीं है। इस उद्देश्य से कि इस योजना के अन्तर्गत इस सम्भाग के निवासियों को सूद कम दरों पर ऋण मिल सके, भारत सरकार से इस बात की प्रार्थना की गई है कि इस सम्भाग (चकराता तहसील) को पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित करने की कृपा करें। भारत सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

इस क्षेत्र के विकास हेतु राज्य सरकार के निमन्त्रण पर कृषि वित्त निगम इस क्षेत्र का वर्तमान समय में एक विस्तृत सर्वेक्षण कर रहा है तथा उसके विभिन्न विशेषज्ञ यहाँ की समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। आशा है कि निगम की रिपोर्ट एवं संस्तुतियां शीघ्र ही उपलब्ध हो सकेंगी।

अध्याय-११ जन जाति क्षेत्र का विकास

११.१ देहरादून जिले में जौनसार बावर का समस्त क्षेत्र जन जाति का क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र जिले के उत्तर में उत्तरी अक्षांश ३०.३१ एवं ३१.३३ तथा पूर्वी देशान्तर ७७.४५ एवं ७८.७२ के मध्य है। जौनसार बावर में स्थित कुल गांवों की संख्या ३८५ है। अधिकांश गांव छोटे छोटे हैं केवल इने गिने ग्राम ही ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या ३०० या उससे अधिक है। वर्ष १९६१ की जनगणना के अनुसार चकराता तहसील का क्षेत्रफल ४५३ वर्ग किलोमीटर है। वर्ष १९७१ की जनगणना के अनुसार इस तहसील की कुल जनसंख्या ७९१२८ है जिसमें से अनुसूचित जन जातियों की संख्या ५६,०८३ है। प्रकार इस तहसील में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के ६२,५६६ व्यक्ति निवास करते हैं जो इस तहसील की कुल जनसंख्या का ७६.१ प्रतिशत है। जहां तक अनु-सूचित जन जाति की जनसंख्या का प्रश्न है वह इस तहसील की कुल जनसंख्या का ७१ प्रतिशत है।

(अ) यमुना, टौन्स (पश्चिमी) और पवार इस क्षेत्र की मुख्य नदियां हैं। यमुना उत्तरकाशी जिले के जमनोत्री बन्दरपूछ पर्वत शिखरों से उदय होती है। देववन से लगभग १५ मील उत्तर में खतबोंदर में लाखा मण्डल के समीप बांदा डोखरी नामक स्थान के समीप यमुना देहरादून जिले में प्रवेश करती है जहां पर इसमें रिखनालगाढ मिलती है। टौन्स सिरमौर (हिमांचल प्रदेश) तथा देहरादून (उत्तर प्रदेश) की सीमा बनाती है और इस प्रकार यमुना नदी रवाई क्षेत्र (जिला उत्तर काशी) तथा जौनपुर क्षेत्र (टेहरी गढ़वाल) की सीमा बनाती है। जल की मात्रा गहराई और चौड़ाई में टौन्स यमुना से कहीं अधिक बड़ी नदी है किन्तु परम्परा से यमुना अधिक महत्वपूर्ण नदी समझी जाती है।

(ब) जौनसार बाबर:- जौनसार बावर का क्षेत्र देहरादून जिले में अण्डाकार स्थिति में स्थित है। यमुना इसकी पूर्वी सीमा बनाती है जो कि इसे देहरा तहसील से प्रथक करती है। टौन्स (पश्चिमी), इस परगने की उत्तरी तथा पश्चिमी सीमा बनाती हुई कालसी के समीप यमुना से मिल जाती है। जौनसार बावर का कुछ भाग टौन्स के दूसरे किनारे पर स्थित है।

जौनसार बावर तीन प्राकृतिक भूभागों से निर्मित है। जौनसार का क्षेत्र उत्तर में लोकहाडी पूर्व में यमुना और पश्चिम में टौन्स से घिरा हुआ है। जौनसार बावर का अधिकांश भाग पर्वत चोटियों, कठोर चट्टानों, नदी घाटियों में स्थित है। इस परगने की मुख्य विशेषता टौन्स और यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्रों को प्रथक करने वाली पर्वत श्रृंखला है जो कालसी के समीप हरीपुर खास से प्रारम्भ होती है और बकराता देव वन के पश्चिम से होती हुई उत्तर पश्चिम की दिशा में चल कर लोकर पर्वत श्रृंखला पर पहुंचती है।

यह समस्त क्षेत्र ३००० फीट से ६,०००फीट के मध्य स्थित है। क्षेत्र की औसत ऊंचाई ४०००फीट है किन्तु देवक ६,३३१ फीट ऊंचाई पर है। इस क्षेत्र में समतल क्षेत्र की बहुत कमी है। जो कुछ समतल क्षेत्र उपलब्ध है छोटे छोटे टुकड़ों में प्राप्त है। गांव यत्र तत्र जहां कही थोडी बहुत भूमि खेती के लिये उपलब्ध है बस गये हैं। उत्तरी ढलानों में घने सम्पन्न बन हैं किन्तु दक्षिणी ढलान अधिकांशत: बन रहित हैं।

(स) जलवायु:- यह समस्त क्षेत्र समुद्र से बहुत दूर है। अत: यहां की जलवायु पर समुद्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह समस्त क्षेत्र हिमालय पर्वत माला के मध्य समशीतोष्ण कटिबन्ध में स्थित है और यहां स्थान विशेष की जलवायु उसकी बनावट और ऊंचाई पर निर्भर

जाती है। जौनसार बावर पहले दो परगने थे। बावर का फनिर पांच खण्डों- बावर, बानाधार, फनधार, कैलगांव तथा देवघर में विभक्त था इसमें देहरादून जिले के पर्वतीय क्षेत्र का तिहाई भाग सम्मिलित था। इस समय समस्त क्षेत्र को बाबर नाम से पुकारते हैं। महासु देवता का प्रसिद्ध मन्दिर भी इसी क्षेत्र के अन्तर्गत है।

समस्त जौनसार बावर क्षेत्र दो सामुदायिक विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत बटा हुआ है। भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन की विज्ञप्ति संख्या १०७ दिनांक जून २४,१९६७ के द्वारा इस समस्त क्षेत्र के निवासी अनुसूचित जन जाति घोषित किये गये हैं। यहां के निवासी अब भी अपने पुराने रीति - रिवाजों को अपनाये हुए हैं और उन पर ही चल रहे हैं।

<u>११.२ इस क्षेत्र की वर्तमान ऋण समस्या:-</u> इस क्षेत्र के लोग इस समय इतने ऋण ग्रस्त हो चुके हैं कि यदि तत्काल इनके आर्थिक उत्थान की योजनायें न चलाई गई तो यहां का आम निवासी ऋण मुक्त नहीं हो सकेगा जिसका सीधा प्रभाव आने वाले वर्षों में यह पड़ेगा कि यहां के निवासी रोजगार की खोज में अपना घरबार छोड़कर इधर उधर भटकते फिरेंगे। इस समय की जानकारी के अनुसार यहां के निवासियों का पर संस्थागत स्त्रोतों द्वारा वितरित ऋण २४ लाख से ले कर ३० लाख के बीच है और सभी स्त्रोतों से आंका जाय तो लगभग ४२ लाख होगा। इसमें उस ऋण का दायित्व सम्मिलित नहीं है जो निजी स्तर पर आपस में लिया दिया गया है। इस क्षेत्र की नीचली जाति कोल्टा, जिसकी जनसंख्या कोल्टा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार १९,७६३ थी, सबसे अधिक ऋण का दायित्व है और वे सदियों तक इस दायित्व से

मुक्त नहीं हो सकते । इस लिये यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में ऐसी योजनायें बनाई जायं जिससे इनको रोजगार मिले तथा इनमें स्वयं आर्थिक उत्थान प्राप्त करने की स्फूर्ति जागृत हो सके ।

११.३ वर्तमान योजनायें:- जौनसार बाबर क्षेत्र के विकास के लिये दो जनजातीय वेलफेयर प्रोजेक्ट कालसी तथा चकराता में स्थापित किये गये थे और यह वर्ष १९७४-७५ के अन्त तक कार्य करते रहे । इनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों एवं वर्षों में किये गये कार्यों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

वर्ष १९७१-७२

क्रमांक	मद	भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति	कुल व्यय (हजार रु० में)
१	२	३	४
१-	कृषि बागवानी	१४९ व्यक्ति	७४.५
२-	यातायात	११ ग्राम सभा	४३.७
३-	लघु सिंचाई	२४ व्यक्ति	३६.०
४-	जन मिलन केन्द्र संख्या	१	५.०
५-	भवन निर्माण	४६ परिवार	६७.६
६-	पेयजल योजना	१६ ग्राम सभा	७४.०
७-	कुटीर उद्योग	१६४ व्यक्ति	४५.५
८-	पशु पालन	१४ परिवार	७.०
वर्ष १९७२-७३			
१-	कृषि । बागवानी	३०० व्यक्ति	१५०.०
२-	यातायात	४ ग्राम सभा	१८.०
३-	पशुपालन	२० परिवार	९.५
४-	लघु सिंचाई	२३ व्यक्ति	३४.७

१	२	३	४
५-	भवन निर्माण	८८ परिवार	१२०.४
६-	पेय जल योजना	३२ ग्राम	११८.०
७-	कुटीर उद्योग	३०३ व्यक्ति	१०३.७
८-	पुनर्वास योजना	३० परिवार	११५.०
९-	जन मिलन केन्द्र संस्था	१	२.०
१०-	सामाजिक शिक्षा	२ ग्राम सभा	५.०
वर्ष १९७३-७४			
१-	कृषि । बागवानी	२१८ व्यक्ति	१११.०
२-	यातायात	६ ग्राम सभा	३६.०
३-	कुटीर उद्योग	१६२ व्यक्ति	८६.०
४-	भवन निर्माण	१४५ परिवार	२२५.८
५-	पेयजल योजना	८ ग्राम	७६.०
६-	अल्प सिंचाई	१० व्यक्ति	१२.०
७-	पशुपालन	१२ व्यक्ति	६.०
८-	सामाजिक शिक्षा	२ ग्रामसभा	४.०
वर्ष १९७४-७५			
१-	कृषि । बागवानी	१६४ व्यक्ति	१०९.६
२-	यातायात	१०१ ग्राम ८५ व्यक्ति	३२३.७
३-	पशुपालन	--	८०.१
४-	अल्प सिंचाई	४१ व्यक्ति	३१.८
५-	सामाजिक शिक्षा	२ ग्रामसभा	२.०
६-	भवन निर्माण	१३४ व्यक्ति	२०५.०

१	२	३	४
७-	खड़ंजा निर्माण	५६ व्यक्ति	१३१.७
८-	पुनर्वास योजना	१३ परिवार	३७.०

११.४

उपरोक्त समस्त योजनाओं के प्रकाश उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि इन योजनाओं से कोई विशेष लाभ इस क्षेत्र के निवासियों को नहीं पहुंचा है ।

अब तक का अनुभव इस बात का प्रमाणहै कि कृषि पर आश्रित रह कर क्षेत्र के निवासियों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं किया जा सकता । अत: यह आवश्यक है कि केवल मात्र कृषि पर आश्रित न रह कर इस क्षेत्र में ऐसी योजनायें चलायी जाय जो तत्काल फल देने वाली हों । इन योजनाओं के अन्तगत निम्न योजना ली जा सकती है:-

(१) सघन फलोत्पादन योजनायें:-

जैसे कहा जा चुका है कृषि इस क्षेत्र में कभी भी आर्थिक विकास का माध्यम नहीं हो सकती । आज आदमी के पास पर्याप्त भूमि नहीं है जिससे उसे पूर्ण कालीन काम मिल सके । इसके अतिरिक्त अधिकतर खेती औरतों द्वारा की जाती है जिसमें पुरुष का योगदान केवल हल चलाने तक ही सीमित है । ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के परिवारों को फलो उत्पादन की ओर उदारता पूर्वक ऋण एवं अनुदान दे कर उत्साहित किया जाये तो इसका सीधा फल यह होगा कि आदमी चार पांच साल के बाद कृषि के कार्य से छुटकारा पा जायेगा ।

(२) कैश क्राप:-

कुछ वर्षों से इस क्षेत्र का ध्यान इस दिशा में गया है किन्तु

अब भी सम्भवत: उचित प्रोत्साहन न मिलने के कारण तथा यातायात की समुचित व्यवस्था न होने के कारण वह अपना पूरा ध्यान, जानते समझते हुए भी, इस ओर नहीं दे पाया है। कैशडाप के अन्तर्गत सड़क से लगे हुए गांवों में आलू, अदरक, मिर्च, अरबी तथा कुछ मात्रा में लोबिया, टमाटर आदि पैदा किया जा रहा है, जो चकराता व सहिया की मण्डियों में आता है परन्तु कृषक को सुविधायें प्राप्त न होने के कारण वह इस क्षेत्र में अधिक प्रोत्साहित नहीं हो पा रहा है।

(३) भूमि संरक्षण:-

इस क्षेत्र में वर्षा का असर अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण कुछ हिस्सों में भूमि का कटाव बहुत अधिक हो रहा है और इस समय भूमि - संरक्षण के कार्य को उचित प्राथमिकता न दी गई तो यह सम्भव हो सकता है कि गांव के गांव खाली करने पड़ें और इस प्रकार एक और समस्या उनके पुनर्वास की सामने आ सकती है। अत: ऐसे क्षेत्रों का सर्वेक्षण करके उन पर उचित शीघ्र कार्यवाही की जानी आवश्यक है।

(४) पशुपालन :-

इस क्षेत्र के ऊंचाई वाले भाग में जहां के निवासी भेड़पालन का कार्य करते हैं उनको प्रोत्साहित करके इसमें प्रगति लायी जा सकती है। इस कार्य के लिये जो अनुदान दिया जाता है उसमें अधिक बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां के निवासियों को दुधारु गाय व भैंस पालने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है। कालसी, चकराता व त्यूनी के आस पास के गांव इस योजना के अन्तर्गत लिये जा सकते हैं।

इसी प्रकार मुर्गी पालन तथा बकरी पालन भी

ऐसे ही कुछ इनेगिने गांवों में किया जा सकता है जिससे उनकी आर्थिक उन्नति हो सकती है ।

(५) शिक्षा : -

इस क्षेत्र में साक्षरता का स्तर अभी तक न्यूनतम ही है । विभाग की ओर से शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने के लिये कुछ प्रयत्न अवश्य किये गये हैं किन्तु क्षेत्र की आवश्यकता तथा भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब तक के प्रयत्न नाकाफी हैं । इस लिये आवश्यक है कि यदि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ और प्रगति निर्धारित समय के अन्दर करनी है तो कक्षा १ से १० तक के स्टैन्डर्ड के तीन अतिरिक्त आश्रम पद्धति विद्यालय तथा प्रारम्भिक अवस्था में एक अतिरिक्त आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय की स्थापना की जाय ।

(६) जनस्वास्थ्य:-

दवाखाना की सुविधायें क्षेत्र में प्राय: न के बराबर हैं । अत: इस दिशा में इस तरह के प्रयत्न किये जाने आवश्यक है कि किसी भी रोगी को अस्पताल पहुंचने के लिये आठ दस मील से अधिक न चलना पड़े ।

(७)स्टाफ की नियुक्ति तथा उनहें दी जाने वाली सुविधायें:-

इस क्षेत्र में नियुक्त कर्मचारियों को निम्न सुविधायें दिलाने की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है :-

(१) कर्मचारियों के आवास की सुविधा (२) आकर्षक वेतन व अतिरिक्त भत्तादेय व पदोन्नति के अवसर (३) कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को बढ़ाने की गारन्टी (४) चिकित्सा आदि की समुचित सुविधायें ।

अध्याय - १२ पर्वतीय सम्भाग का
-: विकास :-

१२.१ - उत्तर प्रदेश के पर्वतीय सम्भाग में देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी-गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमौली तथा उत्तर काशी के आठ जिले शामिल हैं। भौगोलिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से [illegible] दृष्टि से यह सम्भाग एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह क्षेत्र उत्तर में हिमालय, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में नेपाल तथा दक्षिण में प्रदेश के गंगा के मैदानी क्षेत्र से घिरा हुआ है। देहरादून तथा नैनीताल के कुछ मैदानी [illegible] सम्पूर्ण क्षेत्र पहाडी है, जिसकी ऊंचाई ३०० मीटर से ७,८०० मीटर के बीच है।

१२.२ - इस क्षेत्र की मिट्टी चट्टानी तथा अधिक अम्लयुक्त है। यहां की मिट्टी में नत्रजन तथा नमी का बाहुल्य है। पहाड़ों की तलहटी तथा तराई तथा भावर क्षेत्रों की मिट्टी क्षारी है जो दोमट अथवा बलुई दोमट प्रकार की है। घाटियों में मिट्टी अर्थात क्ले तथा आर्गेनिक मिश्रण की अधिकता है।

१२.३ - इस क्षेत्र में वनों का बाहुल्य है और प्रदेश के वनों का लगभग ६५.७ प्रतिशत क्षेत्र इस सम्भाग में स्थित है जिसका क्षेत्रफल इस क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्र का ६३.७ प्रतिशत है।

१२.४ - भौगोलिक स्थिति में भिन्नता के कारण विभिन्न स्थानों की जलवायु में भी भिन्नता पाई जाती है। [illegible] विभिन्न स्थानों का तापमान न्यूनतम १° से ४° और अधिकतम २° से ४२° सेंटीग्रेड के बीच रहता है। मानसून के दिनों में इस क्षेत्र में विशेष कर अच्छी वर्षा हो जाती है जो उत्तरी सम्भाग में २५ से०मी० से २०० से०मी० तक और तराई तथा भावर क्षेत्र में १०० से०मी० तक सीमित रहती है।

१२.५ - इस सम्भाग में प्राकृतिक सम्पदा का बाहुल्य है। क्षेत्र के प्रमुख साधनों में वन सम्पदा, खनिज पदार्थ और पशुधन आदि महत्वपूर्ण है।

क्षेत्रफल

१२.६ - इस क्षेत्र की जनसंख्या (१९७१ की जनगणना के अनुसार) तथा/ ५१,१०० वर्ग कि०मी० है जो राज्य की जनसंख्या व क्षेत्रफल का क्रमश: ४.३ प्रतिशत व १७.४ प्रतिशत है। क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व राज्य की ३०० व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० की तुलना में केवल ७५ व्यक्ति प्रति वर्ग कि० मी० है। क्षेत्र की कुल जनसंख्या में ग्रामीण ^ लगभग ८६ प्रतिशत है तथा नगरीय जनसंख्या का औसत लगभग १४ प्रतिशत है। १९७१ की जनगणना के आधार पर राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र में प्रति एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या (९९७) सबसे अधिक है जबकि राज्य का यह औसत/ है।

१२.७ - क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और अधिकतर कर्मकर कृषि एवं संवर्गीय कार्यों में ही लगे हैं। क्षेत्र की कुल जनसंख्या में कुल कर्मकरों (१९.३ लाख) का प्रतिशत ४१.६ है और कुल कर्मकरों में लगभग ७५.३ प्रतिशत कर्मकर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। उद्योग, खनिकर्म व विनिर्माण, पशुपालन, बागवानी, व्यापार, व्यवसाय व यातायात आदि में लगे कर्मकरों का प्रतिशत २४.७ है।

१२.८ - १९७१ की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जनजातियों की जनसंख्या ७.५४ लाख है जो राज्य की इसी श्रेणी की संख्या का ४ प्रतिशत तथा इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का १६.७ प्रतिशत है।

१२.९ - इस क्षेत्र की अपनी विशेष समस्यायें हैं। क्षेत्र की आय का मुख्य स्त्रोत कृषि है। क्षेत्र की विषम स्थलाकृति, दुर्गम पहाड, यातायात तथा कृषि योग्य सीमित भूमि की विशेष समस्यायें हैं और कुल रिपोर्टिंग एरिया का केवल १४ प्रतिशत क्षेत्र ही कृषि योग्य है। विषम स्थलाकृति तथा पथरीली भूमि के कारण खेती की प्रक्रिया भी अधिक कठिन है और केवल घाटियों तथा पहाड़ों के ढलानों पर ही खेती करना सम्भव है। जोतों का आकार बहुत छोटा है और लगभग ९० प्रतिशत से अधिक खेतिहर परिवार सीमान्त अथवा उससे भी लघु कृषक हैं तथा केवल १० प्रतिशत जोतों का आकार ३ हेक्टर से अधिक है जो अधिकतर नैनीताल व देहरादून के तराई क्षेत्रों

में बिखरी हुई है। सिंचाई के साधन भी सीमित है जो मुख्यत: मैदानी भागों अथवा पानी के स्रोतों के पास की घाटियों में ही उपलब्ध है।

१२.१० - जनसंख्या विरल और बिखरी हुई है। यातायात के साधनों की अत्यधिक कमी है क्योंकि सम्भाग के अधिकतर भाग में सभी ऋतुओं में प्रयोग की जाने वाली अथवा लिंक सड़कों की सुविधा अभी भी उपलब्ध नही है। विद्युत, सिंचाई, श्रम एवं विपणन आदि मौलिक व्यवस्थापन की सुविधाओं की कमी है और उनका आवश्यकता के अनुसार विकास नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल का अत्यधिक अभाव है। लगभग, ६९७४ (चालीस प्रतिशत) आबाद ग्रामों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। औद्योगिकरण की धीमी गति तथा फलोद्यानों तथा पर्यटन, वन और खनिज सम्पदा की उपलब्धि क्षमता का पूर्ण उपयोग न होने के कारण बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी की भी समस्या विषम है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि इस क्षेत्र में १९७० में पंजीकृत कारखानों में प्रति लाख जनसंख्या परकार्यरत कर्मियों का औसत केवल २५८ था। जबकि राज्य का यह औसत ४१८ था।

१२.११ - प्रदेश के ५५ जिलों में से २८ जिले ३ पिछड़े हुए क्षेत्रों में आते हैं जिसमें से पर्वतीय क्षेत्र के ८ जिले भी हैं। राज्य में ३८ जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए माने गये हैं जिनमें पर्वतीय क्षेत्र के ६ जिले भी सम्मिलित हैं।

१२.१२ - विगत योजनाओं में राज्य द्वारा अपने सीमित संसाधनों के अन्तर्गत इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक विनियोजन का भरसक प्रयास किया गया है। तृतीय योजना व तीन वार्षिक योजनाओं की अवधि में विशेष [illegible] रूप से पर्वतीय क्षेत्र को लाभान्वित करने वाली योजनाओं पर ७२.६२ करोड रुपया व्यय किये गये थे जो पूरे राज्य के कुल व्यय का ६.७ प्रतिशत था। चौथी योजना में राज्य के कुल विभाज्य परिव्यय में इस क्षेत्र के लिये कुल विभाज्य परिव्यय में इस क्षेत्र के लिये अपेक्षाकृत अधिक धनराशि आवंटित की गई क चौथी योजना में इस क्षेत्र के लिये निर्धारित ६५.१० करोड रु० के मूल परिव्यय के विपरीत लगभग ७३.३३ करोड रु० व्यय होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र को राज्य की उन बहु क्षेत्रीय परियोजनाओं से भी लाभ पहुंचा है, जिनका क्षेत्रीय विभाजन सम्भव नहीं है।

१२.१३ - पांचवीं योजना में मुख्य रूप से इस क्षेत्र के विकास के लिये समन्वित क्षेत्रीय विकास की नीति अपनाई गई है जो क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों क्षमताओं तथा आवश्यकताओं पर आधारित है। इस क्षेत्र की विशेष समस्याओं तथा पिछड़ेपन को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये वे ही प्रमुख उद्देश्य रक्खे गये हैं जो जिले की योजना के लिये रक्खे गये है और जिनका विस्तृत विवरण परि च्छेद ४ के अनुच्छेद ४.६ में है। इस क्षेत्र की पांचवीं योजना को उत्पादक एवं उपलब्धिपूर्ण स्वरूप देने का प्रयास किया गया है और क्षेत्रीय विकास में ठोस प्रभाव तथा गतिशीलता लाने के लिये सामाजिक सेवाओं तथा आधारभूत सुविधाओं का प्रसार इस प्रकार किया जायेगा जिससे क्षेत्र का समन्वित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित हो सके। सड़क, विद्युत तथा पेयजल कार्यक्रमों को कृषि, बागवानी, पर्यटन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि कार्यक्रमों के साथ सम्बद्ध (Synchronise) समन्वय किया जायगा। जिला स्तर पर विभागीय कार्यक्रमों में अन्तर्विभागीय पूर्ण सुनिश्चित करने के लिये जिला योजनायें भी तैयार की गई हैं। पर्वतीय क्षेत्र के लिये प्राथमिकता को निर्धारित करते समय क्षेत्र की विशेष समस्याओं आवश्यकताओं, वर्तमान विकास का स्तर, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन तथा क्षमताओं का मूल्यांकन करते हुए यह उद्देश्य रक्खा गया है कि क्षेत्रीय विषमताओं । असमानताओं को धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त किया जाय तथा संसाधनों का पूर्ण उपयोग यद्यपि दीर्घकालीन लक्ष्य है तथापि इस अन्तर को यथासम्भव शीघ्र दूर किया जाय।

१२.१४ - <u>योजना परिव्यय</u> :- पर्वतीय क्षेत्र की पांचवीं योजना तथा वर्ष १९७४-७५ और १९७५-७६ के कार्यक्रमों में क्षेत्र की क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप तथा योजना आयोग की कमेटी आफ डायरेक्शन द्वारा दिये गये बहुमूल्य सुझावों को ध्यान में रखते हुये तैयार किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र की पांचवीं योजना के प्रारूप का आकार आरम्भ में ३०२ करोड रु० का तैयार किया गया था। सीमित संसाधनों के सन्दर्भ में पुनर्विचार के पश्चात् इस योजना का परिव्यय २७६.६२ करोड रु० है। वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों तथा सीमित साधनों के कारण वर्ष १९७४-७५ में इस क्षेत्र के लिये २१.०१ करोड रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया था जिसमें १२ करोड रु० की उपलब्ध विशेष केन्द्रीय सहायता शामिल है।

उस २१.०१ करोड रु० के परिव्यय के सापेक्ष वर्ष ७४-७५ में लगभग २२.६५ करोड रु० व्यय होने का अनुमान है। वर्ष १९७४-७५ के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर योजना आयोग की अभ्युक्ति सुझावों के अनुसार ही बल दिया जा रहा है।

१२.१५ - विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्य निगमों के माध्यम से भी पर्वतीय क्षेत्र में समुचित नियोजन किये जाने की आशा है। उदाहरणार्थ पर्वतीय विकास निगम, राज्य कृषि औद्योगिक निगम राज्य वन निगम, राज्य पर्यटन निगम, राज्य खनिज विकास निगम तथा राज्य सीमेन्ट निगम आदि। वर्ष १९७५-७६ में पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये २५ करोड़ रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है। जिसके अन्तर्गत २४ करोड रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होने का अनुमान है।

१२.१६ - वृहद विकास शीर्षकों के अनुसार पांचवीं योजना परिव्यय और प्रत्याशित व्यय तथा १९७५-७६ के लिये निर्धारित परिव्यय का विवरण निम्न प्रकार है। (करोड रु० में)

क्रमांक	विकास शीर्षक	पांचवीं योजना परिव्यय (अस्थाई)	१९७४-७५ स्वीकृत परिव्यय	१९७४-७५ प्रत्याशित व्यय	१९७५-७६ निर्धारित परिव्यय
१	२	३	४	५	६
१-	कृषि एवं सम्बर्गीय सेक्टर्स	८४.९७	६.१९	५.८६	६.१८
२-	सहकारिता	२.८५	०.३५	०.०९	०.२०
३-	सिंचाई तथा विद्युत	३८.४८	१.७०	३.४०	२.८०
४-	उद्योग एवं खनिज	२२.७०	१.४८	०.९९	१.७६
५-	यातायात एवं संचार साधन	६३.२२	५.७०	६.६०	६.६५
६-	समाज तथा सामुदायिक सेवायें	६४.२२	५.७६	५.६६	७.३९
७-	आर्थिक सेवायें तथा अन्य	०.१८	०.०३	०.०२	०.०४
		२७६.६२	२१.०१	२२.६५	२५.[illegible]

१२.१७ - उपरोक्त के अलावा पर्वतीय क्षेत्र राज्य की उन बहुक्षेत्रीय योजनाओं । प्रायोजनाओं से भी लाभान्वित होगा जिनका क्षेत्रीय विभाजन सम्भव नहीं है, जैसे विद्युत उत्पादन तथा वृहद पारेषण तथा वितरण प्रायोजनायें, उच्च शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान एवं सचिवालय व्यय आदि।

विवरण पत्र - 1

जिले के आधार भूत आंकड़े

जिला - देहरादून

मद	इकाई	1968-69 की स्थिति	1972-73 की स्थिति
कुल क्षेत्रफल-	(000 हैक्टेयर)		
1- भौगोलिक क्षेत्र	,,	262-590	265-772
2- वनों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	167-254	169-600
3- फलोद्यानों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	7-146	6-396
4- शुद्ध बोया गया क्षेत्र	,,	54-714	54-652
5- परती भूमि (कुल)			
1- वर्तमान परती भूमि	,,	2-933	3-796
2- अन्य परती भूमि	,,	1-417	1-937
6- कृषि योग्य बंजर भूमि	,,	11-771	12-060
7- भूमि जो कृषि के लिये उपलब्ध नही है			
1- बंजर भूमि जो कृषि योग्य नही है	,,	1-852	1-506
2- भूमि जो कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये काम में लाई जा रही है	,,	15-457	15-756

जोतो की संख्या तथा उनके अन्तर्गत क्षेत्र (कृषि गणना 1971-72 के अनुसार)

	संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
1 हैक्टेयर तक	33,813	11,622
1 तथा 3 हैक्टेयर के बीच	12,941	22,635
3 तथा 5 हैक्टेयर के बीच	3,240	12,258
5 हैक्टेयर तथा उससे अधिक	1,546	14,490
कुल जोतें :-	51,540	61,005

जन संख्या (हजारों में) - (सन् 1971 की जनगणनानुसार)

	नगरीय	ग्रामीण	योग
पुरुष	1,57	1,63	3,26
स्त्रियाँ	1,14	1,37	2,51
योग	2,71	3,06	5,77

कर्मचारियों की संख्या (हजार में)

	नगरीय	ग्रामीण	योग
पुरुष	82	98	180
स्त्रियाँ	4	17	21
योग	86	115	201

पिछड़े समुदायों की जन संख्या (हजार में)

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल योग
पुरुष	37	34	71
स्त्रियाँ	30	28	58
योग	67	62	1,29

घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर (संख्या) - 186

सतत प्रवाहशील नदियाँ - (नाम)

1- गंगा 2- यमुना 3- आसन 4- टौंस

मौसमी नदियाँ - (नाम)

1- सोंग 2- जाखन 3- सुस्वा 4- रिस्पना

5- शीतला 6- टौंस (छोटी)

मिट्टी की मुख्य किस्में :-

क- दुमट   ख - रेतीली दुमट

ग- सिल्टी दुमट   घ- सिल्टी चिकनी रेतीली

मासिक औसत वर्षा :- मि०मी०	वर्ष 1968-69 की स्थिति	वर्ष 73-74की स्थिति
	146	अप्राप्त
चकबन्दी का क्षेत्र - हैक्टेयर में	-	045
* साधनों द्वारा सिंचित शुद्ध क्षेत्र (000 हैक्टेयर में)		
1- नहरें	9-973	9-973
2- नलकूप	0-559	0-566
3-लिफ्ट पंप	-	-
4- तालाब/ भडार	-	-
5- पक्के कुयें	-	-
6- अन्य साधनों से	6-997	6-997
* कुल सिंचित क्षेत्र(000 हैक्टर में)		
1- शुद्ध	17-529	17-536
2- सकल	26-513	26-456
महत्वपूर्ण फसलों के नाम क्षेत्रफल		
1-धान	12-406	13-704
2- मंडुआ	6-701	5-964
3- मक्का	12-780	7-974
4- गेहूँ	22-608	23-167
5- जौ	2-924	3-000
6- सांवा	1-179	1-017
7- चना	0-968	1- 290
8- मटर	0-603	0-269
9- गन्ना	5-320	5-610
10- आलू	0 - 537	0-629

* इस मद के सम्मुख अन्तिम स्तम्भ के आंकड़े वर्ष 1972-73 की स्थिति दिखाते है

औसत उपज प्रति हैक्टेयर- कि०ग्रा०

	वर्ष 1968-69 की स्थिति	वर्ष 1973-74 की स्थिति
क- गेहूँ	1074	556
ख- चावल	911	822
ग- मडुआ	571	604
घ- सावा	540	464
ङ- मक्का	701	846
च- गन्ना	40430	47295
छ- मूंगफली	509	-
ज- अन्य तिलहन लाही/ सरसों	390	521

महत्वपूर्ण फलों के नाम - क्षेत्रफल

नाम	क्षेत्रफल हैक्ट० में
क- सेब	1,673
ख- आम	1,143
ग- अमरूद	994
घ- लीची	702
ङ- आडू नाशपाती	607

महत्वपूर्ण वन उपज के नाम :-

1- इमारती लकडी - देवदार, चीड़ , साल
2- लीसा
3- जडी बूटियां
4- ईंधन की लकडी
5- रिंगाल

व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के नाम :-

1- चूना 2- तांबा 3- मार्बल 4- डोलोमाइट
5- स्लेट 6- फासफेट 7- जिप्सम

कतरपूर्ती - स्थानीय औद्योगिक उत्पादन के नाम -

1- दवाईयाँ	9- खाण्डसारी एवं चीनी
2- मिनियेचर बल्ब	10- चाय
3- आन्तानोटल सुपारी	11- शहद ।
4- हेयर बोर्ड	12- साबुन
5- थर्मामीटर	13- खेल का सामान
6- वजन करने की मशीन	14- आप्टीकल
7- हथकरघा का कपड़ा	15- आटा
8- रेशम का धागा	

रेलवे लाइन की लम्बाई :-

1- बड़ी लाइन	कि०मी०	64-50
2- छोटी लाइन	,,	-
3- नैनगेज	,,	-

सड़कों की लम्बाई :-	कि०मी०	वर्ष 1968-69 की स्थिति	1973-74 की स्थिति
(क) समतल	,,	609	729
(ख) असमतल	,,	अप्राप्त	अप्राप्त

बिजली की लाइनों की लम्बाई :-

1- एच०टी० लाईनें (कि०मी०)	366	547
2- एल०टी०लाईनें (कि०मी०)	122	232

पशु संख्या (1972 की गणना के अनुसार):-

1- दुधारू पशु	79,723
2- अदुधारू पशु	1,26,366
3- बकरियाँ और भेडें	1,13,469
4- अन्य	6,676
योग:-	3,26,234
कुक्कुट	61,007

तहसीलों की संख्या - 2

1- देहरादून 2- चकराता

विकास खण्डों की संख्या :- 4

1- चकराता 2- कालसी 3- त्यूनी 4- डोईवाला

ग्रामों की संख्या :- 769

जन संख्या सहित नगरों / शहरों की संख्या :-

1- 10,000 तक 4

2- 10,000 से 20,000 तक 3

3- 20,000 से 50,000 तक 1

4- 50,000 से 1,00,000 तक -

5- 1,00,000 से ऊपर 1

नगरों की संख्या :-	वर्ष 1968-69 की स्थिति	वर्ष 1973-74 की स्थिति
1- जिनमें बिजली है	8	9
2- जिनमें पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति होती है	6	6

गांवों की संख्या :-

क- जिनमें बिजली है	72	161
ख- जिनमें पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति होती है	125	287

विद्यालयों की संख्या :-

क- बेसिक स्कूल	493	513
ख- सीनियर बेसिक स्कूल	48	61
ग- हायर सेकेन्ड्री स्कूल	40	43
घ - डिग्री कालेज	5	7

प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थायें -

1- राजकीय बापू महिला औद्योगिक संस्थान, देहरादून

2- राजकीय औद्योगिक संस्थान, राजपुर रोड, देहरादून

3- राजकीय औद्योगिक संस्थान, ~~मिल्खसनपुर~~ देहरादून

अनुसूचित बैंकों की शाखाओं की संख्या :-

	वर्ष 1968-69 की स्थिति	वर्ष 1973-74 की स्थिति
1- नगर क्षेत्र में } 2- ग्रामीण क्षेत्र में }	32	54

प्राथमिक/ बहुधंधी / साधन सहकारी समितियों की संख्या :-

1- वृहदाकार समितियों की संख्या	7	7
2- सहकारी यूनियनों की संख्या	8	8
3- क्रय विक्रय समितियों की संख्या	2	2
4- सहकारी बैंकों के शाखाओं की संख्या	4	6
5- विनियमित बाजारों की संख्या	1	4

गोदाम :-

		संख्या	संग्रहण क्षमता (000टन)
1- सहकारी	अप्राप्त	7	4-600
2- सहकारी	,,	15	2-012
3- अन्य	अप्राप्त	-	-

उर्वरक डिपो

1- कृषि विभाग	अप्राप्त	9	0-605
2- सहकारी विभाग	,,	5	1-100
3- अन्य	,,	-	-

	वर्ष 1968-69 की स्थिति	वर्ष 1973-74 की स्थिति
सरकीय बीज फार्म :-		
संख्या	-	-
क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	-	-
पशु चिकित्सालयों/ औषधालयों की संख्या	8	11
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या	2	2
पशुपालन केन्द्रों की संख्या	18 18	18
चिकित्सालयों/ औषधालयों की संख्या		
शहरी	47	52
ग्रामीण	31	33
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	4	4
चिकित्सालयों / औषधालयों में शैयाओं की संख्या		
शहरी	302	362
ग्रामीण	504	526

:: रूपपत्र - 1 ::

पांचवी योजना परिव्यय (000 रु० में) जिला देहरादून

क्रम सं०	कार्यक्रम	पाँचवी योजना परिव्यय (000 रु०) राज्य आयोजनागत	संस्थागत	राज्य निगमों अधिकरणों द्वारा पूंजी निवेश	जन पोषित	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	केन्द्रीय सेक्टर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	कृषि	5420	-	-	-	-	-	5420
2-	गन्ना विकास	707	-	-	-	-	-	707
3-	चकबन्दी	-	-	-	-	-	-	-
4-	भूमि उपयोग	9077	-	-	-	135	-	9212
5-	निजी लघु सिंचाई	4050	-	-	4050	-	-	8100
6-	राजकीय सिंचाई :-							
	क- लघु सिंचाई	19500	-	-	-	-	-	19500
	ख - वृहद एवं मध्यम	10000	-	-	-	-	-	10000
7-	भूमि संरक्षण	2457	-	-	700	-	-	3157
8-	भण्डारण एवं विपणन (भण्डारागार निगम)	200	-	-	-	-	200	400
9-	पशुपालन	7145	-	-	-	-	-	7145
10-	दुग्ध सम्पूर्ति	3888	-	-	-	-	-	3888
11-	मत्स्य	530	-	-	-	-	-	530

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12-	वन-वानिकी	16924	-	-	-	-	-	16924
13-	सामुदायिक विकास	39	-	-	-	-	-	39
14-	पंचायतराज	126	-	-	12	-	-	138
15-	प्रादेशिक दल	57	-	-	-	-	-	57
16-	लघुसिंचाई	1529	-	-	10323	-	246	21095
17-	बाढ़ सुरक्षा	2288	-	-	-	-	-	2288
18-	ग्रामीण विद्युतीकरण	---------- अप्राप्त ----------						
19-	अग्निशमन	2400	-	-	-	-	-	2400
20-	लघु उद्योग	7760	-	-	11430	-	-	19190
21-	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड :-	-	1000	-	-	-	-	1000
22-	हथकरघा	2963	-	-	-	-	-	2963
23-	उ०प्र० एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन *	-	3855	4450	-	-	-	8305
24-	सड़कें	50353	-	-	-	-	-	50353
25-	सड़क परिवहन	---------- अप्राप्त ----------						
26-	पर्यटन	12943	-	-	-	-	-	12943
27- 28-	शिक्षा (बेसिक), शिक्षा (माध्यमिक एवं उच्च)	2646	-	-	-	-	-	2646
29-	प्राविधिक शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-
30-	चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य	1731	-	-	-	7724	-	9595

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31- पेय जल एवं मल निस्तारण								
	31396	11627	-	-	-	-	43023	
32- पेयजल (सामुदायिक विकास)	-	-	-	-	-	-	-	
33- आवास एवं विकास	3365	10436	-	-	-	-	13551	
34- सूचना	-	-	-	-	-	-	-	
35- श्रम प्रशिक्षण एवं सेवायोजन	-	-	-	-	-	-	-	
अ- श्रम कल्याण	78	-	-	-	-	-	78	
36- हरिजन कल्याण	5021	-	-	-	17664	-	22685	
अ- समाज कल्याण	743	-	-	-	-	-	743	
37- पुष्टाहार कार्यक्रम	434		-	-	68	-	488	
38- विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग								
	-	-	-	-	-	-	-	
39- मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण प्रभाग								
	-	-	-	-	-	-	-	
40- सांख्यिकी	130	-	-	-	-	-	130	
41- बाँट तथा माप	-	-	-	-	-	-	-	
योग :-	205620	27876	4450	35512	25591	446	299495	

* फलों तथा पेय पदार्थों इत्यादि के कारखानों की स्थापना हेतु ।

× इसमें शिक्षा विभाग के माध्यमिक आहार एवं पूरक आहार के परिव्यय की सूचना जनपदों के लिये पृथक से उपलब्ध न होने के कारण सम्मिलित नहीं है।

वर्ष 1974-75 परिव्यय

क्रम संख्या	कार्यक्रम	राज्य आयोजनागत	संस्थागत	साथ ही निकायों प्राधिकरणों द्वारा पूर्ति निवेश	केन्द्र पोषित	केन्द्र द्वारा पूर्णतः निर्धारित	केन्द्रीय सेक्टर	योग
		10	11	12	13	14	15	16
1-	कृषि	410	-	-	-	19	-	429
2-	भूमि विकास	32	-	-	-	-	-	32
3-	उद्यान की	173	-	-	-	-	-	173
4-	लघु उद्योग	374	108	-	-	11	-	493
5-	निजी लघु सिंचाई	465	-	-	465	-	-	930
6-	राजकीय सिंचाई							
	क - लघु सिंचाई	1524	-	-	-	-	-	1524
	ख - बृहत एवं मध्यम	-	-	-	-	-	-	-
7-	भूमि संरक्षण	813	-	-	300	-	-	1113
8-	भण्डारण एवं विपणन (भण्डारागार निगम)	-	-	-	-	-	-	-
9-	पशुपालन	1076	-	-	-	-	-	1076
10-	दुग्ध आपूर्ति	1037	-	-	-	-	-	1037
11-	मत्स्य	43	-	-	-	-	-	43
12-	वनवानिकी	703	-	-	-	-	-	703
13-	सामुदायिक विकास	4	-	-	-	-	-	4
14-	पंचायतराज	5	-	-	-	-	-	5
15-	प्रादेशिक दल	1	-	-	-	-	-	1
16-	सहकारिता	131	-	-	3365	-	-	3496
17-	बाढ़ सुरक्षा	2040	-	-	-	-	-	2040

!	10	11	12	13	14	15	16
18- ग्रामीण विद्युतीकरण	469	-	-	-	-	-	469
19- [illegible]	350	-	-	-	-	-	350
20- लघु उद्योग	399	-	-	2235	-	-	2635
21- खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	-	236	-	-	-	-	236
22- हथकरघा	436	-	-	-	-	-	436
23- उ0प्र0 एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन	-	-	9	-	-	-	9
24- सड़कें	6529	-	-	-	-	-	6529
25- सड़क परिवहन	- - - - - - अ प्रा प्त - - - - - - - - - - -						
26- पर्यटन	1430	-	-	-	-	-	1433
27- शिक्षा (बेसिक) / 28- शिक्षा (माध्यमिक एवं उच्च)	265	-	-	-	-	-	265
29- प्राविधिक शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-
30- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	232	-	-	-	1952	-	2184
31- पेयजल एवं निस्तारण	3534	-	-	-	-	-	3534
32- पेयजल (तात्कालिक [illegible])	15	-	-	-	-	-	15
33- आवास एवं विकास	-	1332	-	-	-	-	1332
34- सूचना	-	-	-	-	-	-	-

1	10	11	12	13	14	15	16
35- क- प्रशिक्षण एवं सेवायोजन	-	-	-	-	-	-	-
ग- श्रम कल्याण	3	-	-	-	-	-	3
36- क- हरिजन कल्याण	453	-	-	-	400	-	853
ख- समाज कल्याण	36	-	-	-	-	-	36
37- पुष्टाहार कार्यक्रम	1000	6	-	-	60	0-4	1066-4
38- निवास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग	-	-	-	-	-	-	-
39- मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण प्रभाग	-	-	-	-	-	-	-
40- राजकीय	23	-	-	-	-	-	23
41- बाट एवं माप	-	-	-	-	-	-	-
योग :-	24010	1682	9	6416	2442	0-4	34559-4

वर्ष 1974-75 का व्यय

क्रम संख्या	कार्यक्रम	राज्य आयोजनागत	संस्थागत	राजकीय निगमों द्वारा पूंजी निवेश	जन पोषित	केन्द्र द्वारा पुरोनि	केन्द्रीय सेक्टर	योग
1	2	17	18	19	20	21	22	23
1-	कृषि	204	-	-	-	12	-	216
2-	कन्या शिक्षा	24	-	-	-	-	-	24
3-	सहकारी	172	-	-	-	-	-	172
4-	जल उपयोग	183	-	-	-	16	-	199
5-	निजी लघु सिंचाई	344	-	-	344	-	-	688
6-	राजकीय सिंचाई							
	क-लघु सिंचाई	-			अप्राप्त			
	ख-नूतन एवं स्थापना	-	-	-	-	-	-	-
7-	भूमि संरक्षण	957	-	-	382	-	-	1339
8-	भण्डारण एवं विपणन (भण्डारागार निगम)	-	-	-	-	-	-	-
9-	पशुपालन	360	-	-	-	-	-	360
10-	दुग्ध सम्पूर्ति	373	-	-	-	-	-	373
11-	मत्स्य				अप्राप्त			
12-	वन वानिकी	975	-	-	-	-	-	975
13-	सामुदायिक विकास	10	-	-	-	-	-	10

	17	18	19	20	21	22	23
14- [illegible]	5	-	-	-	-	-	5
15- प्रादेशिक दल	1	-	-	-	-	-	1
16- [illegible]	236	-	-	2711	-	-	2997
17- बाढ़ सुरक्षा	2316	-	-	-	-	-	2316
18- ग्रामीण विद्युतीकरण	469	-	-	-	-	-	469
19- [illegible]	453	-	-	-	-	-	453
20- लघु उद्योग	399	-	-	2236	-	-	2635
21- खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	-	42	-	-	-	-	42
22- हथकरघा	416	-	-	-	-	-	416
23- यू0पी0एग्रो इण्ड0 कार0	-	-	9	-	-	-	9
24- सड़कें	6610	-	-	-	136	-	6746
25- सड़क परिवहन	- - - - - - - - अप्राप्त - - - - - - - -						
26- पर्यटन	1430	-	-	-	-	-	1430
27- शिक्षा (बेसिक) 28- शिक्षा (माध्यमिक एवं उच्च)	190	-	-	-	-	-	190
29- प्राविधिक शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-
30- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	112	-	-	-	1657	-	1769

	17	18	19	20	21	22	23
31- पेयजल एवं मलनिस्तारण	1474	–	–	–	–	–	1474
32- पेयजल (आनुषंगिक निकाय)	15	–	–	–	–	–	15
33- आवास एवं विकास	–	2698	–	–	–	–	2698
34- सूचना	–	–	–	–	–	–	–
35- श्रम प्रशिक्षण एवं सेवायोजन	–	–	–	–	–	–	–
श्रम कल्याण	3	–	–	–	–	–	3
36- हरिजन कल्याण	728	–	–	–	289	–	1017
जनजाति कल्याण	13	–	–	–	–	–	13
37- पुष्टाहार कार्यक्रम	932	6	–	–	68	3-4	1049?-4
38- विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग	–	–	–	–	–	–	–
39- मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण प्रभाग	–	–	–	–	–	–	–
40- तकनीकी	24	–	–	–	–	–	24
41- बाट तथा माप	–	–	–	–	–	–	–
योग :-	1923?	2746	9	5723	2173	3-4	29836?-4

वर्ष 1975-76 का परिव्यय

क्र० सं०	कार्यक्रम	राज्य आयोजनागत	संस्थागत	राज्य द्वारा पूर्ण	विभागों द्वारा निधि	जन पोषित	केन्द्र द्वारा पुरोनिधि	केन्द्रीय सेक्टर	योग
		24	25	26		27	28	29	30
1-	कृषि	399	-	-		-	24	-	423
2-	गन्ना विकास	35	-	-		-	-	-	35
3-5	चकबन्दी	-	-	-		-	-	-	-
4-	फल उद्यान	495	144	-		-	20	-	659
5-	निजी लघु सिंचाई	650	-	-		650	-	-	1300
6-	राजकीय सिंचाई-								
	क- लघु सिंचाई	1568	-	-		-	-	-	1568
	ख- वृहद एवं मध्यम	-	-	-		-	-	-	-
7-	भूमि संरक्षण	626	-	-		100	-	-	726
8-	भण्डारण एवं विपणन (भण्डारागार निगम)	100	-	-		-	-	100	200
9-	पशुपालन	497	-	-		-	-	-	497
10-	दुग्ध [illegible]	527	-	-		-	-	-	527
11-	मत्स्य	125	-	-		-	-	-	125
12-	वन वानिकी	765	-	-		-	-	-	765
13-	सामुदायिक विकास	14	-	-		-	-	-	14
14-	पंचायत राज	13	-	-		4	-	-	17
15-	[illegible]	1	-	-		-	-	-	1
16-	सहकारिता	75	-	-		3905	-	-	3980

	24	25	26	27	28	29	30
17- बाढ़ सुरक्षा	1271	-	-	-	-	-	1271
18- ग्रामीण विद्युतीकरण	1410	-	-	-	-	-	1410
19- [illegible]र्जा	300	-	-	-	-	-	300
20- लघु उद्योग	212	-	-	2500	-	-	2712
21- खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	-	307	-	-	-	-	307
22- हथकरघा	411	-	-	-	-	-	411
23- यू0 पी0 एग्रो इण्ड0 कार्प0	-	-	1200	-	-	-	1200
24- सड़कें	6444	-	-	-	300	-	6744
25- सड़क परिवहन	------ [illegible] ---------						
26- पर्यटन	2300	-	-	-	-	-	2300
27- शिक्षा (बेसिक) 28 शिक्षा (माध्यमिक एवं उच्च)	398	-	-	-	-	-	398
29- प्राविधिक शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-
30- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	325	-	-	-	1909	-	2234
31- पेयजल एवं जल निस्तारण	3750	3565	-	-	-	-	7315
32- पेयजल (आधुनिक [illegible])	10	-	-	-	-	-	10

	24	25	26	27	28	29	30
33- आवास एवं निवास	-	5147	-	-	-	-	5147
34- पूजा	-	-	-	-	-	-	-
35- प्रशिक्षण एवं सेवायोजन	-	-	-	-	-	-	-
जन-श्रम कल्याण	-	-	-	-	-	-	-
36- अनु. हरिजन कल्याण	593	-	-	-	3292	-	3885
36-क- जन जाति कल्याण	43	-	-	-	-	-	43
37- पुष्टाहार कार्यक्रम	850	175	-	-	-	-	1025
38- विकास के लिए एवं प्रयोग व्यय -	-	-	-	-	-	-	-
39- मूल्यांकन एवं परीक्षण व्यय -	-	-	-	-	-	-	-
40- सांख्यिकी	27	-	-	-	-	-	27
41- नाप एवं माप	-	-	-	-	-	-	-
योग :-	24311	9338	1238	7159	5545	130	47653

:: प्रपत्र - 2 ::

जिला देहरादून पांचवी योजना का कार्यक्रम - भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्रम संख्या	मद	इकाई	31-3-69 तक की स्थिति	31-3-74 तक की स्थिति	पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	वर्ष 74-75 की उपलब्धियां	वर्ष 75-76 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	**कृषि**						
	1- भौगोलिक क्षेत्रफल	000 हैक्टर	262-598	265-772	265-772	265-772	265-772
	2- शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	,,	54-714	54-652	58-740	55-270	56-286
	3- एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल	,,	28-584	24-550	33-652	26-274	26-788
	4- सकल बोया गया क्षेत्र	,,	83-298	79-210	92-392	81-544	83-066
	5- वनों के अन्तर्गत क्षेत्र	,,	167-254	169-600	170-350	169-367	169-517
	6- कृषि योग्य बंजर भूमि	,,	11-771	12-060	8-355	11-852	10-773
	7- ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि	,,	1-652	1-506	1-392	1-715	1-600
	8- कृषि के अतिरिक्त उपयोग में लाई गई भूमि	,,	15-457	15-786	16-000	15-907	15-950
	9- अन्य उद्यानों वृक्षों की फसलों का क्षेत्र	,,	7-146	6-396	7-096	6-369	6-619
	10- स्थायी चरागाह और अन्य चरागाह	,,	0-046	0-039	0-039	0-032	0-032
	11- वर्तमान परती भूमि	,,	2-933	3-796	2-000	3-146	2-950
	12- अन्य परती भूमि	,,	1-417	1-937	0-500	2-114	2-040

1	2	3	4	5	6	7	8
13- खरीफ फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र		000 हे0	51-295	47-335	52-663	47-972	47-[illegible]
14- रबी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र		,,	31-049	31-759	39-536	33-432	34-[illegible]
15- जायद फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र		,,	0-153	0-145	0-223	0-140	0-200
16- फसल सघनता			152-2	144-9	157-3	147-5	147-[illegible]
17- खरीफ के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र		000 हे0	15-296	14-716	19-[illegible]	15-354	15-[illegible]
18- रबी के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र		,,	11-064	11-597	15-415	10-007	10-234
19- जायद के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र		,,	0-153	0-143	0-223	0-137	0-200
20- कुल सिंचित क्षेत्र		,,	26-513	26-456	35-[illegible]07	25-49[illegible]	26-[illegible]4
21- शुद्ध सिंचित क्षेत्र		,,	17-529	17-536	21-555	17-209	1[illegible]-[illegible]34
22- सिंचाई की सघनता :-							
1- शुद्ध सिंचित क्षेत्र शुद्ध बोये गये क्षेत्र के प्रतिशत में		%	32-04	32-09	36-70	31-14	33-46
2- कुल सिंचित क्षेत्र कुल बोये गये क्षेत्र के प्रतिशत में		%	31-33	33-40	3[illegible]-50	31-27	31-30
23- कृषि योग्य भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशत		%	29-71	29-63	29-35	29-64	29-61
24- शुद्ध बोये गये क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशत		%	20-[illegible]4	20-56	22-10	20-[illegible]	21-17
25- विभिन्न स्रोतों से शुद्ध सिंचित क्षेत्र :-							
1- नहरों		000 हेक्टेयर	9-973	9-973	11-133	8-300	10-193
2- राजकीय नलकूप		,,	0-559	0-566	1-765	0-[illegible]7	1-233
3- निजी नलकूप		,,					
4- अन्य		,,	6-997	6-997	8-651	[illegible]-122	7-436

टिप्पणी :- स्तम्भ 5 में क्रम 1 से 21 के आंकड़े वर्ष 72-73 के दिये हैं। वर्ष 1973-74 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हुये।

1	2	3	4	5	6	7	8
26- अधिक उत्पादनशील किस्मों के बीजों का वितरण -							
1-	एक्सोटिक किस्में	कुन्तल	523	536	810	736	701
2-	स्थानीय किस्में	,,	162	73	102	143	[illegible]
27- अधिक उत्पादन वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र -							
क- एक्सोटिक किस्में:-							
1-	धान	000 हेक्टेयर	3-414	3-497	4-672	3-945	4-045
2-	मक्का	,,	0-199	0-232	0-298	0-264	0-273
3-	बाजरा	,,	-	-	-	-	-
4-	गेहूँ	,,	3-977	7-324	9-552	9-222	9-300
ख - स्थानीय किस्में							
1-	धान	,,	1-166	6-3?2	8-645	7-255	7-460
2-	मक्का	,,	2-433	5-799	7-434	7-517	6-466
3-	बाजरा	,,	-	-	-	-	-
4-	गेहूँ	,,	4-307	4-411	5-630	3-339	4-016
5-	ज्वार	,,	-	-	-	-	-
28- महत्वपूर्ण फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र							
क- आच्छादन							
1-	धान	000 हे0	12-406	13-704	15-000	13-075	14-000
2-	मंडुआ	,,	6-701	5-964	4-500	5-421	4-000
3-	सांवा	,,	1-179	1-017	0-700	1-351	0-000
4-	मक्का	,,	12-700	7-074	14-000	11-303	12-000
5-	गेहूँ	,,	22-608	23-167	26-000	24-011	24-000
6-	जौ	,,	2-924	3-000	3-000	2-700	2-500
	योग:-	,,	58-758	52-906	63-200	59-020	58-100

1	2	3	4	5	6	7	8
(ख) - दाल							
	1- उर्द	000 हे०	1-475	अप्राप्त	1-600	1-432	1-400
	2- मूंग	,,	0-039	,,	0-133	0-011	0-040
	3- चना	,,	0-960	1-298	1-315	1-897	1-200
	4- मटर	,,	0-603	0-269	1-000	0-232	0-450
	5- अरहर	,,	0-131	0-193	0-130	0-170	0-100
	6- अन्य (मसूर)	,,	0-940	0'791	1-000	1-094	0-900
	योग	,,	4-126	2,456	5-110	4-094	4-090
(ग) वाणिज्यिक फसल							
	1- मूंगफली	000 हेक्टेयर	0-126	अप्राप्त	0-600	0-200	0-200
	2- लाही/सरसों	,,	0-904	0-919	1-000	0-101	0-750
	3- सूरजमुखी	,,	-	-	0-300	-	-
	4- सोयाबीन	,,	-	-	1-500	-	0-100
	5- अन्य तिलहन	,,	0-420	0-472	0-500	1-198	0-500
	6- गन्ना	,,	5-320	5-610	6-400	6-214	6-214
	7- आलू	,,	0-537	0-629	1-000	0-345	0-650
	8- तम्बाकू	,,	0-059	अप्राप्त	0-053	0-066	0-050
	9- अन्य (कपास तथा जूट)	,,	0-021	अप्राप्त	0-012	0-000	0-010
	योग :-	,,	7-467	7-630	11-365	8-132	8-474
29- मुख्य फसलों का उत्पादन :-							
	क- खाद्यान्न -						
	1- धान,	000 मी० टन	11-302	11-324	17-335	10-748	15-400
	2- मडुआ	,,	3-370	3-603	2-620	3-274	2-333
	3- सांवा	,,	0-637	0-471	0-314	0-627	0-350

1	2	3	4	5	6	7	8
	4- मक्का	000 मी० टन	0-965	6-760	13-046	9-653	0-652
	5- गेहूँ	,,	24-376	12-071	37-062	30-014	32-400
	6- जौ	,,	1-040	3-161	4-106	2-939	3-170
	योग:-	,,	50-990	30-190	74-491	57-255	62-703
ब - दाल							
	1- उर्द	,,	0-514	अप्राप्त	0-506	0-234	0-442
	2- मूँग	,,	0-021	,,	0-027	0-002	0-010
	3- चना	,,	0-532	0-621	1-537	0-907	0-972
	4- मटर	,,	0-465	0-091	0-613	0-070	0-103
	5- अरहर	,,	0-112	0-023	0-193	0-033	0-193
	6- अन्य (मसूर)	,,	0-570	0-303	0-795	0-419	0-405
	योग:-	,,	2-272	1-030	3-661	1-677	2-295
स- वाणिज्यिक फसलें :-							
	1- मूँगफली	,,	0-064	अप्राप्त	0-302	0-104	0-104
	2- लाही/सरसों	,,	0-304	0-479	0-426	0-052	0-320
	3- सूरजमुखी	,,	-	-	-	-	-
	4- सोयाबीन	,,	-	-	1-500	-	0-100
	5- अन्य तिलहन	,,	0-070	0-077	0-032	0-090	0-002
	6- गन्ना (गुड़ के रूप में)	,,	25-764	26-533	28-353	29-309	29-309
	7- आलू	,,	5-130	5-393	9-065	3-232	5-092
	8- तम्बाकू	,,	0-051	अप्राप्त	0-055	0-071	0-052
	9- अन्य (कपास तथा जूट)	,,	0-034	अप्राप्त	-	0-009	-
	योग:-	,,	31-475	32-902	39-683	32-947	35-939

1	2	3	4	5	6	7	8
२९-	कुल खाद्यान्न उत्पादन	000 मी० टन	53-275	39-090	78-152	59-032	65-973
30-	पौध सुरक्षा के अन्तर्गत क्षेत्र	000 हैक्टर	43-971	32-331	54-000	39-067	40-000
31-	भूमि संरक्षण -						
	1- कृषि भूमियों	,,	13-056	10-733	2-050	0-469	0-600
	2- बेहड़ों में	,,	जनपद में यह योजना लागू नहीं है ।				
32-	वृक्षारोपण की	,,	-	0-345	-	-	-
33-	रासायनिक उर्वरकों का वितरण :-						
	1- नत्रजन	मी० टन	506	1309	3154	1133	2053
	2- फास्फेटिक	,,	169	340	756	191	413
	3- पोटाश	,,	101	106	339	154	272
	4- कम्पोस्ट खाद का उत्पादन	000 मी० टन	159-159	102-196	452-453	315-300	428-00
	5- हरी खाद के अन्तर्गत क्षेत्र	000 हैक्टेयर	0-965	1-156	1-452	2-280	1-256
34-	नियन्त्रित बाजारों सं०		✕ 1	4	-	-	-
35-	उपलब्ध संग्रहण क्षमता						
	क- उर्वरक	000 मी० टन					
	1- कृषि विभाग	,,	-	0-695	-	-	-
	2- सहकारिता वि०	,,	-	1-100	-	0-300	0-100
	3- अन्य *	,,	-	-	2-000	-	1-000
	योग:-	,,	-	1-795	2-000	0-300	1-100

* इसमें उ०प्र० राज्य भण्डारागार निगम की खाद्यान्न तथा उर्वरक की संग्रहण क्षमता शामिल है ।

1	2	3	4	5	6	7	8
ख- खाद्यान्न							
1- सहकारिता विभाग		मी0 टन	-	2-012	-	-	-
2- [illegible] निगम		,,	-	-	-	-	-
3- अन्य		,,	-	-	-	-	-
36- कृषि औद्योगिक निगम के माध्यम से उपकरणों का वितरण							
1- पम्पिंग सैट		संख्या	-	-	-	-	-
2- शक्तिचालित टिलर्स		,,	-	-	-	-	-
3- ट्रैक्टर्स		,,	-	9	1	1	-
4- अन्य (		,,	-	-	-	-	-
37- कृषि सेवा केन्द्रों की संख्या							
1- कृषि उद्योग निगम		संख्या	-	-	-	-	-
2- सहकारिता		,,	-	-	-	-	-
3- कृषि विभाग		,,	-	-	-	-	-
4- अन्य		,,	-	-	-	-	-
38- कृषि औद्योगिक निगम के माध्यम से फल तथा पेय पदार्थों का							
क- उत्पादन		लाख रु0	-	-	175-33	-	-
ख- बिक्री		,,	-	-	150-42	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
2-	**बागवानी क्षेत्र, पौध सुरक्षा के अन्तर्गत क्षेत्र -**						
1-	फल	000 हैक्टर	3-929	5-878	1-500	0-207	0-250
2-	साग भाजी	,,	0-970	1-079	0-100	0-294	0-015
3-	कीटाणु रोकथाम	,,	अप्राप्त	अप्राप्त	3-000	1-436	0-500
4-	फल उत्पादन :- (वार्षिक उत्पादन स्तर)						
	क- सेब	000 मी0 टन	12-960	16-930	-	13-430	13-950
	ख- आम	,,	0-500	1-000	7-000	2-000	3-000
	ग- अन्य (अखरोट, लीची, खुबानी, आडू आदि)	,,	26-750	31-644	-	32-125	33-850
	आलू के अन्तर्गत क्षेत्र	हजार हैक्टर	0-537	0-629	1-000	0-345	0-650
	आलू का उत्पादन	000 मी0 टन	5-130	5-893	9-065	3-232	5-892
3	**- पशुपालन -**						
1-	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	संख्या	2	2	-	-	-
2-	कृत्रिम गर्भाधानों की संख्या	,,	अप्राप्त	17279	-	4993	-
3-	कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	,,	2	11	4	4	-
4-	स्टाकमैन सेन्टर (पशुसेवा केन्द्र)	संख्या	13	18	1	-	-
5-	राजकीय कुक्कुट फार्म	सं0	2	2	-	-	-
6-	सहकारी कुक्कुट फार्म	सं0	अप्राप्त	अप्राप्त	-	-	-
7-	पशु चिकित्सालय/ औषधालय	सं0	8	11	1	1	-
8-	भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र	,,	4	5	1	-	-
9-	न्यून पशु विकासखण्ड	सं0	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
10-	चारे फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र	000 हे0	अप्राप्त	अप्राप्त	0-810	0-134	0-165
11-	पशुओं की बीमारी की रोकथाम						
	1- टीकाकरण	संख्या	33119	1,93572	250000	41365	50000
	2- नीड कूड	,,	-	5,526	-	3200	-
	3- रिन्डर पैस्ट	,,	25344	352445	300000	40276	60000
4-	मत्स्य :-						
	1- तालों का श्रेणीकरण	संख्या	-	-	-	-	-
	2- श्रीमान नउआ तालाबों के समितियाँ	,,	-	-	-	-	-
	3- अंगुलिकाओं का वितरण	लाख	0-13	0-29	-	0-03	0-75
	4- मत्स्यजीवी समितियाँ	संख्या	-	-	-	-	-
	5- मत्स्योत्पादन	मै0 टन	-	-	-	-	-
5-	वन -						
	1- वन विभाग के प्रबन्ध के अन्तर्गत कुल क्षेत्र	(000 हे0)	अप्राप्त	153-025	-	-	-
	2- वर्किंग प्लान क्षेत्र	,,	,,	153-025	-	-	-
	3- आर्थिक महत्व के वृक्षों का क्षेत्र	,,	1-371	अप्राप्त	0-750	0-190	0-150
	4- जल्दी उगने वाले वृक्षों का क्षेत्र	,,	0-942	-	-	-	-
	5- ईंधन वृक्षों का क्षेत्र	,,	-	-	-	-	-
	6- कृषि, उद्योग के अन्तर्गत विकास	,,	-	-	-	-	-
	7- सड़कों की लम्बाई कि0मी0						
	1- मेटल्ड	,,	-	-	58	-	2
	2- अनमेटल्ड	,,	16	अप्राप्त	20	10	-
8-	रोपड़ा रिक्लेमेशन	000 हे0	-	-	-	-	-
9-	वर्किंग प्लान के बाहर क्षेत्र	,,	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
6- सिंचाई -							
1- लघु सिंचाई							
क- निजी लघु सिंचाई							
	1- पक्के कुएँ	संख्या	33	120	76	20	20
	2- कूप बोरिंग	,,	2	54	360	15	170
	3- रहट	,,	11	14	15	-	5
	4- नलकूप	,,	24	104	100	19	3
	5- पम्पिंग सेट	,,	52	202	200	29	20
	6- बन्धी	हेक्टेयर	-	-	-	-	-
	7- कुल क्षमता 000 हेक्टेयर		0-638	1-147	0-323	0-074	0-050
	8- सिंचन क्षमता का सृजन	,,	1-024	2-765	1-033	0-346	0-187
ख - राजकीय लघु सिंचाई							
	1- नलकूप	संख्या	11	26	59	4	3
	2- सिंचन क्षमता का सृजन	हजार हे0	20-22	23-54	0-33	0-75	0-36
	अ- राजकीय नलकूप द्वारा				6-00	0-48	0-36
	ब- राजकीय नहरों द्वारा				2-33	0-27	-
ग- वार्षिक सिंचन क्षमता में वृद्धि	000 हेक्टेयर						
	1- निजी लघु सिंचाई	,,	-	-	-	0-147	0-152
	2- राजकीय लघु सिंचाई	,,	-	-	-	1-196	1-164
	योग :-	,,	-	-	-	1-343	1-316
घ - कुल उत्पन्न क्षमता							
	1- निजी लघु सिंचाई	,,	-	-	-	2-964	2-979
	2- राजकीय लघु सिंचाई	,,	-	-	-	23-394	22-290
	योग :-	,,	-	-	-	26-358	25-269

1	2	3	4	5	6	7	8
2- वृहत एवं मध्यम सिंचाई -							
(1-) सिंचन क्षमता का सृजन		000 हैक्टर	-	-	-	-	-
(2-) नहर निर्माण		कि0मी0	-	-	-	-	-
3- सिंचन क्षमता का वास्तविक उपयोग -							
1- निजी लघु सिंचाई		000 हे0	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
2- राजकीय लघु सिंचाई		,,	,,	,,	,,	,,	,,
3- वृहत एवं मध्यम सिंचाई		,,	,,	,,	,,	,,	,,
7- उद्योग :-							
1- औद्योगिक इकाईयों की स्थापना -							
क- संगठित							
1- फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत		सं0	61	38	-	3	-
2- अन्य		,,	297	391	236	41	51
ख- असंगठित -		,,	39	36	-	37	-
2- रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या -							
क- संगठित क्षेत्र में							
1- फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत इकाईयों में		संख्या	2332	5328	-	225	-
2- अन्य		,,	932	3359	1390	333	265
ख- असंगठित क्षेत्र में		,,	71	166	-	62	-
3- उत्पादित वस्तुओं का मूल्य							
क- संगठित क्षेत्र		(000 रुपये में)	25000	343605	12500	259972	-
ख- असंगठित क्षेत्र		,,	542	1132	-	1393	-
4- औद्योगिक आस्थान -							
1- संख्या		संख्या	2	2	-	-8	-
2- शेडों का निर्माण		,,	16	16	-	-	-
3- आवंटित इकाईयाँ		,,	16	16	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
5- हस्तकरघा उद्योग :-							
क- हस्तकरघों की कुल संख्या		संख्या	अप्राप्त	327	-	-	-
ख- सहकारी क्षेत्र में हस्तकरघों की संख्या		,,	,,	120	-	-	40
ग- बुनकरों की सहकारी समितियों का गठन		,,	,,	11	-	-	-
घ- सहकारिता क्षेत्र में हस्तकरघा वस्त्र का उत्पादन		लाख मीटर	,,	19-30	20-00	1-75	5-00
6- रेशम उद्योग							
क- रेशम कोया का उत्पादन		टन में	2[illegible]-00	30-94	393-40	47-20	65-60
ख- कच्चा रेशम उत्पादन		,,	3-00	4-70	32-50	4-70	6-00
ग- टसर कोया उत्पादन		संख्या लाख	-	-	0-75	-	0-12
7- ऊन उद्योग :-							
क- हस्तकरघों की संख्या		संख्या	-	-	-	-	-
ख- सहकारी क्षेत्र में हस्तकरघों की संख्या		,,	-	-	-	-	-
ग- बुनकरों की सहकारी समितियों का गठन		,,	-	-	-	-	-
घ- ऊनी वस्त्रों का उत्पादन		मीटर	-	-	-	-	-
8- वृहत पैमाने में उत्पादन करने वाली इकाइयाँ -							
क- चीनी मिल							
1- संख्या		संख्या	1	1	-	-	-
2- उत्पादन		हजार टन	9-99	12-17	-	11-27	-
3- रोजगार में लगे व्यक्ति		संख्या	अप्राप्त	458	[illegible]	426	-
ख- वस्त्र मिल							
1- संख्या		संख्या	-	-	-	-	-
2- उत्पादन		लाख मीटर	-	-	-	-	-
3- कार्यरत व्यक्ति		संख्या	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
3- सहकारिता :-							
1- बैंक							
(क)-जिला सहकारी बैंक							
1- बैंकों की संख्या	संख्या	1	1	-	-	-	
2- शाखाओं की संख्या	,,	3	5	-	-	-	
3- अंश पूंजी	000 रु0 में	1659	2385	340	76	60	
4- चालू पूंजी	,,	12769	-	-	-	-	
5- जमा धनराशि	,,	3543	16667	3000	(-) 405	600	
6- ऋण वितरण	,,						
क- अल्पकालीन (वसूली)	,,	7270	10693	-	12470	-	
ख - मध्य कालीन	,,	1522	2530	-	2560	-	
(ख)- भूमि विकास बैंक							
1- शाखाओं की संख्या	संख्या	1	1	1	-	-	
2- दीर्घकालीन ऋण वितरण	000 रुपये में	351	1996	400	138	35	
(2) प्राथमिक ऋण समितियाँ							
1- समितियों की संख्या	संख्या	103	93	3	-	-	
2- सदस्यता	000 संख्या	23-2	33	18	1	3	
3- अंश पूंजी	000 रु0 में	1974	3466	360	305	60	
4- चालू पूंजी	,,	9571	16303	-	-	-	
5- जमा धनराशि	,,	462	725	-	132	-	
6- अल्प कालीन ऋण वितरण (वसूली)		5533	3160	10540	437	2100	
क- नकद	000 रु0	4233	6732	अप्राप्त	7434	अप्राप्त	
ख- वस्तु के रूप में	,,	1300	1466	,,	1201	,,	
7- मध्यकालीन ऋण वितरण	,,	1636	2361	4600	2110	920	

1	2	3	4	5	6	7	8
(3)- क्रय विक्रय समितियाँ							
1- समितियों की संख्या	संख्या	2	2	1	-	1	
2- सदस्यता	हजार में	0-28	9	-	0-309	-	
3- निजी पूँजी	,, रू० में	3,12	3,27	-	0-120	-	
4- विपणन की गई वस्तुओं का मूल्य	,,	678	346	-	739	-	
क-उर्वरक	,,	-	30	-	-	-	
ख- बीज	,,	-	-	-	-	-	
ग- खाद्यान्न	,,	569	96	-	639	-	
घ- अन्य	,,	9	162	-	253	-	
4- सहकारी विधायन समितियाँ							
1- समितियों की संख्या	संख्या	-	-	-	-	-	
2- सदस्यता	हजार में	-	-	-	-	-	
3- निजी पूँजी	हजार रू० में	-	-	-	-	-	
4- विधायन की गई वस्तुओं का मूल्य	,,	-	-	-	-	-	
- उपभोक्ता सहकारी समितियाँ							
1- समितियों की संख्या	संख्या	36	40	-	3	-	
2- सदस्यता	हजार में,	3	15	-	0-769	-	
3- निजी पूँजी	हजार रू० में	564	983	-	15-024	-	
4- विक्रय की गई वस्तुओं का मूल्य	,,	8936	7654	-	3549	-	
- सहकारी दुग्ध समितियाँ							
1- समितियों की संख्या	संख्या	55	117	-	3	-	
2- सदस्यता	हजार में	0-727	2-553	-	0-357	-	
3- निजी पूँजी	हजार रू० में	445	569	-	26-503	-	
4- विपणन की गई दुग्ध की मात्रा	000 लीटर	712	694	-	,256	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
7- अन्य समितियाँ							
1- समितियों की संख्या		संख्या	123	174	1	22	-
2- सदस्यता		हजार में	1-356	7-604	10-000	9-330	-
8- महिला समितियाँ							
1- समितियों की संख्या		संख्या	2	2	-	अप्राप्त	-
2- सदस्यता		हजार में	5-658	6-413	-	,,	-
3- अंश पूँजी		हजार रु० में	35-914	175-367	-	,,	-
4- चालू पूँजी		,,	721-943	1174-136	-	,,	-
5- जमा धनराशि		,,	695-460	750-326	-	,,	-
9- व्यावसायिक बैंक							
1- अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कार्यालयों की सं०		संख्या	32	अप्राप्त	-	56	-
2- प्रति बैंक कार्यालय पर जन संख्या		हजार में	17	-	-	13	-
3- अनु० व्यावसायिक बैंकों में जमा धनराशि		लाख रु०	अप्राप्त	अप्राप्त	-	54-28	-
4- अनु० व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋण वितरण		,,	,,	,,	-	6-21	-
5- प्रति व्यक्ति जमा धनराशि		रु०	,,	,,	-	943	-
6- प्रति व्यक्ति दिया गया ऋण		रुपये	,,	,,	-	137	-
9- विद्युत -							
1- विद्युत का उपभोग		लाख कि०वाट	1747	1773	अप्राप्त	1843	2332
2- विभिन्न कार्यों में विद्युत का उपयोग.		,,					
1- घरेलू एवं वाणिज्यिक		,,	14	14	,,	14	16
2- औद्योगिक		,,	975	1018	,,	1167	1283
3- कृषि (सिंचाई कार्य को सम्मिलित करते हुये)		,,	12	12	,,	13	15
4- अन्य		,,	746	729	,,	654	713
3- उपरोक्त मदों (1 से 4) में प्रति व्यक्ति उपयोग		कि०वा०	333	337	,,	320	352

1	2	3	4	5	6	7	8
4-	विद्युतीकृत ग्राम						
	1- संख्या	संख्या	72	161	अप्राप्त	1	10
	2- कुल ग्रामों की से प्रतिशत	%	9-39	20-99	,,	0-13	1-30
5-	हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	संख्या	-	56	,,	-	15
6-	औद्योगिक कनैक्शन						
	1- ग्रामीण	संख्या	130	151	,,	38	-
	2- शहरी	,,	33	45	,,	8	-
7-	विद्युतीकृत ट्यूबवेल/पम्पिंग सेटों की सं0	संख्या					
	1- राजकीय	,,	9	20	,,	1	2
	2- निजी	,,	59	147	,,	11	50
	3- अन्य	,,	-	-	,,	-	-
10-	सड़कें -						
	1 - रेलवे लाइनों की लम्बाई	कि0मी0	64-50	64-50	-	-	-
	2- पक्की सड़कों की लम्बाई						
	1- राष्ट्रीय राज मार्ग	,,	-	-	-	-	-
	2- प्रादेशिक राज मार्ग	,,	124-16	151-64	-	-	-
	3- मुख्य जिला सड़कें	,,	404-04	577-36	149-00	54-00	16-00
	4- अन्य जिला सड़कें	,,					
	5- ग्रामीण सड़कें	,,					
	3- सर्व ऋतु कालीन सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या		-----		अप्राप्त	---------	
	4- ग्रामों की संख्या जो सर्वऋतु कालीन सड़कों से जुड़े नहीं है लेकिन 3 कि0मी0 की समतल ऋतुकालीन सड़कों के अन्दर है	संख्या	217	267	-	306	-
	5- सड़कों की लम्बाई जिस पर बसें चलती हैं।						
	1- निजी	कि0मी0	431	445	250	25	-
	2- राज्य की रोडवेज बस	,,	167	249	-	-	-
	6- प्रचलित बसें -						
	1- निजी बसें	सं0	72	32	32	5	-
	2- राज्य की रोडवेज बसें	,,	37	112	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
11-	शिक्षा						
	(1)- विद्यालयों की संख्या						
	(क)-नागरीय						
	1- बेसिक स्कूल	संख्या	75	33	4	2	-
	2-सीनियर बेसिक स्कूल	,,	7	13	5	1	-
	3- हायर सेकेण्ड्री स्कूल	,,	31	35	13	2	-
	4- डिग्री कालेज	,,	5	7	-	-	-
	5- विश्वविद्यालय	,,	-	-	-	-	-
	(ख)- ग्रामीण						
	1- बेसिक स्कूल	,,	413	433	53	16	8
	2-सीनियर बेसिक स्कूल	,,	41	51	16	4	3
	3- हायर सेकेण्ड्री स्कूल	,,	9	14	5	-	-
	4- डिग्री कालेज	,,	-	-	-	-	-
	5- विश्वविद्यालय	,,	-	-	-	-	-
(2)	छात्र						
	(क) योग:-						
	1- बेसिक स्कूल	लाख में	0-70	0-75	0-78	0-75	0-76
	2- आयु वर्ग का प्रतिशत %		70	75	78	75	76
	2- सीनियर बेसिक स्कूल	लाख में	0-18	0-25	0-35	0-27	0-29
	आयु वर्ग का प्रतिशत %		13	22	30	24	26
	3- हायर सेकेण्ड्री स्कूल	लाख में	0-337	0-3[illegible]3	0-447	0-407	0-423
	आयु वर्ग का प्रतिशत %		24	31	39	37	38
	4- डिग्री कालेज	लाख में	0-036	0-048	0-080	0-050	0-060
(2)	(ख)-बालिकायें:-						
	1- बेसिक स्कूल	लाख में	0-30	0-32	0-43	0-34	0-35
	2- सीनियर बेसिक स्कूल	,,	0-07	0-10	0-14	0-11	0-12
	3- हा० से० स्कूल	,,	0-081	0-133	0-130	0-133	0-140
	4- डिग्री कालेज	,,	0-011	0-021	0-040	0-021	0-030
	5- विश्वविद्यालय	,,	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
(ए)- अनुसूचित जाति / जन जाति							
	1- बेसिक स्कूल	संख्या में	0-04 0-03	0-08 0-04	0-12 0-06	0-005 0-045	0-09 0-050
	2- सीनियर बेसिक स्कूल	,,	0-001 0-003	0-04 0-005	0-05 0-01	0-008 0-007	0-009 0-008
	3- हायर सेकेण्ड्री स्कूल	,,	0-001 0-002	0-002 0-004	0-012 0-007	0-008 0-004	0-010 0-005
	4- डिग्री कालेज	,,	0-005 0-0005	0-014 0-007	0-006 0-004	0-001 0-001	0-002 0-002
	5- विश्वविद्यालय	,,	-	-	-	-	-
(3) शिक्षक शिष्य अनुपात							
	1- बेसिक स्कूल	अनुपात	1-35	1-46	1-45	1-40	1-40
	2- सीनियर बेसिक स्कूल	,,	1-22	1-30	1-25	1-25	1-25
	3- हायर सेकेण्ड्री स्कूल	,,	1-31	1-19	1-15	1-18	1-18
12- प्राविधिक शिक्षा							
	1-(1) इन्जीनियरिंग/ प्राविधिक संस्थाओं की संख्या	संख्या	-	-	-	-	-
	(2) डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं की सं०	,,	-	-	-	-	-
	(3) सर्टीफिकेट स्तर की संस्थाओं की संख्या	,,	-	-	-	-	-
2- भर्ती							
	1- डिग्री	संख्या	-	-	-	-	-
	2- डिप्लोमा	,,	-	-	-	-	-
	3- सर्टीफिकेट	,,	-	-	-	-	-
13- जन स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन							
	1- ऐलोपैथिक अस्पताल एवं औषधालय की संख्या						
क- राजकीय -	1- नगरीय	संख्या	16	17	-	-	-
	2- ग्रामीण	,,	11	11	1	1	-
ख- अन्य	1- नगरीय	,,	31	35	-	-	-
	2- ग्रामीण	,,	3	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
2-	आयुर्वेदिक एवं यूनानी अस्पताल/औषधालय की संख्या						
	क - राजकीय -(1) नगरीय	संख्या	-	-	-	-	-
	(2) ग्रामीण	,,	11	12	3	3	-
	ख - अन्य (1) नगरीय	,,	-	-	-	-	-
	(2) ग्रामीण	,,	-	-	-	-	-
3-	होम्योपैथिक अस्पताल एवं औषधालयों की संख्या						
	क- राजकीय -(1-)नगरीय	संख्या	-	-	-	-	-
	(2) ग्रामीण	,,	1	2	-	-	-
4-	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या		4	4	-	-	-
5-	शैयाओं की संख्या						
	(क) नगरीय-1- ऐलोपैथिक	संख्या	932	962	23	23	-
	2-आयुर्वेदिक/यूनानी	,,	-	-	-	-	-
	3- होम्योपैथिक	,,	-	-	-	-	-
	(ख)- ग्रामीण - 1- ऐलोपैथिक	,,	534	522	-	4	-
	2- आयुर्वेदिक/यूनानी	,,	-	4	12	12	-
	3- होम्योपैथिक	,,	-	-	-	-	-
6-	विभिन्न बिमारियों से सम्बन्धित अस्पतालों की संख्या -						
	1- टी0बी0 क्लिनिक तथा अस्पताल	संख्या	2	2	-	-	-
	2-मलेरिया कन्ट्रोल यूनिट	,,	-	-	-	-	-
	3-कुष्ठ की बीमारी	,,	3	3	-	-	-
	4-कुष्ठ रोग नियंत्रण इकाई तथा अस्पताल	,,	1	1	-	-	-
7-	परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या	,,	3	3	-	-	-
8-	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्रों की संख्या	,,	13	13	-	-	-
9-	ए0एन0एम0 उपकेन्द्रों की सं0	,,	16	23	6	-	-
10-	मेडिकल कालेजों की संख्या	,,	-	-	-	-	-
11-	प्रवेश क्षमता	,,	-	-	-	-	-
12-	सरकारी/अस्पताल/औषधालयों में डाक्टरों की संख्या	संख्या	45	64	-	71	-

1	2	3	4	5	6	7	8
परिवार नियोजन :-							
1- बन्ध्याकरण							
1- पुरुष	संख्या		9130	10039	11397	800	1900
2- स्त्री	,,						
2- आई0यू0सी0डी0	,,		4575	3806	10192	334	3164
14- आवास							
1- आवास गृहों का निर्माण							
क- दुर्बल आय वर्ग	संख्या		-	153	379	-	270
ख- अल्प आय वर्ग	,,		-	116	129	-	78
ग- मध्यम आय वर्ग	,,		-	139	54	-	23
2- भूमि अध्याप्ति एवं विकास योजना							
क- अध्याप्ति भूमि	हैक्टेयर		-	126-39	83-77	-	13-35
ख- विकसित भूमि	,,		-	42-39	43-96	-	13-35
15- पिछड़ी जातियों का कल्याण							
1- पोस्ट मैट्रिक छात्र वृत्तियाँ							
क- सामान्य कोर्स							
1- अनुसूचित जातियाँ	संख्या		80	200	1000	310	360
2- अनुसूचित जन जातियाँ	,,		30	110	625	120	140
ख- प्राविधिक एवं पेशेवर कोर्स							
1- अनुसूचित जातियाँ	संख्या		11	40	500	93	100
2- अनुसूचित जन जातियाँ	,,		10	25	100	22	30
16- संस्थागत वित्त							
1- स्वीकृत ऋण	हजार रु0		अप्राप्त		अप्राप्त-	अप्राप्त	-
2- वितरित राशि							
1- कृषि	,,		अप्राप्त	अप्राप्त	-	24,64	-
2- उद्योग							
क- वृहत	,,		,,	,,	-	-	-
ख- मध्यम	,,		,,	,,	-	-	-
ग- लघु	,,		,,	,,	-	1,54,63	-
3- अन्य	,,		,,	,,	-	4,42,16	-

1	2	3	4	5	6	7	8
17- जल सम्पूर्ति :-							
क- नगरीय जल सम्पूर्ति							
1- नगरों की संख्या		संख्या	6	6	2	-	-
2- जनसंख्या लाभान्वित		हजार	2,23	2,23	20	-	-
ख- ग्रामीण जल सम्पूर्ति पाइप द्वारा							
1- ग्राम		सं०	125	237	130	53	23
2- जनसंख्या लाभान्वित		हजार	65	195	65	29	19
ग- हैण्ड पम्प तथा कुओं (ग्राम्य वि० विभाग)		सं०					
1- ग्राम		संख्या	अप्राप्त	अप्राप्त	-	अप्राप्त	-
2- जन संख्या लाभान्वित		हजार	,,	,,	-	,,	-
घ- नगरीय जल निस्तारण							
1- जल निस्तारण		संख्या	2	3	-	-	-
2- जनसंख्या लाभान्वित		हजार	1,34	2,32	-	-	-

ooooooooooooooo

oooooooooooo

...nal Planning and Administration ... Institute ...